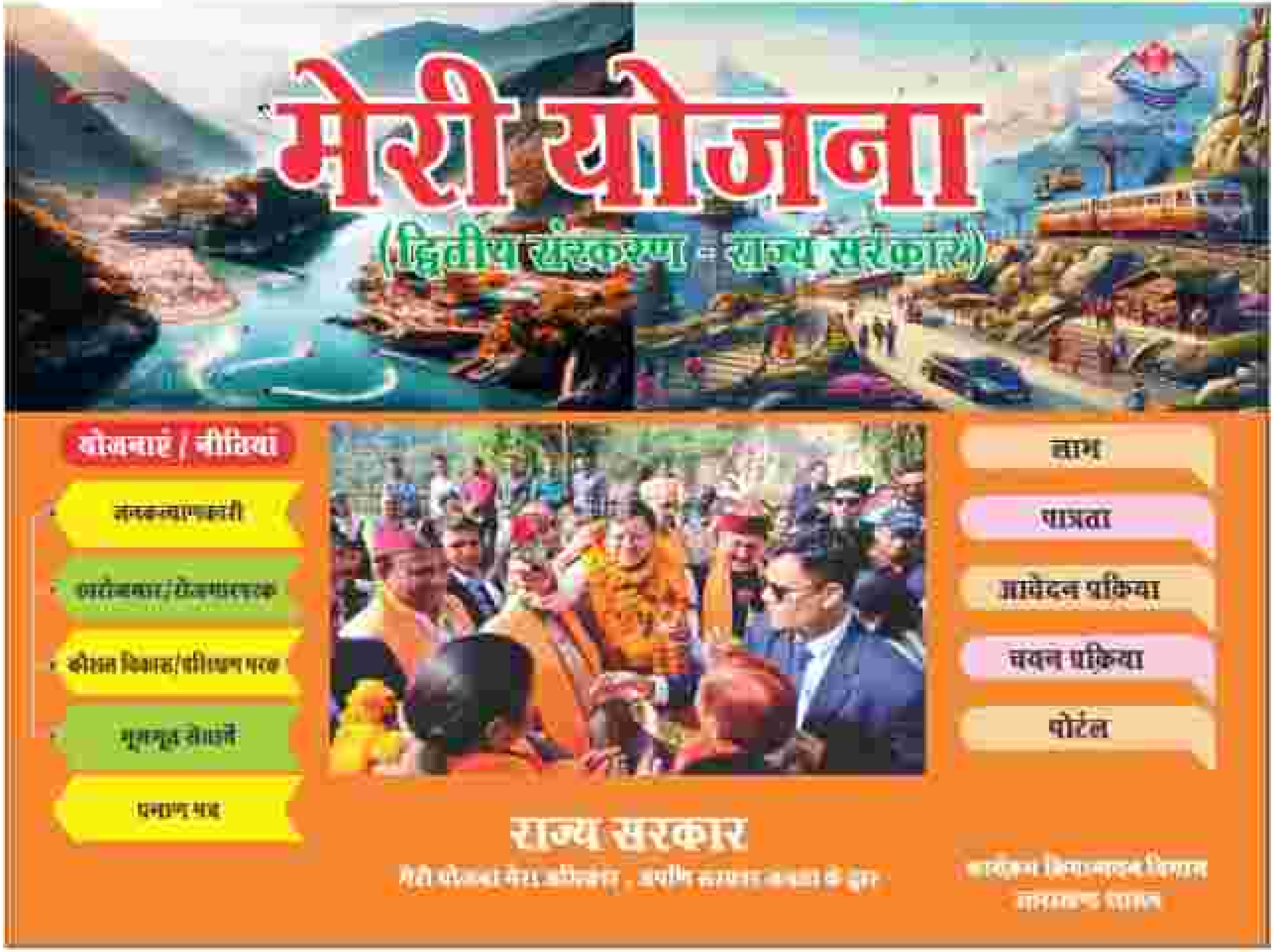
मेरी योजना
(द्वितीय संस्करण - राज्य सरकार)
योजनाएं / नीतियां
जनकल्याणकारी
स्वरोजगार/रोजगारपरक
कौशल विकास/प्रशिक्षण परक
प्रमाण पत्र
लाभ
पात्रता
आवेदन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया
पोर्टल
राज्य सरकार

"मेरी योजना"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

संरक्षण एवं निर्देशन

ले.ज. गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से.नि.)
मा. राज्यपाल उत्तराखण्ड
श्री पुष्कर सिंह धामी– मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड
श्रीमती राधा रतूड़ी– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड
श्री दीपक कुमार–सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन

सम्पादक

श्री दीपक कुमार–सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सह–सम्पादक

श्री एन.एस. डुंगरियाल–संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी–अनु सचिव, श्री प्रकाश पालीवाल–अनुभाग अधिकारी, श्री राजेन्द्र चौहान–विशेष कार्याधिकारी, श्रीमती वन्दना पाटनी–विशेष कार्याधिकारी, श्रीमती रंजना–समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विभागीय समन्वयन एवं सूचनाओं का संकलन तथा मीटिंग/वार्ता गतिविधियां

श्री एन.एस. डुंगरियाल– संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी–अनु सचिव, श्री राजेन्द्र चौहान, श्रीमती वन्दना पाटनी, श्रीमती सरिता तोमर विशेषकार्याधिकारी, श्री नन्दराम–पूर्व अनुभाग अधिकारी, श्री प्रकाश पालीवाल–अनुभाग अधिकारी, श्री नारायण सिंह राणा, श्रीमती रंजना, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग।

पुस्तक प्रूफ रीडिंग

श्री एन.एस. डुंगरियाल–संयुक्त सचिव, श्री जे.पी. मैखुरी–अनु सचिव, श्री प्रकाश पालीवाल– अनुभाग अधिकारी, श्री राजेन्द्र चौहान, श्री ललित मोहन आर्य, श्री संजीव कुमार शर्मा, डॉ. शैलेश कुमार पंत, श्री धर्मेन्द्र नयाल–विशेषकार्याधिकारी, श्रीमती रंजना–समीक्षा अधिकारी।

कम्प्यूटर कम्पोजिंग, पेज डिजाइन एवं पुस्तक डाटा संरक्षण

श्रीमती रंजना–समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार–समीक्षा अधिकारी, श्री अजय सिंह भण्डारी–कम्प्यूटर सहायक एवं श्री मुकेश चन्द देवरानी–कम्प्यूटर सहायक, श्री अमित वर्मा–होमगार्ड, कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन

सहयोग

राज्य सरकार के विभागों/संस्थानों के समस्त विभागीय अधिकारी/कार्मिक एवं एनआईसी टीम।

मुद्रण

(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड द्वारा मुद्रित तथा पुस्तक आमजन हेतु डिजिटल रूप में https://uk.gov.in पर उपलब्ध एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सर्वाधिकार सुरक्षित)

ले ज गुरमीत सिंह
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

राजभवन उत्तराखण्ड
देहरादून 248 003
दूरभाष: 0135-2757400
0135-2757403

20.11.2024

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा "मेरी योजना" पुस्तक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इस पुस्तक में उत्तराखण्ड सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, स्वरोजगार एवं कौशल विकास कार्यक्रमों, शिक्षा परक पहलों और निवेश संबंधी नीतियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

"मेरी योजना" पुस्तक न केवल राज्य की योजनाओं और नीतियों को व्यापक रूप से जनता तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि आम जनमानस को इनसे जुड़ने और लाभान्वित होने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। "मेरी योजना" पुस्तक को डिजिटल माध्यम से भी जनसामान्य तक पहुँचाने की पहल वास्तव में प्रशंसनीय और समयानुकूल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक जनहित के लिए उपयोगी साबित होगी।

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के इस अभिनव प्रयास के लिए मैं अपनी हार्दिक बधाई एवं पुस्तक प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

गुरमीत

ले ज गुरमीत सिंह
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम (से नि)

पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय
देहरादून-248001
फोन : 0135-2650433
0135-2716262
फैक्स : 0135-2712827
कैम्प कार्या.: 0135-2750033
0135-2750344
फैक्स: 0135-2752144

संदेश

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा 'मेरी योजना' नामक पुस्तक का द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकासपरक, जनकल्याणकारी एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं को जनमानस तक सुलभ पहुँच बनाये जाने हेतु नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को सरल भाषा में साररूप से संकलित करते हुए पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ–साथ डिजिटल माध्यम से भी आम जनमानस तक पहुँच बनाये रखने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है।

मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश के जनमानस को तो लाभ होगा ही, साथ ही साथ प्रदेश सरकार के विकास कार्यों में भी सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। पुस्तक के प्रकाशन से जहां एक ओर, सरकार जनता के द्वार के अनुरूप योजनाओं पर आम जनमानस की पहुँच हो जाएगी वहीं दूसरी ओर इन योजनाओं के अधिक से अधिक उपयोग से रोजगार/स्वरोजगार के सृजन में भी नये आयाम स्थापित होंगे। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा 'मेरी योजना' पुस्तक के द्वितीय संस्करण को अल्प अवधि में प्रकाशित किया जाना एक सराहनीय पहल है।

इस पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

(पुष्कर सिंह धामी)

राधा रतूड़ी

मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
राज्य सचिवालय, देहरादून
फोनः (का.) 0135-2712100, 2712200
फैक्सः 0135-2712500
ई–मेलः cs-uttarakhand@nic.in
chiefsecyuk@gmail.com

दिनांकः 11 नवम्बर 2024

संदेश

प्रसन्नता का विषय है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा "मेरी योजना" पुस्तक के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विकासपरक, जनकल्याणकारी एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं की आम जनमानस तक सुलभ पहुंच बनाये जाने से सम्बन्धित नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को संकलित करते हुए पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ–साथ डिजिटल माध्यम से भी पहुंच बनाये रखने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सार्थक पहल की जा रही है।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से प्रदेश के आम जनमानस को लाभ होगा एवं प्रदेश सरकार के विकास कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

(राधा रतूड़ी)

दीपक कुमार
सचिव

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,
4 सुभाष मार्ग,
देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2664127

संदेश

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा "मेरी योजना" पुस्तक के द्वितीय संकलन के प्रकाशन में उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी को संकलित करते हुए इस पुस्तक की भाषा बेहद सरल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि राज्य का कोई भी आम नागरिक यदि पुस्तक पढ़ें तो वह आसानी से योजनाओं/सेवाओं/का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है, की प्रक्रिया समझ सकें।

मेरी योजना पुस्तक के द्वितीय संस्करण में भी राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का आम जनमानस तक सुलभ पहुंच बनाये जाने की नीतियों, अधिनियमों एवं शासनादेशों को संकलित करते हुए पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के साथ-साथ डिजिटल के माध्यम से भी जानकारी सरल हिन्दी भाषा में उल्लिखित की गयी है, जिसमें योजनाओं/सेवाओं का नाम, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया का उल्लेख तथा जिन प्रतिष्ठानों की सूचना इस प्रारूप में नहीं है, का भी संक्षिप्त विवरण एवं उनके द्वारा किये जाये रहे कार्यों का विवरण उल्लिखित किया गया है, ताकि राज्य के नागरिक राज्य में स्थापित इन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सेवाओं/कार्यों का लाभ एवं जानकारी प्राप्त कर सकें। इस पुस्तक में पूर्व में प्रकाशित विभागों की योजनाओं में यदि संशोधन है तो उसका भी उल्लेख किया गया है तथा जिन विभागों में नयी योजनाएं जोड़ी गई हैं, उनको भी समाहित किया गया है।

अतः मेरा पुनः विश्वास है कि इस पुस्तक से जहाँ एक ओर आम जनमानस को राज्य सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं/योजनाओं/कार्यों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पायेगी वहीं इसका लाभ लेने में पुस्तक जानकारी सिद्ध होगी एवं पाठकों, शोधार्थियों एवं नीति निर्माताओं तथा विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए यह पुस्तक मार्गदर्शक का कार्य करेगी।

(दीपक कुमार)
सचिव

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, केन्द्र, संस्थान, निगम, कम्पनी के नाम	जन कल्याणकारी, स्वरोजगार/सेवायोजन, कौशल विकास/प्रशिक्षण, योजनाओं/कार्यक्रमों, निर्धारित नीतियों तथा सुलभ सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु उपयोग होने वाले प्रारूप सहित विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	समाज कल्याण विभाग	01. अटल आवास योजना 02. दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार 03. दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग तथा मरम्मत कराये जाने हेतु अनुदान। 04. जन्म से दिव्यांग बच्चों का भरण पोषण अनुदान 05. दिव्यांग छात्रवृत्ति कक्षा (01 से 08) 06. अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह पुरस्कार। **समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं का विवरण–** 1.राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 3. राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास 4.राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह 5.राजकीय भिक्षुक गृह 6. मानसिक रूप से उपचारित रोगियों हेतु आवास गृह 7. राजकीय दिव्यांग कर्मशाला	1–6
		उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग	7–8
2.	जनजाति कल्याण विभाग	1.अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु सहायता (राज्य सहायतित) 2. बुक्सा एवं राजी जनजाति विकास योजना 3.अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु अटल आवास योजना 4. परीक्षा पूर्व कोचिंग 5. प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना (PM JANMAN) **जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं का विवरण–** 1.शैक्षिक संस्थान/विद्यालयों का विवरण 2. शैक्षिक संस्था/छात्रावासों का विवरण 3. तकनीकी/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण **शैक्षिक/संस्थानों/विद्यालयों में कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया–** 1.राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 2. राजकीय जनजाति छात्रावास 3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 4. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय **शैक्षिक संस्थानों/विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया–** 1.राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 2. राजकीय जनजाति छात्रावास 3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 4. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	9–13
		उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग	14–15
3.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम	1.प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) 2. जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति) 3.जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जनजाति) 4.जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (दिव्यांग) 5.शिल्पी ग्राम योजना (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	16–18
4.	सैनिक कल्याण विभाग	1. निःशुल्क कम्प्यूटर योजना **(संशोधित)**।	19–20
	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल)	1. रोजगार हेतु पंजीकरण 2. कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान	21–22
5.	महिला कल्याण विभाग	01. पालना घर (क्रैच)	23–24
		उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग	25–26

6.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग	27–28
	उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् देहरादून	1.मुंशी (हाईस्कूल), मौलवी (हाईस्कूल) एवं आलिम (इण्टरमीडिएट) की परीक्षायें संचालित करना। 2. तहतानिया (कक्षा 1 से 5) फौकानिया (कक्षा 6 से 8) तथा आलिम (इण्टरमीडिएट) आदि की मान्यता प्रदान करना।	29–30
	उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड	1. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वक्फ मॉडर्न मदरसा	31
7.	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)	1.मोबाईल लर्निंग सेन्टर 2. चिकित्सा जाँच सुविधा 3. सामूहिक कन्या विवाह सहायता योजना। **WFC स्थान और पता (गढ़वाल क्षेत्र)–16 एवं WFC स्थान और पता (कुमाऊँ क्षेत्र)–17 का विवरण**	32–35
8.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	**विधिक माप विज्ञान विभाग–** 1. बाट–माप तथा तौल उपकरणों के सत्यापनों की राजस्व प्राप्ति। 2. बाट–माप तथा तौल उपकरणों के निरीक्षण की राजस्व प्राप्ति। 3. बाट–माप तथा तौल उपकरणों के विनिर्माता को अनुज्ञप्ति।	36–37
		उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग	38
		राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड	39–40
9.	गृह (पुलिस) विभाग	1. **साइबर क्राइम।**	41–45
		2. **उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं**	46–47
		3. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण,उत्तराखण्ड	48
		4. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण	49
		5. **कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग**	
10.	भाषा विभाग	**उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून**–1.उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान 2. हिन्दी विषय हाईस्कूल एवं प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कृत करना 3. भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन 4. विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन अनुदान	50–51
11.	माध्यमिक शिक्षा विभाग (समग्र शिक्षा परियोजना)	1.निपुण भारत मिशन उत्तराखण्ड 2. रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण 3. व्यावसायिक शिक्षा 4. सामुदायिक सहभागिता 5. पुस्तकालय एवं सहायक शिक्षण सामग्री–पुस्तक 6. शिक्षक संदर्शिका 7. Maths Wizard & Spelling Genius 8. कक्षा उत्सव प्रतियोगिता 9. Enhancement of Spoken English Programme 10. बुक एवं टॉय बैंक 11. शिक्षा समीक्षा केन्द्र 12. सुपर–100 कार्यक्रम	52–56
12.	संस्कृत शिक्षा विभाग	**उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार**: 1.संस्कृत छात्र प्रतियोगिता **(संशोधित)** 2. अखिल भारतीय संस्कृत आदि सम्मेलन **(संशोधित)** 3. संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान **(संशोधित)** 4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना **(संशोधित)** 5. गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना 6. शोधग्रन्थ प्रकाशन योजना 7. अखिल भारतीय संस्कृत शोध सम्मेलन 8.अखिल भारतीय वेद सम्मेलन एवं	57–63

		अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु सम्मेलन 6. वैदिक गणित पर एकदिवसीय संगोष्ठी	
		उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP- 2020 के अनुरूप संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रम व उनके शुल्कादि का विवरण	
13.	प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा विभाग	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पालीटेक्निक संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों का विवरण	64–70
		वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	71–73
14.	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग	कौशल विकास एवं सेवायोजन द्वारा प्रदेश में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण	74–77
15.	खेल विभाग	1.कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति **(संशोधित)** 2. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को डाइट/किट भत्ता 3. उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघों/क्लबों/युवा समितियों को अनुदान एवं आर्थिक सहायता 4. अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता 5. निजी क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं (बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, इंडोर क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी एवं शूटिंग) का निर्माण	78–80
16.	उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्क)	1.[illegible] विकास केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन 2. [illegible] छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिता एवं सम्मान का आयोजन 3. डिजिटल लर्निंग सेन्टरों की स्थापना	81–83
17.	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट)	1. विज्ञान प्रसार एवं लोकव्यापीकरण **(संशोधित)** 2. शोध एवं विकास कार्यक्रम **(संशोधित)** 3. [illegible] जनपद स्तर विज्ञान महोत्सव **(संशोधित)** 4. उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस [illegible] **(संशोधित)** 5. [illegible] **(संशोधित)** 6. [illegible] 7. विज्ञान केन्द्र [illegible] 8. [illegible] विज्ञान केन्द्र [illegible] 9. स्टेम (STEM) लैब 10. [illegible] की स्थापना 11. [illegible] 12. [illegible] 13. उत्कृष्टता विज्ञान केन्द्र 14. आपदा प्रबन्धन केन्द्र	84–89
18.	उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद हल्दी, पंतनगर (कृषि विभाग)	1.आधुनिक प्रयोगशालाओं का सफल संचालन।	90
19.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	1. उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण	91–92
20.	उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड	1. राजकीय मेडिकल/नर्सिंग कॉलेजों एवं एलोपैथिक चिकित्सालयों, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सालयों तथा श्रम विभाग के अन्तर्गत समूह 'ख' तथा 'ग' के विभिन्न अध्यापन संवर्ग, चिकित्साधिकारी, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल पदों पर चयन प्रक्रिया।	93–94

21.	आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून	95–97
22.	सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग	1.स्टार्टअप नीति–2023 **(संशोधित)** 2. उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 **(संशोधित)** 3.प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 4. निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति–2023	98–103
		स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (सिडकुल)	104–105
23.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	1. उत्तराखण्ड ऊन योजना 2. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सहायता)	106–109
24.	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग	1.सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन **(संशोधित)** 2. उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों/साहित्यकारों एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना **(संशोधित)** 3. लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता **(संशोधित)** 4. धार्मिक प्रकाशनों हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता **(संशोधित)** 5. जनजाति/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सांस्कृतिक दल द्वारा वेश–भूषा का क्रय करने हेतु **(संशोधित)** 6. भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय **(संशोधित)** 7.प्रेक्षागृह रिस्पना पुल निकट दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून। 8. हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ी कैंट देहरादून।	110–114
		राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा	115
		राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़	116
		श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति	117–118
25.	पर्यटन विभाग	**उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद–** 1. उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण 2. निधि + पोर्टल (पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की योजना) 3. रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग गतिविधियों का संचालन। 4. पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का संचालन। 5– P1, P2, P3, P4, SIV, गाइडेड कोर्सेज। 6. लाइफ सेविंग टेक्नीक वाटर स्पोर्ट्स ऑफिसर 7. बेसिक स्कीइंग कोर्स 8. सर्टिफिकेट कोर्स और ट्रेनिंग 9. नेशनल बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स 10. हाई एल्टीट्यूड गाइड कोर्स। 11. लो एल्टीट्यूड गाइड कोर्स 12. स्कीइंग कोर्स।	119–125
		गढ़वाल मण्डल विकास निगम	126–128
		कुमाऊं मण्डल विकास निगम	129–131
		राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एवं एप्लाइड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून	132
		जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान, अल्मोड़ा	133
26.	ऊर्जा विभाग (उरेडा)	1. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 2. सोलर वाटर हीटर योजना	134–137
	विद्युत नियामक आयोग	विद्युत नियामक आयोग	138–153

36.	शहरी विकास विभाग	राज्य सफाई कर्मचारी आयोग	216
	नगर निगम, देहरादून	1.व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (बीएलसी) 2.स्वतः रोजगार कार्यक्रम 3.स्वयं सहायता समूह 4 शहरी निराश्रितों हेतु आश्रय 5 प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम०स्वनिधि) 6.जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र 7.मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र 8.अनुपलब्धता जन्म प्रमाण पत्र हेतु 9. सम्पत्ति कर जमा 10 सम्पत्ति हस्तांतरण अभिलेखित/निरस्तीकरण 11.कर निर्धारण सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने 12 उत्तराखण्ड राज्य की लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रमाण पत्र 13 ई०डब्ल्यू०एस० प्रमाण पत्र	218–230
37.	पेयजल विभाग (उत्तराखण्ड जल संस्थान/पेयजल निगम)	1. भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल जीवन मिशन (हर घर जल योजना) **(संशोधित)** 2. विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित अर्द्धनगरीय पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था।	231–232
38.	राजस्व विभाग	1.अस्थायी शस्त्र लाइसेंस 2.स्थायी शस्त्र लाइसेंस 3.आयुधों का व्यवसाय लाइसेंस 4.उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र 5. तहसीलों के कार्मिकों द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्रों में हुई टंकण त्रुटि दुरुस्त किया जाना 6. राजस्व अभिलेखागार/स्थापित अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण 7.[illegible]	233–235
39.	परिवहन विभाग उत्तराखण्ड	**उत्तराखण्ड परिवहन निगम**– विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों हेतु निगम बसों में छूट का विवरण	236–238
40.	सूचना प्रौद्योगिकी (ITDA)	1. अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ **(संशोधित)** 2. ड्रोन नीति 2021 3. आई०टी०डी०ए० इन्क्यूबेशन सेन्टर 4. मुख्यमंत्री सन्दर्भ पोर्टल https://cmreferences.uk.gov.in/ 5. मुख्यमंत्री जनसमर्पण पोर्टल (शिकायत सिस्टम) https://cmis.uk.gov.in/	239–243
41.	लघु सिंचाई विभाग	1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी (सतही योजना) (90% केन्द्रांश 10% राज्यांश) 2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी (भूजल योजना) (90% केन्द्रांश 10% राज्यांश) 3. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना (पीएम–कुसुम) (50% केन्द्रांश 30% राज्यांश 20% कृषक अंश) 4. नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण 5. सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए) (100% राज्यांश) 6. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण (100% राज्यांश) 7. अनुसूचित जाति के सामर्थ्य लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्यांश) 8. अनुसूचित जनजाति के सामर्थ्य लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्यांश)	244–248
42.	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (वित्त विभाग)	1. भूमि/भवन की रजिस्ट्री (अचल सम्पत्ति का पंजीकरण) 2. विवाह प्रमाण–पत्र प्रदान करना 3. रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति/नकल प्रदान करना 4. भूमि/भवन आदि की पूर्व में पंजीकरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना 5. रजिस्ट्री में दी जा रही स्टाम्प छूट	249–250
	रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स	1. सोसाइटी पंजीकरण 2. फर्म पंजीकरण	251

43.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विभाग	1.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना (NFSM) 2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) 3. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना (SMAM) 4. मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना 5.गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम/उत्पादन में वृद्धि की योजना 6. जिला योजना 7.गन्ना कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	252–257
44.	आबकारी विभाग	आबकारी विभाग	258–259
45.	भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड	1.ई–निविदा सह ई–नीलामी खनन पट्टा 2. निगमों को पट्टे का आवंटन 3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट 4. मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट 5. हॉट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट 6. रिटेल भण्डारण 7. रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा	260–265
46.	आभार		266
47.	उत्तराखण्ड राज्य के उक्त विभागों के नाम/पता/वेबसाइट का पूर्ण विवरण		267–274

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

27.	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग	1. मिडिया को अनुदान (संशोधित)	154–155
28.	ग्राम्य विकास विभाग	1.दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत (संशोधित) 2.तकनीकी टीमों योजना 3. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 4. वाह्य और हिमालयान 5. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 6.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत	156–161
		ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग	162
29.	कृषि विभाग	1.स्टेट मिलेट मिशन 2. आर्गेनिक [illegible] कार्यक्रम	163–164
	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद	[illegible] योजना	165
	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	1. व्यावसायिक दुकानों का आवंटन 2. किसान बाजार की दुकानों का आवंटन 3. कैन्टीनों का आवंटन 4. [illegible] गोदाम 5. छात्रवृत्ति योजना 6. व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना 7. कृषक उत्पादक [illegible] सहायता योजना 8. [illegible] 9. सम्पर्क मार्ग 10. [illegible]	166–173
	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	**शैक्षणिक कार्यक्रम**–1. स्नातक पाठ्यक्रम 2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 3.पी०एच०डी० पाठ्यक्रम **छात्र–कल्याण विभाग**–1 [illegible] छात्रवृत्ति (यूजी) 2. [illegible] छात्रवृत्ति (पीएचडी) 3. [illegible] छात्रवृत्ति (टॉप 20 यूजी छात्र) 4. [illegible] 5. रू. 1,00,000 से कम [illegible] (यूजी छात्र) 6. [illegible] 7. छात्रवृत्ति योजना [illegible] 8. [illegible] छात्रवृत्ति 9. [illegible] (पीएचडी) 10. [illegible] (पीएचडी) 11. [illegible] (पीएचडी) 12. [illegible] (पीएचडी) 13. आईसीएआर–[illegible] यूजी (बी.एससी.) 14. आईसीएआर–[illegible] (एम.एससी.) 15. आईसीएआर–[illegible] (पीएचडी) 16. आईसीएआर–[illegible] एम.एससी. 17. [illegible] (पीएचडी) 18. [illegible] (पीएचडी) 19. [illegible] (पीएचडी) 20. [illegible] (पीएचडी) 21. [illegible] 22. [illegible] 23. अल्पसंख्यकों के लिए MANF (पीएचडी) 24. [illegible] 25. आईसीएआर–[illegible] 26. [illegible] (बी.टेक [illegible] इंजीनियरिंग) [illegible] 27. [illegible] का पुरस्कार। [illegible] के छात्रों के लिए [illegible] (बी.टेक तृतीय / चतुर्थ वर्ष) 28. [illegible] 29. डॉ. [illegible] सिंह मेमोरियल अवार्ड ([illegible] अंतिम वर्ष के छात्र) 30. डॉ. [illegible] मुखर्जी छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी. द्वितीय और तृतीय वर्ष) 31. [illegible] 32. [illegible] छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी. [illegible] छात्र) 33. [illegible] छात्रवृत्ति (एम.एससी. कृषि विज्ञान और कृषि / जैव प्रौद्योगिकी) 34. [illegible] (एम.एससी. एजी. [illegible] (द्वितीय वर्ष) छात्र) 35. डॉ. [illegible] (पीएचडी गणित) 36. डॉ. [illegible] पुरस्कार (एम.एससी. गणित) 37. डॉ. [illegible] स्वर्ण पदक (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र) 38. डॉ. [illegible] (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र) 39. [illegible] (एम.एससी. एजी. ([illegible] एवं प्लांट ब्रीडिंग) 40. श्रीमती [illegible] मेमोरियल अवार्ड (बी.एससी. एजी., बी.टी.एससी. और एम. [illegible] और बी.एम.एससी.) 41. डॉ. [illegible] विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ [illegible] के लिए [illegible]	174–188

		पुरस्कार। 42.प्रथम वर्षा नेमीचन्द्र अवार्ड (बी.एससी. एजी. द्वितीय वर्ष (1), तृतीय वर्ष (01) और चतुर्थ वर्ष (01) छात्र) **निदेशक शोध**–1.बीज अनुभाग 2. सिमर्थ असिस्टेंटशिप **प्रसार शिक्षा कार्यक्रम** :– 1.कृषि विज्ञान एवं प्रसार इकाई 2. कृषि–उत्तराखण्ड 3. कृषि विज्ञान केन्द्र 4. कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र, एटिक 5. अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी	
30.	उद्यान विभाग	1. सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र 2. राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र	189–190
		वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल– 1.पीएचडी, एमएससी एवं पोस्टडॉक 2.किसान विज्ञान केन्द्र की विभिन्न प्रशिक्षण तथा अन्य सहायता योजनायें 3.ग्रामीण कृषि मौसम सेवा 4. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	191–192
31.	पशुपालन विभाग	1. पशुधन विकास योजना द्वार पर चारा सुगमता	193–194
	उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड	1. मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम 2. ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म 3. राष्ट्रीय–पशुधन मिशन अन्तर्गत पशुधन बीमा योजना 4. राष्ट्रीय पशुधन मिशन–उद्यमिता विकास योजना	195–197
	उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग	पंजीकरण गौसदन एवं कार्य	198–199
32.	डेरी विकास विभाग	1. महिला डेरी विकास परियोजना उत्तराखण्ड	200–201
33.	मत्स्य विभाग	1. मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना **(प्राथम संशोधित–1)** 2. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (नवीन योजना) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत सह योजना 3. राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना मत्स्य सेक्टर	202–206
34.	वन एवं पर्यावरण विभाग	**1. मानव वन्य जीवन संघर्ष राहत वितरण निधि के अन्तर्गत मुआवजा का वितरण। (संशोधित)** **उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**– 1. स्थापनार्थ सहमति (CTE) 2. संचालनार्थ सहमति (CTO) 3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार 4. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार 5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार 6. ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम के अन्तर्गत प्राधिकार 7. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार 8. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	207–211
35.	आवास विभाग	1. उत्तराखण्ड-आवास नीति नियमावली 2024 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों में क्रियान्वयनी आवास घटक। **(संशोधित)**	212–213
		उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण	214–215
	हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	1. मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया 2. उत्तर एवं के द्वारा मानचित्र स्वीकृति 3. आवासीय निर्माण हेतु मॉडल मानचित्र उपलब्ध कराना 4. लैंड बैंक 5. आवासीय सुविधा (–इन्द्रलोक आवासीय योजना (पुन आवास))	216–217

समाज कल्याण विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	अटल आवास योजना	₹ 1,30,000 (पर्वतीय क्षेत्र) तथा ₹1,20,000 (मैदानी क्षेत्र) 3 किश्तों में।	1. अनुसूचित जाति के परिवार 2. बीपीएल या ₹ 48000 वार्षिक आय सीमा 3. आवेदक का कोई मकान न हो और उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए।	प्रति वर्ष जनपदों को लक्ष्य दिये जाते हैं। जनपदों द्वारा लक्ष्य का जनसंख्या के आधार पर विकासखण्डों को आवंटन किया जाता है। विकासखण्ड स्तर पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, बीपीएल, आधार सीडिंग/लिंक बैंक खाता, सम्पत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं। आवेदन पत्र ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाते हैं। खण्ड विकास स्तर पर एक वरीयता सूची तैयार की जाती है। प्राप्त आवेदनों में से मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी की समिति द्वारा पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है। चयन समिति की संस्तुति के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश की कार्यवाही की जाती है।
02.	दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार	₹ 8000/- धनराशि दी जाती है।	योजना के अन्तर्गत निम्न श्रेणी में पुरस्कार दिये जाते हैं– 1. दिव्यांग कर्मचारी 2. उत्कृष्ट खिलाड़ी 3. स्वतः रोजगार में सर्वश्रेष्ठ सेवायोजक	राज्य पुरस्कार विश्व दिव्यांग दिवस 03 दिसम्बर के अवसर पर वितरित किये जाते हैं। इस हेतु समाचार पत्रों में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ उनके द्वारा किये गये विशेष कार्यों का विवरण के साथ आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किये जाते हैं। जनपद स्तर पर आवश्यक जांच के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण की संस्तुति के उपरान्त शासन स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के उपरान्त प्रत्येक श्रेणी में योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, मेडल तथा 8000 का बैंक ड्राफ्ट/चैक प्रदान किया जाता है।
03	दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक यंत्र/उपकरण तथा कृत्रिम अंग	[illegible] ₹600/- से ₹3800/- (अधिकतम ₹7000/-) तक एवं ट्राईसाईकिल ₹ 4000/-	[illegible] माता-पिता [illegible] मासिक आय [illegible]	आवेदकों को कृत्रिम अंग अथवा सहायक यंत्र प्रदान [illegible] की संस्तुति चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी हो। आवेदकों द्वारा [illegible] आवेदन पत्र पूर्ण कर [illegible] सहायक समाज

PROGRAMME IMPLEMENTATION

	जाने हेतु अनुदान	ग्रा एवं सहायक उपकरणों की मरम्मत हेतु ₹500/- अनुदान अनुमन्य की जाती है।	सीमा। 40 प्रतिशत दिव्यांगता।	कार्यालय अधिकारी को हस्तांतरित करना जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। तत्पश्चात् कोषागार के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थी को भुगतान की जायेगी।
04.	जन्म से दिव्यांग बच्चे का भरण पोषण अनुदान	माता–पिता या अभिभावक को ₹700/- प्रतिमाह	18 वर्ष से कम आयु के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के भरण–पोषण करने वाले माता–पिता या अभिभावक की मासिक आय ₹ 4000 से कम अथवा बीपीएल श्रेणी।	आवेदक, आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट ssp.uk.gov.in अथवा उमंग मोबाइल ऐप अथवा अपणी सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से करेगा। **आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य है :–** आवेदक का मोबाईल नम्बर, पासपोर्ट साइज फोटो, ग्राम प्रधान/वी0पी0डी0ओ0/सभासद द्वारा प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र, वोटर आई0डी0 कार्ड, सीबीएस बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक/सीड हो, की छायाप्रति। परिवार का वैध आय प्रमाण पत्र अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र। 40 प्रतिशत से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्रों में सभासद की खुली बैठक में प्रस्तावित/पारित प्रस्ताव की प्रति। जिस जनपद से आवेदन करेंगे, सभी दस्तावेज उसी जनपद के होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सत्यापन हेतु क्रमशः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में सहायक समाज कल्याण अधिकारी व उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन व संस्तुति उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन सही पाये जाने पर स्वीकृत कर भरण पोषण अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जाती है। परन्तु उक्त दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र तथा यू0डी0आई0डी0 प्रमाण पत्र भी देय होगा। उसकी

PROGRAMME IMPLEMENTATION

				पश्चात् आवेदन स्वीकृत होने के 01 माह बाद पेंशन उनकी माता–पिता के खाते में आ जाती है।
08	दिव्यांग छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 08 तक)	कक्षा 1 से 5 तक–रु0 800 कक्षा 6 से 8 तक–रु0 960	1. रु0 0.24 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र। दिव्यांग छात्र	छात्रों द्वारा भारत सरकार के एन0एस0पी0 पोर्टल (NSP) (https://scholarships.gov.in) में ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ आवेदक का आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, प्रमाणित फोटो, सी0बी0एस0 बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो। पूर्व कक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न लेने की स्वघोषणा पत्र। आवेदन पत्र को छात्र ऑनलाइन अपने शिक्षण संस्थान को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान आवेदन पत्र को सत्यापित कर जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित करता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पूर्ण आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों को (जिन्हें सही किया जा सकता है) अस्थायी रूप से डिफेक्ट किया जाता है, अन्यथा पूर्ण रूप से रिजेक्ट/अस्वीकृत किया जाता है। पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्रवृत्ति धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष में सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है।
09	अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह पुरस्कार	विवाहित दम्पत्ति को रु0 50,000/– धनराशि संयुक्त नाम से प्रदान की जाती है।	अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों में एक का अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है एवं अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले दम्पत्तियों में दोनों पक्षों का भिन्न–भिन्न धर्मों का होना अनिवार्य है।	प्राप्त आवेदन को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यक परीक्षण उपरान्त जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ निदेशालय के माध्यम से शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ दूल्हा एवं दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड) शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, सी0बी0एस0 बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो, की प्रति लगाया जाना अनिवार्य है। शासन स्तर से स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट प्रेषित किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं का विवरण

क्र०सं०	संस्था का नाम	जनपद	स्वीकृत क्षमता
(I)	**राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय**		
1.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, श्रीनगर (कक्षा 1 से 5 तक)	पौड़ी	60
2.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, [illegible] (कक्षा 1 से 5 तक)	देहरादून	60
3.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जैंती (कक्षा 1 से 5 तक) (वर्तमान में संचालित नहीं)	अल्मोड़ा	60
4.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बाजपुर (कक्षा 1 से 5 तक)	ऊधमसिंह नगर	60
5.	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, [illegible] (कक्षा 1 से 8 तक)	चमोली	230
6.	राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेतालघाट (कक्षा 6 से 10 तक)	नैनीताल	150
7.	सुरेन्द्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय, मक्खनपुर (कक्षा 1 से 12)	हरिद्वार	570
(II)	**राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान**		
1.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, [illegible]	नैनीताल	172
2.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, [illegible]	नैनीताल	104
3.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, [illegible]	[illegible]	104
(III)	**राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास**		
1.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पौड़ी	पौड़ी गढ़वाल	48
2.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, घनसाली	टिहरी	48
3.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, गोपेश्वर	चमोली	48
4.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	उत्तरकाशी	48
5.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	देहरादून	48
6.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	हरिद्वार	48
7.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, [illegible]	नैनीताल	48
8.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सैनिक विद्यालय परिसर, घोड़ाखाल	नैनीताल	24
9.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	अल्मोड़ा	48
10.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, लोहाघाट	चम्पावत	48
11.	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	पिथौरागढ़	48
12.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास	पिथौरागढ़	48
13.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास	पौड़ी गढ़वाल	48

14.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास	उत्तरकाशी	48
15.	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, मसूरी	देहरादून	48
(IV)	**राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह**		
1.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, गोपेश्वर	चमोली	50
2.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, बागेश्वर	बागेश्वर	50
3.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	24
4.	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह, डोईवाला	देहरादून	50
(V)	**राजकीय भिक्षुक गृह**		
1.	राजकीय भिक्षुक गृह, रोशनाबाद	हरिद्वार	200
(VI)	**मानसिक रूप से उपचारित व्यक्तियों हेतु आवास गृह**		
1.	मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन पुरुषों/महिलाओं एवं बालक/बालिकाओं के लिये आवास गृह, रुद्रपुर	ऊधमसिंह नगर	50
(VII)	**राजकीय दिव्यांग कर्मशाला**		
1.	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, हल्द्वानी	नैनीताल	50 आवासीय 50 अनावासीय
2.	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, चमियाला	टिहरी गढ़वाल	50 आवासीय 50 अनावासीय
3.	राजकीय दिव्यांग कर्मशाला, कुनीड़	पिथौरागढ़	50 आवासीय 50 अनावासीय

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग का गठन उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा–3 के अन्तर्गत किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य हैं। आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य सभी अनुसूचित जाति के होने आवश्यक हैं, तथा उनमें से एक सदस्य महिला होगी। आयोग के कर्तव्य निम्नलिखित हैं–

(क) संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और उनका मूल्यांकन करना।

(ख) अनुसूचित जातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।

(ग) अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सुझाव देना और विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(ङ) अनुसूचित जातियों के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के संबंध में जो सरकार द्वारा किये जाय, सिफारिश करना।

(च) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, विकास और अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जायें, निर्वहन करना।

आयोग की शक्तियां– सिविल न्यायालय की प्राप्त सभी शक्तियां उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा–11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होंगी अर्थात–

(क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने व शपथ पर उसकी परीक्षा करने।

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने।

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने।

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने और

(च) किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाय।

शिकायतों के निवारण प्रक्रिया– अनुसूचित जाति पीड़ित द्वारा आयोग में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज की जा सकती है, अथवा आवेदक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके अपनी समस्या को वेबसाइट पर दर्ज कर सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग

जनजाति कल्याण विभाग

जनजाति कल्याण विभाग

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/आवश्यकता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	अनु0 जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु सहायता	अनु0जनजाति के परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रू0 50,000/- की दर से अनुदान।	अनु0 जनजाति के परिवार की समस्त स्त्रोतों से मासिक आय रू0 4000/- अथवा बी0पी0एल0 परिवार/अन्त्योदय परिवार। शादी के समय युवक (दूल्हा) की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती (दुल्हन) की आयु 18 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हो।	आवेदक आवेदन स्वयं/कॉमन सर्विस सेंटर ऑनलाईन पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in, अथवा उमंग मोबाईल ऐप अथवा अपनी सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in के माध्यम से करेगा तथा आवेदन में निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं:- आवेदक का मोबाईल नम्बर, आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवास प्रमाणपत्र, सीबीएस बैंक खाता जो आधार से लिंक/सीड हो। वैध आय प्रमाण पत्र (अथवा बीपीएल/अन्त्योदय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल। (केवल पर्वतीय क्षेत्र हेतु) दुल्हन एवं दूल्हे की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर/आधार कार्ड)। शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र। राज्य का (आवेदक के परिवार ने इससे पूर्व लिया हो अथवा लाभ ही न लिया हो) जिस वर्ष शादी हो उसी वर्ष 01 मार्च से 28 फरवरी के बीच आवेदन करना अनिवार्य है। यदि किसी को शादी माह जनवरी, फरवरी में हो तथा उसके पास दस्तावेज पूरे न हो, तो ऐसी स्थिति में शादी होने से पूर्व भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु लाभ, शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त ही मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी तथा जांच आख्या/संस्तुति के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकृत कर अनुदान राशि लाभार्थी के खाते में भुगतान की जायेगी।
2	बुक्सा एवं राजी जनजाति विकास योजना	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बुक्सा एवं राजी जनजाति के छात्र-छात्राओं/प्रशिक्षणार्थियों को रू0 500/- प्रतिमाह/प्रति छात्र-छात्रा (10 माह हेतु) शिक्षा प्रोत्साहन भत्ता।	बुक्सा एवं राजी जनजाति के विकासखण्डान्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों/छात्रावासों में अध्ययनरत/निवासरत हो।	उक्त योजना, बुक्सा एवं राजी जनजाति के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से विभागीय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में अध्ययनरत् हेतु छात्र-छात्राओं को दी दिए जाते हैं।

3	अनुसूचित जनजाति के परिवारों हेतु आवास योजना	रू0 1,30,000 (पर्वतीय क्षेत्र) तथा रू0 1,20,000 (मैदानी क्षेत्र) 3 किश्तों में।	1. अनुसूचित जनजाति के परिवार। 2. बीपीएल या रू0 48000 वार्षिक आय सीमा। 3. आवेदक का कोई मकान न हो और उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए।	वर्ष में जनपदों को लक्ष्य दिये जाते हैं। जनपदों द्वारा लक्ष्य का जनसंख्या के आधार पर विकासखण्डों को आवंटन किये जाते हैं। इस पर विकासखण्ड स्तर पर आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, सीबीएस आधारित बैंकिंग / लिंक बैंक खाता, सम्पत्ति के दस्तावेज लगाये जाने अनिवार्य हैं। आवेदन का ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाते हैं। खण्ड विकास स्तर पर एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है। प्राप्त आवेदन का मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी की कमेटी द्वारा पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है। तदुपरान्त समिति की संस्तुति के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जाती है।
4	परीक्षा पूर्व कोचिंग	परीक्षा पूर्व कोचिंग की निःशुल्क सुविधा है। परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों में देय छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् हैं– बाह्य छात्र – रू0 1000.00 प्रतिमाह आवासीय छात्र – रू0 750.00 प्रतिमाह	जनजाति के छात्र / छात्राओं।	अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों एवं निजी संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं तथा आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, इन्जीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, एस0एस0सी0 तथा समूह ग की परीक्षाओं व अन्य परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। कोचिंग संस्थानों के चयन हेतु समाचार पत्रों में आवेदन आमन्त्रित की जाती हैं। और शासन स्तर पर अनुमोदन के उपरान्त संस्था का चयन किया जाता है। छात्रों से भी आवेदन प्राप्त किये जाते हैं और उनके हाईस्कूल, इन्टर एवं स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर कोचिंग हेतु चयन वरीयता दी जाती है।
5	प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना (PMJANMAN)	बुक्सा एवं राजी जनजाति क्षेत्रों का विकास	बुक्सा एवं राजी जनजाति	राज्य में निवासरत विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पूर्ण रूप से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का शत् प्रतिशत लाभ उपलब्ध कराना। जैसे सड़क, पेयजल, विद्युत, आवास, राशन कार्ड, शिक्षा, कौशल विकास, आधार, [illegible] आदि। • राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के रूप में बुक्सा एवं राजी जनजाति निवासरत् हैं, जो कि राज्य के 184 गाँवों में निवासरत् हैं। • प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजनान्तर्गत जनजाति कल्याण विभाग को 20 [illegible] विकास केन्द्र तथा 23 बहुउद्देशीय केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजनान्तर्गत 09 [illegible] और 11 [illegible] के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को सम्पृक्त किया जाना है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPT

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग

3 तकनीकी/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	ग्राम/जनपद	क्षमता
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी	देहरादून	69
2	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गूलरभोज	ऊधमसिंह नगर	128
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खटीमा	ऊधमसिंह नगर	199

शैक्षिक संस्थानों/विद्यालयों में कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया–

क्र०सं०	संस्थान/विद्यालय	चयन प्रक्रिया
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	इन संस्थानों में शिक्षकों व अन्य कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया संगत नियमावली के आधार पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) अथवा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के माध्यम से की जाती है।
2	राजकीय जनजाति छात्रावास	
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली) द्वारा की जाती है। (emrs.tribal.gov.in)

शैक्षिक संस्थानों/ विद्यालयों प्रवेश प्रक्रिया–

क्र०सं०	संस्थान/विद्यालय	प्रवेश प्रक्रिया
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	आश्रम पद्धति विद्यालयों में निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं द्वारा विद्यालय में ऑफलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदक छात्र–छात्राओं की संख्या सीटों से अधिक होने पर चयन लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाता है।
2	राजकीय जनजाति छात्रावास	निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं द्वारा सम्बन्धित छात्रावास में ऑफलाइन आवेदन किया जाता है जिसमें विद्यालय की दूरी एवं आय के दृष्टिगत प्रवेश दिया जाता है।
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	प्राप्त आवेदकों की निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण होने पर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसके पश्चात मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग

उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2015 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–18 सन् 2015) की धारा–3 में प्राविधान है कि राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी, जो उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का पालन करेगा।

आयोग की संरचना– आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होंगे। आयोग में प्रत्येक जनजाति (थारू, जौनसारी, भोटिया, बुक्सा एवं राजी) के दो भी शामिल होंगे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जनजाति के ऐसे योग्य पुरुष अथवा महिला पात्र होंगे जैसा विहित किया जाए।

सदस्य की नियुक्ति ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से की जायेगी, जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा तथा उनसे सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान के लिए योगदान दिया हो।

आयोग के कर्तव्य– आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे–

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिनियम 2015 की धारा 11(1) के अनुसार आयोग के संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिए शिकायतें आयोग के रूप में कार्य करना।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सुझाव देना और विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(घ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और अन्य समयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जैसा आयोग उचित समझे।

(ङ) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदनों में, उन उपायों के संबंध में जो सरकार द्वारा किये जाएं, सिफारिश करना।

आयोग की शक्तियां– अधिनियम की धारा–12 में किसी वाद को विचार करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ आयोग की धारा–11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने में या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत पर जांच करने में विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होंगी अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने व जबरदस्ती शपथ पर उसकी परीक्षा करने।

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करने।

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करने।

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने और।

(च) किसी अन्य विषयों में जो विहित किया जाये।

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम

जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं का विवरण–

1. शैक्षिक संस्थान/विद्यालयों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	जनपद	क्षमता
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालिका (कक्षा 1 से 5 तक) [illegible]	हरिद्वार	150
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 8 तक) [illegible]	हरिद्वार	105
3	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 10 तक) त्यूनी	देहरादून	175
4	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 10 तक) [illegible]	देहरादून	175
5	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालिका (कक्षा 1 से 10 तक) [illegible]	देहरादून	300
6	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालिका (कक्षा 6 से 10 तक) [illegible]	देहरादून	165
7	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 1 से 5 तक) [illegible] (त्यूनी)	देहरादून	175
8	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालिका (कक्षा 6 से 8 तक) खटीमा	ऊधमसिंह नगर	105
9	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 1 से 10 तक) खटीमा	ऊधमसिंह नगर	245
10	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालिका (कक्षा 6 से 10 तक) गूलरभोज	ऊधमसिंह नगर	165
11	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 10 तक) [illegible]	ऊधमसिंह नगर	175
12	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 10 तक) गदरपुर	ऊधमसिंह नगर	175
13	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 1 से 10 तक) बलुवाकोट	पिथौरागढ़	245
14	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 10 तक) [illegible]	पिथौरागढ़	175
15	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालिका (कक्षा 1 से 10 तक) [illegible]	पिथौरागढ़	310
16	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय–बालक (कक्षा 6 से 10 तक) [illegible]	चमोली	175
17	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) कालसी	देहरादून	420
18	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) बाजपुर	ऊधमसिंह नगर	420
19	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) खटीमा	ऊधमसिंह नगर	420
20	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका (कक्षा 6 से 12 तक) मेहरावना	देहरादून	420

2. शैक्षिक संस्था/छात्रावासों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	जनपद	क्षमता
1	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक गोपेश्वर	चमोली	50
2	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक धारचूला	पिथौरागढ़	50
3	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक खटीमा	ऊधमसिंह नगर	50
4	राजकीय जनजाति छात्रावास बालक काशीपुर	ऊधमसिंह नगर	50
5	राजकीय जनजाति छात्रावास बालिका [illegible]	देहरादून	50

उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)	**अनुदान** – परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 50,000/– अधिकतम।	1– उत्तराखण्ड में निवासरत। 2– अनुसूचित जाति 3– आयु सीमा निर्धारित नहीं है किन्तु रू. 2.50 लाख आय सीमा के आवेदकों का चयन में वरीयता।	1– खण्ड विकास अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव जनपदीय कार्यालय को उपलब्ध कराये जाते हैं। जनपद विकास कार्यालय में प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से चयन कराते हुए भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करते हुए राज्य स्तरीय समिति को अग्रसारित किये जाते हैं। 2–राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तावों पर संस्तुति प्रदान करते हुए केन्द्र स्तरीय समिति को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं। 3– केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावों का अवलोकन करने के उपरान्त धनावंटन किया जाता है।
2	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (अनुसूचित जाति)	1– **परियोजना लागत** – रू. 50,000/– से रू. 2,00,000/– बैंक ऋण–परियोजना लागत का 60 प्रतिशत। **मार्जिन मनी**–परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किश्तों में) **अनुदान** –अधिकतम रू. 10,000/– **लाभार्थी अंश**– रू. 1.00 लाख तक कुछ नहीं, रू. 1.01 लाख से रू. 2.00 लाख तक 10 प्रतिशत	(1) उत्तराखण्ड में निवासरत अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो। (2) आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो। (3) वार्षिक आय सीमा– ग्रामीण क्षेत्र – रू. 1,06,800 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र – रू. 1,29,840 वार्षिक।	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय में प्राप्त प्रस्तावों की जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान है। नोट – अनुसूचित जाति वर्ग हेतु पूर्व में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का संचालन होने के कारण उक्त योजना के केवल प्रशिक्षण मद में ही धनराशि का व्यय किया जा रहा है।
3	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	**परियोजना लागत** –रू. 50,000/– से रू. 2,00,000/– **बैंक ऋण** – परियोजना लागत का 60 प्रतिशत **मार्जिन मनी** – परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (7	(1) उत्तराखण्ड में निवासरत अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो। (2) आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय में प्राप्त प्रस्तावों की जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

	अनुसूचित जनजाति)	प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) **अनुदान** – अधिकतम रू. 30,000/– **लाभार्थी अंश**–रू. 1.00 लाख तक कुछ नहीं, रू. 1.01 लाख से रू. 2.00 लाख तक 10 प्रतिशत	के मध्य हो। (3) वार्षिक आय सीमा –रू. 2.50 लाख वार्षिक	
4.	जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (दिव्यांग)	**1) सावधि ऋण योजना** – परियोजना लागत – रू. 75,000/– **अनुदान** –20 प्रतिशत अथवा रू. 10,000/– जो भी कम हो सावधि ऋण–रू. 65,000/– (6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर) **2) दुकान निर्माण** – परियोजना लागत – रू. 50,000/– **अनुदान** –20 प्रतिशत अथवा रू. 10,000/– जो भी कम हो **मार्जिन मनी** – रू. 40,000/–(4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 60 मासिक किस्तों में) **3) बैंक पोषित ऋण हेतु मार्जिन मनी ऋण योजना** – **परियोजना लागत**–रू. 2,00,000/– (अधिकतम) **अनुदान** –20 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रू. 10,000/– **मार्जिन मनी** – परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर 36 मासिक किस्तों में)	(1) उत्तराखण्ड में निवासरत् हो। (2) 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र अथवा यू.डी.आई.डी. (3) वार्षिक आय सीमा–शहरी क्षेत्र में रू. 2.00 लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू. 1.60 लाख होनी चाहिए। (4) आयु सीमा – 18 से 50 वर्ष	निर्धारित प्रपत्र पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों को जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किये जाने का प्राविधान है।
5.	शिल्पी ग्राम योजना (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति)	चिन्हित शिल्पी ग्रामों एवं क्लस्टरों में निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	(1) उत्तराखण्ड में निवासरत् अनुसूचित जाति एवं जनजाति का व्यक्ति हो। (2) वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में आय 129840/– एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू. 105600/–	मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संस्थाओं एवं प्रशिक्षार्थियों का चयन किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)

सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

क्र0 सं0	योजना–सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण। **(संशोधित)**	01 वर्षीय कोर्स (कम्प्यूटर /एकाउटिंग/वेब डिजाइनिंग /डिजिटल मार्केटिंग) निःशुल्क प्रशिक्षण।	पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा एवं उनके आश्रित, जिनकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास हो।	योजना के तहत सभी जनपदों में निम्न विषयों में प्रशिक्षण दिये जा रहे है– (1)डिप्लोमा इन कम्प्युटर एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग अवधि– 01वर्ष। (2)डिप्लोमा इन प्रोफेशनल एकाउटिंग अवधि – 01 वर्ष (3)वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेन्ट अवधि– 01 वर्ष। (4)डिजिटल मार्केटिंग –01वर्ष सर्व प्रथम निदेशक, सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों से कोर्स हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक है– (1)साधारण प्रार्थना पत्र। (2)आधार कार्ड। (3)पूर्व सैनिक पहचान पत्र। (4)डिस्चार्ज बुक। (5)12वीं पास का शैक्षिक प्रमाण पत्र। इसके उपरांत संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को नाम उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा संबधित संस्था आवेदकों को प्रशिक्षण शुरू किये जाने हेतु सूचित करती है।

******

PROGRAMME

महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)

क्र0सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता /लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	रोजगार हेतु प्रायोजन	पूर्व सैनिकों एवं उनके सिविल आश्रितों को आउटसोर्स के माध्यम से अर्हता पद हेतु प्रायोजित कर रोजगार उपलब्ध कराना।	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक (थल सेना, जल सेना, वायु सेना), उनके सिविल आश्रित एवं वीर नारियाँ।	1. सर्वप्रथम योग्य अभ्यर्थी (पूर्व सैनिक एवं उनके सिविल आश्रित) द्वारा उपनल की वेबसाइट www.upnl.co.in में अपने जिले एवं योग्यतानुसार एवं स्थान के अनुसार पद हेतु ऑन लाइन आवेदन/पंजीकरण फार्म (enrollment form) भरा जाता है। 2. विभागों से डिमाण्ड प्राप्त पदों की मांग (संख्या) एवं पदों हेतु निर्धारित/दी गई अर्हता/योग्यता के आधार पर उपनल द्वारा वेबसाइट में दर्ज (enrolled) अभ्यर्थियों के नाम (जो पद हेतु वांछित अर्हता/योग्यता रखते हैं) को उनके सीनियरिटी एवं पंजीकरण के वरीयताक्रम के आधार पर संबंधित विभाग को चयन हेतु प्रेषित किये जाते हैं। 3. उपनल द्वारा विभाग से प्राप्त मांग – 01(एक) रिक्त पद के सापेक्ष में 05 (पांच) enrolled अभ्यर्थियों के नाम संबंधित विभाग को चयन हेतु प्रेषित किये जाते हैं। 4. विभाग द्वारा साक्षात्कार/अभ्यर्थियों का विभाग की नियमावली के अनुसार चयन कर उपनल को सूचित किया जाता है।
2	कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान।	उपनल कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर रू0 1,00,000/- (एक लाख) की अनुग्रह राशि का भुगतान मृतक के आश्रित को करना।	आउटसोर्स मृतक (उपनल कार्मिक) का सिविल आश्रित होना चाहिए जिसके संदर्भ में अनुग्रह राशि प्राप्त करने हेतु सेवाकाल के दौरान नामांकन किया गया हो।	किसी भी उपनल कार्मिक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित द्वारा आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उपनल मुख्यालय कार्यालय में व्यक्तिगत प्रेषित किया जायेगा– (1)कार्मिक का मृत्यु प्रमाण पत्र। (2)संलग्न प्रारूप के अनुसार मृतक कार्मिक के विभाग से सेवा प्रमाण पत्र (service Certificate)। (3)आश्रित का आधार कार्ड। (4) आश्रित का बैंक खाता विवरण (पासबुक की छायाप्रति)। (5) आश्रित का फोटोग्राफ। (6)परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतिलिपि। (7) परिवार रजिस्टर में उल्लिखित अन्य आश्रितों द्वारा रू0 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) तथा इस आशय का प्रमाण पत्र कि पूर्व में उन्हें अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है।

महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

क्र0सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
01	पालना घर (क्रैच)	कामकाजी दम्पतियों के बच्चों हेतु पालना घर संचालित है। 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की आयु वर्ग के बच्चों की दिन भर देखभाल की सुविधा। योजना अंतर्गत योजना के लाभ हेतु निम्नानुसार धनराशि ली जाती है :– **बीपीएल परिवार हेतु –** 20 रू0 प्रति बच्चा प्रतिमाह। रू0 12000 / – से कम आय के परिवार हेतु–100 / –रू0 प्रति बच्चा प्रतिमाह। रू0 12000 / – से ऊपर आय के परिवार हेतु–200 / –रू0 प्रति बच्चा प्रतिमाह।	6 माह से 6 वर्ष के बच्चों।	प्रत्येक जनपद में स्थापित है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग विधेयक 2005 पर दिनांक– 09 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की गयी तथा उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–28, सन्–2005 के तहत् महिला आयोग का गठन किया गया है। **(उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या–616/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 देहरादून, 11 नवम्बर, 2005 धारा–1 की उपधारा (3) के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग का गठन किया गया)**

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग का कार्य–

1. आयोग में पीड़ित महिलाओं द्वारा डाक, ई–मेल एवं व्हाट्स–एप के माध्यम से शिकायती प्रार्थना–पत्र प्रेषित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार–पत्र/मीडिया के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आयी घटनाओं पर त्वरित स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाती है।
2. महिलाओं को घरेलू, मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न से मुक्ति के लिए पीड़ित महिला व उसके द्वारा की गयी शिकायत में नामित विपक्षीगणों को बुलाकर, उनके मध्य काउंसिलिंग कराकर उन्हें उचित परामर्श दिया जाता है तथा लगातार हो रहे उत्पीड़न के केस अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है।

3. अगर किसी भी जनपद में किसी महिला/बालिका के साथ छेड़छाड़ या हत्या का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो उस पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित घटना स्थल/जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से फोन द्वारा सम्पर्क करते हुए जानकारी ली जाती है तथा उन्हें उचित जाँच/कार्यवाही करने सम्बन्धी निर्देश भी जारी किये जाते हैं। जाँच व सुनवाई के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।
4. किसी सरकारी या गैर-सरकारी विभाग में, यदि कोई महिला कार्यरत है, तथा उसका कार्यस्थल पर शोषण होने सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होती है तो, उस पर आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए, उस विभाग की **कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन-उत्पीड़न निवारण समिति (POSH)** द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, इसकी सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जाती है एवं आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा पक्षकारों के मध्य काउंसिलिंग भी सम्पन्न कराई जाती है।
5. आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशानिर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त दुर्गम जनपदों में कानूनी जागरूकता शिविर लगाये जाते हैं जिसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005, दहेज निषेध अधिनियम-1961, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम-2013, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 इत्यादि की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त मानव तस्करी रोकने सम्बन्धी शिविर, पोषण अभियान, महिला-बाल स्वास्थ्य शिविर इत्यादि कार्यक्रम भी प्रत्येक वर्ष आयोजित कराये जाते हैं।
6. आयोग द्वारा राज्य के समस्त जनपदों के **पुलिस थाना, चौकी, वन स्टॉप सेन्टर, नारी-निकेतन, जिला कारागार, अस्पतालों में बने महिला प्रसूति गृह इत्यादि** का औचक निरीक्षण किया जाता है, ताकि वहाँ महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं व सुरक्षा व्यवस्थाओं व उनके विषय में जानकारी प्राप्त हो सके।
7. आयोग द्वारा असहाय व पीड़ित महिलाओं को वन स्टॉप सेन्टर एवं नारी निकेतन भेजने हेतु सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर त्वरित कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी निर्देश भी जारी किये जाते हैं।
8. आयोग द्वारा पीड़ित महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाते हैं।
9. आयोग द्वारा जनपद में संचालित नशा मुक्ति केन्द्र एवं वन स्टॉप सेन्टरों में पुलिस की सहायता से औचक निरीक्षण सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है।
10. आयोग द्वारा महिला थाना/महिला हेल्प डेस्क एवं खेल विभाग से सम्बन्धित सेमिनार का आयोजन कराया गया है।

शिकायतों के निवारण प्रक्रिया– आयोग में लिखित प्रार्थना पत्र डाक/व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज की जा सकती है, इसके अतिरिक्त शिकायत दर्ज के लिए आयोग की लिंक वेबसाइट/ई-मेल पर दर्ज करा सकते/सकती हैं।

PROGRAM

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए दिनांक 19 जून 2002 को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में 01 अध्यक्ष, 02 उपाध्यक्ष एवं 09 सदस्य के पद सृजित हैं।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम –2002 की धारा 9(1) के अनुसार म0 आयोग के निम्न कृत्य है–

(क) उत्तराखण्ड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(ख) संविधान और राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियमों/विधियों में उपबन्धित अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित रक्षापायों के कार्यकरण का अनुश्रवण करना।

(ग) सरकार से अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये रक्षापायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना।

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों को देखना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करना।

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित विषयों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण का संचालन करना।

(छ) किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समुचित उपाय किये जाने हेतु सुझाव देना और

(ज) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।

(2) सरकार धारा 9(1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करते हुए और यदि कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है उसका कारण देते हुए एक ज्ञापन के साथ, राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगें

(3) आयोग को धारा 9(1) के खण्ड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित कृत्यों के पालन में वह सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित हैं और विशेषकर निम्नलिखित विषयों में किसी वाद की सुनवाई के समय निहित है और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अर्थात्।

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ।

(घ) किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना।

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

शिकायतों के निवारण प्रक्रिया—अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति को आयोग के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत यदि कोई शिकायत दर्ज करानी हो, तो सम्बन्धित व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा आयोग जांच कराकर सम्बन्धित विभाग से समस्या का निराकरण करायेगा।

PROGRAMME IMPLE

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मुंशी (हाईस्कूल), मौलवी (हाईस्कूल) एवं आलिम (इण्टरमीडिएट) की परीक्षाऐं संचालित करना।	मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र–छात्राएँ उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होकर समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे तथा अन्य बोर्ड के छात्र/छात्राओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रहित में अपना योगदान देंगे।	मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र–छात्राऐं	प्रत्येक वर्ष उक्त परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन परीक्षाओं में मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र–छात्राऐं आवेदन करते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन रखी गयी है।
2.	तहतानिया (कक्षा 1 से 5) फौकानिया (कक्षा 6 से 8) मुंशी/मौलवी (हाईस्कूल) तथा आलिम (इण्टरमीडिएट) आदि की मान्यता प्रदान करना।	प्रदेश के मदरसों को मान्यता प्रदान की जाती है, जिससे मदरसे राज्य एवं केन्द्र की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।	(गाईडलाईन के अनुसार)	मान्यता हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन दोनों रखी गयी है। बोर्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा मान्यता के लिए आये आवेदनों का जांचोपरान्त चयन किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

क्र.सं	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वक्फ मॉडर्न मदरसा।	राज्य में निवासरत निर्धन / यतीम / सामान्य श्रेणी के बच्चों को कक्षा–UKG से कक्षा–10वीं तक दीनी / आधुनिक शिक्षा (NCRT पाठ्यक्रम) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त बच्चो को आत्मनिर्भर बनाना।	राज्य में निवासरत निर्धन / यतीम / सामान्य श्रेणी के परिवारों के बच्चे, जो शुल्क देने में असमर्थ है।	राज्य में स्थित BPL परिवार के निर्धन बच्चे या अन्य सामान्य श्रेणी के बच्चे, जो शुल्क देने में असमर्थ है, वह ऑफलाईन आवेदन कर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते है एवं निर्धारित आवेदन प्राप्त होने पर छटनी कर पात्र बच्चों को निःशुल्क दीनी / आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी।

****

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW)

क्र0 सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	मोबाईल लर्निंग सेन्टर	निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु मोबाईल लर्निंग स्कूल का संचालन।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे।	निर्माण स्थलों में कार्य कर रहे श्रमिकों के बच्चों को उपयुक्त शिक्षा हेतु निर्माण स्थलों पर जाकर मोबाईल लर्निंग सेन्टर (बस) के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।
02.	चिकित्सा जाँच सुविधा	निर्माण श्रमिकों की चिकित्सा जाँच सुविधा।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के तहत चिकित्सा जाँच लाभ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से डोर–टू–डोर (Door to Door) जाकर औषध एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से चिकित्सा जाँच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
03.	सामूहिक कन्या विवाह सहायता योजना	रू0 51000/– आर्थिक सहायता प्रति जोड़ी तथा सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले व्यय हेतु रू0 10000/– प्रति जोड़ा की दर से भुगतान आयोजनकर्ता को किया जाएगा तथा वर एवं वधू की पोशाक आदि हेतु धनराशि रू0 5000/– प्रत्येक की दर से देय होगी।	पंजीकृत निर्माण श्रमिक मात्र होंगे, सामूहिक विवाह की दशा में विवाह की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकरण कराया जाना आवश्यक होगा।	सामूहिक विवाह हेतु आवेदन निर्धारित तिथि के 15 दिन पूर्व लिया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा– पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। निर्माण श्रमिकों की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण सामूहिक विवाह योजना हेतु कराया जाना आवश्यक होगा। आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट/परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति, विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान/तहसीलदार/सभासद/पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो। आवेदक द्वारा इस आशय से किसी अन्य विभाग से कोई सहायता न ली गयी हो, का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।

WFC (श्रमिक सुविधा केन्द्र) स्थान और पता (गढ़वाल क्षेत्र)–18			
क्र0सं0	जिला (District)	स्थान (Location)	WFC सेन्टर का पता (Centre Address)
1.	देहरादून	अजबपुर (दीपनगर)–2	दून यूनिवर्सिटी रोड, निकट नारी निकेतन, देहरादून–248121
		मोहकमपुर	निकट पोस्ट ऑफिस रोड, मोहकमपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड–248005
		विकासनगर	विकासनगर बाड़वाला, देहरादून
		ऋषिकेश	WFC कोर्ट कम्पाउण्ड, ऋषिकेश।
2.	टिहरी गढ़वाल	टिहरी गढ़वाल	WFC एन0–ब्लॉक, द्वितीय फ्लोर, निकट SBI Bank, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001
3.	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, भाणाधार, रुद्रप्रयाग
4.	पौड़ी गढ़वाल	श्रीनगर	निकट बी0ओ0सी0डब्लू0 ऑफिस, तिवारी मोहल्ला, निकट बस स्टैण्ड श्रीनगर–246174
		कोटद्वार	WFC मोहल्ला जौनपुर निकट डिग्री कालेज, कोटद्वार–246149
5.	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	निकट जिला सहकारी बैंक जोशियाड़ा, उत्तरकाशी।
		पुरोला	निकट नगर पालिका, पुरोला, उत्तरकाशी
6.	चमोली	गोपेश्वर	WFC निकट पेट्रोल पम्प, गोपेश्वर, जिला चमोली–246401
		कर्णप्रयाग	निकट कर्ण मन्दिर NH Highway कर्णप्रयाग, चमोली।
7.	हरिद्वार	हरिद्वार	सुभाषनगर, निकट ज्वालापुर, त्रिमूर्ति मन्दिर, हरिद्वार–249407
		रुड़की	WFC 651/19, गंगा इन्क्लेव, मालवीय चौक, रुड़की–247667
		लक्सर	चौधरी अजब सिंह कॉम्प्लेक्स, लक्सर–हरिद्वार

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

विधिक माप विज्ञान विभाग

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया तथा चयन प्रक्रिया।
1	बाट–माप तथा तौल यंत्रों के मरम्मतकर्ता का लाइसेन्स।	स्वरोजगार के रूप में व्यापारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बाट–माप तथा तौल यंत्रों का	(अ) आई०टी०आई० (इलेक्ट्रॉनिक्स) अथवा समकक्ष तथा 02 वर्ष का अनुभव। या (ब) डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इन्स्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष तथा 01 वर्ष का अनुभव। या	आवेदक–www.investuttarakhand.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (1) पोर्टल पर (विधिक माप विज्ञान विभाग) Fcs Legal Metrology का चयन करेंगे। (2) तत्पश्चात् सेवा का चयन कर दिए गए आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिसर के पते का प्रमाण, परिसर के स्वामित्व का प्रमाण (जैसे बिजली का बिल किरायेनामा / रजिस्ट्री की प्रति), शैक्षिक योग्यता व अनुभव का

WFC (श्रमिक सुविधा केन्द्र) स्थान और पता (कुमाँऊ क्षेत्र)–17			
क0सं0	जिला (District)	स्थान (Location)	WFC सेन्टर का पता (Centre Address)
1.	**अल्मोड़ा**	अल्मोड़ा	जिला पंचायत परिषद धारा नौला, अल्मोड़ा–263601
		सल्ट	सल्ट मौलखाल, अल्मोड़ा।
2.	**बागेश्वर**	बागेश्वर	WFC बस स्टेशन रोड, गोमती होटल बागेश्वर–263642
3.	**उधमसिंह नगर**	काशीपुर	कार्यालय श्रम विभाग, काशीपुर।
		रुद्रपुर	गाव–जगतपुरा, निकट स्पोर्टस स्टेडियम रुद्रपुर, उधमसिंह नगर–263153
		किच्छा	उत्तरांचल कालोनी, किच्छा, वार्ड न0–3, श्रम विभाग कार्यालय किच्छा।
		खटीमा	निकट पार्वती मण्डप कंजाबाग रोड, खटीमा।
		बाजपुर	निकट महाराजा होटल, बाजपुर।
		गदरपुर	कुल्हा ग्रा0–मजरा आनन्द सिंह, मजहसन, उधमसिंह नगर–263160
4.	**पिथौरागढ़**	पिथौरागढ़	WFC गीता श्याम सदन, सिनेमा लाईन, पुराना NCC ऑफिस, पिथौरागढ़–262501
		धारचूला	सिनेमा लाईन, निकट संग सुन्दरालय, धारचूला।
5.	**चम्पावत**	टनकपुर	WFC श्रम विभाग, भट्ट बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, टनकपुर–262309
		चम्पावत	गोरल चौड़ मैदान, निकट लो0एन0 कैम्प, चम्पावत
6.	**नैनीताल**	हल्द्वानी	श्रम आयुक्त कार्यालय, श्रम भवन हल्द्वानी–263139
		लालकुआँ	निकट एफएसविन स्कूल, कुंआरमपुर, नौदाहल्दू, लालकुआँ, हल्द्वानी
		रामपुर	शिवलालपुर चुंगी, निकट बृजेश हॉस्पिटल, रामनगर।
		खनस्यूं	निकट पुलिस चौकी, खनस्यूं।

****

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		व्यवसाय कर सरलतम शुल्क एवं निर्धारित सरकारी शुल्क द्वारा कर आजीविका सुविधा करना।	(ख) भौतिक विज्ञान सहित डिप्लोमा(स्नातक) तथा एक वर्ष का अनुभव। या (ग) बी0ई0/बी0टेक (इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रूमेंटेशन अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)	प्रमाण पत्र तथा लागू होने वाले अन्य दस्तावेज, जो कि पोर्टल में उल्लिखित हैं को अपलोड करेंगे तथा निर्धारित शुल्क (रू0–100) ऑनलाइन जमा करने के पश्चात फॉर्म निरीक्षक को अग्रसारित करेंगे। निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयानुसार निरीक्षण के पश्चात अधिकारी द्वारा ऑनलाइन लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।
2	बाट–माप तथा तौल यंत्रों के विक्रेता का लाइसेंस।	स्वरोजगार के रूप में बाट–माप तथा तौल यंत्रों का विक्रय कर आजीविका सुविधा करना।	योग्यता निर्धारित नहीं है।	आवेदक www.investuttarakhand.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (1) पोर्टल पर (विधिक माप विज्ञान विभाग) For Legal Metrology का चयन करेंगे। (2) तत्पश्चात् सेवा का चयन कर, दिए गए आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिसर के पते का प्रमाण, परिसर के स्वामित्व का प्रमाण पत्र (जैसे बिजली का बिल किरायेनामा/रजिस्ट्री की प्रति), बाट माप तथा तौल यंत्रों के केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त GST रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र तथा लागू होने वाले अन्य दस्तावेज जो कि पोर्टल में उल्लिखित हैं को अपलोड करेंगे तथा निर्धारित शुल्क (रू0–100) ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् फॉर्म निरीक्षक को अग्रसारित करेंगे। निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयानुसार निरीक्षण के पश्चात अधिकारी द्वारा ऑनलाइन लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।
3	बाट–माप तथा तौल यंत्रों के विनिर्माता का लाइसेंस।	स्वरोजगार के रूप में बाट माप तथा तौल यंत्रों का विनिर्माण कर आजीविका सुविधा करना।	योग्यता निर्धारित नहीं है।	आवेदक www.investuttarakhand.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1) पोर्टल पर (विधिक माप विज्ञान विभाग) For Legal Metrology का चयन करेंगे। 2) तत्पश्चात् सेवा का चयन कर, दिए गए आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिसर के पते का प्रमाण, परिसर के स्वामित्व का प्रमाण (जैसे बिजली का बिल किरायेनामा/रजिस्ट्री की प्रति), बाट माप तथा तौल यंत्रों के केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त Model Approval का प्रमाण पत्र तथा लागू होने वाले अन्य दस्तावेज जो कि पोर्टल में उल्लिखित हैं को अपलोड करेंगे तथा निर्धारित शुल्क (रू0–300) ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् फॉर्म निरीक्षक को ऑनलाइन अग्रसारित करेंगे। निरीक्षक द्वारा निर्धारित समयानुसार निरीक्षण के पश्चात् अधिकारी द्वारा ऑनलाइन लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा–16 के तहत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनार्थ राज्य खाद्य आयोग, उत्तराखण्ड का गठन किया गया है।

कार्य– उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत किए गए प्राविधानों के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न विभागों के माध्यम से पोषण से संबंधित योजनाओं तथा खाद्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उचित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, मध्याह्न भोजन योजना/पीएम पोषण योजना, जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित है, जिसके अंतर्गत राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में छात्रों का पका पकाया भोजन पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है, तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती धात्रियों एवं 6 माह बच्चों को उचित पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है, जिसके लिए आयोग द्वारा समय–समय पर राज्य/मण्डल/जिला स्तर के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा बैठकें/स्थलीय निरीक्षण किया जाता है एवं निरीक्षण के दौरान पायी जाने वाली कमियों/त्रुटियों का समाधान दूर करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए आयोग द्वारा शिकायती टोल फ्री न0 18001804190, दूरभाष न0 0135–2669420 एवं ईमेल– uafoodcommission@gmail.com जारी किया गया है। आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित विभिन्न माध्यमों यथा टोल फ्री नम्बर, दूरभाष, ईमेल, डाक, शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग में स्वयं उपस्थित होकर अथवा स्वतः संज्ञान के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए आयोग में वादिता के रूप में दर्ज कर कार्यवाही करते हुए शिकायत का निस्तारण किया जाता है। शिकायत के निस्तारण के दौरान प्रतिवादी के दोषी पाये जाने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 33 के तहत अर्थदण्ड भी आरोपित किया जाता है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरणों की स्थापना की गई है, जिसके तहत् राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नई दिल्ली में व प्रत्येक राज्य की राजधानी में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं प्रत्येक जिले में कम से कम एक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गठित किये जाने का प्राविधान है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को संक्षेप में **राष्ट्रीय आयोग**, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को संक्षेप में **राज्य आयोग** एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को जिला आयोग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की गयी है। राज्य आयोग एवं जिला आयोग की स्थापना संबंधित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाती है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एक अर्द्ध न्यायिक तंत्र है। इनमें उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं में कमी के आधार पर वाद दायर किये जाते हैं, जिनका गुण–दोष के आधार पर निस्तारण किया जाता है। उपभोक्ता वाद/शिकायत के मूल्यांकन के अनुसार जिला आयोग, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग में नियत शुल्क का भुगतान करके उपभोक्ता वाद दायर करने की निर्धारित सीमा/नियम के अनुसार उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया जा सकता है। पांच लाख तक के मूल्यांकन के उपभोक्ता परिवाद पर शुल्क नहीं लगता है।

प्रदेश में राज्य आयोग/जिला आयोगों की स्थापना– उत्तराखण्ड में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना वर्ष 2002 में हुई है। जिला देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर में जिला आयोग पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश के समय से स्थापित हैं। जिला रूद्रप्रयाग, चम्पावत एवं बागेश्वर में जिला आयोग का गठन वर्ष 2002 में किया गया, इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में जिला आयोगों की संख्या 13 है।

राज्य आयोग/जिला आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यगणों की नियुक्ति का प्रावधान– उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, पद से त्यागपत्र और हटाया जाना) नियम, 2020 के नियम 6 में दी गयी व्यवस्थानुसार राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति अभिहित होंगे:

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश– अध्यक्ष
(ख) राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले के प्रभारी सचिव– सदस्य
(ग) राज्य के मुख्य सचिव के नामिती–सदस्य

वादों– ऐसे मामले (परिवाद/शिकायतें) का मूल्यांकन 50 लाख रुपये तक है, तो इसे सम्बन्धित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया जा सकता है, यदि यह मूल्यांकन 50 लाख रुपये से अधिक परन्तु 2 करोड़ रुपये तक है, तो इसे सम्बन्धित राज्य के राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर किया जा सकता है। यदि मूल्यांकन 2 करोड़ रुपये से अधिक है तो, इसे सीधे माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली में दायर किया जा सकता है। वाद/शिकायत का मूल्यांकन उपरोक्त रुपये पाँच लाख से अधिक होने की स्थिति में मूल्यांकन के अनुसार कोई भी व्यक्ति (आवश्यक निर्धारित शुल्क के साथ) व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग/राज्य उपभोक्ता आयोग या माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली में उपभोक्ता मामला/वाद दायर कर सकता है। जब भी उपभोक्ता अपना है कि जिला आयोग द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध/असन्तुष्ट पक्षकार आदेश की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर डिक्रीत धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि (Statutory amount) जमा करने के पश्चात् ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील कर सकता है। इसी प्रकार राज्य आयोग द्वारा उपभोक्ता परिवाद (Consumer Complaint) में पारित आदेश से क्षुब्ध/असन्तुष्ट पक्षकार आदेश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर डिक्रीत धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि (Statutory amount) जमा करने के पश्चात् ऐसे आदेश के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है तथा राज्य आयोग द्वारा अपील में पारित आदेश से क्षुब्ध/असन्तुष्ट पक्षकार आदेश की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय आयोग में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

उपभोक्ता परिवाद एवं अपील का निस्तारण यथासम्भव तीन माह (90 दिनों) में किये जाने का प्रावधान है।

शिकायतों के निवारण संबंधी :– वर्तमान में जिला आयोग में ऑन-लाईन E-Daakhil पोर्टल के माध्यम से भी वाद दायर करने की सुविधा है। राज्य उपभोक्ता आयोग उत्तराखण्ड में दिनांक 01.06.2023 से ऑन-लाईन E-Daakhil पोर्टल से वाद दायर करना अनिवार्य है। साथ ही वादों की सुनवाई पक्षकार व अधिवक्तागण Virtual mode से भी कर सकते हैं। वादों का निस्तारण ऑन-लाईन प्रक्रिया से नियमित है।

गृह (पुलिस) विभाग, उत्तराखण्ड

साइबर क्राइम

साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन/साईबर थाना प्रदेश में साईबर चुनौतियों से निपटने हेतु अग्रणीय पुलिस बल है, वर्तमान में एसटीएफ के अधीन साईबर के दो थाने हैं, जो गढ़वाल व कुमाऊँ के सम्पूर्ण क्षेत्र में होने वाले साइबर अपराधों के विरुद्ध निरोधात्मक/विवेचनात्मक कार्यवाही के साथ–साथ जनपद स्तर पर अभियोगों के अनावरण में भी तकनीकी सहायता प्रदान करते रहते हैं। साईबर अपराधियों द्वारा समय–समय पर नई–नई तकनीक से साईबर अपराधों को कारित किया जाता है जिस हेतु साईबर थाने द्वारा ही नये अपराधों के करने की चुनौतियों से निपटने के लिये आवश्यक एवं नई तकनीक की जानकारी के लिये अनुसंधान किया जाता है, उसके पश्चात् उक्त तकनीक को अपराधों को अंकुश लगाने में प्रयोग किया जाता है ।

वर्तमान में साईबर अपराधियों द्वारा अपराध के नये–नये तरीके अपनाये जा रहे हैं, साथ ही साईबर अपराध के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन नयी–नयी तकनीकों का विस्तार हो रहा है, समाज में व्यक्ति की इलेक्ट्रानिक संसाधनों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। आज की दुनिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य इंटरनेट के उपयोग से पूर्ण व सुरक्षित रखे जा रहे हैं। मोबाईल, कम्प्यूटर, **सोशल मीडिया** आदि ने आपसी सम्पर्कों के साथ–साथ आर्थिक लेनदेन को भी बहुत ही सुगम बना दिया है। वर्तमान सरकारें भी साईबर निर्भरता को बढ़ावा दे रही हैं। जहां एक ओर आम आदमी द्वारा घर बैठे दुनिया में कहीं भी पल

क्षेत्र में बैंकिंग, ई-शॉपिंग के माध्यम से अपने रोजमर्रा के कार्य किये जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधियों की भी पहुंच आम आदमी, सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठान/संस्थान तक बहुत ही आसान हो गयी है। जिसका फायदा उठाते हुये साईबर की जानकारी रखने वाले अपराधी देश-विदेश के दूर-दराज बैठे ही आम व्यक्ति व संस्थाओं की गोपनीय जानकारियां लेकर प्रतिरूपण करते हुये आर्थिक व सामाजिक साईबर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में साईबर क्राईम पुलिस पर यह विशेष जिम्मेदारी आ जाती है कि वह ऐसे साईबर अपराध एवं धोखाधड़ी की जानकारी रखते हुये साईबर अपराधियों तक पहुंचकर ऐसे नित नये तरीकों से हो रहे साईबर अपराधों की रोकथाम व अनावरण करे।

वर्तमान में साईबर अपराधियों द्वारा साईबर अपराध हेतु मुख्य रूप से अपनाई जा रही Modus Operandi-

1. QR Code स्कैन फ्रॉड
2. ऑनलाइन जॉब/टास्क फ्रॉड
3. OLX एप फ्रॉड
4. फेक कस्टमर केयर/फर्जी बैंक कॉल फ्रॉड
5. क्रिप्टोकरेन्सी/इनाम/लॉटरी फ्रॉड
6. अनऑथराइज्ड एक्सेस/OTP फ्रॉड
7. ऑनलाइन ट्रेडिंग/इन्वेस्टमेंट फ्रॉड
8. इन्स्टेंट लोन/लोन एप फ्रॉड
9. विदेश से गिफ्ट भेजने/विदेशी मुद्रा का लालच देकर
10. मैट्रिमोनियल फ्रॉड
11. **कॉरियर पार्सल/AI फ्रॉड,**
12. डिजीटल ऐरेस्ट/हाउस ऐरेस्ट
13. Black Male Sextortion]
14. Fake ID Defame इत्यादि।

"उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयास"

1– गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश-निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य देहरादून में साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर साईबर क्राईम सम्बन्धित सहायता हेतु **साईबर हैल्प लाईन 1930** का गठन किया गया है। जिसमें कुशल कार्मिकों का चयन कर 24x7 कार्य करते हुये प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु निश्चित टाइम निर्धारित कर त्वरित कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

2– एस0टी0एफ0/साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर साइबर क्राइम प्रशिक्षण का विशेष अभियान चलाकर उत्तराखण्ड पुलिस के अधिकतम अधिकारी/कर्मचारी गण को प्रशिक्षित किया गया है।

3– साइबर अपराधियों द्वारा नये-नये तरीके अपनाकर अपराध कारित किया जा रहा है जिसकी रोकथाम हेतु Modus Operandi के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था कर कार्मिकों को समय-समय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

4– एस0टी0एफ0/साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड द्वारा आम जनता को साइबर ठगी का शिकार होने से बचाने एवं जागरूक करने हेतु नियमित रूप से साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल आदि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, अन्य विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों एवं विभिन्न कम्पनियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों, छात्रों को जागरूक/प्रशिक्षित किया जा रहा है।

IMPLEMENTATION DEPARTMENT

9– इसके अतिरिक्त साइबर जागरूकता एवं साइबर अपराध की रोकथाम हेतु फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर सुरक्षा टिप्स साझा किये जा रहे हैं एवं बैनर, पोस्टर, पम्फलेट्स आदि विभिन्न प्रकार प्रचार सामग्री के माध्यम से भी साइबर जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

महिला/बच्चों की सुरक्षा हेतु किये जा रहे कार्य

महिलाओं/बालिकाओं के प्रति घटित अपराधों की रोकथाम एवं घटना घटित होने पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना **"गौरा शक्ति योजना"** लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में एक त्रिस्तरीय [illegible], थाना स्तर पर महिला डेस्क, जनपद स्तर पर महिला सुरक्षा हेल्प डेस्क एवं [illegible] तथा राज्य स्तर पर राज्य महिला सुरक्षा हेतु [illegible] का गठन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय तंत्र को संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ करने, कार्यक्षेत्रों में और अधिक [illegible] महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं उन्हें आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित करने के साथ ही प्रत्येक स्तर पर पुलिस अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के अन्तर्गत गौरा शक्ति योजना का क्रियान्वयन

1– प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क के अन्तर्गत QRT (Quick Reaction Team) का गठन किया गया है। थाने पर महिला सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर QRT द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर first responder की भांति कार्य करते हुए पीड़िता को हर सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है।

2– महिला अपराधों के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों Hot Spot का चिन्हीकरण, Hot Spot में सीसीटीवी/लाइट की व्यवस्था एवं Hot Spot की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।

3– स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थानों के खुलने एवं बन्द होने के समय चीता/महिला चीता/पीआरडी द्वारा नियमित पेट्रोलिंग।

4– प्रभारी महिला हेल्प डेस्क एवं अन्य थाना कार्मिकों की एक टीम **"टीम गौरा"** का गठन किया गया है, जो समस्त ग्राम-ग्रामसभा, कस्बा/मुहल्ला/स्कूल/[illegible] आदि में [illegible] नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसको और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से लगभग 3,000 जागरूकता पुस्तिका जनपदों को वितरित की गयी है।

5– दिनांक 20 जनवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 तक सभी जनपदों से **"टीम गौरा"** में नियुक्त कुल 55 महिला कार्मिकों को Self Defense Instructor Course (Level-I) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अगले क्रम में इन्हीं महिला कार्मिकों को Level-II प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रक्रिया प्रचलित है। इन प्रशिक्षित महिला पुलिस कार्मिकों द्वारा जनपदों में नियमित रूप से छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु टेक्निक सिखाये जाने के लिए स्कूल/कॉलेज आदि में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पुलिस एप के अन्तर्गत **"गौरा शक्ति मॉड्यूल"** बनाया गया है, जिसमें पंजीकरण के पश्चात् पंजीकरणकर्ता [illegible] की Mapped Women Police Officer से [illegible] सम्पर्क में रहती है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक विस्तृत [illegible] मुख्यालय स्तर से [illegible] भी किया गया है। समस्त थानों में महिला हेल्प डेस्क प्रभारियों को एक [illegible] आवंटित किया गया है। इस एप के माध्यम से महिलाओं [illegible] से ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा रही हैं।

महिलाओं/बालिकाओं से सम्बन्धित अपराध की सूचना अथवा उनकी शिकायत आसानी से दर्ज किये जाने हेतु पुलिस विभाग द्वारा 24x7 निम्नलिखित व्यवस्थायें उपलब्ध करायी गयी हैं–

1– डायल 112, जिसमें 24x7 प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी नियुक्त।

2– पुलिस मुख्यालय स्तर पर Whatsapp No- 9411112780

3– प्रत्येक थाने पर **"महिला हेल्प डेस्क"**।

4– Uttarakhand Police App "Gaura Shakti Module" SOS

5— थाना / चौकी।

राज्य में प्रत्येक थाना महिला हेल्पडेस्क बनाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक थाने पर कम से कम 01 महिला उपनिरीक्षक एवं 04 महिला आरक्षी की तैनाती की गयी है।

उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 के तहत प्रतिकर सहायता धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ ही महिला पीड़ितों हेतु उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित / उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2022 लागू की गयी है।

अपराध पीड़ितों को उपरोक्त दोनों ही योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिकर धनराशि भुगतान किये जाने हेतु पीड़ितों को सहयोग प्रदान करने एवं आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों से समन्वय किये जाने हेतु नोडल अधिकारी को निर्धारित किया गया है।

महिलाओं के प्रति लैंगिक हिंसा के दृष्टिगत महिला यौन अपराधों की विवेचना महिला अधिकारी द्वारा की ही की जाती है। महिलाओं के प्रति घटित यौन अपराधों में गुणवत्तापरक विवेचना हेतु मुख्यालय स्तर से विस्तृत एस0ओ0पी0 एवं निर्देश से सम्बन्धित पुस्तिका प्रकाशित कर समस्त महिला विवेचकों को आवंटित की गयी है। महिलाओं के प्रति घटित यौन अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के उद्देश्य से जनपदों को आवश्यकतानुसार Sexual Assault Evidence Collection Kits (SAEC Kits) उपलब्ध करायी जा रही हैं।

बलात्संग एवं बलात्संग के साथ पॉक्सो के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों का समयान्तर्गत निस्तारण किया जा रहा है। ITSSO Portal के अनुसार प्रदेश का बलात्संग एवं बलात्संग के साथ पॉक्सो अधि0 के अभियोगों का 02 माह में निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान है।

प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में अपर / पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में "**विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)**" एवं प्रत्येक थाने पर **बाल कल्याण पुलिस अधिकारी** (CWPO) की नियुक्ति की गयी है।

प्रत्येक जनपद में बाल मित्र थाना स्थापित किये गये हैं।

भिक्षावृत्ति उन्मूलन आदि से सम्बन्धित कार्यों का विवरण

गुमशुदा बच्चों, महिला व पुरूषों की तलाश हेतु दिनांक 01–06–2024 से दिनांक 30–06–2024 तक "**ऑपरेशन स्माइल**" अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 465 बच्चे, 391 पुरूष व 514 महिलाओं (कुल 1370 गुमशुदा) को बरामद किया गया। "**ऑपरेशन स्माइल**" अभियान में वर्ष 2015 से अब तक कुल 5981 गुमशुदाओं को बरामद किया गया।

बच्चों द्वारा की जा रही अथवा करायी जा रही भिक्षावृत्ति, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम, बच्चों को अपराध में संलिप्त होने से रोकने एवं उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने हेतु दिनांक 01–03–2024 से दिनांक 31–03–2024 तक "**ऑपरेशन मुक्ति**" अभियान चलाया गया, जिसमें 892 बच्चों का सत्यापन किया गया तथा 378 बच्चों का विद्यालयों में दाखिला कराया गया। "**ऑपरेशन मुक्ति**" अभियान में वर्ष 2017 से कुल 8882 बच्चों का सत्यापन किया गया तथा कुल 3981 बच्चों का विद्यालयों में दाखिला कराया गया। प्रदेश में भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु प्रत्येक जनपद में "**भिक्षावृत्ति निरोधक यूनिट**" गठित की गयी है।

ड्रग्स के खिलाफ अभियान

नशामुक्ति एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है, जिसका मकसद व्यक्ति और समाज को नशे की बुराई से मुक्त करना है। नशा मुक्ति के अर्थ, महत्व, कारण और उपायों में "**नशा मुक्ति का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या समाज को नशे से मुक्त करना, अर्थात नशे का सेवन करने से बचाव या उसकी लत को दूर करने का प्रयास है और साथ ही साथ व्यक्ति या समाज की स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली को प्राथमिकता देना और नशे के हानिकारक प्रभावों से बचाव करना**" होता है।

नशा मुक्ति का महत्व न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन के लिए है, बल्कि समाज के विकास के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नशे का सेवन समाज में अपराध, गरीबी और परिवारों के टूटने का प्रमुख कारण है। नशे के कारण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को भी प्रभावित करता है और उनके सम्बन्धों को भी क्षति पहुँचाता है। नशामुक्ति के प्रयासों में शिक्षा, सशक्तिकरण और चिकित्सा सहायता शामिल होती है। समाज में जागरूकता फैलाने और नशे के सेवन को रोकने के लिए कई प्रमुख पहलुओं पर काम किया जाना होगा। नशामुक्ति हमारे समाज के विकास के लिए आवश्यक है, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम नशे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सक्रिय प्रयास करें और अपने समाज को नशे के हानिकारक प्रभावों से बचाने में सहयोग करें।

मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा दिये निर्देश **"ड्रग फ्री देवभूमि 2025"** पर कार्य किए जाने की परिकल्पना को साकार करने हेतु प्रदेश में मादक पदार्थों के उपयोग व प्रचलन को नियन्त्रण में रखे जाने तथा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं कारोबार की रोकथाम तथा प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य में अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण में **"एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF)"** का गठन किया गया है।

मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री आदि में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही–

राज्य में मादक पदार्थों एवं नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध विगत 02 वर्षों (2022 से 2024 माह जुलाई तक) में 3331 अभियोगों में 4461 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 6229.40 किग्राम मादक पदार्थ एवं 1002118 नशीली (साइकोट्रोपिक्स विभिन्न) टेबलेट्स/इन्जेक्शन/कैप्सूल बरामद की गई, जिसकी अनुमानित मूल्य–198 करोड़ से अधिक है।

आदतन ड्रग तस्करों के विरूद्ध PIT NDPS Act के अन्तर्गत कार्यवाही–

विगत 03 वर्षों में 04 अभियुक्तों के विरूद्ध PIT NDPS Act के अन्तर्गत कार्यवाही की गई

वित्तीय विवेचना (Financial Investigation)–

मादक पदार्थों में सम्बन्धित अपराधियों के विरूद्ध प्रभावशाली कार्यवाही करते अभियुक्त द्वारा अर्जित सम्पत्ति की वित्तीय विवेचना (Financial Investigation) की गई, जिसमें विगत 03 वर्षों में राज्य में 10 अभियोगों में 3 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति सीज/फ्रीज की गई।

नशे के विरूद्ध जन–जागरूकता (Awareness)–

झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों के आस–पास बस्ती/ग्रामीण क्षेत्र शैक्षणिक संस्थान स्कूल/कॉलेजों में छात्र–छात्राओं, शिक्षकों एवं अभिभावकों तथा सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। विशेष अभियान के अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम 700, गोष्ठी–283, पम्पलेट/पोस्टर–49158, रैली–195, स्टीकर–10308, होर्डिंग–34, बैनर–282, स्कूल/कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम–325 जिसमें लगभग–48314 छात्र–छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा इसी अवधि में सम्बन्धित अभिभावकों की उपस्थिति में 1792 व्यक्तियों की काउंसलिंग भी की गयी।

De-addiction-

राज्य सरकार द्वारा कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल में 1–1 नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है, जहाँ पर ड्रग एडिक्ट को उचित इलाज हेतु प्रेरित किया जायेगा।

नशामुक्त हेल्प नं0 – 1933

महिला अपराध Whatsapp No– 9411112780

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं

उत्तराखण्ड अग्निशमन सेवा विभाग 9 नवम्बर 2000 को उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के साथ ही अस्तित्व में आया। इस विभाग ने आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त अग्निशमन गतिविधियों और जीव–जन्तुओं की सुरक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अग्निशमन सलाहकार द्वारा जारी दिनांक 22/10/2003 के आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड अग्निशमन विभाग का नाम बदलकर उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों में 35 अग्निशमन केन्द्रों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में 6 अग्निशमन केन्द्रों/इकाइयों की स्थापना के साथ, वर्तमान में उत्तराखण्ड में अग्निशमन केन्द्रों की कुल संख्या 48 अग्निशमन केन्द्र एवं इकाइयों तक पहुंच गई है।

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग के कार्य–

(क) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक, आवासीय, शैक्षिक संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गोदामों, भवन इत्यादि, वन क्षेत्रों एवं तेल गैस डिपो में लगी आगों को विभाग में नियुक्त कार्मिकों द्वारा बुझाया जाता है।

(ख) उत्तराखण्ड राज्य में स्थित वनों में घटित आग की घटनाओं को विभाग में नियुक्त कार्मिकों द्वारा भी बुझाया जाता है।

(ग) विभिन्न प्रकार की आपदा जैसे दैवीय आपदा, बाढ़, भूस्खलन, वाहन घटना, वाहन दुर्घटना, नदियों में फसे व्यक्तियों एवं जीवों को रेस्क्यू से सम्बन्धित कार्य किये जाते हैं।

(घ) अग्निशमन के अलावा प्राकृतिक आपदाओं में भी यथा भूस्खलन, बाढ़, तेज आंधी से सड़कों एवं मकानों के ऊपर गिरे पेड़ों को काटकर हटाते हुए मार्ग को सुचारू करना एवं सड़क मार्गों को यातायात हेतु निर्बाधित किया जाता है।
(ड) राजभवन, मा० मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय, वीवीआईपी/वीआईपी मेला, कुम्भ स्नान, बड़े उत्सव आदि में अग्निशमन एवं शामिल व्यवस्था स्थापित की जाती है।
(च) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकाण्ड की घटनाओं में कमी लाने हेतु अग्निशमन कार्मिकों द्वारा अग्निजोखिम युक्त औद्योगिक संस्थानों यथा तेल एवं गैस डिपो, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, सीएनजी डिपो, शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में अग्नि मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है तथा विभिन्न संस्थानों में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के संचालन एवं रख–रखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा अग्निसुरक्षा सम्बन्धित जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये जाते हैं।
(छ) प्रदेश के हेलीपेड/हेलीपोर्ट्स में हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर की लैंडिंग/टेक–ऑफ में अग्निसुरक्षा ड्यूटी सम्पन्न की जाती है।

सेवा का अधिकार के तहत उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग द्वारा वर्तमान में जारी सेवाओं का विवरण–

क्र. सं.	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1.	पेट्रोल पम्प/सिनेमा हॉल को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने विषयक संस्तुति/आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्नि शमन अधिकारी	15 दिवस	जिलाधिकारी/मुख्य अग्नि शमन अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2.	बारूद की बिक्री के लिए लाईसेंस	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	27 दिवस	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3.	पटाखों की बिक्री के लिए लाईसेंस	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशमन अधिकारी	07 दिवस	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4.	अग्निशमन सेवाओं के द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र उपलब्ध (1) सार्वजनिक समारोह के आयोजन हेतु (2) अन्य प्रयोजनों हेतु	प्रभारी/थानाध्यक्ष	15 दिवस	मुख्य अग्निशमन अधिकारी/जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

९. **अन्य कार्य–**

- नवसृजित 15 फायर स्टेशनों के अग्निशमन अधिकारी Portal को Live किया गया।
- Single Window Portal पर Online Fire Pendency को Update कर Zero Pendency कर लाया गया।
- अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में नवसृजित होने वाले फायर स्टेशन में वाहन मशीन के मानक निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 128741/XX–5/2023–03 (फायर)/2005 टी०सी० दिनांक 01.08.2023 को निर्गत किया गया है।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण,उत्तराखण्ड

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून की स्थापना राज्य पुलिस अधिनियम 2007 (यथासंशोधित 2016) के अन्तर्गत वर्ष 2018 में की गई है। प्राधिकरण में मा0 एक अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, प्राधिकरण में मा0 अध्यक्ष सहित चार अन्य सदस्य होते हैं। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल व कुमाऊं मण्डल गठन किया गया है। जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार गढ़वाल मण्डल, देहरादून के 07 जनपदों क्रमशः–हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चमोली तथा कुमाऊं मण्डल के 06 जनपदों क्रमशः– नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं अल्मोड़ा तक है। इसका क्षेत्राधिकार समस्त उत्तराखण्ड में रहेगा।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य–

(क) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, अपर पुलिस अधीक्षक एवं इससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करेगा।

(ख) प्राधिकरण, उसके द्वारा सीधे प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें, आगे कार्यवाही के लिये राज्य सरकार के गृह विभाग को अग्रसारित करेगा। परन्तु यह कि गुमनाम शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(ग) प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध 'गम्भीर कदाचार' की शिकायतें प्राप्त होने पर आरोपों की जांच कर सकेगा।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियाँ–

1– प्राधिकरण मामले में किसी व्यक्ति से सूचना प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है।

2– ऐसे मामलों में जिनमें राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा सीधे जांच की जा रही हो, प्राधिकरण जांच पूर्ण होने पर अपने निष्कर्ष से राज्य को सूचित करेगा, जो राज्य सरकार पर बाध्यकारी होगी। यदि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा किसी अपचारी पुलिस कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित अपचारी द्वारा उसे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के अनुसार सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

शिकायतकर्ता के अधिकार–

(1) कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारियों (अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों) के किसी कदाचार अथवा गम्भीर कदाचार की सम्बन्धित शिकायत प्राधिकरण में दर्ज करा सकता है।

(2) उन मामलों में जहां किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारियों की शिकायत की गयी है, वह विभागीय जांच की किसी अवस्था में जांच प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब के विषय में प्राधिकरण को सूचित कर सकता है।

(3) शिकायतकर्ता को जांच प्राधिकारी (सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारी अथवा प्राधिकरण) द्वारा जांच प्रगति के सम्बन्ध में समय–समय पर सूचित किया जाने का अधिकार होगा। जांच अथवा विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने पर शिकायतकर्ता को उसके निष्कर्षों के सम्बन्ध में यथा शीघ्र सूचित करायेगा।

शिकायतों के निस्तारण प्रक्रिया– आम जनता राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से/डाक के माध्यम से/ईमेल के माध्यम से तथा व्हाट्सअप के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत कर सकती है।

कार्यालय का पता – राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, 28 पार्क रोड [illegible] देहरादून।

फोन नं0– 0135–2520317, 3558209 **ईमेल**– spcauttarakhand@gmail.com **वेबसाइट** –https://www.spcauttarakhand.com

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण

जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण (गढ़वाल) मण्डल, देहरादून में तथा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण (कुमाऊँ) मण्डल, नैनीताल की स्थापना उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (संशोधित) के अन्तर्गत वर्ष 2016 में की गई है। प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार गढ़वाल मण्डल के 07 जनपदों क्रमशः–हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चमोली तक है तथा कुमाऊँ मण्डल के 06 जनपदों क्रमशः–नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं अल्मोड़ा तक है।

कार्य–प्राधिकरण का गठन जिस उद्देश्य से किया किया गया है, उसमें एक ओर पुलिसकर्मी विधि अनुसार कार्य करने को प्रतिबद्ध होते हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस के प्रति आम जनता में विश्वास की भावना में भी बढ़ोत्तरी होती है।

शिकायतकर्ता के अधिकार–पुलिस कॉन्स्टेबल से लेकर क्षेत्राधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक पुलिस कर्मियों के विरुद्ध उनके द्वारा आम जनता के सन्दर्भ में किये गये कदाचार तथा गम्भीर कदाचार से सम्बन्धित शिकायतें सुनी जाती हैं। नियमानुसार दोनों पक्षकारों का पक्ष सुनने के उपरान्त प्राधिकरण के स्तर से उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 (संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार आदेश पारित किया जाता है। यदि प्राधिकरण स्तर से पारित आदेश में किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध दण्ड की संस्तुति की जाती है, तो उसे शासन के गृह विभाग को भेजा जाता है।

शिकायतों के निस्तारण प्रक्रिया– आम जनता जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, गढ़वाल मण्डल देहरादून/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से/डाक के माध्यम से/ईमेल के माध्यम से तथा व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत कर सकती है।

मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड
जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला, देहरादून

E-mail-igprisonsuk@gmail.com; ig-jail-uk@nic.in

राज्य की कारागारों में निरुद्ध बंदियों में सुधार, उनके पुनर्वास तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कारागारों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों में बंदियों को नियोजित किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों द्वारा बंदियों में कार्य कुशलता, आत्मविश्वास एवं स्वावलम्बन का भाव जगाना तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर समाज में पुनः सम्मानित नागरिक बनाकर/पुनर्वास हेतु तैयार करना है। साथ ही बंदियों में अनुशासनशीलता एवं समयबद्धता को बढ़ाना, उनके नैतिकता का स्तर बनाए रखना तथा उनमें तत्कालीन अनुशासन को प्रोत्साहन देना है। कारागार से रिहाई के बाद बंदियों के लिए रोजगार या स्वरोजगार का अवसर विकसित किया जाता है जिससे वही भविष्य में कारागार से रिहा होने पर अपने परिवार का भरण–पोषण करने में सक्षम हो सकें। कारागारों में कौशल विकास कार्यों में नियोजित बंदियों को उचित पारिश्रमिक भी प्रदान किया जा रहा है। कारागारों में बंदियों को कुशल बनाने हेतु विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम जैसे सिलाई, कारपेंटरी उद्योग, नमकीन, दरी, कारपेंटरी उद्योग (कैन्टीन यूनिट), बुक यूनिट, कारागार बेकरी, कैण्डल यूनिट, फर्नीचर यूनिट, म्यूजियम, कार्यशाला, बेकरी, पेंटर, सुधार, कम्प्यूटर संचालन आदि की व्यवस्था प्रचलित है।

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान देहरादून (भाषा विभाग)

1) **उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान–**

उत्तराखण्ड में निवास करने वाले साहित्यकार/विद्वान/कलाविदों को साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करने एवं साहित्य सृजन करने के उद्देश्य से प्रदेश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं हिन्दी, उर्दू, पंजाबी व लोकभाषा/बोली (गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी व अन्य बोलियों) में साहित्य हेतु प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान के अंतर्गत उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान, उत्तराखण्ड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार, उत्तराखण्ड साहित्य भाषी ... पुरस्कार, युवा साहित्य सृजन सम्मान, उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक सृजन पुरस्कार एवं साहित्यिक पत्र–पत्रिका सृजन पुरस्कार तथा उत्तराखण्ड ... साहित्य ... सम्मान प्रदान किया जाता है। जिसमें चयनित साहित्यकारों को पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। उत्तराखण्ड भाषा संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान के लिए राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि तक अपनी प्रकाशित पुस्तकों के सभी अंकों की ४–४ प्रतियों के साथ जमा करना होता है। उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान योजना के अंतर्गत 07 प्रकार के पुरस्कार दिये जाने प्रस्तावित हैं–

[illegible]

क्र.सं.	सम्मान का नाम	संख्या	सम्मान राशि
1	उत्तराखण्ड साहित्य भूषण सम्मान	01	5,00,000
2	उत्तराखण्ड दीर्घ कालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार	06	1,51,000
3	उत्तराखण्ड साहित्य गौरव सम्मान	01	1,51,000
4	बाल साहित्य सृजन पुरस्कार	01	1,51,000
5	उत्तराखण्ड मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार	07	1,00,000
6	साहित्यिक पत्र–पत्रिका प्रोत्साहन पुरस्कार	01	1,00,000
7	उत्तराखण्ड क्षेत्रीय साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार	04	50,000

(2) हिन्दी दिवस समारोह एवं मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करना –

हिन्दी दिवस समारोह पर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में हिन्दी, उर्दू, पंजाबी विषय एवं उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् हरिद्वार द्वारा पूर्वमध्यमा (हाईस्कूल), उत्तरमध्यमा (इण्टरमीडिएट) में हिन्दी विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं तथा उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् देहरादून से हाईस्कूल (मुंशी) में अरबी, हाईस्कूल (मौलवी) में फारसी एवं इण्टरमीडिएट (आलिम) में फारसी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने छात्र–छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कृत छात्र/छात्राओं को पुरस्कार के रूप में पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

(3) भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन–

प्रदेश में हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार एवं संवर्द्धन करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। भाषायी प्रतियोगिता का आयोजन के अंतर्गत प्रथम वर्ग–कक्षा 06 से 08 एवं द्वितीय वर्ग– कक्षा–09 से 12 हेतु राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसमें उत्तराखण्ड में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राएं को भाषायी विभिन्न विधाओं कविता, निबंध, लघु कहानी एवं यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं संस्थान को ई–मेल अथवा डाक द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यालय में जमा किये जाते हैं। उक्त प्रतियोगिता में चयनित विधा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को पुरस्कार राशि एवं प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाते हैं।

(4) विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन अनुदान–

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ऐसे साहित्यकार जो धनाभाव के कारण अपने साहित्य का प्रकाशन नहीं कर पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में श्रेष्ठ विद्वानों के साहित्य का प्रकाशन हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता है। जिसमें संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना के लिए राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, जिसमें आवेदन का प्रारूप संलग्न होता है। आवेदक को आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि तक पाण्डुलिपियों के साथ संस्थान कार्यालय में जमा किया जाना होता है। जिसमें प्राप्त आवेदनों की जांच, उपयोगिता, भाषा शैली आदि का गहन अध्ययन कर चयनित पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु आंशिक आर्थिक अनुदान हेतु चयनित किया जाता है। प्रकाशन के उपरान्त साहित्यकार द्वारा प्रकाशित 05 प्रतियां संस्थान पुस्तकालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। उक्त योजना के हिन्दी, गढ़वाली व कुमाऊंनी भाषा के उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु वर्ष –2023 –2024 में 17 साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग

समग्र शिक्षा परियोजना, उत्तराखण्ड

समग्र शिक्षा परियोजना

क्र.स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	निपुण भारत मिशन उत्तराखण्ड.	राज्य के सभी विद्यालयों में प्रवेश के अनुरूप कक्षा 01 में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।	आयुवर्ग 3 से 9 के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की सम्प्राप्ति सुनिश्चित कराना।	निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य एक सक्षम परिवेश का निर्माण करना है जिससे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के सार्वभौमिक अर्जन को सुनिश्चित किया जा सके। राज्य के सभी विद्यालयों में प्रवेश के अनुरूप कक्षा 01 में प्रवेश प्राप्त कर सकते है।

02.	छात्रों हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण	निःशुल्क आवश्यक जीवनकौशल का प्रशिक्षण।	उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं।	राज्य के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण (जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट एवं ताईक्वांडो) से प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत समस्त बालिकाएं।
03.	समावेशित शिक्षा	राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा–1 से कक्षा–12 तक सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु एस्कॉर्ट सुविधा, गृह आधारित शिक्षा, थैरेपी एवं एसेसमेंट शिविर, ब्रेल, लार्ज प्रिन्ट तथा निःशुल्क उपकरण आदि प्रदान किये जाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु चिन्हांकन एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें दिव्यांग बच्चों की आवश्यकतानुसार निःशुल्क रूप से सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं।	6 से 18 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों को समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।	शैक्षिक–सत्र प्रारम्भ होने पर विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत विशेष शिक्षकों द्वारा दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन किया जाता है। तदोपरान्त सम्बन्धित विद्यालयों में बच्चों का नामांकन किया जाता है।
04.	सामुदायिक सहभागिता	सभी राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में जन समुदाय की सक्रिय सहभागिता हेतु SMC / SMDC का गठन किया जाता है, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जन समुदाय को पुरस्कृत तथा प्रशस्ति–पत्र प्रदान किये जाते हैं। सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम द्वारा जन–जन तक लाभकारी कार्यों एवं उत्कृष्ट कार्यों का प्रचार–प्रसार किया जाता है।	SMC / SMDC सदस्यों हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम SCERT द्वारा सम्पन्न किया जाता है। सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में कम्युनिटी रेडियो, हैलो कार्यक्रम, रेडियो के माध्यम से उत्कृष्ट लाभकारी कार्यों का प्रचार–प्रसार किया जाता है।	शैक्षिक–सत्र प्रारम्भ होने पर विद्यालयी स्तर पर SMC / SMDC का गठन किया जाता है, तथा सम्पूर्ण सत्र में SMC/SMDC सदस्यों की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाती है।
05.	पुस्तकालय एवं व्यवहार निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक	प्रत्येक वर्ष प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मुद्रण एवं वितरण हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को लागू करते हैं, में कक्षा 1 से	राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसों जो राज्य सरकार के पाठ्यक्रम को लागू करते हैं, में अध्ययनरत	कोई आवेदन प्रक्रिया नहीं है, उल्लेखित विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क वितरित की जाती हैं।

		8 तक के बालकों एवं बालिकाओं (All Boys & All Girls) को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है।	कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र–छात्राएं।	
06	निःशुल्क गणवेश	राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं (जिसमें सभी वर्ग की बालिकाएं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बालक व बी०पी०एल० वर्ग के सामान्य बालक सम्मिलित हैं) को निःशुल्क गणवेश के अन्तर्गत प्रति छात्र ड्रेस के दो सेट DBT/SMC के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते है।	कक्षा 1–8 में अध्ययनरत सभी वर्ग की बालिकाएं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी बालक व बी०पी०एल० वर्ग के सामान्य बालक।	कोई चयन प्रक्रिया नहीं है। कक्षा 1 से 8 तक की अर्हता रखने वाले सभी छात्र–छात्राओं को गणवेश या इससे सम्बन्धित धनराशि दी जाती है।
07	Maths Wizard & Spelling Genius	भारत सरकार द्वारा AWP-B वर्ष 2023–24 में कक्षा 5 के छात्र–छात्राओं की गणित व अंग्रेजी विषय में रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालय, ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तर पर छात्र–छात्राओं हेतु Maths Wizard एवं Spelling Genius प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें राज्य प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया।	राजकीय विद्यालयों के कक्षा 5 के छात्र–छात्राएँ	ब्लॉक, जनपद एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से प्रथम, द्वितीय व तृतीय का चयन।
08.	कला उत्सव प्रतियोगिता	कला उत्सव प्रतियोगिता को जनपद स्तर से राज्य स्तर तक क्रियान्वित करने में सहयोग एवं समन्वयन किया गया। वर्ष 2023–24 में राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन जनपद हरिद्वार द्वारा किया गया। 10 विधाओं में बालक व बालिका वर्ग से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुल 20 छात्र–छात्राओं द्वारा राज्य की ओर से [illegible] नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया। उत्तराखण्ड राज्य से दो प्रतिभागियों कु0 नीता [illegible] जनपद बागेश्वर (विधा स्थानीय खेल–खिलौने) एवं वरूण जोशी जनपद ऊधमसिंह नगर (विधा वाद्य एक संगीत) द्वारा क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया गया।	कक्षा 9 से 12 की छात्र–छात्राएँ	जनपद, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के माध्यम से

09	Enhancement of Spoken English Programme	राज्य के सभी जनपदों के कुल 109 राजकीय विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 39000 छात्र–छात्राओं हेतु Enhancement of Spoken English कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया।	109 चयनित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 के 39000 छात्र–छात्राएँ।	नेट कनेक्टिविटी, छात्र–संख्या, आवश्यकतानुसार कार्यक्रम हेतु Device की उपलब्धता आदि के आधार पर चयनित 109 विद्यालयों के सभी छात्र–छात्राएँ।
10	यूथ एवं इको क्लब	• विद्यालयों में यूथ एवं इको क्लब के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न प्रतियोगिताएँ, प्लास्टिक का उपयोग रोकना, किचन–गार्डन, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, कूड़ा–प्रबन्धन, स्वच्छता एवं जल–संरक्षण आदि से सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन किया गया– 1. Bagless Day and Environment Friendly Awareness. 2. Awareness Through Skits and Plays. 3. Poster makings, Paintings, Slogan writing etc. Competition and "Say No" to Single Use plastic. 4. Cleaning Drives of the School and Surrounding and Keeping Toilets Usable. 5. Composting Food Waste in the School. 6. Planting of Trees in Schools.	सभी माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक राजकीय विद्यालय।	कोई चयन प्रक्रिया नहीं सभी विद्यालय सम्मिलित।
11	विद्या समीक्षा केन्द्र	उत्तराखण्ड का "विद्या समीक्षा केन्द्र" केंद्र सरकार की एक मुख्य योजना है। इस योजना के तहत डेटा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी शिक्षा प्रणाली में क्रांति लायी जा रही है। 1. उत्तराखण्ड में विद्या समीक्षा केंद्र का आरम्भ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में 12 सितम्बर 2023 को किया गया। 2. विद्या समीक्षा केंद्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर सीखने, शिक्षकों को बेहतर सिखाने और अधिकारियों को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।	समस्त राजकीय विद्यालय, सभी राजकीय विद्यालयों के छात्र–छात्राएँ एवं शिक्षक	कोई चयन प्रक्रिया नहीं सभी विद्यालय सम्मिलित।

		3. विद्या समीक्षा केन्द्र स्विफ्टचैट एप का उपयोग करता है जिसमें हमारे उपयोगकर्ता चैट करते हैं और समाधान प्राप्त करते हैं। विद्या समीक्षा केन्द्र के तहत उत्तराखण्ड के सभी सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शिक्षा में बेहतरी के लिए परख कार्यक्रम लाया गया है जिसमें वे साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं एवं स्वमूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण वीडियो प्राप्त करते हुए स्वयं को बेहतर बनाते हैं। 4. उत्तराखण्ड का विद्या समीक्षा केंद्र बस एक डेटा केंद्र नहीं है यह शिक्षा जगत में आने वाले दूरगामी परिवर्तनों के लिए एक आधार है, जो Daily Attendance, से लेकर Periodic assessment, Digital Home Learning, Remedial Teaching, field monitoring और holistic report card बनाने जैसे कार्यों को स्विफ्टचैट द्वारा आसान बना रहा है। 5 आने वाले समय में विद्या समीक्षा केंद्र में ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर, मानव सम्पदा पोर्टल और स्कूल इवेल्यूएशन जैसे आयामों को भी समायोजित किया जाना प्रस्तावित है।		
12.	सुपर–100 कार्यक्रम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सुपर–100 कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाला एक विशिष्ट कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में विज्ञान वर्ग के 100 विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवायी गई, जिसके लिए उच्च स्तरीय कोचिंग संस्थानों से साक्षात्कार एवं अनुभव के आधार पर फैकल्टी का चयन किया गया।	विज्ञान वर्ग के कक्षा 12 के 100 विद्यार्थी (प्रत्येक ब्लॉक से 01 अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र–छात्रा एवं एस0सी0, एस0टी0 व ओबीसी वर्ग से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाला छात्र / छात्रा।	प्रत्येक ब्लॉक से वर्तमान में कक्षा 12 (विज्ञान वर्ग) में अध्ययनरत ऐसे छात्र / छात्रा का चयन किया गया जिनके द्वारा अपने विकासखण्ड में 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था।

संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

संस्कृत शिक्षा विभाग

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार द्वारा संचालित योजना / कार्यक्रम

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/ लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	**संस्कृत छात्र प्रतियोगिता–** 1. संस्कृत नाटक 2. संस्कृत समूहगान 3. संस्कृत समूहनृत्य 4. संस्कृत वाद–विवाद 5. संस्कृत अन्त्याक्षरी 6. संस्कृत श्लोकोच्चारण **(सामूहिक)**	प्रत्येक स्तर पर कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग की पृथक–पृथक संस्कृत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। 1. **विकासखण्ड स्तर** पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रु.300/– एवं अधिकतम रु. 800/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रु.300/– एवं अधिकतम रु. 500/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 2. **जनपद स्तर** पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रु.400/– एवं अधिकतम रु. 2000/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रु.400/– एवं अधिकतम रु. 800/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। 3. **राज्य स्तर** पर आयोजित प्रतियोगिताओं में टीम इवेंट में न्यूनतम रु.8000/– एवं अधिकतम रु. 25,000/– तथा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में न्यूनतम रु.2000/– एवं अधिकतम रु. 4000/– पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है।	उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी राजकीय/अशासकीय/निजी विद्यालय के कनिष्ठ वर्ग में (कक्षा 06 से 10 तक) एवं वरिष्ठ वर्ग में (कक्षा 11 से स्नातकोत्तर कक्षा तक) अध्ययनरत सामान्य/संस्कृत छात्र व छात्राएं सम्मिलित होंगी। (हिन्दू भी एवं सी-एस.ई. / एवं विद्यालयी पाठ्यक्रम के पात्र छात्र/छात्राएं का प्रतिभाग प्रतिबन्धित है।)	यह प्रतियोगिता वर्ष में एकबार (अगस्त सितम्बर–नवम्बर तक) आयोजित होती है। इसका विज्ञापन/अधिसूचना जारी करके सम्बन्धित जनपद संयोजक एवं खण्ड संयोजक को प्रेषित करती है। छात्र/छात्रा का चयन विद्यालय/कॉलेज स्तर पर करने के उपरान्त प्रधानाचार्य की संस्तुति सहित प्रतिभाग हेतु खण्ड शिक्षाधिकारी/ खण्ड संयोजक को प्रस्तुत किया जाता है। 1. **खण्ड स्तरीय** प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/दल को पुरस्कार राशि दी जाती है। इसके उपरान्त प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। 2. **जनपद स्तरीय** प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/दल को पुरस्कार राशि दी जाती है। जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त समस्त प्रतिभागी/दल राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं तथा राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागी/समूह को पुरस्कार राशि दी जाती है।
2.	अखिलभारतीय	प्रत्येक आमन्त्रित कवि को मानदेय	उत्तराखण्ड सहित अन्य प्रदेशों के	यह आयोजन राष्ट्रीय पर्वों/ उत्सवों के उपलक्ष में

	संस्कृतव्रती सम्मान **(संशोधित)**	रु.2501/- प्रदान किया जाता है।	15 संस्कृत व्रती जो संस्कृत में लगातार लिखते रहे हों तथा पढ़ रहे हों को आमन्त्रित किया जाता है।	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा कराया जाता है। देश के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शिक्षक जो संस्कृत व्रती के रूप में विख्यात हो की सूची तैयार कर कार्यक्रम संयोजक द्वारा प्रस्तावित व्रतियों की सूची सक्षम अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। तदनुसार सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत व्रतियों को कार्यक्रम हेतु आमन्त्रित किया जाता है।
3.	संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान **(संशोधित)**	प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता रू0 5,100/- द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता रू0 4,100/- तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता रू0 3,100/-	संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा प्रदेश के हाईस्कूल परीक्षा (उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्) में संस्कृत विषय में / इण्टरमीडिएट परीक्षा (उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्) में संस्कृत विषय में /पूर्वमध्यमा परीक्षा (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्) /उत्तरमध्यमा परीक्षा (उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद्)/ शास्त्री व आचार्य (उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं केन्द्रीय संस्कृत विवि. परिसर देवप्रयाग आदि) उपाधिधारक संस्थाओं की स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता।	अकादमी द्वारा संबंधित बोर्ड के सचिव से पत्राचार करके संबंधित सत्र के हाईस्कूल व इण्टर परीक्षा में संस्कृत विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता छात्र/छात्रा की सूचना प्राप्त की जाती है। अकादमी द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव से पत्राचार करके स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्कृत विषय में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची प्राप्त की जाती है। सम्मान समारोह आयोजित कर चैक द्वारा भुगतान किया जाता है तथा प्रशस्ति पत्र आदि से सम्मानित किया जाता है।
4.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति योजना **(संशोधित)**	कक्षा 6 से 12 तक के छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रू0 251/- के अनुसार वार्षिक रू 3012/- प्रदान किया जाता है।	प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक पंजीकृत/अध्ययनरत संख्यागत 200 छात्र-छात्राएं जिनके पास अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हो वे पात्र होंगे।	संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के संस्थागत छात्र एवं छात्रा, जिनके पास जाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता हो, अपने दस्तावेज संबंधित प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे तथा प्रधानाचार्य संस्तुति सहित सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे जिसे वह निदेशालय को अग्रसारित

				करेंगे तथा निदेशक की संस्तुति के पश्चात् अकादमी द्वारा छात्रवृत्ति ऑनलाइन प्रेषित की जाती है।
5.	गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना	कक्षा 6 से 12 तक की छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रू0 251/- की धनराशि वार्षिक रू0 3012/- प्रदान किया जाता है।	प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 12 तक की सभी श्रेणी की पंजीकृत/ अध्ययनरत संस्कृत छात्राएं।	संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी श्रेणी की [illegible] छात्रा, जिनके पास आधार कार्ड, बैंक खाता हो, अपने [illegible] प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करेंगे तथा प्रधानाचार्य संस्तुति सहित [illegible] निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे, जिसे वह निदेशक को अग्रसारित करेंगे तथा निदेशक की संस्तुति के पश्चात् अकादमी द्वारा छात्रवृत्ति ऑनलाइन प्रेषित की जाती है।
6.	शोधग्रन्थ प्रकाशन योजना	शोधग्रन्थ के स्वत्व लेखक को प्रोत्साहन रू0 151/- की मानदेय एवं प्रकाशित ग्रन्थ की 25 प्रतियां निःशुल्क प्रदान किया जाता है।	संस्कृत साहित्य से सम्बन्धित प्रामाणिक, समाजोपयोगी उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में शोधग्रन्थ प्रकाशनार्थ आमन्त्रित हैं। देश के किसी भी राज्य के विद्वान (जो शोधग्रन्थ की परिधि में शोधग्रन्थों का लेखन करते हों) अर्ह होंगे।	शोधग्रन्थ प्रकाशन नियमावली के आलोक में समाचार पत्रों/वेबसाइट में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। लेखक को आवेदन पत्र के साथ शोधग्रन्थ की 03 प्रतियां तथा शोधग्रन्थ की मौलिकता के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। मूल्यांकन समिति के द्वारा अर्ह शोधग्रन्थ प्रकाशित किया जाता है।
7.	अखिल भारतीय संस्कृत शोध सम्मेलन	संस्कृत साहित्य में नये शोध के माध्यम से ज्ञान वृद्धि करना, आदान-प्रदान करना, शोधपूर्ण लेखन विधा को जानना एवं अनेक पत्र वाचन करना।	देश के सभी राज्यों के आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, प्रवक्ता, स.अ. शिक्षक एवं शोधछात्र जो अध्ययन-अध्यापन एवं अनुसन्धान में लगे हुये हैं वे प्रतिभाग करते हैं।	शोधकर्ताओं द्वारा अकादमी की नियमावली के आलोक में आवेदन पत्र एवं निर्धारित विषय में शोधपत्र निर्धारित तिथि तक ई-मेल के माध्यम प्रेषित किया जाना आवश्यक होता है तथा शोधपत्र मूल्यांकन समिति के द्वारा जिनके शोधपत्र अर्ह किये जाते हैं उनको आमन्त्रित किया जाता है।
8.	अखिल भारतीय वेद सम्मेलन एवं अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु सम्मेलन	वैदिक साहित्य एवं ज्योतिष व वास्तु के मूल ज्ञान को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में [illegible] की व्याख्या करना, ज्ञान का आदान-प्रदान करना तथा [illegible] का [illegible] करना।	वेद, ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र के अध्ययन, अध्यापन, प्रचार-प्रसार एवं अनुसन्धान में लगे हुये विद्वान सम्बन्धित सम्मेलन के लिए अर्ह होंगे।	सूचना पत्र के आधार पर आवेदन पत्र ई-मेल के माध्यम से जमा करना होता है अथवा संयोजक के बुलावे पर अपने आने की सूचना देना होता है।
9.	वैदिक गणित पर एकदिवसीय संगोष्ठी	वैदिक गणित के [illegible] एवं उसकी सरल विधाओं की जानकारी प्राप्त करना।	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों एवं अन्य विभागों के अधिकारी, शिक्षक एवं छात्र प्रतिभाग करेंगे।	संगोष्ठी की तिथि, स्थान एवं [illegible] का निर्धारण करने के पश्चात् संयोजक द्वारा आमन्त्रित लोगों की सूची प्रस्तुत की जायेगी, अकादमी सचिव द्वारा पत्र के माध्यम से आमन्त्रित किया जायेगा।

			कम्प्यूटर एप्लीकेशन	स्नातक उपाधि	10000	1000 प्रतिसत्र
4.	प्रमाण पत्र	षाण्मासिक	योग विज्ञान कम्प्यूटर एप्लीकेशन संस्कृतम कर्मकाण्ड कम्यूनिकेटिव अंग्रेजी पर्यावरण जागरूकता	उत्तर मध्यमा इण्टरमीडिएट समकक्ष।	6000 6000 500 500 500 500	600 प्रतिसत्र 600 प्रतिसत्र 600 प्रतिसत्र 600 प्रतिसत्र 600 प्रतिसत्र 600 प्रतिसत्र

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	उपलब्ध विषय	प्रवेशार्हता
1.	विद्यावारिधि (पीएच.डी)	–	शुक्लयजुर्वेद, नव्यव्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, हिन्दी, योग विज्ञान, शिक्षाशास्त्र, इतिहास	सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर 55 प्रतिशत अंक

उक्त सभी पाठ्यक्रम रोजगार परक हैं तथा उक्त सभी पाठ्यक्रमों में ऑफलाईन माध्यम से आवेदन पत्र भरे जाते हैं।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार

विश्वविद्यालय परिसर में वर्ष 2023–24 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP- 2020 के अनुरूप संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रम व उनके शुल्कादि का विवरण–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	उपलब्ध विषय	प्रवेशार्हता	शिक्षण शुल्क	परीक्षा शुल्क
1	शास्त्री प्रमाणपत्रम् (Graduate Certificate)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	उत्तरमध्यमा / संस्कृत विषय के साथ इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण / प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र
2	शास्त्री उपाधिपत्र (Graduate Diploma)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र
3	शास्त्री / स्नातक (Graduate Degree)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री उपाधिपत्र परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र
4	शास्त्री / स्नातक (Graduate Research)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री / स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र
5	आचार्य / स्नातकोत्तर (Post Graduate)	एकवर्षीय (द्विसत्रीय)	शुक्लयजुर्वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य	शास्त्री / स्नातक शोध परीक्षा उत्तीर्ण	1200.00	500.00 प्रतिसत्र

विकल्पाधारित प्रणाली (सी.बी.सी.एस.)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अवधि	उपलब्ध विषय	प्रवेशार्हता	शिक्षण शुल्क	परीक्षा शुल्क
1	शिक्षाशास्त्री (बी.एड.)	द्विवर्षीय	–	स्नातक उपाधि (संस्कृत सह)	12,080 प्रथम वर्ष	9,450 द्वितीय वर्ष
2	आचार्य (एम.ए.)	द्विवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	योग विज्ञान	स्नातक उपाधि	10000	1000 प्रतिसत्र
			पत्रकारिता जनसंचार	स्नातक उपाधि	10000	1000 प्रतिसत्र
			शिक्षाशास्त्र	स्नातक उपाधि	1200	500 प्रतिसत्र
			इतिहास	स्नातक उपाधि	1200	500 प्रतिसत्र
			हिन्दी	स्नातक उपाधि	1200	500 प्रतिसत्र
3	पी.जी. डिप्लोमा	एकवर्षीय (सेमेस्टर पद्धति)	योग विज्ञान	स्नातक उपाधि	10000	1000 प्रतिसत्र
			ज्योतिष	स्नातक उपाधि	10000	1000 प्रतिसत्र
			वास्तुशास्त्र	स्नातक उपाधि	10000	1000 प्रतिसत्र
			कर्मकाण्ड	स्नातक उपाधि	10000	1000 प्रतिसत्र
			पौरोहित्य	स्नातक उपाधि	10000	1000 प्रतिसत्र

प्राविधिक (तकनीकी) शिक्षा विभाग

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पालीटेक्निक संस्थाएँ एवं पाठ्यक्रमों का विवरण :–

पाठ्यक्रम का नाम	डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / आर्किटेक्चर / फार्मेसी / एम०ओ०एम० एण्ड एस०पी०
नियामक परिषद्	➤ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / एम०ओ०एम० एण्ड एस०पी० – **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली** ➤ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर – **काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर** ➤ डिप्लोमा इन फार्मेसी – **फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया**
पाठ्यक्रम अवधि	➤ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर – **03 वर्ष** ➤ डिप्लोमा इन फार्मेसी / एम०ओ०एम० एण्ड एस०पी० – **02 वर्ष**
प्रवेश परीक्षा	सम्बन्धित शैक्षिक सत्र हेतु आयोजित **संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक्स**
शैक्षिक योग्यता / अर्हता	➤ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी / डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर –**हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा।** ➤ डिप्लोमा इन फार्मेसी –**भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान या गणित विषयों के साथ 10+2 परीक्षा (विज्ञान शैक्षणिक स्ट्रीम) में उत्तीर्ण। अथवा भारतीय फेसजी परिषद द्वारा अनुमोदित उपरोक्त परीक्षा के समकक्ष कोई अन्य योग्यता।** ➤ माडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (एम०ओ०एम० एण्ड एस०पी०)– **10+2 / इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है।)**
वर्तमान में संचालित संस्थान एवं सीटों का विभाजन	**प्राविधिक शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता का विवरण :–**

INSTITUTE NAME (GOVT POLYTECHNIC)	BRANCH NAME
ALMORA (GIRLS)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING (30) INFORMATION TECHNOLOGY (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (30)
DEHRADUN (GIRLS)	COMPUTER SC & ENGINEERING (40), CIVIL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN ARCHITECTURE (40), CLOUD COMPUTING AND BIG DATA (30), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (40)
[illegible]HOWALA	CIVIL ENGINEERING (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40), INFORMATION TECHNOLOGY (40), MECHANICAL ENGINEERING (40), MECHANICAL ENGINEERING (AUTO) (40) DIPLOMA IN PHARMACY (40)
FREEDOM FIGHTER LATE SH. RAM SINGH BISHT GOVT. POLYTECHNIC DWARAHAT (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (60), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (60), AUTOMATION AND ROBOTICS (60), DIPLOMA IN PHARMACY (40), COMPUTER SC & ENGINEERING (40)

	GOVT. POLYTECHNIC GAUCHAR (CHAMOLI)	CIVIL ENGINEERING(ENVIRONMENTAL & POLL CONTROL (40), ELECTRONICS ENGINEERING(SP. IN CONSUMER ELEX (30), INFORMATION TECHNOLOGY (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)
	GOVT. POLYTECHNIC KASHIPUR (U.S. NAGAR)	AGRICULTURE ENGINEERING (40), CHEMICAL ENGINEERING (40), CHEMICAL TECHNOLOGY (PAINT) (40), CIVIL ENGINEERING (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (40), DIPLOMA IN PHARMACY (40)
	GOVT. POLYTECHNIC LOHAGHAT (CHAMPAWAT)	CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (30), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)
	GOVT. POLYTECHNIC NAINITAL	CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRICAL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (40), DIPLOMA IN PHARMACY (40), MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE (30)
	GOVT. POLYTECHNIC NARENDRA NAGAR (TEHRI GARHWAL)	ELECTRICAL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (30), INFORMATION TECHNOLOGY (40), MECHANICAL ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30), GAMING AND ANIMATION (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)
	GOVT. POLYTECHNIC SHAKTIFARM (U.S. NAGAR)	CHEMICAL ENGINEERING (40), ELECTRICAL ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING (40), CHEMICAL TECHNOLOGY(RUBBER AND PLASTIC) (30)
	GOVT. POLYTECHNIC SRINAGAR GARHWAL (PAURI GARHWAL)	CIVIL ENGINEERING (60), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40), INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (60), MECHANICAL ENGINEERING(AUTO) (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)
	S.S.S.S.S.P.U. GOVT. POLYTECHNIC ELET (ALMORA)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC UTTARKASHI	CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRICAL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (40)
	LATE GENRAL BIPIN CHANDRA JOSHI GOVT. RURAL POLYTECHNIC TAKULA(ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40), DIPLOMA IN PHARMACY (40)
	GOVT. RURAL POLYTECHNIC THALNADI (PAURI GARHWAL)	ELECTRONICS ENGINEERING (40), ELECTRICAL ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)
	K.L. POLYTECHNIC ROORKEE (HARIDWAR)	CIVIL ENGINEERING (60), ELECTRICAL ENGINEERING (60), ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (60), MECHANICAL ENGINEERING(PRODUCTION) (60), ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (30), COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC KOTABAGH (NAINITAL)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC KOTDWAR (PAURI GARHWAL)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS ENGINEERING (40)
	GOVT. POLYTECHNIC GARUR (BAGESHWAR)	CIVIL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)

	GOVT. POLYTECHNIC KALADHUNGI (NAINITAL)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING(IND. INTEGRATED) (40), INSTRUMENTATION & CONTROL ENGINEERING (40), CIVIL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC GARHI GANGOLI (PITHORAGARH)	INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC RATURA (RUDRAPRAYAG)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (40), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC GARHI SHYAMPUR (RISHIKESH)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60), ELECTRICAL ENGINEERING (40)
	GOVT. POLYTECHNIC SANIYA (DEHRADUN)	MECHANICAL ENGINEERING/PRODUCTION (40)
	GOVT. POLYTECHNIC SATPULI (PAURI)	MECHANICAL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC NEW TEHRI	ELECTRICAL ENGINEERING (40)
	GOVT. POLYTECHNIC GOPESHWAR (CHAMOLI)	INFORMATION TECHNOLOGY (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)
	JASWANT SINGH RAWAT GOVT. POLYTECHNIC BIRONKHAL(PAURI)	CIVIL ENGINEERING (40), COMPUTER SC. & ENGINEERING (40)
	GOVT. POLYTECHNIC KANDA (BAGESHWAR)	CIVIL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC CHAUNALIYA (ALMORA)	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC AMAPALA (DEHRADUN)	ELECTRICAL ENGINEERING (30), ELECTRONICS ENGINEERING (40), AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING (40), COMPUTER SCIENCE (30)
	GOVT. POLYTECHNIC ROORKEE, HARIDWAR	ELECTRONICS ENGINEERING (40), MECHANICAL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (60)
	GOVT. POLYTECHNIC PANTNAGAR (U.S. NAGAR)	ELECTRONICS ENGINEERING (40), MECHANICAL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC DWARAHAT (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC VIKASNAGAR (DEHRADUN)	ELECTRONICS ENGINEERING (40), DIPLOMA IN PHARMACY (60), MECHANICAL ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60)
	GOVT. POLYTECHNIC BARAUCHERNA (PITHORAGARH)	ELECTRICAL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC DIDIHAT PITHORAGARH	AUTOMOBILE ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60)
	GOVT. POLYTECHNIC JAKHOLI (RUDRAPRAYAG)	INFORMATION TECHNOLOGY (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60)

	SATYANAND DIMRI GOVT. POLYTECHNIC BARKOT(UTTARKASHI)	CIVIL ENGINEERING **(60)**, INFORMATION TECHNOLOGY **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC HINDOLAKHAL (TEHRI)	DIPLOMA IN PHARMACY **(60)**, MECHANICAL ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC MUNAKOT (PITHORAGARH)	CIVIL ENGINEERING **(54)**
	GOVT. POLYTECHNIC KAPKOT (BAGESHWAR)	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC TANAKPUR (CHAMPAWAT)	CIVIL ENGINEERING **(30)**, COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC KHATIMA (U.S. NAGAR)	CIVIL ENGINEERING **(54)**, ELECTRICAL ENGINEERING **(54)**, INFORMATION TECHNOLOGY **(60)**, DIPLOMA IN PHARMACY **(60)**,
	GOVT. POLYTECHNIC KULSARI (CHAMOLI)	CIVIL ENGINEERING **(30)**, COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC PRATAPNAGAR (TEHRI)	CIVIL ENGINEERING **(60)** , DIPLOMA IN PHARMACY **(60)**
	GOVT. POLYTECHNIC DANYA (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING **(30)**, ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC GAJA (TEHRI)	CIVIL ENGINEERING **(30)**, ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**, MECHANICAL ENGINEERING **(30)**
	HARISHCHANDRA GOVT. POLYTECHNIC BHALASWAGAJ (HARIDWAR)	COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30)**, MECHANICAL ENGINEERING **(30)**, DIPLOMA IN PHARMACY **(60)**
	GOVT. POLYTECHNIC BAZPUR (U.S. NAGAR)	CIVIL ENGINEERING **(54)**, COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30)**, MECHANICAL ENGINEERING **(54)**, DIPLOMA IN PHARMACY **(60)**
	GOVT. POLYTECHNIC JAKHNIDHAR (TEHRI)	COMPUTER SC. & ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC GAIRSAIN (CHAMOLI)	ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC PIRUMDARA RAMNAGAR (NAINITAL)	COMPUTER SCIENCE **(30)**, ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC RAIPUR (DEHRADUN)	CIVIL ENGINEERING **(30)**, ELECTRICAL ENGINEERING **(30)**
	GOVT. POLYTECHNIC PAURI	MECHANICAL ENGINEERING **(60)**
	GOVT. POLYTECHNIC BAANS (PITHORAGARH)	CIVIL ENGINEERING **(30)**, COMPUTER SC. & ENGINEERING **(60)**
	GOVT. POLYTECHNIC BHEEMTAL (NAINITAL)	CIVIL ENGINEERING **(30)**, COMPUTER SCIENCE **(30)**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	GOVT. POLYTECHNIC BADECHEENA (ALMORA)	ELECTRICAL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC BACHELIKHAL (TEHRI)	COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (60)
	GOVT. POLYTECHNIC CHINYALISAUR (UTTARKASHI)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SCIENCE (30)
	GOVT. POLYTECHNIC PIPLI (UTTARKASHI)	ELECTRICAL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC CHAMPAWAT	ELECTRICAL ENGINEERING (30), ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (30), CLOUD COMPUTING AND BIG DATA (30)
	GOVT. POLYTECHNIC CHOPTA (RUDRAPRAYAG)	CIVIL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC PAABO (PAURI)	ELECTRICAL ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC KANDIKHAL (TEHRI)	CIVIL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC POKHRI (CHAMOLI)	CIVIL ENGINEERING (30), ELECTRICAL ENGINEERING (30), MECHANICAL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC BERINAAG (PITHORAGARH)	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30), DIPLOMA IN PHARMACY (60)
	GOVT. POLYTECHNIC BANSBAGARH (PITHORAGARH)	CIVIL ENGINEERING(PUBLIC HEALTH ENGINEERING (30), COMPUTER SC. & ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC BARAM (PITHORAGARH)	ELECTRICAL ENGINEERING (30)
	GAURA DEVI GOVT. POLYTECHNIC JOSHIMATH (CHAMOLI)	ELECTRICAL ENGINEERING (30), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (30)
	GOVT. POLYTECHNIC JAINTI (ALMORA)	CIVIL ENGINEERING (30), COMPUTER SCIENCE (30)
	GOVT. POLYTECHNIC RANI POKHRI (DEHRADUN)	ELECTRICAL ENGINEERING (60), MECHANICAL ENGINEERING (60), CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (60), ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (60)
शिक्षण शुल्क	शिक्षण शुल्क– ₹8000.00 छात्र निधि शुल्क– ₹5000.00 छात्रावास शुल्क– ₹4000.00 बोर्ड परीक्षा शुल्क राजकीय संस्थान– ₹800.00 बोर्ड परीक्षा शुल्क निजी संस्थान– ₹1000.00	

	मुद्रण परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान) परीक्षा आवेदन शुल्क– ₹500.00 बैक पेपर परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)– ₹200.00 प्रति विषय स्क्रूटनी शुल्क– ₹250.00 प्रति विषय अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर)– ₹20.00 (परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)– ₹30.00 पुनर्मूल्यांकन– ₹2000.00 प्रति विषय
आरक्षण व्यवस्था	**ऊर्ध्वाधर आरक्षण** 1. अनुसूचित जाति– 19 प्रतिशत 2. अनुसूचित जनजाति– 04 प्रतिशत 3. अन्य पिछड़ा वर्ग– 14 प्रतिशत 4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग– 10 प्रतिशत 5. एन०सी०सी० प्रमाण पत्र धारकों के लिए (उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार) – प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में A, B तथा C हेतु प्राप्तांकों का क्रमशः 1, 2 तथा 3 प्रतिशत जोड़ा जायेगा। **क्षैतिज आरक्षण** 6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए– 02 प्रतिशत सम्बन्धित पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष। 7. भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांग/मृत सैनिकों के आश्रित– 05 प्रतिशत सम्बन्धित पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष। 8. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए– 04 प्रतिशत 9. महिलाओं के लिए– 30 प्रतिशत (उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रख्यापित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है।)
काउन्सिलिंग प्रक्रिया	**मेरिट सूची**– सभी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम एवं संस्था का आवंटन मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जायेगा. मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम प्राप्तांकों के आधार पर होगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का योग यदि समान होता है, तो उस स्थिति में अभ्यर्थी की वास्तविक मेरिट की अवधारणा हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थियों की जन्मतिथि के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी। इसके उपरान्त भी यदि मेरिट क्रमांक की अवधारणा न हो तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों के गणित, विज्ञान/रसायन, बायोलॉजी जैसी भी स्थिति हो के अंकों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी और अन्त में यदि एतद् सभी विकल्पों से वास्तविक मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती, तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित की जायेगी।
सम्बद्ध परिषद्	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की (हरिद्वार)
सम्बद्ध परिषद् का पता, ई-मेल आई०डी०	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, [illegible] रोड, [illegible], रुड़की (हरिद्वार) Website ~www.ubter.in, www.ubterjeep.co.in E-mail-js.ubte15@gmail.com

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग की सूचना

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के कैम्पस संस्थानों एवं समस्त स्ववित्तपोषी/निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी जी0बी0पी0यू0ए0टी0 पन्तनगर में शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों B.TECH, BHMCT, BALLB, BBALLB, BCA, LLB, M.TECH, MBA, MCA, MHM, LLM, PG DIPLOMA IN CYBER SECURITY के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग द्वारा किये जाते हैं।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु योग्यता परीक्षा (**Qualifying Exam**) तथा अर्हता (**Eligibility**) निम्नवत है–

SN	COURSE	DURATION	QUALIFYING EXAM / ELIGIBILITY
1	B.TECH. - FIRST YEAR (Biotechnology) (Agriculture Engg)	4 Years	Passed 10+2 examination with Physics/ Mathematics/Chemistry/ Computer Science/ Electronics/ Information Technology/ Biology/ Informatics Practices/Biotechnology/ Technical Vocational subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/Entrepreneurship as per AICTE Agriculture stream (for Agriculture Engineering)

	(Civil Engg) (CSE) (CHEM ENGG) (EE) (Electronics & Communication Engg) (ME)		Obtained at least 45% marks (40% marks in case of Candidates belonging to reserved category) in the above subjects taken together.
2	BHMCT- FIRST YEAR	4 Years	Passed 10+2 examination Obtained at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying Examination.
3	BALLB-FIRST YEAR	5 Years	10+2 or an equivalent examination with 45% marks or its equivalent grade and 42% for OBC & 40% for SC/ST Category
4	BBALLB-FIRST YEAR	5 Years	10+2 or an equivalent examination with 45% marks or its equivalent grade and 42% for OBC & 40% for SC/ST Category
5	BBA-FIRST YEAR	3 Years	Passed 10+2 examination with a minimum of 45% marks (40% for reserved category) in any stream OR A Pass in diploma in Commercial Practice or equivalent
6	BCA-FIRST YEAR	3 Years	Passed 10+2 examination with a minimum of 45% marks (40% for reserved category) and Mathematics is a compulsory subject in Intermediate. Candidate must have mathematics as a subject in class 10th, candidate who does not have Mathematics as a subject in class 12th must complete a bridge course in Mathematics during the first semester.
7	LLB-FIRST YEAR	3 Years	Graduation in the 10+2+3 pattern from a recognized university with 45% marks or its equivalent grade and 42% for OBC & 40% for SC/ST Category
8	M.TECH -FIRST YEAR	2 Years	Passed Bachelor's Degree or equivalent in the relevant field. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
9	MBA-FIRST YEAR	2 Years	Passed Bachelor Degree of minimum 3 years duration. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
10	MCA-FIRST YEAR	2 Years	Passed B.C.A./ B.Sc. (Computer Science)/ B.Sc. (IT) / B.E. (CSE)/ B.Tech.(CSE) / B.E. (IT) / B.Tech. (IT) or equivalent Degree. OR Passed any graduation degree (e.g.: B.E. / B.Tech. / B.Sc / B.Com. / B.A./ B. Voc./ etc.) or at Graduation level obtained at least 50% (45% Marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
11	MHM-FIRST YEAR	2 Years	Passed Bachelor Degree in Hotel Management and Catering Technology/ Hotel Management of minimum 4 years duration or equivalent Degree. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
12	LLM-FIRST YEAR	2 Year	An LL. B Degree (or B.A.LL. B / B.B.A.LL. B / B.COM-LLB, B. TECH-LL. B or any other integrated law graduate degree) or an equivalent examination with a minimum of Fifty percent (50%)

			of marks or its equivalent grade and 45% in case of candidates belonging to reserved category
13	PG DIPLOMA IN CYBER SECURITY	1 Year	Passed Bachelor Degree of minimum 3 years duration. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.

1. ऑनलाईन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट http://uktech.ac.in पर उपलब्ध रहेगी। अतः अभ्यर्थी काउंसिलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त प्रक्रिया का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाईट http://uktech.ac.in पर Login-ID/Password बनाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
3. अभ्यर्थी वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड बनाते समय अपना सम्पूर्ण विवरण ध्यान पूर्वक चेक कर एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय ही कर लें। रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी जो सूचना भरेगा, अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रमाण पत्र होने अनिवार्य होंगे अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. अभ्यर्थी को राज्य कोटे की आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश के लिये न्यूनतम अर्हता उत्तराखण्ड से उत्तीर्ण होने की दशा में अभ्यर्थी राज्य कोटे की सामान्य श्रेणी की सीट के लिये भी पात्र होंगे। महिला अभ्यर्थियों को भी महिला सीट में प्रवेश के लिये स्थाई निवास की अनिवार्यता होगी।
5. प्रत्येक ऑनलाईन काउंसिलिंग से सम्बन्धित समय-समय पर जारी आवश्यक सूचनाओं एवं निर्देशों के लिए नियमित वेबसाईट http://uktech.ac.in पर सम्पर्क करते रहें।
6. ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थी को काउंसिलिंग शुल्क Counseling Fee-Non Refundable 2000/- प्रति काउंसिलिंग पंजीकरण के साथ ही पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से जमा किया जायेगा।
7. काउंसिलिंग शुल्क जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा संस्थान/ब्रांच के विकल्प भरने होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में विकल्प भर जायेंगे उन्हें पुनः द्वितीय अथवा तृतीय चरण की काउंसिलिंग में विकल्प भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः अभ्यर्थी को अधिकाधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है।
8. प्रथम काउंसिलिंग में यदि अभ्यर्थी को उनके विकल्प के आधार पर कोई सीट आवंटित होती है तो उसके पास निम्नानुसार 3 विकल्प होंगे– 1 Freeze 2. Float 3. Withdraw
9. प्रथम अथवा द्वितीय काउंसिलिंग में यदि अभ्यर्थी को उनके विकल्प के आधार पर कोई सीट आवंटित नहीं होती है, तो इस स्थिति में अभ्यर्थी को आगामी काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु कोई शुल्क नहीं देना होगा एवं अभ्यर्थी पुनः विकल्प भर सकता है।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

राज्य के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार/सेवायोजन की दृष्टि से विकसित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास, प्रशिक्षण तथा सेवायोजन द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति निम्नवत् है:-

प्रशिक्षण संस्थान	गढ़वाल मण्डल	कुमायूं मण्डल	कुल
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	80	73	153
निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	70	14	84
योग	150	87	237

प्रवेश प्रक्रिया एवं व्यवसायों का विवरण–राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मुख्यतः इंजीनियरिंग एवं नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश किये जाते हैं। वर्ष 2020 से प्रवेश परीक्षा के स्थान पर राज्य में प्रथम बार प्रवेश की प्रक्रिया राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काउंसिलिंग द्वारा सम्पादित की गई थी, जिसमें आवेदन पत्र, शुल्क, विकल्प भरना, संस्थान/व्यवसाय आवंटन, प्रवेश फीस आदि पूर्णतया पोर्टल के माध्यम से किया गया। कोविड 19 के कारण आवागमन में दुविधा के दृष्टिगत प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश हेतु भी अपने निकटतम संस्थान में अपने मूल प्रमाण पत्र सत्यापित कराने की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की गयी। प्रवेश के संबंध में राज्य स्तरीय प्रकाशित दैनिकों समाचार पत्रों में विस्तृत विज्ञापन, आकाशवाणी तथा स्थानीय एफ एम रेडियो से जिंगल विज्ञापन, सार्वजनिक स्थलों तथा बस स्टेशन / रेलवे स्टेशन, मार्केट, शैक्षणिक संस्थाओं, मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि में पैम्फलेट वितरण का कार्य सम्पादित किया जाता है। स्थानीय 'कॉमन सर्विस सेन्टर' के माध्यम से भी प्रवेश विवरणिका आदि सुलभ रूप से उपलब्ध कराई जाती है। उपर्युक्त गतिविधियों के कारण संस्थानों में लगभग 78 प्रतिशत सीटों पर विगत वर्ष में प्रवेश सम्पन्न किये गये। संस्थानों में प्रवेश हेतु व्यवसायों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

1	एन.सी.वी.टी. प्रशिक्षणार्थियों की कुल स्वीकृत सीट	14364
2	एन.सी.वी.टी. भारत सरकार के अन्तर्गत संचालित राजकीय आई.टी. आई.	86
3	एन.सी.वी.टी. के अन्तर्गत वर्तमान में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	6143
4	राज्य में स्वीकृत इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग एन.सी.वी.टी. व्यवसायों की संख्या	35

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण उपरान्त कार्य क्षमता का संक्षिप्त परिचय
1	फिटर	दो वर्ष	हाईस्कूल (विज्ञान एवं गणित विषय) उत्तीर्ण / समकक्ष	विभिन्न धातुओं के कल पुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग तथा औजारों का सम्पूर्ण ज्ञान।
2	टर्नर	दो वर्ष	–तदैव–	खराद मशीनों द्वारा पुर्जों का निर्माण, चूड़ी बनाना, धातुओं की

खेल विभाग, उत्तराखण्ड

				आवश्यकतानुसार उत्पाद कर गोल आकार देने का कार्य।
3	मशीनिस्ट	दो वर्ष	—तदैव—	विभिन्न प्रकार की मशीनों का कार्य जैसे विभिन्न प्रकार के गेयर, मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लेट आदि सम्बन्धी कार्य।
4	इलेक्ट्रीशियन	दो वर्ष	—तदैव—	विद्युत सम्बन्धी कल पुर्जों का ज्ञान मरम्मत, रखरखाव एवं मोटर वाइंडिंग आदि सम्बन्धी ज्ञान।
5	इन्स्ट्रूमेन्ट मैकेनिक	दो वर्ष	—तदैव—	समस्त विद्युतीय इन्स्ट्रूमेन्ट, वायु, तापमापी, वायु दाब और सूक्ष्म मापी यन्त्र का ज्ञान/मरम्मत।
6	रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कन्डीशनिंग टेक्नीशियन	दो वर्ष	—तदैव—	रेफ्रीजरेटर एयर कन्डीशनर आदि का ज्ञान/मरम्मत तथा स्थापित करना एवं चलाना।
7	ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	दो वर्ष	—तदैव—	यांत्रिक पुर्जों तथा मशीनों का आकार, माप ड्राईंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिंट निकालना, Computer Aided Design (CAD) के माध्यम से डिजाइनिंग।
8	ड्राफ्ट्समैन सिविल	दो वर्ष	—तदैव—	भवन, पुल आदि का आकार माप ड्राईंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिंट निकालना, Computer Aided Design (CAD) के माध्यम से डिजाइनिंग।
9	इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक	दो वर्ष	—तदैव—	इलेक्ट्रानिक्स पुर्जों, उपकरणों जैसे टी०वी० वी०सी०आर, सामान्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरण आदि की मरम्मत करना।
10	मैकेनिक मोटर वीकल्स	दो वर्ष	—तदैव—	डीजल, पेट्रोल से चलने वाली छोटी एवं बड़ी गाड़ियों की मरम्मत, पुर्जों का ज्ञान एवं गाड़ियों का चलाना।
11	इन्फार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेन्टीनेन्स	दो वर्ष	—तदैव—	कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी, उसका रखरखाव एवं सूचना सम्बन्धी नई पद्धति की जानकारी आदि।
12	मेकेनिक एटेन्डेन्ट केमिकल प्लांट	दो वर्ष	—तदैव—	औद्योगिक इकाईयों में कैमिकल प्लांट सम्बन्धी कार्य।
13	मैकेनिक डीजल	एक वर्ष	—तदैव—	डीजल इंजन को चलाने व मरम्मत करने सम्बन्धी ज्ञान।
14	मैकेनिक ट्रैक्टर	एक वर्ष	—तदैव—	ट्रैक्टर की मरम्मत एवं उसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, उसका रखरखाव एवं चलाना।
15	मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर	एक वर्ष	—तदैव—	वाहनों की बॉडी की डेंटिंग एवं अन्य मरम्मत सम्बन्धी कार्य करना।
16	मै० कन्ज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स	दो वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	घरेलू एवं व्यावसायिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों के मरम्मत सम्बन्धी कार्य।
17	सर्वेयर	एक वर्ष	—तदैव—	भूमि की ऊपरी सतह, नीचाई भाग का सर्वेक्षण, निरीक्षण, सड़क, नहरें, टैंक, इमारत, पट्टी आदि का सर्वेक्षण करना।
18	फाउन्ड्रीमैन	एक वर्ष	—तदैव—	बने हुए साँचों के अनुरूप पिघली धातु से पुर्जों की ढलाई करना।
19	मैकेनिक ऑटो बॉडी पेन्टिंग	एक वर्ष	—तदैव—	वाहनों की बॉडी पेन्टिंग सम्बन्धी कार्य।
20	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग	एक वर्ष	—तदैव—	कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा इन्ट्री, प्रोग्रामिंग तथा एप्लीकेशन पैकेजेज की

	असिस्टेंट			पत्राचार का ज्ञान।
21	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टेंट हिन्दी	एक वर्ष	—तदैव—	हिन्दी भाषा का सांकेतिक भाषा (आशुलिपि हिन्दी) में लिखना और उसे कम्प्यूटर एप्लिकेशन का प्रयोग कर कम्प्यूटर पर टंकण करना।
22	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टेंट अंग्रेजी	एक वर्ष	—तदैव—	अंग्रेजी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे कम्प्यूटर एप्लिकेशन का प्रयोग कर कम्प्यूटर पर टंकण करना।
23	सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस अंग्रेजी	एक वर्ष	—तदैव—	कार्यालय पद्धति का ज्ञान दिया जाता है, जिसमें साथ आशुलेखन तथा टंकण का कार्य भी सिखाया जाता है
24	कॉस्मेटोलॉजी	एक वर्ष	—तदैव—	ब्यूटीशियन, फेशियल, मेकअप, हेयर स्टाइल आदि सम्बन्धी कार्य।
25	फैशन डिजाइन टैक्नोलॉजी	एक वर्ष	—तदैव—	आधुनिक प्रकार के परिधानों की कटिंग कर डिजाइन करना।
26	ह्यूमन रिसोर्स एक्जीक्यूटिव	एक वर्ष	—तदैव—	विभिन्न संस्थानों में मानव संसाधनों की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करना।
27	हॉस्पिटल हाउस कीपिंग	एक वर्ष	—तदैव—	हॉस्पिटल के रख–रखाव के सम्बन्ध में जानकारी आदि।
28	वायरमैन	दो वर्ष	आठवीं पास	घरेलू एवं औद्योगिक भवनों की वायरिंग, विद्युत सर्किट जोड़ना, उत्पन्न खराबी ठीक करना।
29	पेन्टर जनरल	दो वर्ष	—तदैव—	सम्पूर्ण पेंटिंग का कार्य जैसे फर्नीचर, दीवारों पर लिखावट, रंग द्वारा सजावट का कार्य करना।
30	वैल्डर (गैस एण्ड इले.)	एक वर्ष	—तदैव—	धातु के बने हुये पुर्जों एवं अन्य सामग्री जैसे ग्रिल आदि को गैस एवं विद्युत वैल्डिंग द्वारा जोड़कर बनाना।
31	कारपेन्टर	एक वर्ष	—तदैव—	लकड़ी का फर्नीचर, घरेलू सामान आदि का निर्माण करना एवं पालिश करना।
32	प्लम्बर	एक वर्ष	—तदैव—	पानी की लाईन, टोंटी, टंकी, वाल्व आदि की मरम्मत एवं सैनेटरी फिटिंग का कार्य
33	स्वीइंग टैक्नोलॉजी	एक वर्ष	—तदैव—	कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीन द्वारा सिलाई करके परिधान तैयार करना।
34	सरफेस आर्नामेन्ट टैक्नीक (कढ़ाई कार्य)	एक वर्ष	—तदैव—	कपड़े पर रंगीन धागों से सुन्दर–सुन्दर डिजाइनों की कढ़ाई करना।
35	ड्रेस मेकिंग	एक वर्ष	—तदैव—	आधुनिक प्रकार के परिधान तैयार करना।

खेल विभाग

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति **(संशोधित)**	इन प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिवर्ष लगभग 250 प्रशिक्षक रोजगार प्राप्त करते हुए लाभान्वित होते हैं।	• राज्य के खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक। • खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक की न्यूनतम आयु 21 एवं अधिकतम 70 वर्ष। • शैक्षिक एवं खेल योग्यता आदि संबंधी • कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षक हेतु मूल/स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है।	• विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न खेलों के स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन स्थानीय प्रशिक्षण शिविरों के सुचारू रूप से संचालन हेतु कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये जाते हैं। • जनपद स्तर पर जिला क्रीड़ाधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रशिक्षण शिविर संचालित करने हेतु आवेदन के आधार पर। • योजना हेतु प्रतिवर्ष जनपद स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जाती है तथा प्रशिक्षण शिविर अधिकतम 11 माह (15 अप्रैल से 15 मार्च तक) हेतु आयोजित किये जाते हैं।
2.	राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान की जाती है।	राज्य की विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयुवर्गों में प्रतिभाग करने वाली टीमों के खिलाड़ियों/सदस्यों को खेल संघ के माध्यम से खेल किट प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत वर्ष में लगभग 1000/- खिलाड़ी लाभान्वित होते हैं।	सम्बन्धित खेल संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाली टीमों का चयन किया जाता है तथा सम्बन्धित खेल संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किट हेतु आवेदन किया जाता है।	राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयुवर्गों में प्रतिभाग करने वाली टीमों के प्रत्येक खिलाड़ियों/सदस्यों को रू० 5000/- लागत की खेल किट (ट्रैकसूट, जूते, नैकर, मोजा एवं जूते) प्रदान किये जाते हैं।
3.	उत्तराखण्ड राज्य के खेल संघों/ क्लबों/ खेल समितियों को अनुदान एवं	मान्यता प्राप्त संघों/क्लबों/खेल समितियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु रू० 2.50 लाख, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रू० 2.50 लाख एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु रू० 1.00 लाख की धनराशि तथा अन्तर्राष्ट्रीय	मान्यता प्राप्त संघों/ क्लबों/खेल समितियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को विभागीय नियमानुसार निर्धारित	उत्तराखण्ड राज्य में खेल संघों/क्लबों/खेल समितियों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं संघों/खिलाड़ियों हेतु खेल उपकरण (उपकरण) क्रय हेतु अनुदान एवं आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे वर्ष भर में लगभग 20 खेल संघ/खेल समितियां/खिलाड़ी लाभान्वित होते हैं।

	आर्थिक सहायता	स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को धनराशि रु0 2.50 लाख दिये जाने का प्राविधान है।	प्रारूप पर अनुदान हेतु आवेदन किया जाता है।	
4	अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता	अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली टीमों के सभी खिलाड़ी/सदस्यों को विभागीय मानक के अनुसार यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, भोजन भत्ता एवं खेल किट आदि की सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है।	जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता के चयन ट्रायल्स आयोजित किये जाते हैं तथा चयनित खिलाड़ियों को अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होता है।	भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के कार्मिक हेतु प्रत्येक वर्ष अनेक खेलों में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले राज्य के विभिन्न शासकीय विभागों के सम्भावित 150 कार्मिक लाभान्वित होते हैं।
5	निजी क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं (बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, इंडोर क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी एवं स्वीमिंग) का निर्माण	अवस्थापना की कुल लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 50.00 लाख तक दी जाती है।	राज्य के समस्त व्यक्ति	• विभाग द्वारा राज्य के जनमानस को खेल अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु अनुदान प्रदान किये जाने की योजना है। यह अनुदान अवस्थापना की कुल लागत की 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 50.00 लाख तक दी जाती है। इन खेल अवस्थापना सुविधाओं का संचालन कर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। • खेल निदेशालय में ऑफलाइन आवेदन के आधार पर निर्धारित प्रारूप में। • आवेदक द्वारा आवेदन कभी भी आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। • योजना हेतु निर्धारित समिति द्वारा पात्र आवेदक को अनुदान

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्क)

उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू–सर्क)

क्र0 सं0	योजना का नाम	लक्ष्य	लक्षित / लाभार्थी	आच्छादन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	यू–सर्क उपग्रहीय विज्ञान केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन	यू–सर्क उपग्रहीय विज्ञान केन्द्रों में क्षेत्र के छात्र–छात्राओं के साथ ही क्षेत्र की महिलाओं व आमजन को उपग्रहीय विज्ञान का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।	क्षेत्र के स्थानीय छात्र छात्राएं एवं जनसामान्य	पं0 ल0 मो0 शर्मा श्री देव सुमन विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश तथा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के इवेंट सेंटर स्थापना हेतु टीचिंग लर्निंग सेंटर तथा इंटरेक्टिव पार्को का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही HARC भौतिक उपलब्धियों में एवं सी0आई0एस0एम0एम0, देहरादून में उच्च गुणवत्ता युक्त Spawn मशरूम उत्पादन एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु तथा युवा पीढ़ी में छात्र–छात्राओं, क्षेत्रीय महिलाओं एवं आमजन के उपग्रहीय विज्ञान व व्यावसायिकोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु यू–सर्क उपग्रहीय विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई। उपग्रहीय विज्ञान केन्द्र से मशरूम का लाभ उठाया जा सकता है।
2	महिलाओं, महिला वैज्ञानिकों, अध्यापकों एवं युवा छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मान का आयोजन	राज्य के छात्रों, अध्यापकों एवं महिलाओं हेतु वैज्ञानिक अभिरुचि की वृद्धि एवं कौशल विकास एवं प्रोत्साहन हेतु भिन्न पुरस्कार का आयोजन कर सम्मान प्रदान किया जाता है। • युवा–छात्र सम्मान– मेधावी छात्र सम्मान • अध्यापक / विज्ञान संचारक– विज्ञान प्रचार सम्मान • महिला वैज्ञानिक सम्मान – उत्कृष्ट युवा महिला वैज्ञानिक सम्मान • महिला प्रयोगधर्मी सम्मान	छात्र, अध्यापक, महिलाएं एवं जनसामान्य	• यू–सर्क द्वारा जनपदस्तर पर युवा सम्मान का आयोजन किया जाता है। आयोजित जनपद के उत्तराखण्ड बोर्ड के हाईस्कूल/इण्टर कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम 5–5 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। इनकी चयन सूची सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। • विज्ञान अध्यापक सम्मान द्वारा उत्तराखण्ड के विज्ञान अध्यापकों एवं विज्ञान उत्कृष्ट शिक्षकों की विज्ञान की आदान प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने हेतु उन्हें विज्ञान प्रचार सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सम्मान हेतु प्रदेशस्तर से अध्यापकों से आवेदन पत्र मांगे जाते है, जिसका विज्ञापन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है। • यू–सर्क द्वारा प्रतिवर्ष महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु महिला वैज्ञानिक अभिसंगोष्ठी तथा उत्कृष्ट महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

				सम्मान हेतु प्रदेशभर से महिला वैज्ञानिकों के आवेदन पत्र मांगे जाते है, जिसका विज्ञापन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है। राज्य में विज्ञान के समावेश से अनुकरणीय कार्य करने वाली महिलाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने हेतु अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला प्रयोगधर्मी सम्मान से सम्मानित किया जाता है।
3.	डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना	• डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से विभिन्न विषयों यथा– ICT Orientation, Emerging Technologies इत्यादि पर प्रशिक्षण career counselling प्रदान किये जाते हैं।	प्रदेश के समस्त छात्र छात्राए	• प्रदेश के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन माध्यम से डिजीटल प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पांच दिवसीय/सात दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

विज्ञानधाम-(यू-कॉस्ट), उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, विज्ञानधाम (U-COST)

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	विज्ञान प्रसार एवं लोकव्यापीकरण (संशोधित)	विज्ञान लोकव्यापीकरण उत्तराखण्ड के नागरिकों विशेषकर युवाओं में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए परिषद द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के तहत कई गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। परिषद सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। लोकप्रिय व्याख्यान वैज्ञानिक दिवस समारोह का आयोजन भी कराती है।	शैक्षणिक, अनुसंधान और विकास संस्थान तथा एनजीओ।	वर्ष में दो बार वेबसाइट–https://www.ucost.in पर प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त प्रस्ताव का चयन नोडल/विषय विशेषज्ञ परियोजना मूल्यांकन समूह के माध्यम से किया जाता है जहां विशेषज्ञ समिति के सदस्य प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हैं और राज्य के विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और धन देने के लिए राज्य के समाधान के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करते हैं।
2	उद्यमिता एवं विकास कार्यक्रम (संशोधित)	उद्यमिता एवं विकास कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी सम्वर्धन और हस्तान्तरण (टीओटी) की व्यवस्था की जाती है। यह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए तकनीकों में सुधार का कार्य करता है ताकि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यवर्धन कर एक व्यवसाय किया जा सके।	राज्यभर से इच्छुक एसएचजी/गैर सरकारी संगठन वैज्ञानिक/शोधार्थी/शिक्षक	विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रण के उपरांत सक्षम गठित समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण के उपरांत चयन।
3	सीमान्त पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव (संशोधित)	सीमान्त पर्वतीय जनपदों के बाल वैज्ञानिकों को प्रदेश स्तर पर विभिन्न विज्ञान प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु एक विशेष अवसर प्रदान करना तथा सीमान्त दुर्गम क्षेत्रों तक वैज्ञानिक गतिविधियों के माध्यम से वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करना है।	राज्य के छः सीमान्त जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़) के सरकारी/गैरसरकारी विद्यालयों के कक्षा 6 से बारहवी तक के छात्र एवं छात्राएँ।	ब्लॉक स्तर पर कक्षा 6 से बारहवी तक के सभी छात्र एवं छात्राएं प्रतिभाग कर सकते हैं तत्पश्चात ब्लॉक स्तर से चयनित छात्र–छात्राओं द्वारा जनपद स्तर पर प्रतिभाग किया जाता है एवं अंत में जनपद से चयनित छात्र–छात्राओं को राज्य स्तर

				पर प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाता है।
४	उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस यूसएसटीसी **(संशोधित)**	उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस यूएसएसटीसी हर साल यूकोस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है । यूएसएसटीसी विशेष रूप से वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने और राज्य के उभरते वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है। विज्ञान कांग्रेस युवा शोधकर्ताओं / वैज्ञानिकों का काफी ध्यान आकर्षित करती है और व्यापक रूप से सफल रही है।	अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप, उन्नेषक, किसान, एनजीओ।	विभिन्न विज्ञान आधारित विषयों में शोध पत्र प्रस्तुतियों के प्रस्ताव समाचार पत्र, परिषद की वेबसाइट–https://www.ucost.in और अन्य सोशल मीडिया पेजों पर विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है। चयनित प्रस्तावों को प्रस्तुति के लिए बुलाया जाता है, जिनका विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। परिणाम पर विभिन्न विषयों में शोधकर्ताओं को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है।
५	सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली **(संशोधित)**	यूकोस्ट देहरादून में सौर आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली स्थापित की गई है। **सौर**–आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली अपने आप में प्रदेश के अन्दर एक नवीनतम अनुसंधान है इसके अंतर्गत किसानों और उपभोक्ताओं के लिए अभिनव और एकीकृत सौर ग्रीनहाउस आधारित हाइड्रोपोनिक समाधान और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन को विकसित किया गया है। **लाभ**– स्वचालित सौर–आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा की मांग में कमी, पानी की मांग में कमी और उपज में वृद्धि होगी। प्रणाली में उद्यमिता या व्यवसाय मॉडल के रूप में उपयोग करने की क्षमता है। अन्य हिमालयी राज्यों में पहाड़ी किसानों और युवाओं के लिए बेहतर आजीविका के अवसरों की प्रतिकृति क्षमता।	किसान, **शोधकर्ता**, **विद्यार्थी**, और **उद्यमी** प्रतिवर्ष लगभग 500 से अधिक किसान,उपभोक्ताओं, **शोधकर्ता**, **विद्यार्थी**, और **उद्यमी**	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के माध्यम से

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		सौर-आधारित हाइड्रोपोनिक प्रणाली के ऑफ-ग्रिड मॉडल की छोटी क्षमता, जिसे ऑन-ग्रिड सिस्टम के अलावा विकसित करने का प्रस्ताव है, को दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है, जहां बिजली की आपूर्ति प्रमुख मुद्दों में से एक है। इससे पहाड़ी किसानों की व्यक्तिगत आय में वृद्धि होगी।		
6	लैब ऑन व्हील्स	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए के लिए लैब ऑन व्हील कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के हर जिलों एवं दुर्गम इलाकों के छात्र-छात्राओं को विज्ञान के प्रयोग को सीखने का मौका मिलेगा।	सभी 13 जनपदों के स्कूली छात्र-छात्राएं और विज्ञान विषयों का अध्यापन कर रहे गुरु।	सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी
7.	विज्ञान केन्द्र चम्पावत	चम्पावत विज्ञान केंद्र छात्र- छात्राओं में विज्ञान विषयों के प्रति रुचि विकसित करने के लिए बनाया जा रहा है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को विज्ञान विषयों को और सरलता से और प्रयोगात्मक तरीकों से सीखने में मदद मिलेगी।	क्षेत्र की जनता विशेषकर बच्चे, स्कूली छात्र-छात्राएं एक वर्ष में अनुमानित आगंतुकों की संख्या 40 से 50 हजार होगी	सभी वर्गों के लिये निश्चित दरों पर आगंतुकों के लिए खुला रहेगा
8	मानसखण्ड उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र अल्मोड़ा	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (यूकॉस्ट) द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एन०सी०एस०एम०), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से अल्मोड़ा में 02 हैक्टेयर भूमि पर उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गई है। उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र अल्मोड़ा छात्र- छात्रों में विज्ञान विषयों के प्रति रुचि विकसित करने के लिए बनाया गया है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को विज्ञान विषयों को और सरलता से और प्रयोगात्मक तरीकों से सीखने में मदद मिलेगी।	क्षेत्र की जनता विशेषकर बच्चे, स्कूली छात्र-छात्राएं एक वर्ष में अनुमानित आगंतुकों की संख्या 50 से 60 हजार होगी	सभी वर्गों के लिये निश्चित दरों पर आगंतुकों के लिए खुला रहेगा

9	स्टेम (STEM) लैब	राज्य के सभी विद्यालयों में स्टेम लैब की स्थापना की जा रही है, जिसके माध्यम से छात्रों एवं अध्यापकों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित के प्रयोगों के बारे में जानकारी प्रदान की जायेगी।	स्कूली छात्र–छात्राएं	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के माध्यम से
10	एस सी एस टी सैल की स्थापना	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु कोर की स्थापना परियोजना का संचालन यूकॉस्ट द्वारा किया जा रहा है उद्देश्य– • उत्तराखण्ड राज्य के सभी 13 जिलों में रह रहे सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय की मूलभूत समस्याओं का वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के माध्यम से समाधान करना। • अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान हेतु विज्ञान के विभिन्न अनुप्रयोगों द्वारा समुचित विकास की ओर अग्रसर करने के लिए सतत विकास से संबद्ध करना। • कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण द्वारा पारम्परिक ज्ञान प्रणाली को तकनीकों के माध्यम से उन्नतता तक पहुंचाना। • जनजातियों के डेटा बेस की स्थापना करना तथा अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय की मूलभूत समस्याओं का मानचित्रण करना।	निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी 13 जिलों से एस सी अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय (न्यूनतम 50 प्रतिशत जनसंख्या से अधिक)	उत्तराखण्ड के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले एससी/एसटी समुदाय जिला स्तर पर संकलित जानकारी होगी जिसके कार्यान्वयन के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन कर बेस लाइन डेटा एकत्रित किया जायेगा।
11	उत्तराखण्ड@25 आदर्श चम्पावत	माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को अन्य हिमालयी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखण्ड@25 'आदर्श चम्पावत' के अन्तर्गत चम्पावत जिले को एक आदर्श जिले के रूप में विकसित करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य	चम्पावत जिले के समस्त किसान, पशुपालक, स्वयं सहायता समूह, विद्यार्थी, कर्मचारी एवं समस्त जनसामान्य।	चम्पावत जिले के सभी क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं का निर्माण कर सम्भावनाओं का चयन किया जायेगा।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), देहरादून को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। इसी सन्दर्भ में उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) द्वारा सम्बन्धित जिले में कार्यरत एन.जी.ओ., स्वयं सहायता समूहों, राज्य के विभिन्न रेखीय विभागों एवं केन्द्रीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करके जिले को आदर्श जिले के रूप में विकसित करने के लिए कार्य किया जा रहा है।		
12.	ए टीम एप्रोच उत्तराखण्ड विज्ञान ग्राम समूह परियोजना	यह परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार से वित्त पोषित परियोजना है एवं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), देहरादून द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इन जिलों में चयनित गाँवों से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के माध्यम से किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए विभिन्न इकाइयों की स्थापना की जा रही है।	परियोजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में गाँवों के समूह बनाकर समूहों का चिन्हीकरण और ग्रामीण विकास के कार्य किये जाते हैं। लाभार्थी किसान, पशुपालक, स्वयं सहायता समूह एवं सामान्य ग्रामीणजनमानस।	चयनित समूहों में अनुभवी किसानों का चयन करके ग्रामोद्योग सहकारी समिति का निर्माण के माध्यम से परियोजना के कार्यों का संचालन किया जा रहा है।
13.	क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र	प्रदेश के 13 जनपदों में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जा रही है जिस हेतु 13 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।	सम्बन्धित जनपदों के विद्यार्थी तथा आमजन।	सभी वर्गों के लिए [illegible] आगन्तुकों के लिए सुलभ स्थल।
14.	आपदा प्रबन्धन केन्द्र	आपदा प्रबंधन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) में एक विशेष केन्द्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।	राज्य में आपदा प्रबंधन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ कर आमजनमानस को जागरूकता एवं अन्य हिमालयी राज्यों के लिये एक आदर्श मॉडल तैयार करना।	आम जनमानस

उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद्, हल्दी, पंतनगर

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	आधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण कार्यक्रम।	आधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण, नयी शोध कार्यों की जानकारी।	सरकारी अथवा निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के छात्र–छात्राएं, शोधार्थी एवं किसानों का दल / विशेष समूह, अथवा स्वयं सहायता समूह।	जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, शोध व प्रसार गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के विद्यालयों / महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों के छात्र–छात्राओं, शोधार्थियों एवं किसानों को परिषद् एवं इसके क्षेत्रीय केन्द्रों में स्थापित आधुनिक प्रयोगशालाओं का भ्रमण कराया जाता है तथा वहां पर संचालित हो रहे शोध व विकास कार्यों से अवगत करा कर जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, शोध को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित व जागरूक किया जाता है। परिषद् के निदेशक / सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त परिषद् मुख्यालय अथवा परिषद् के क्षेत्रीय केन्द्रों का भ्रमण कर वहां संचालित गतिविधियों से अवगत होकर तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करके इच्छुक अभ्यर्थी / दल / समूह लाभ प्राप्त कर सकता है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
(उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति)

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
(उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति)

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	आम जनमानस को एच0 आई0वी0/एड्स के प्रति जागरूक करना। एच0 आई0 वी0 की जांच, उपचार एवं औषधि निःशुल्क उपलब्ध है।	आम जनमानस एवं एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्ति	• राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार के माध्यम से आम जन मानस को जागरूक करना है तथा 1097 में कॉल करके बचाव हेतु सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। • राजकीय चिकित्सालयों में स्थापित आई.सी.टी.सी. के माध्यम से एच.आई.वी. की जांच निःशुल्क करायी जाती है। • एच.आई.वी. के साथ जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों को ए.आर.टी. केन्द्रों के माध्यम से एंटी रेट्रो वायरल की निःशुल्क दवा उपलब्ध करायी जाती है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

उत्तराखंड में आयुष्मान वय वंदना योजना– आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत वय वंदना कार्ड वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़े उपहार से कम नहीं है। इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग जनों को सालाना 5 लाख तक की निःशुल्क उपचार सुविधा की व्यवस्था की गई है। यह कार्ड सिर्फ आधार नम्बर की केवाईसी से आयुष्मान भी बनाए जा सकते हैं।

प्रदेश में वर्तमान में 6 लाख के लगभग लाभार्थी 70 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के हैं जिनको प्रदेश सरकार की ओर से संचालित अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर कवर प्रदान किया जा रहा है।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड से अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लाभार्थी पूरे पांच लाख रुपए का उपचार लेने के पात्र होंगे। इससे आयुष्मान योजना के लाभार्थी परिवार की वित्तीय क्षमता में बढ़ोतरी होगी वहीं राज्य सरकार के वित्तीय भार को कम करने में भी मदद मिलेगी।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश में आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने व इस अहम योजना की व्यापक जन-जागरूकता हेतु स्थानीय मेलों में आयुष्मान शिविर व जानकारी युक्त साहित्य वितरण समेत अन्य प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में अभी तक लगभग चार हजार से अधिक वय वंदना कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस कार्य को एक अभियान के तौर पर लिया जा रहा है।

आनलाइन से भी की विशेष अपील– राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से [illegible] वय वंदना कार्ड बनाने में बुजुर्ग जनों का सहयोग करने की भी विशेष अपील की गई है। वहीं लाभार्थियों की सुविधा के लिए पूर्व में बने आयुष्मान कार्ड की तरह घर बैठे डिजिटल कार्ड वय वंदना कार्ड हेतु भी https://sha-uk-gov-i पोर्टल पर व्यवस्था की गई है।

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

क्र.सं.	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राजकीय मेडिकल/नर्सिंग कॉलेजों एवं एलोपैथिक चिकित्सालयों, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सालयों तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत समूह 'ख' तथा 'ग' के विभिन्न अराजपत्रित संवर्ग, चिकित्साधिकारी, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती पद चयन प्रक्रिया।	उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों एवं स्कूलों, एलोपैथिक चिकित्सालयों, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों, अन्य विभाग के लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह- 'ख' तथा 'ग' (जो परिधि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की परिधि में है) के विभिन्न अराजपत्रित	उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है।– (क) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। (ख) अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाईस्कूल	सम्पूर्ण प्रक्रिया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के समान है, क्योंकि समूह 'ग' के पदों पर भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग में द्वारा साक्षात्कार का प्राविधान नहीं है। तथा परीक्षाओं के आवेदन के लिए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट

		संवर्ग चिकित्साधिकारी (वैकल्पिक) पदों की सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए गठन की गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों एवं स्कूलों एलोपैथिक चिकित्सालयों आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों अन्य विभाग द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु संबंधित पदों को सेवा नियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति का अधियाचन (अधियाचन का सामान्य अर्थ है कि संबंधित नियोक्ता भिन्न-भिन्न श्रेणी के लिए आरक्षित है के अनुसार तैयार कर) उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित किया जाता है। बोर्ड द्वारा अधियाचन के परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित पदों पर चयन हेतु परीक्षा (साक्षात्कार/शारीरिक/मुख्य/अभिरुचि परीक्षण) आयोजित करने के लिए राज्य के समस्त अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होता है।	या इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गई हो। (ग) अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में तथा हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण न होने की स्थिति में सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/स्वायत्तशासी संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियोजित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। साथ ही विज्ञापन में उल्लिखित अन्य अनिवार्य/वांछित योग्यता धारित करते हों, आवेदन कर सकते हैं। समूह 'क' के पदों में राज्य के बाहर के नागरिकों से भी आवेदन मांगे जाते हैं।	https://ukmssb.org में आवेदन करना होता है। कोई अभ्यर्थी जो राजकीय मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों एवं स्कूलों, एलोपैथिक चिकित्सालयों, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों, अन्य विभाग में अन्तर्गत संवर्ग चिकित्साधिकारी वैकल्पिक पदों की सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयारी करना चाहता हो अथवा कर रहा हो, वह उक्त वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहें ताकि वह भर्ती विज्ञापन से अपडेट रह सकें। साथ ही तैयारी जैसे करनी है इसके लिए बोर्ड द्वारा आयोजित की गयी विभिन्न परीक्षाओं के पुराने प्रश्नपत्रों को भी निःशुल्क डाउनलोड कर, पाठ्यक्रम देखकर तैयारी कर सकते हैं।

PROGRAMME

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून

राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (यथा संशोधित) के माध्यम से राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धति के उन्नयन, शिक्षण एवं शोधपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। वर्तमान में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 03 परिसर एवं 20 निजी संस्थान सम्बद्ध हैं। इनमें [illegible] से 03 परिसरों एवं 17 निजी सम्बद्ध संस्थानों में बी०ए०एम०एस० (BAMS), 02 निजी सम्बद्ध संस्थानों में बी०यू०एम०एस० (BUMS) तथा 01 निजी सम्बद्ध संस्थान में [illegible] (BAMS) पाठ्यक्रम संचालित हैं। [illegible] 03 परिसरों एवं 04 निजी सम्बद्ध संस्थानों में [illegible] (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम भी संचालित हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में स्नातक तथा 14 विषयों की विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों जैसे–पंचकर्म, आयुर्वेद, योग, आयुर्वेदिक डायटिक्स व न्यूट्रिशियन, [illegible] आयुर्वेद [illegible], आयुर्वेदिक [illegible], [illegible] एवं [illegible] आदि में डिप्लोमा, [illegible] डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित हैं। प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा का [illegible] कार्य सम्पादित किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा देश के अन्य ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों, संस्थानों [illegible] तथा [illegible] के साथ [illegible] की प्रक्रिया गतिमान है। [illegible] के समय से ही उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा उत्कृष्ट शिक्षण, शोध, चिकित्सा एवं [illegible] कार्यों में अग्रसर है।

हरिद्वार स्थित ऋषिकुल राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय, हरिद्वार जिसको विश्वविद्यालय का परिसर घोषित हो चुका है, की स्थापना वर्ष 1919 में भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। परिसर के पास हरिद्वार में लगभग 25 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें प्रशासनिक भवन, छात्रावास भवन, चिकित्सालय, ओ०पी०डी० ब्लॉक, हर्बल गार्डन, [illegible] व ऑडिटोरियम आदि निर्मित हैं। परिसर को वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत उच्च शिक्षा एवं शोध के केन्द्र के रूप में विकसित करने, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में [illegible] के माध्यम से आयुष विशेषज्ञों के द्वारा [illegible] चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने तथा प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

गुरुकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार में विश्वविद्यालय का परिसर घोषित हो चुका है, की स्थापना वर्ष 1922 में स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा की गई थी। परिसर के पास 14 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें प्रशासनिक भवन, छात्रावास भवन, चिकित्सालय, ओ०पी०डी० ब्लॉक, हर्बल गार्डन, [illegible] व ऑडिटोरियम आदि निर्मित हैं। गुरुकुल परिसर में [illegible] के लिए [illegible] किया जा चुका है, जिससे विश्वविद्यालय में गुणवत्ता युक्त औषधियों का निर्माण प्रारम्भ हो गया है। गुरुकुल परिसर [illegible] चिकित्सा एवं शोध केन्द्र संचालित है, जिसमें [illegible] को [illegible] किया गया है। सम्पूर्ण भारत में आयुर्वेद द्वारा [illegible] के उपचार का [illegible] है। [illegible] के लिए गुरुकुल परिसर में एक [illegible] का संचालन किया जा रहा है। जिसमें आयुर्वेदिक औषधियों और अन्य उत्पादों द्वारा उपचार प्रदान किया जाता है।

परिसर में पंचकर्म, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] एवं [illegible] आदि विभिन्न आयुर्वेद कार्यों में नवीनतम सुविधाओं/ [illegible] का विकास किया जाता है। केन्द्रीय भारतीय आयुर्वेद [illegible] की शर्तों का [illegible] के रूप

में Referral Hospital के रूप में शिक्षा, शोध, रोगी उपचार तथा Model Centre for National/ International Collaboration के उद्देश्य से गुरुकुल परिसर की सुविधाओं का उच्चीकरण/ सशक्तीकरण किया जायेगा जिससे राज्य के अलावा पड़ोसी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के रोगी भी बेहतर उपचार कराने आयेंगे। साथ ही विदेशी रोगी भी आकर्षित होंगे।

विश्वविद्यालय के परिसर चिकित्सालयों में वर्तमान में निम्नानुसार योजनायें संचालित है–

1. राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत "सुप्रजा कार्यक्रम" के तहत गर्भिणी एवं सूतिका के लिए सम्पूर्ण प्रसव कालीन, सूतिका अवस्था के दौरान स्वास्थ्य रक्षा विश्वविद्यालय के तीनों परिसर चिकित्सालयों में संचालित किया जा रहा है।

2. विश्वविद्यालय के परिसर चिकित्सालयों में नवजात से 16 वर्ष की आयु के शिशुओं/ बच्चों के health promoter, enhancement of intelligence, digestion, metabolism, immunity, physical strength and complexion के दृष्टिगत स्वर्ण प्राशन योजना संचालित की जा रही है। यह सुवर्ण बच्चों को प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में पिलाई जाती है।

3. केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से "A Survey on the effect of Nidra (Sleep) on the Memory Status of B.A.M.S. Students" विषयक गुरुकुल परिसर हेतु लघु शोध परियोजना संचालित की जा रही है।

4. केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से "Treatment adherence, tolerability and safety of Ayurveda therapeutic regimen in the management of Primary Knee Osteo arthritis: An OPD based study" विषयक गुरुकुल परिसर हेतु शोध परियोजना संचालित की जा रही है।

5. "CCRAS PG Star" - A scheme for training in Ayurveda research for PG Scholars के तहत "Clinical Evaluation of Nagaradi granules in Balatisara" विषय पर ऋषिकुल परिसर हेतु लघु शोध परियोजना संचालित की जा रही है।

6. कैंसर रोग की रोकथाम में नवीन शोध एवं इस रोग के निदान हेतु जानकारी बढ़ाये जाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय द्वारा स्वायु समूह पुणे (महाराष्ट्र) से अनुबन्ध (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है।

7. जलौकावचारण प्रशिक्षण कार्यक्रम (Leech therapy programme) अन्तर्गत शल्य तन्त्र विभाग में विश्वविद्यालय परिसरों एवं सम्बद्ध निजी संस्थानों के संकाय सदस्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त मुख्य परिसर स्थित आयुर्वेद संकाय को उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न AYUSH training हेतु Nodal Training Centre तथा Nodal Wellness Centre के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना का लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	स्टार्टअप नीति–2023 (संशोधित)	• उद्यमियों के स्टार्टप्स को रू. 15,000 प्रतिमाह एक वर्ष तक मासिक भत्ता। (महिला / अनुसूचित जाति / जनजाति / दिव्यांग / ट्रांसजेण्डर या ग्रासरूट नवाचारों पर आधारित स्टार्टप्स को रू. 20,000 प्रतिमाह का मासिक भत्ता)। • मान्यता प्राप्त स्टार्टप्स को रू. 10 लाख तक की एक मुश्त सीड फण्डिंग। (महिला / अनुसूचित जाति / जनजाति / दिव्यांग / ट्रांसजेण्डर या ग्रासरूट नवाचारों पर आधारित स्टार्टप्स को रू. 12.50 लाख तक की सीड फण्डिंग सहायता)। • पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट रू. 01 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए रू. 05 लाख की प्रतिपूर्ति सहायता। • ट्रेडमार्क तथा औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन दाखिल करने पर रू. 10 हजार की प्रतिपूर्ति सहायता। • एमएसएमई नीति में प्रदत्त वित्तीय	• इस नीति के प्रयोजन के लिए किसी इकाई को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, एलएलपी अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के अधीन एक इकाई को 'स्टार्टअप' माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करती है– ऐसी विधिक इकाईयां, जिनका पंजीकृत कार्यालय उत्तराखण्ड में हो 1. विधिक अस्तित्व वाली इकाई के गठन एवं संचालन की अवधि इसके निगमन की तारीख से दस वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। 2. निगमन / पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी विधिक इकाई का कारोबार एक सौ करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हुआ है। 3. किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित करके या पुनर्निर्माण करके इकाई का गठन नहीं किया जाना चाहिए और यह पारिवारिक व्यवसाय या समूह का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। 4. इकाई को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए या	योजना में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन पोर्टल www.startuputtarakhand.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।

		प्रोत्साहन, जैसे विशेष पूंजी उपादान, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति सहायता। • प्री–इन्क्यूबेशन तथा इन्क्यूबेशन सपोर्ट के लिए एक मुश्त निःशुल्क सहायता। • नए इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए रू. 01 करोड़ तक तथा विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर के विस्तार के लिए रू 50 लाख तक का पूंजीगत उपादान। • वेंचर फण्ड की स्थापना के लिए रू. 200 करोड़ का प्राविधान।	यदि वह रोजगार सृजन या धनोपार्जन की क्षमता अथवा उच्च एवं मापनीय व्यवसाय मॉडल के या समय–समय पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्टअप के मानदण्डों के अनुसार। ऐसी विधिक इकाईयां जिनका भारत के अन्य राज्यों में पंजीकृत कार्यालय है (इस नीति के अधीन परिभाषित मानदंडों के अतिरिक्त)– 1. इकाई का उत्तराखण्ड राज्य में भी कार्यालय होना चाहिए और इस कार्यालय के माध्यम से ही उत्तराखण्ड में स्टार्टअप का महत्वपूर्ण संचालन होना चाहिए। मान्यता की पूर्ण अवधि के दौरान इकाई को अपने समग्र पूर्णकालिक कार्यबल का न्यूनतम 70 प्रतिशत उत्तराखण्ड के अधिवास में से नियोजित किया जाएगा।	
2.	उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति –2023 (संशोधित)	• डी.पी.आर. सहायता – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर होने वाले व्यय की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति। • स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति – 50 से 100 प्रतिशत, जनपद की श्रेणी के अनुसार। • पूंजीगत उपादान– कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश के सापेक्ष 20 से 40 प्रतिशत तक, अधिकतम रू. 4	• नीति के अंतर्गत प्रतिबंधित श्रेणी में सम्मिलित उद्यमों को छोड़कर अन्य श्रेणी के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम पात्र होंगे। • पूर्व से विद्यमान उद्यम में न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी निवेश के साथ क्षमता में भी न्यूनतम 25 प्रतिशत वृद्धि होने पर नीति का लाभ देय होगा। • उद्यम की स्थापना अथवा विस्तारीकरण से पूर्व उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम 2012	• नीति अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करने वाली इकाईयां वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त www.investuttarakhand.uk.gov.in पोर्टल के Incentive Tab के माध्यम से आवेदन कर सकती है। • वित्तीय प्रोत्साहन के लिये प्राप्त दावों पर महानिदेशक/आयुक्त उद्योग की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के माध्यम से स्वीकृति का प्राविधान है।

		करोड़ की प्रतिपूर्ति, जनपद एवं उद्यम की श्रेणी के अनुसार। • ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति– 2 से 4 प्रतिशत, प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा के अन्तर्गत, जनपद एवं उद्यम की श्रेणी के अनुसार। • विद्युत ड्यूटी प्रतिपूर्ति– 300 कि०वा० तक लोड के सापेक्ष शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति। • मण्डी शुल्क प्रतिपूर्ति– 50 प्रतिशत, प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा के अन्तर्गत • गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति– 75 प्रतिशत, अधिकतम रू० 1 लाख क्लस्टर विकास हेतु प्रोत्साहन– प्रोजेक्ट मूल्य का 70 प्रतिशत, अधिकतम रू० 5 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट वित्तीय प्रोत्साहन।	के अधीन सिंगल विण्डो पोर्टल के माध्यम से फॉर्म (CAF) पर आवेदन कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से पूर्व जिला/राज्य प्राधिकृत समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो। • इकाई को वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ इकाई की श्रेणी (सूक्ष्म/लघु/मध्यम) एवं स्थापित जिला/क्षेत्र की श्रेणी (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार देय होगी। • नयी इकाई की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के व्यापक विस्तारीकरण के उपरान्त दिनांक 01.08.2023 से नीति की लागू अवधि के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया हो।	• पूंजीगत उपादान का वितरण सूक्ष्म उद्यमों को 02 समान वार्षिक किश्तों में तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों को 05 समान वार्षिक किश्तों में देय है। अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का वितरण एकमुश्त देय होगा।
5.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी०एम०ई०जी०पी०)	• विनिर्माण क्षेत्र के लिए रू0 50 लाख (अधिकतम) और सेवा क्षेत्र के लिए रू0 20 लाख (अधिकतम) तक की परियोजनाओं हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण योजना। • सामान्य (स्वयं का योगदान–10 प्रतिशत) हेतु मार्जिन मनी (सब्सिडी) दर शहरी क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत।	• 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति। • विनिर्माण क्षेत्र की रू 10.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र की रू 05.00 लाख से अधिक लागत वाली इकाई हेतु 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। • योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र है। परिवार में स्वयं और पति अथवा पत्नी शामिल है। • उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की नई परियोजनाओं	योजना से लाभान्वित होने हेतु ऑनलाइन पोर्टल www.kviconline.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जाता है। ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त आवेदन बैंकों को ऋण स्वीकृति हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। योजना का क्रियान्वयन राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्रों के द्वारा किया जाता है। **आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज** 1. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो 2. आधार कार्ड की प्रति 3. रोजगार सृजन का प्रस्ताव प्रोजेक्ट

			औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र/पार्क की स्थापना किये जाने की स्थिति में, नीति के अन्तर्गत वित्तीय दायित्वों को सुनिश्चित करने के लिए, सिडकुल द्वारा प्रमोटर/लैण्ड एग्रीगेटर के साथ अनुबन्ध किया जायेगा। • निजी औद्योगिक आस्थान/पार्क विकासकर्ता द्वारा यदि न्यूनतम 80 प्रतिशत भूमि अर्जित अथवा एग्रीगेट कर ली जाती है और शेष भूमि को प्राप्त करने में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो सिडकुल द्वारा शेष भूमि के अधिग्रहण मूल्य के बराबर विकासकर्ता से बैंक गारण्टी प्राप्त करते हुये, सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि अधिग्रहीत की जा सकेगी। • विकासकर्ता द्वारा भूमि लीज पर लेने अथवा एग्रीगेट करने की स्थिति में लीज/अनुबन्ध की न्यूनतम अवधि 30 वर्ष होगी, जिसे दोनों पक्षों की सहमति से नवीनीकृत किया जा सकेगा। • प्रस्तावित भूमि विधिक रूप से पूरी तरह से प्रवर्तक के कब्जे में हो और किसी भी अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिये।	लिये निर्धारित शर्तें/कार्य की पूर्ति के उपरान्त देय होगी।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		• विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) हेतु–ब्याज का योगदान–5 प्रतिशत तथा मार्जिन मनी (सब्सिडी) पर शहरी क्षेत्र हेतु–25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत।	के लिये अनुभव। •	रिपोर्ट 4. शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र 5. जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो) 6. विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो) 7. ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान द्वारा) शिक्षा (डिग्री) कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)
4.	निजी औद्योगिक आस्थानों/ क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति–2023	• बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत उपादान – रू 10 लाख प्रति एकड़। • सी.ई.टी.पी. की स्थापना पर उपादान – 40 प्रतिशत अधिकतम रू 1 करोड़। • ब्याज अनुदान विकास हेतु सहायता– निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक आस्थान के लिये सुविधा प्रदाता परिसम्पत्ति पर लिये गये कुल ऋण पूंजी निवेश का 02 प्रतिशत प्रति वर्ष/ सीमा देय होगा।	• कोई भी व्यक्तिगत उद्यमी/ विकासकर्ता/ प्रोपराइटरशिप फर्म/ एलएलपी/ कम्पनी के कम्पनी अधिनियम/ एलएलपी अधिनियम/ सीमित देयता भागीदारी, संयुक्त उद्यम, सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड अथवा लैण्ड एग्रीगेटर (सभी संबंधित भूस्वामियों की लिखित सहमति के साथ) के रूप में विधिक रूप से पंजीकृत कम्पनी/ संस्था निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान/ क्षेत्र की स्थापना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगा। • निजी औद्योगिक आस्थान/ क्षेत्र/ पार्क की स्थापना के लिए मैदानी क्षेत्र में कम से कम 10 एकड़ और पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 02 एकड़ या इससे अधिक भूमि होना अनिवार्य है। • औद्योगिक आस्थान/ क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रमोटर/ विकासक/ प्रवर्तक को भूमि की व्यवस्था अपने स्रोतों से स्वयं करनी होगी। • लैण्ड एग्रीगेटर के द्वारा भूमि एकत्र कर	• निजी औद्योगिक आस्थान के गठन हेतु पात्र विकासकर्ता द्वारा www.investuttarakhand.uk.gov.in पोर्टल के सीएएफ (CAF) टैब के माध्यम से समस्त अनिवार्य अभिलेखों सहित आवेदन किया जायेगा। • सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त विकासकर्ता द्वारा औद्योगिक आस्थान गठन की अधिसूचना हेतु एकल खिड़की पोर्टल पर Departmental Services Tab के माध्यम से अनिवार्य अभिलेखों सहित आवेदन किया जायेगा। • निजी औद्योगिक आस्थान/ पार्क के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद www.investuttarakhand.uk.gov.in पोर्टल के Incentive Tab के माध्यम से नीति अंतर्गत प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत उपादान समान 04 किश्तों में, प्रत्येक किश्त की

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (सिडकुल)

स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, उत्तराखण्ड सरकार के उपक्रम को मुख्य रूप से राज्य के समग्र औद्योगिक विकास प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। सिडकुल उत्तराखण्ड राज्य में विश्वस्तरीय उद्योग विशिष्ट अवसंरचना प्रदान करके औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कटिबद्ध है।

परिकल्पना

- उच्च गुणवत्ता वाली विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और अन्य प्रमुख बाजारों में कनेक्टिविटी बढ़ाना।
- परियोजना मंजूरी में तेजी लाने के लिए राज्य में एकल खिड़की सुविधा (Single Window Clearance System) प्रदान करना।
- औद्योगिक उद्यमों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराना।

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास और प्रबन्धन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना।
- उद्योगों के लिए सुनिश्चित अबाधित गुणवत्ता विद्युत और सस्ती बिजली प्रदान करना।
- विशेष रूप से लघु, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, रेशम और हथकरघा क्षेत्रों का बढ़ावा देना।
- उद्योग, विशेषकर लघु उद्योगों में रूग्णता और आर्थिक अक्षमता की समस्याओं का समाधान करना।
- उत्तराखण्ड को एक प्रमुख शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित करना।

नई परियोजनायें

1. **एरोमा पार्क आई०आई०ई० काशीपुर**– सिडकुल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य एरोमा पार्क पॉलिसी के अधीन आई०आई०ई० काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर में 40 एकड़ भूमि पर एक एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में जी०बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, वन अनुसंधान केन्द्र आदि प्रतिष्ठित संस्थान है, राज्य में सुगन्धित एवं औषधीय गुणों से युक्त वनस्पतियों की लगभग 175 प्रजातियाँ प्रचुर पायी जाती है। उत्तराखण्ड में सेन्टर फॉर एरोमेटिक प्लान्ट्स (CAP) भी स्थित है जिससे की राज्य में एरोमेटिक कृषि के स्थानीय कृषकों को बैंक लिंकिंग एवं अन्य सहायता प्राप्त हो सकती है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुये उत्तराखण्ड राज्य को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में गति प्रदान करने के उद्देश्य से एरोमा पार्क विकसित किया गया है। वर्तमान समय में एरोमा पार्क आई०आई०ई० काशीपुर में 08 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके हैं।
2. **इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर आई०आई०ई० काशीपुर (EMC)**– भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ईएमसी 2.0 योजना के अन्तर्गत सिडकुल द्वारा आई०आई०ई० काशीपुर में 133 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफारमेशन सम्बन्धित क्षेत्रों में उत्तराखण्ड राज्य को एक विशिष्ट पहचान दिलाने के उद्देश्य से विकसित किये जा रहे इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर में वर्तमान में [illegible] के रूप में लगभग 175 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।
3. **प्लास्टिक पार्क, आई०आई०ई० सितारगंज फेज-2**– भारत सरकार के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अन्तर्गत देश में प्लास्टिक पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के अन्तर्गत सिडकुल आई०आई०ई० सितारगंज फेज-2 में लगभग 40 एकड़ भूमि में प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। इस प्लास्टिक पार्क के प्रमुख घटक [illegible] सेन्टर, प्लास्टिक [illegible] फैसिलिटी [illegible] टेस्टिंग एवं प्रशिक्षण केन्द्र आदि। वर्तमान में प्लास्टिक पार्क आई०आई०ई० सितारगंज फेज-2 में 40 भूखण्ड आवंटित कर दिए गए है।
4. **अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत क्लस्टर का चयन एवं विकास**– भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत सिडकुल द्वारा [illegible] जिला ऊधमसिंह नगर में 1002 एकड़ भूमि में एकीकृत विनिर्माण [illegible] इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर (Integrated Manufacturing Cluster) विकसित करने की योजना प्रस्तावित की गयी है। इस परियोजना से उत्तराखण्ड राज्य में निवेश को अधिक आकर्षित करने एवं सशक्त औद्योगिक परिदृश्य को आकार देगी।
5. **प्लॉटेड फैक्ट्री, हरिद्वार**– उत्तराखण्ड प्रदेश में उद्योगों को अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में रू0 [illegible] लाख की लागत से प्लॉटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। 67 एकड़ भूमि पर सिडकुल द्वारा प्लॉटेड फैक्ट्री का निर्माण कर रहा है। छोटे उद्योग [illegible] उत्पादन शुरू कर सकेंगे।
6. **वेयर हाउस, पंतनगर**– सिडकुल द्वारा पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में 8.38 एकड़ भूमि पर वेयरहाउस का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना उद्योगों द्वारा वेयर हाउस सम्बन्धित बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के दृष्टिगत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखण्ड

खादी का अर्थ है कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के धागों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुना गया कोई भी वस्त्र। ग्रामोद्योग का अर्थ है ऐसा कोई भी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थाई पूंजी निवेश (संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन में) प्रति कारीगर या कर्मी ग्रामीण क्षेत्र में 4.50 लाख व शहरी क्षेत्र में 3.00 लाख से अधिक न हो। इस हेतु परिभाषित (ग्रामीण क्षेत्र में) समस्त राजस्व ग्राम तथा 20 हजार तक की आबादी वाले कस्बे सम्मिलित हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग का गठन—

उत्तर प्रदेश राज्य में खादी ग्रामोद्योग सेक्टर के बहुमुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम सं० 10, 1960 के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप में हुआ था तदोपरान्त उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधित अधिनियम सं० 64, 1966 द्वारा उपरोक्त अधिनियम को संशोधित किया गया जिससे सलाहकार बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं को प्रदेश में क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल 1967 में उद्योग निदेशालय, उ०प्र० के समस्त खादी ग्रामोद्योगी योजनायें बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयीं। पृथक राज्य गठन के पश्चात् उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 3387/2002-133 उद्योग/2001 दिनांक 17 अगस्त 2002 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना निम्नवत की गयी है—

बोर्ड के सदस्यों का विवरण सरकारी/गैरसरकारी—

1. मा० मंत्री, लघु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग— अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव उद्योग— सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त— सदस्य

- क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)– 04
- उत्पादन केन्द्र–20
- बिक्री केन्द्र 10

विभागीय योजनाओं का विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम– (केन्द्रपोषित योजना)
उत्तराखण्ड ऊन योजना– (जिला योजना)
खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट– (राज्य सैक्टर)
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना– (राज्य सैक्टर)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	उत्तराखण्ड ऊन योजना (विभागीय)	योजना के तहत चार क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) चम्बा, श्रीनगर, अल्मोड़ा एवं जसपुर स्थापित है जिनके अधीनस्थ कताई / उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से कताई बुनाई का कार्य किया जाता है। • कताई बुनाई कार्य हेतु इच्छुक प्रशिक्षार्थियों का चयन करते हुये प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षार्थियों को विभागीय कताई / उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से तथा उनके घर पर विभाग द्वारा कताई बुनाई कार्य हेतु ऊन / एन०एम०सी छड़ें उपलब्ध कराये जाते हैं। कतकार–बुनकरों को खादी आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर कताई–बुनाई का भुगतान किया जाता है। जिससे उनको वर्षभर रोजगार उपलब्ध होता है। • कतकार–बुनकरों के हितार्थ राज्य में खादी एवं पोली वस्त्र आर्टिजन वैलफेयर एवं पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की गई है जिसमें कतकार–बुनकरों का पंजीकरण कराते हुये 12 प्रतिशत आर्टीजन अंशदान एवं 12 प्रतिशत विभागीय अंशदान जमा किया जाता है। वर्ष में आर्टीजनों को दिये गये कताई–बुनाई मजदूरी का 25 प्रतिशत बोनस के रूप में दिया जाता है।	आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये। राज्य का मूल / स्थाई निवासी होना चाहिये। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।	लाभार्थी का चयन सम्बन्धित क्षेत्र के जन प्रतिनिधि तथा जिले के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग ऊन के माध्यम से विभागीय उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। इच्छुक आवेदनकर्ता सम्बन्धित जिले के खादी ग्रामोद्योग कार्यालय तथा क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग ऊन कार्यालय चम्बा / श्रीनगर / अल्मोड़ा एवं जसपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।

4. प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास– सदस्य
5. राज्य निदेशक खादी और ग्रामोद्योग आयोग– सदस्य
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी ग्रामोद्योग– सदस्य
7. गैरसरकारी सदस्य (07) सदस्य

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य:–

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–छोटे तथा कम पूँजी निवेश के उद्योगों को स्थापित करवाकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

बोर्ड के कार्य–

बोर्ड के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित कार्य है–

- प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना, इसका संगठन, विकास एवं विनियमन करना तथा अपने द्वारा बनायी गयी योजनाओं को क्रियान्वित करना।
- खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योगों में लगे हुए अथवा इसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा इसका संगठन करना।
- कच्चे माल तथा उपकरण की व्यवस्था के लिए सुरक्षित भण्डार बनवाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितव्ययी दरों पर देना जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हो।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय विक्रय की व्यवस्था करना।
- खादी उत्पादन की विधियों में अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के विकास हेतु आर्थिक सम्भावनाओं का अनुसंधान करना या उसके अनुसंधान में सहायता करना।
- खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कार्य करना, उसके लिए सहायता देना और प्रोत्साहन प्रदान करना।
- खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिसके अन्तर्गत सहकारी समितियाँ भी है, से सम्पर्क करना।
- खादी निर्माताओं द्वारा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों में सहकारी प्रयास को बढ़ावा देना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना।
- किसी अन्य विषय का कार्यान्वयन, जो राज्य सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय।
- आवश्यकतानुसार बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों जैसे मार्केटिंग, ब्राण्डिंग, उत्पाद के पैकेजिंग, बैंक लिंकेज, खादी डिजाइनिंग या अन्य खादी एवं ग्रामोद्योग के विषयों से सम्बन्धित विशेषज्ञों/सलाहकारों की सेवायें प्राप्त करना।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीनस्थ कार्यालय/केन्द्रों की संख्या–

- मुख्यालय, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग –01
- प्रशिक्षण, बहुउद्देशीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल – 02
- जिला ग्रामोद्योग कार्यालय–13

2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (राज्य सरकार)	विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम के लिये परियोजना की अधिकतम लागत रु0 25 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिये अधिकतम लागत रु0 10 लाख बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। श्रेणी–ए के जनपदों हेतु 25 प्रतिशत (विनिर्माणक–अधिकतम 6.25 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 2.50 लाख), श्रेणी–बी व बी+ हेतु 20 प्रतिशत (विनिर्माणक–अधिकतम 5 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख), श्रेणी–सी व डी हेतु 15 प्रतिशत (विनिर्माणक–अधिकतम 3.75 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 1.50 लाख) सब्सिडी का प्राविधान है।	आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये, राज्य का स्थायी/मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही एप्पल आर्चिड, पशुपालन एवं एग्री बेस्ड पर भी वित्त पोषण की सुविधा अनुमन्य है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। आवेदक सम्बन्धित क्षेत्र के वित्त पोषक बैंक का खाता धारक होना चाहिए।	योजना में लाभान्वित होने हेतु ऑनलाईन पोर्टल https://msy.uk.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जाता है। ऑनलाईन माध्यम से ही पात्र आवेदन बैंकों को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत नई परियोजनायें एवं छोटे स्तर पर कार्य कर रहे उद्यमों को उच्चीकरण करने हेतु भी वित्तीय सहायता अनुमन्य की जा सकती है। **आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज–** आवेदक का फोटोग्राफ, आधार कार्ड, स्थाई/मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), प्रोजेक्ट डिटेल्स कॉपी, दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) एवं राशन कार्ड कॉपी। (समस्त स्वप्रमाणित दस्तावेज ऑनलाईन एक पोर्टल पर ही अपलोड किया जायेगा) योजनान्तर्गत स्थापित परियोजना 2 वर्ष के निरन्तर सफल संचालित करने के पश्चात् ही निर्धारित उपादान अनुमन्य होगा।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग, उत्तराखण्ड

संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन (संशोधित)	प्रदेश के विभिन्न अंचलों एवं प्रदेश के बाहर आयोजित पारम्परिक मेलों / महोत्सवों / पर्वो / उत्सवों तथा राष्ट्रीय पर्वो के अवसर पर संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध दलों / लोक गायकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने के उपरांत दलनायक को दैय मानदेय रू० 1000 / – एवं अन्य कलाकारों को रू० 800 / – मात्र, दलनायक का यात्रा भत्ता रू० 500 / – एवं अन्य कलाकारों का यात्रा भत्ता रू० 400 / – मात्र तथा ए–श्रेणी लोक गायकों को रू० 1500 / – एवं बी–श्रेणी को रू० 4050 / – तथा यात्रा भत्ता रू० 300 / – का भुगतान एवं यात्रा हेतु साधारण बस किराया एवं द्वितीय श्रेणी रेल किराया का भुगतान किया जाता है।	संस्कृति विभाग में सूचीबद्ध सांस्कृतिक दल / कलाकार	संस्कृति निदेशालय द्वारा सांस्कृतिक दलों / कलाकारों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु समय–समय पर आवेदन लिया जाता है। सांस्कृतिक दल के चयन हेतु संस्था का पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आवासीय दल के कलाकारों की सूची तथा विवरण एवं उत्तराखण्ड का मूल निवासी / स्थाई निवास प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होती है। वर्तमान में विभाग में कुल 287 सांस्कृतिक दल एवं 228 एकल कलाकार सूचीबद्ध हैं।
2.	उत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों / साहित्यकारों एवं लेखकों हेतु पेंशन योजना। (संशोधित)	विभाग द्वारा रू० 3000 / – प्रतिमाह मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।	ऐसे वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों, साहित्यकारों, लेखकों को दी जाती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य के विकास में समर्पित कर विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। आयु 60 वर्ष से कम न हो। उत्तराखण्ड राज्य का मूल / स्थाई निवासी हो।	पेंशन योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये अपणि सरकार उत्तराखण्ड पोर्टल के अन्तर्गत वेबसाईट https://eservices.uk.gov.in पर sign up के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अनुप्रमाण आवेदन पत्र के साथ मात्र आवेदक स्वयं एवं परिवार का सम्पूर्ण विवरण, आधार कार्ड, राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, बैंक खाता विवरण, तहसील द्वारा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आयु के लिये जन्म प्रमाण पत्र अथवा चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण–पत्र, सरकारी / अर्द्धसरकारी / गैर सरकारी / अन्य द्वारा प्रदत्त कलाकार / साहित्यकार / लेखक संबंधी प्रमाण–पत्र, कलाकार सिद्ध होने का प्रमाण–पत्र एवं जिला अधिकारी

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPT.

				की संस्तुति अनिवार्य है। उक्त दस्तावेज अपणी सरकार उत्तराखण्ड पोर्टल के अन्तर्गत वेबसाईट https://eservices.uk.gov.in पर sign up कर अपलोड किये जाने पर ही प्रक्रिया पूर्ण होगी। महानिदेशक / निदेशक द्वारा आवेदनों की जांचोपरान्त सचिव / प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। समिति प्रार्थना पत्र के दस्तावेजों की जांच करते हैं एवं सम्बन्धित कलाकार को साक्षात्कार हेतु बुलाते हैं। साक्षात्कार / जांच में सही पाये जाने पर पेंशन की संस्तुति की जाती है। इसके उपरान्त संस्कृति निदेशालय द्वारा पेंशन की धनराशि प्रतिमाह कलाकार को भुगतान की जाती है। मासिक पेंशन से लाभान्वित कलाकार / साहित्यकार की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित के रूप में उनके पति / उनकी पत्नी मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में संस्कृति निदेशालय द्वारा कुल 123 वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
3	लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता **(संशोधित)**	प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकारों, लेखकों एवं कवियों, जिनकी कृतियां धनाभाव के कारण प्रकाशित नहीं हो पाती है, उन्हें विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।	राज्य का स्थायी / मूल निवासी हो तथा धनाभाव के कारण कृतियाँ प्रकाशित नहीं हो रही हों।	पुस्तक प्रकाशन हेतु विभाग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। लाभार्थी विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त **अपणि सरकार पोर्टल** से ऑनलाईन आवेदन कर सकता है, जिस हेतु मुख्य दस्तावेज निम्नवत हैं– 1– पाण्डुलिपि 2– पुस्तक छपवाने का कोटेशन 3– आधार कार्ड 4– खाता संख्या 5– पेन कार्ड 6– स्थायी निवास प्रमाण पत्र विभाग में प्राप्त आवेदन / पाण्डुलिपियों के परीक्षण हेतु विभागीय समिति का गठन किया जाता है, समिति की संस्तुति के उपरान्त ही पुस्तक प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION ...

४	धार्मिक यात्राओं हेतु प्रदेश के स्थायी निवासियों को आर्थिक सहायता (संशोधित)	भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासियों चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों को उत्तराखण्ड राज्य सरकार की ओर से रू0 50.00 हजार की धनराशि यात्रा पूर्ण करने के उपरान्त प्रदान की जाती है।	राज्य के स्थायी निवासी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर ली हो तथा यात्रा कुमाऊं मण्डल विकास निगम के द्वारा की गई हो।	प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी जिन्होंने विदेश मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण की हो, कुमाऊं मण्डल विकास निगम की संस्तुति के उपरान्त **अपणि सरकार पोर्टल** से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। जिस हेतु मुख्य दस्तावेज निम्नवत हैं— 1—उत्तराखण्ड का स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र 2—विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदत्त यात्रा पूर्ण किये जाने का प्रमाण—पत्र एवं यात्रा से सम्बन्धित अन्य अभिलेख 3— बैंक पासबुक की छायाप्रति, जिसमें खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड अंकित हो 4— पैन कार्ड की छायाप्रति 5— आधार कार्ड की छायाप्रति इसके उपरान्त निदेशक कार्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाती है। जांच में सही पाये जाने के उपरान्त संबंधित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति धनराशि भुगतान की जाती है।
५	अनुसूचित जाति /जनजाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्ययंत्रों, वेश–भूषा क्रय करने हेतु सहायता (संशोधित)	अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति जिनकी आय स्रोत अपनी पारम्परिक कला के माध्यम से होता है तथा जिनके पास वाद्य यंत्र एवं वेश–भूषा नहीं है ऐसे व्यक्तियों एवं लोक कलाकारों को उनकी जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिये पारम्परिक वाद्य यंत्र (ढोल, दमाऊ, मसकबीन, रणसिंगा, तुरही, नगाड़ा, ढोलक, हारमोनियम आदि) एवं वेश–भूषा क्रय कर निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। किसी कलाकार को आजीवन केवल एक ही बार दिया जाता है।	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोक कलाकार, जिनकी मासिक आय रू0 2000/– से अधिक न हो। एक परिवार में एक से अधिक कलाकार को वाद्ययंत्र नहीं दिया जायेगा।	अ0जा0/जनजाति के पात्र व्यक्तियों को पारम्परिक वाद्य यंत्रों/वेशभूषा प्रदान किये जाने हेतु संस्कृति निदेशालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन के उपरान्त संबंधित व्यक्ति रू0 2000/– मासिक आय का तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, कलाकार/वाद्य यंत्र का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र, बैंक खाता संख्या/बैंक आई0एफ0एस0सी0 कोड, पैन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि आवेदक को अन्य योजनाओं से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, सहित अपना आवेदन संस्कृति निदेशालय में जमा करेगा। निदेशालय स्तर से सचिव संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पात्र आवेदकों का चयन किया जाता है तथा कुछ समय बाद लाभार्थी वाद्ययंत्र निदेशालय से प्राप्त कर सकते हैं।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड के कुमाँऊ मण्डल के अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसमें पिछड़ी पहाड़ी राजधानी के ऐतिहासिक एवं अन्य अपार सांस्कृतिक सम्पदा के संग्रह, अनुरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन एवं जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से 1979 ई० में उत्तराखण्ड की प्रसिद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में संग्रहालय की स्थापना की गयी। सितम्बर 1988 ई० में इस संग्रहालय को भारत रत्न पण्डित गोविन्द बल्लभ पंत नाम दिया गया था अब यह पण्डित गोविन्द बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह माल रोड, अल्मोड़ा के निकट मैन्टूल बाजार भवन में स्थित है। वर्तमान में संग्रहालय में 1500 ई०पू० से वर्तमान तक लगभग 1000 कलाकृतियां कालक्रम संग्रह के ऐतिहासिक संग्रहालय की चार वीथिकाओं में कुशलतापूर्ण एवं वैज्ञानिक विधि से प्रदर्शित की गई है जिससे पर्यटकों दर्शकों के दर्शनार्थ एवं शोधार्थियों को अपने सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही शैक्षणिक जन जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को संग्रहालय में आमंत्रित कर उनका ज्ञानवर्द्धन किया जाता है।

संग्रहालय परिसर में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। जिसमें लगभग 3000 पुस्तकों का संग्रह है। जिसमें मुख्य रूप से भारतीय इतिहास, पुरातत्व, कलाविद एवं उत्तराखण्ड के इतिहास से सम्बन्धित पुस्तकें हैं। इस पुस्तकालय से शोधार्थी तथा अध्ययनशील व्यक्ति लाभ उठाते रहे हैं। संग्रहालय परिसर में ही भारतीय पुरातत्व विभाग से हुई सेवानिवृत्त स्व० श्री जगदम्बा जोशी जी की स्मृति में एक कक्ष पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया गया है। जिसमें उनकी पत्नी द्वारा संग्रहालय को प्रदत्त पुस्तकों को रखा गया है।

वर्तमान में संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क है। पं० गोविन्द बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा सप्ताह में पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4:30 तक खुला रहता है। प्रत्येक माह में सोमवार एवं द्वितीय शनिवार के अलावे रविवार तथा राजकीय अवकाशों में संग्रहालय बन्द रहता है। अन्यथा प्रतिदिन को खुला रहेगा।

6.	भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय **(संशोधित)**	उत्तराखण्ड में वर्तमान में देहरादून, पौड़ी एवं अल्मोड़ा में भातखण्डे हिन्दुस्तानी महाविद्यालय स्थापित हैं, जिसमें गायन, वादक, नृत्य, सितार, तबला, लोक नृत्य, भरतनाट्यम आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है। मासिक शुल्क प्रवेशिका से मध्यमा तक 40 रू0 तथा विशारद प्रथम वर्ष का शुल्क रू0 50 तथा विशारद द्वितीय वर्ष का शुल्क रू0 60 प्रतिमाह की दर से लिया जाता है।	गायन, वादक, नृत्य, सितार, तबला, लोक नृत्य, भरतनाट्यम आदि सीखने वाले विद्यार्थी।	महाविद्यालय में प्रवेश हेतु जनवरी माह में फार्म वितरित किये जाते हैं। प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 11 वर्ष एवं अधिकतम आयु 21 वर्ष है। शिक्षण सत्र माह जनवरी से दिसम्बर तक होता है। माह दिसम्बर में वार्षिक परीक्षायें सम्पन्न की जाती हैं, उसके पश्चात प्रवेश दिया जाता है।
7.	प्रेक्षागृह रिस्पना पुल, निकट दूरदर्शन केन्द्र देहरादून।	संस्कृति विभाग के अन्तर्गत स्थानीय लोक कलाकारों/साहित्यकारों को अपनी विधा को प्रदर्शित करने हेतु प्रेक्षागृह रिस्पना पुल, देहरादून की स्थापना की गई है।	समस्त सांस्कृतिक संस्थायें/साहित्यकार।	प्रेक्षागृह रिस्पना पुल, देहरादून में कार्यक्रम प्रस्तुत करने का किराया प्रतिदिन रू0 15000/– निर्धारित किया गया है, जो कि संस्कृति निदेशालय कार्यालय में जमा करने के उपरान्त कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान में सभा पर लगभग 270 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। (जी0एस0टी0 लागू नहीं है।)
8.	हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ी कैंट देहरादून।	संस्कृति विभाग के अन्तर्गत हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ी कैंट, नीबूवाला, देहरादून में ऑडिटोरियम की स्थापना की गई है।	समस्त सांस्कृतिक संस्थायें/साहित्यकार एवं अन्य कोई भी संस्था	आवेदक द्वारा संस्कृति निदेशालय में अपना आवेदन प्रस्तुत करने पर हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र में Spaces उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जाता है। हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र में Spaces किराया निम्नवत निर्धारित किया गया है— 1—प्रेक्षागृह (auditorium) – प्रतिदिन किराया रू0 100000/—+ 18 प्रतिशत GST कुल रू0 118000/— 2—रंगशाला (ampitheatre) – 03 दिन हेतु रू0 10000/— + 18 प्रतिशत GST कुल रू0 11800/— 3—कलादीर्घा (Exhibition) – 03 दिन किराया रू0 10000/— + 18 प्रतिशत GST कुल रू0 11800/— 4—ऑडियोविजुअल हॉल (A V Hall) – प्रतिदिन किराया रू0 25000/—+ 18 प्रतिशत GST कुल रू0 29500/—

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड के कुमाऊं मण्डल के पिथौरागढ़ में राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई है। पिथौरागढ़ तथा इसके सीमावर्ती जनपदों की विभिन्न पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा लोक कला आदि से सम्बन्धित बहुमूल्य धरोहरों को संग्रहीत, संरक्षित, प्रदर्शित एवं उन पर शोध कार्य के उद्देश्य से जनपद मुख्यालय में संग्रहालय की स्थापना की गयी है। संग्रहालय भवन में एक पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है। इस भवन के भूतल में निर्मित संग्रहालय में क्रमशः चार वीथिकाओं का निर्माण किया गया है। प्रथम वीथिका में उत्तराखण्ड के पुरातात्विक महत्व के रेखाचित्रों तथा कलाकृतियों के छायाचित्रों को अत्यन्त सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित किया गया है। दूसरी वीथिका में राज्य के प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा पौराणिक, ऐतिहासिक एवं ... रागों(?) से कैनवास तथा कागज पर बनाये गये विभिन्न चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। जो समाज के विविध पक्षों को जानने के लिये अत्यन्त उपयोगी है। इस भवन के भूतल में निर्मित संग्रहालय में क्रमशः चार वीथिकाओं का निर्माण किया गया है। संग्रहालय की तीसरी वीथिका में स्थानीय काष्ठ से निर्मित सामग्री को प्रदर्शित किया गया है जिससे कि यहां आने वाले छात्र-छात्राओं व शोधार्थियों एवं पर्यटकों को इतिहास एवं पुरातात्विक महत्व की जानकारी प्रदान की जाती है। संग्रहालय में विद्यमान सिरौली(?) गांव से प्राप्त मृण्भाण्डों का पुरातात्विक महत्व इसलिये भी और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि जिस स्थान से यह सामग्री प्राप्त हुयी है उस पूरे क्षेत्र में सुदृढ़ ... संस्कृति के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। अन्य संग्रह में स्थानीय काष्ठ के बर्तन, ठेकी, पाली, दौंणी, कस्सी (कुम्भा), नाली, छोटी नाली (माणा), हड़पी(?), ... (छोटा घी का बर्तन), छोटी दौनी (पुआल) आदि संग्रहित हैं। जौलजीबी(?) मन्दिर से प्राप्त लगभग 10–11वीं शती ईसवी की गणेश की खण्डित प्रतिमा एवं स्थानक विष्णु की खण्डित प्रस्तर प्रतिमा, ... के खिलजी वंश के सिक्के जो सम्भवतः अलाउद्दीन खिलजी के प्रतीत हो सकते हैं और ब्रिटिशकाल(?) के सिक्कों के अतिरिक्त विभिन्न देशों के सिक्कों एवं कागजी मुद्राओं का महत्वपूर्ण संग्रह है। राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़ में समय–समय पर विभिन्न विद्यालयों से आने वाले छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से इतिहास एवं पुरातत्व से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही शैक्षणिक जनजागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों से अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को संग्रहालय में आमंत्रित कर उनका ज्ञानवर्द्धन किया जाता है।

संग्रहालय परिसर में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। जिसमें लगभग 378 पुस्तकों का संग्रह है। जिसमें मुख्य रूप से भारतीय इतिहास, पुरातत्व, स्थानीय एवं उत्तराखण्ड के इतिहास से सम्बन्धित पुस्तकें हैं। इस पुस्तकालय से शोधार्थी तथा अध्ययनशील व्यक्ति लाभ उठाते रहे हैं।

वर्तमान में संग्रहालय में प्रवेश निःशुल्क है। राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़ सप्ताह में पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 4.30 तक खुला रहता है। प्रत्येक माह में सोमवार एवं द्वितीय शनिवार के अगले रविवार तथा राजकीय अवकाश में संग्रहालय बन्द रहता है। अन्यथा रविवार को खुला रहता है।

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति उत्तराखण्ड सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है, जिसका गठन संयुक्त प्रान्त श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 के द्वारा किया गया है। मंदिर समिति मुख्य मंदिर श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ के अतिरिक्त अन्य 45 अधीनस्थ मंदिरों का प्रबन्धन, रखरखाव एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य करती है, जिनका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति एवं प्रशासनिक स्तर के वरिष्ठ सिविल सेवा के अधिकारी द्वारा किया जाता है। मंदिर समिति श्री धामों में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुगम पूजा/दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंदिर समिति द्वारा श्री धामों में आने वाले तीर्थयात्रियों के सुविधार्थ विभिन्न जनोपयोगी कार्यों का निष्पादन किया जाता है, जो कि निम्नवत है:-

यात्रियों के सुविधार्थ पूजा/दर्शन व्यवस्था, सूचनाओं का ऑनलाइन/मीडिया-सोशल मीडिया में प्रसारण- श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा तीर्थयात्रियों के सुविधार्थ मंदिरों के निःशुल्क दर्शन व्यवस्था, ऑनलाइन पूजा बुकिंग आदि की व्यवस्था करायी जाती है। श्री बदरीनाथ मन्दिर में प्रातः महाअभिषेक पूजा, वेद पाठ, गीता पाठ, सायंकालीन आरती में कपूर आरती, चांदी आरती, स्वर्ण आरती, अष्टोत्तरी, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, विष्णु सहस्त्रनामावली, व अन्त में शयन आरती के पश्चात भगवान के कपाट बन्द कर दिये जाते हैं। श्री बदरीनाथ मंदिर में तीर्थयात्रियों हेतु सामान्य दर्शन प्रात

प्रातःकालीन अभिषेक पूजा के उपरान्त 6.30 बजे से दोपहर भगवान को भोग लगने तक तथा सायं 5.00 बजे से रात्रि शयन आरती तक कराये जाते हैं। इसी प्रकार श्री केदारनाथ में तीर्थयात्रियों हेतु भगवान दर्शन प्रातः कालीन महाभिषेक पूजा के उपरान्त 6.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक तथा पुनः 4.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक कराये जाते हैं। श्री केदारनाथ मंदिर में प्रातःकालीन पूजाओं में रुद्र अभिषेक पूजा, [illegible], षोडशोपचार पूजा, [illegible] पूजायें आदि सम्पादित की जाती हैं। श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर में जिन तीर्थयात्रियों को उपरोक्त पूजायें सम्पादित करानी होती हैं, वे पूजा मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट https://badrinath-kedarnath.gov.in अथवा धाम में स्थापित समिति पूजा काउन्टरों से अपनी पूजा आरक्षित करा सकते हैं। इसके साथ ही दोनों मंदिर में प्रसाद भोग भी [illegible] जाता है, जिसके [illegible] वर्ष में 31 [illegible] प्रसाद का निर्माण [illegible] किया जाता है। मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर तीर्थयात्रियों के लिए सम्पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न [illegible] एवं [illegible] के माध्यम से तीर्थयात्रियों को विभिन्न यात्रा सम्बन्धित समाचार/सूचनाएं भी उपलब्ध करायी जाती हैं।

यात्रियों की सुविधार्थ विश्राम गृहों/धर्मशालाओं का संचालन– श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा [illegible] तीर्थयात्रियों की सुविधार्थ [illegible] पर आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। श्री बदरीनाथ तथा केदारनाथ यात्रा मार्गों पर ऋषिकेश, देवप्रयाग, [illegible], गुप्तकाशी, [illegible] सहित [illegible], जोशीमठ, पाण्डुकेश्वर एवं बदरीनाथ आदि स्थानों पर मंदिर समिति के विश्राम गृह स्थापित हैं। यात्रियों की सुविधार्थ मंदिर समिति द्वारा समय-समय पर विश्राम गृहों का सौन्दर्यीकरण एवं उच्चीकरण किया जाता है।

संस्कृत शिक्षा का संचालन कार्य–श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा [illegible] संस्कृत शिक्षा, [illegible] वेद, वेदांग शिक्षा के उन्नयन एवं भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु कार्य किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मंदिर समिति द्वारा संस्कृत महाविद्यालय जोशीमठ, [illegible], [illegible] (गुप्तकाशी), [illegible] सहित [illegible], [illegible] एवं [illegible] संस्कृत विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों/महाविद्यालयों में [illegible] छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही [illegible] संस्कृत महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं हेतु पुस्तकालय का संचालन भी किया जा रहा है। छात्र एवं संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु [illegible] जाती है तथा मंदिर समिति द्वारा समय-समय पर [illegible] के माध्यम से संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसके साथ ही मंदिर समिति की [illegible] (गुप्तकाशी) [illegible] आयुर्वेदिक [illegible] हेतु [illegible] 02 [illegible] हेतु मंदिर के [illegible] किया जाता है।

कन्यादान एवं निःशुल्क सामूहिक [illegible] की व्यवस्था–श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा सम्पूर्ण [illegible] में श्री बदरीनाथ मंदिर परिसर में तथा श्री केदारनाथ में तीर्थयात्रियों के सुविधार्थ निःशुल्क [illegible] का आयोजन किया जाता है। मंदिर समिति [illegible] की [illegible] विधि-विधान [illegible] तथा [illegible] सामग्री प्रदान की जाती है एवं उन्हें निःशुल्क [illegible] व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त [illegible] में [illegible] हेतु समिति द्वारा निःशुल्क [illegible] की व्यवस्था भी उपलब्ध करायी जाती है।

श्री केदारनाथ धाम एवं श्री बदरीनाथ धाम तथा यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को मूलभूत सुविधायें–मंदिर समिति द्वारा समय-समय पर श्री केदारनाथ धाम एवं श्री बदरीनाथ धाम तथा यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं। इसी क्रम में श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ धाम में दर्शन पंक्ति में धूप एवं बरसात से सुरक्षा हेतु [illegible] का निर्माण किया गया है।

समिति द्वारा [illegible] की योजना– श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा [illegible] स्थल श्री [illegible] एवं श्री [illegible] मन्दिर [illegible] को [illegible] सुविधा हेतु [illegible] के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

क्र0 सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली	राज्य में पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायी तथा सेवाओं का पर्यटन विभाग के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है।	नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाईयों का पंजीकरण किया जाता है। **आवासीय इकाईयां–** होटल / मोटल / रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, आश्रम आदि। **ट्रैवल ट्रेड सम्बन्धी इकाईयां–** ट्रैवल एजेन्ट, डोमेस्टिक टूअर ऑपरेटर, एक्सकर्शन एजेन्ट। **खान–पान सम्बन्धी इकाई–** रेस्टोरेन्ट / बियर बार, फास्ट फूड सेंटर / फूड प्लाजा / फूड कोर्ट इत्यादि। **मनोरंजन सम्बन्धी इकाई–** आमोद–प्रमोद / थीम / एम्यूजमेंट पार्क, गोल्फ कोर्स, रज्जु मार्ग आदि एवं प्रकाश प्रदर्शन एवं ध्वनि। **साहसिक पर्यटन सम्बन्धी इकाई–** एडवेंचर टूअर ऑपरेटर, क्याकिंग कैम्पिंग, वाटर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पर्वतारोहण, रॉक क्लाइम्बिंग, पैराग्लाइडिंग आदि। **अन्य इकाईयां –** हस्तशिल्प / स्मारिका शॉप, योग ध्यान केन्द्र / स्वास्थ्य कुटीर, पर्यटक सूचना केन्द्र, गाइड / एडवेंचर गाइड्स, लाइफ फोटोग्राफी आदि का पंजीकरण किया जाता है।	इकाई के पंजीकरण हेतु पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण ऑनलाइन uttarakhandtourism.gov.in>Trade>Travel Trade Registration में करना होता है, जिसके लिए आधार संख्या, आधार लिंक मोबाइल नम्बर अनिवार्य है तथा पंजीकरण के दौरान आवेदन पत्र पर फर्म/संस्था सम्बन्धी रजिस्ट्रेशन, आवेदक का पैन कार्ड, इकाई का पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, इकाई की फोटो, कैंसिल चैक (पुरानी इकाई की दशा में), इकाई की फोटो 10 रू0 का एफिडेविट, भू–स्वामित्व की प्रति, कर्मचारियों की सूची, होटल की टैरिफ दरें, पंजीकरण शुल्क रू0 1000/– फायर एन0ओ0सी0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एन0ओ0सी0, फूड लाइसेंस FSSAI संलग्न करना होगा। इसके उपरान्त सम्बन्धित जनपद में जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदक को उपलब्ध कराया जाता है। पंजीकरण के पश्चात् इकाई का संचालन किया जा सकता है।
2	निधि+ पोर्टल (पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की योजना)	देश एवं राज्य की पर्यटन एवं आतिथ्य सम्बन्धी सेवाओं का पंजीकरण निधि+ पोर्टल में किया जाता है। राज्य के पर्यटन एवं आतिथ्य सम्बन्धी	निधि+ पोर्टल के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाईयों का पंजीकरण किया जाता है– 1. **डेस्टिनेशन एवं अट्रैक्शन–** जनपद के सम्बन्धित पर्यटक स्थलों / आकर्षणों, पर्यटन ग्राम आदि का पंजीकरण। 2. **आवासीय इकाईयां–** अपार्टमेन्ट होटल, बेड एण्ड ब्रेकफास्ट, फार्म–स्टे, गेस्ट हाउस, हैरिटेज होम–स्टे, होटल, हाउस बोट, लीजेंसी हैरिटेज, लॉज एण्ड टूरिस्ट होम, मोटल, रिसॉर्ट, टेन्टेड	निधि+ पोर्टल में पंजीकरण हेतु स्टेकहोल्डर निधि+ पोर्टल पर Login कर पंजीकरण हेतु आवेदन करता है। आवेदन नोडल अधिकारी के पास जाता है जिसे नोडल अधिकारी द्वारा Officers login कर आवेदन को सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी सम्बन्धित इकाई के उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख की जांच कर सम्बन्धित आवेदन को Approve करता है। आवेदन Approve होने के बाद आवेदक document

		इकाईयों को अपनी सेवायें showcase करनेका अवसर मिलता है।	एकोमोडेशन, टाइमशेयर रिजॉर्ट। **3. कन्वेंशन सेंटर–** कन्वेंशन सेंटर विदाउट रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, कन्वेंशन सेंटर विद रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। **4. फूड बिजनेस ऑपरेटर–**स्टैण्डअलोन एयर केटरिंग यूनिट, स्टैण्डएलोन रेस्टोरेंट। **5. ऑनलाईन ट्रैवल एग्रीगेटर** **6. प्रोजेक्ट अप्रूवल–** अपार्टमेंट होटल (प्रोजेक्ट अप्रूवल) हैरिटेज (प्रोजेक्ट अप्रूवल), होटल (प्रोजेक्ट अप्रूवल), मोटल (प्रोजेक्ट अप्रूवल), रिजॉर्ट (प्रोजेक्ट अप्रूवल), स्टैण्डअलोन एयर केटरिंग यूनिट (प्रोजेक्ट अप्रूवल), टेन्टेड एकोमोडेशन (प्रोजेक्ट अप्रूवल), टाईमशेयर रिजॉर्ट (प्रोजेक्ट अप्रूवल)। **7. टूरिज्म सर्विस प्रोवाईडर–** टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, ट्रैवल एजेण्ट, टूर ऑपरेटर।	upload करता है, जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा सत्यापित कर Approve किया जाता है, जिसके पश्चात् पर्यटन एवं आतिथ्य सम्बन्धी इकाई का पंजीकरण Nidhi – पोर्टल में हो जाता है।
3	रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग गतिविधियों का संचालन।	राफ्टिंग कम्पनियों संचालित की अनुमति है। रिवर गाइडों को लाइसेंस निर्गत किये गये हैं, जिससे प्रदेश को राजस्व का लाभ होने के साथ–साथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों को आर्थिक लाभ मिलता है।	• आवेदक उत्तराखण्ड में कम से कम दस वर्ष का निवासी हो अथवा राज्य का मूल निवासी हो। • आवेदक को एडवेंचर स्पोर्ट्स की पर्याप्त व्यवहारिक / तकनीकी ज्ञान हो।	(1) रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग अनुज्ञा के इच्छुक आवेदक द्वारा गंगा नदी हेतु 01 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य एवं अन्य नदियों हेतु वर्ष पर्यन्त आवेदन किया जाते हैं। **1. फर्म संचालन हेतु :–** • प्रार्थना–पत्र। • निर्धारित आवेदन पत्र। • फर्म का इन्श्योरेन्स। • फर्म सोसाइटी अधिनियम के तहत् मान्य पंजीकरण। • उत्तराखण्ड यात्रा व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण–पत्र। • साहसिक गतिविधियों से सम्बन्धित तीन वर्ष का अनुभव। • फर्म में कार्यरत कर्मचारी–वृन्द का विवरण। • राफ्टों / क्याकों / सुरक्षा उपकरणों का विवरण। • नियमानुसार आवेदन शुल्क रु0 1000 /– **2. रिवर गाइड हेतु :–** • पूर्ण रूप से स्वस्थ हो।

				• आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। • न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 10 (हाईस्कूल) उत्तीर्ण होना आवश्यक है. • तैराकी में सक्षम हों। • प्रत्येक गाईड रैडक्रास अथवा सेंट जॉन्स एम्बुलेंस अथवा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्राथमिक चिकित्सा से सम्बन्धित वैध प्रमाण–पत्र (First Aid Certification) धारक हो। (1) विभाग द्वारा आवेदन–पत्रों की सम्यक जाँच के पश्चात् तकनीकी समिति के सम्मुख रखा जाता है। (2) तकनीकी समिति के निरीक्षण के पश्चात् सभी आवेदकों को अधिकतम 45 दिन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा कारणों सहित अनुज्ञा के संबंध में अवगत कराया जाता है।
4	पैराग्लाइडिंग गतिविधियों का संचालन।	पैराग्लाइडिंग कम्पनियों को संचालित करने की अनुमति है। टैन्डम पायलट लाइसेंस निर्गत किये गये हैं, जिससे कि उक्त लाइसेंस धारी द्वारा राज्य में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के माध्यम से जीविका उपार्जन कर सकता है।	-	(1) पैराग्लाइडिंग गतिविधियों में प्रतिभाग करने के इच्छुक आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई से 30 अगस्त के मध्य आवेदन किये जाते हैं। **1. फर्म संचालन हेतु :–** • निर्धारित आवेदन–पत्र। • फर्म सोसाइटी अधिनियम के तहत् मान्य पंजीकरण। • उत्तराखण्ड यात्रा व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण–पत्र। • फर्म का इंश्योरेन्स। • फर्म में कार्यरत कर्मचारी–वृन्द का विवरण । • टैन्डम जॉय राइडस पैकेज का किराया (टैरिफ कार्ड)। • पैराग्लाइडिंग उपकरणों का विवरण। • नियमानुसार आवेदन शुल्क रू0 1000/– **2. टैन्डम पायलट हेतु :–** • टैंडेम पायलट ने न्यूनतम 35 किमी0 की हवाई दूरी तय की हो. इस उड़ान का डिजिटल लॉग में टैंडेम पायलट का नाम होना अनिवार्य है।

				• आवेदक ने न्यूनतम 100 घंटों की हवाई उड़ान तय की हो। इस उड़ान का डिजिटल लॉग में आवेदक का नाम होना अनिवार्य है। • टैंडेम पाइलट को एयरो स्पोर्ट का उन्नत व्यवहारिक ज्ञान हो जिसका परीक्षण तकनीकी समिति द्वारा व्यवहारिक परीक्षण के माध्यम से किया जा सकेगा। • टैंडेम पाइलट चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हो तथा उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र हो तथा वार्षिक चिकित्सा परीक्षा के अधीन वैध प्राथमिक चिकित्सा तथा सीपीआर प्रमाणन हो। • ऑपरेटर के पास पैराग्लाइडिंग को कवर करने वाला वैध तृतीय पक्ष बीमा होना चाहिए। • टैंडेम पाइलट ने एसआईवी (उड़ान के दौरान अनुकरण) टैंडेम पैराग्लाइडिंग सुरक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। (2) विभाग द्वारा आवेदन–पत्रों की सम्यक जाँच के पश्चात तकनीकी समिति के सम्मुख रखा जाता है। (3) तकनीकी समिति की संस्तुति के पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अनुज्ञा जारी करेगा।
5	P1, P2, P3, P4, SIV, Guided Flying	टेण्डम पायलट के रूप में संचालित फर्मों में कार्य कर सकते हैं/ प्रशिक्षक/ प्रतियोगी	उत्तराखण्ड के युवा हों, आयु –18 से 30 वर्ष, शिक्षित हों तथा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ (215 लाभार्थी)	1.निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2.जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है।
6	life saving technique water sports operator	वॉटर स्पोर्ट्स लाइफ सेविंग के प्रशिक्षक	उत्तराखण्ड के युवा हों, 100 मी० की तैराकी 03 मिनट के अंतर्गत न्यूनतम आयु–18 वर्ष, शिक्षित हों तथा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ (35 लाभार्थी)	1. निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2. एन०आई०डब्ल्यु०एस० गोता प्रशिक्षकों द्वारा आवेदन अभिलेखों का परीक्षण प्रायोगिक के आधार पर किया जाता है।

				होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। 3 मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।
12.	Skiing Course	प्रशिक्षक / प्रतियोगी	उत्तराखण्ड के युवा हों, आयु–18 से 25 वर्ष प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर। (40 लाभार्थी)	1. निर्धारित प्रारूप के भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरान्त चयनित आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। 3. मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम

7	Basic Kayaking Course	क्याकिंग के प्रशिक्षक	उत्तराखण्ड के युवा हों, 100 मी0 की तैराकी 03 मिनट के अन्तर्गत, न्यूनतम आयु–18 वर्ष, शिक्षित हो तथा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से life saving technique water sports operator प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। (15 लाभार्थी)	1– निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2– एन०आई०डब्लू०एस० गोवा प्रशिक्षकों द्वारा प्राप्त आवेदकों का परीक्षण [illegible] के आधार पर किया जाता है।
8	Rafting Course & Internship	रिवर राफ्टिंग गाइड	उत्तराखण्ड के युवा हों, आयु –18 से 30 वर्ष शिक्षित हो तथा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ (215 लाभार्थी)	1.निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा पात्रतानियमानुसार स्वीकृत आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। 3. मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।
9	Special Basic Mountaineering Course	गाइड	उत्तराखण्ड के युवा हों, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से Low Altitude Guide Course अथवा DTDC के माध्यम से कराये जाने वाले Adventure foundation Course को वरीयता दी जाती है। (25 लाभार्थी)	1. निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा पात्रतानियमानुसार स्वीकृत आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। 3. मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।
10.	High Altitude Guide Course	गाइड	उत्तराखण्ड के युवा हों, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से Low Altitude Guide Course किया हो। (41 लाभार्थी)	1.निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है। 2. जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा पात्रतानियमानुसार स्वीकृत आवेदकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है। 3.मुख्यालय में गठित समिति द्वारा प्रतिभागियों का चयन किया जाता है।
11.	Low Altitude Guide Course	गाइड	उत्तराखण्ड के युवा हों, प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर। (70 लाभार्थी)	1. निर्धारित प्रारूप को भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना

गढ़वाल मण्डल विकास निगम

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड सरकार का एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जिसकी स्थापना दिनांक 31 मार्च 1976 को हुई थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी 40.00 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर 406.45 करोड़ है। गढ़वाल मण्डल विकास निगम में 1200 से अधिक कर्मचारियों का समर्पित कार्यबल है। निगम द्वारा गढ़वाल क्षेत्र के अन्तर्गत 90 पर्यटक आवास गृह, 34 बुकिंग गैस एजेन्सी, 04 पेट्रोल पम्प तथा 01 फैक्ट्री का संचालन, विभिन्न सम्पदा एवं निर्माण कार्यों हेतु अभियन्त्रण अनुभाग, रोपवे, चेयर लिफ्ट एवं स्की लिफ्ट के संचालन हेतु परियोजना अनुभाग एवं खनन गतिविधियों के संचालन हेतु खनन अनुभाग कार्यरत है।

निगम द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में गतिविधियां की जा रही है।

- **पर्यटन**– गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न पर्यटक आवास गृहों, चारधाम यात्रा पैकेज टूअर, साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत ट्रैकिंग एवं माउन्टेनियरिंग, रीवर राफ्टिंग, स्की स्कीइंग एवं पाइल्ड साइड सफारी आदि का संचालन किया जा रहा है। निगम द्वारा चारधाम मार्गों एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग में संचालित पर्यटक आवास गृहों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग**– होटल द्रोण, पर्यटक आवास गृह मसूरी, बड़कोट, स्यानाचट्टी, जानकीचट्टी, फूलचट्टी, हनुमानचट्टी एवं जानकीचट्टी।
2. **गंगोत्री धाम यात्रा मार्ग**– पर्यटक आवास गृह नरेन्द्रनगर (कोटेश्वर), चम्बा, (कुनेलोगी), टिहरी लेक रिसोर्ट (कोटीकालोनी), चम्बा, नई टिहरी, उत्तरकाशी, भटवाड़ी, हर्षिल, भैरोघाटी एवं गंगोत्री।
3. **श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग**– पर्यटक आवास गृह कौड़ियाला, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, रामपुर, सोनप्रयाग, गौरीकुण्ड, चोपता, त्रियुगीनारायण तथा श्री केदारनाथ धाम स्थित बेस कैम्प, स्वर्गारोहिणी कॉटेज एवं हिमलोक टेन्ट कॉलोनी।
4. **श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग**– पर्यटक आवास गृह गौचर, कर्णप्रयाग, नन्दप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, पीपलकोटी, जोशीमठ (नया), जोशीमठ (पुराना), पाण्डुकेश्वर एवं होटल देवलोक बद्रीनाथ तथा यात्री निवास बद्रीनाथ।

निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों का आरक्षण निगम की अधिकृत वेबसाइट www.gmvnonline.com एवं ओ०टी०ए० (Make My Trip, Goibibo, Google Hotels Ads) के माध्यम से किया जा सकता है तथा आरक्षण कार्यालय ऋषिकेश के मो०नं०– 9568006800, 9568006819, 9568006823 एवं 0135–2430799 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही है–

1. **रीवर राफ्टिंग**– निगम द्वारा रीवर राफ्टिंग हेतु निम्नलिखित कोर्स चलाये जा रहे हैं। 03 Days Non Certificate, 05 Days Certificate Course and 04 Days Rafting Expeditions, Day rafting one stretch (10-12 KM).

उपरोक्त कोर्स प्रतिवर्ष माह अक्टूबर से जून तथा माह सितम्बर से मार्च तक संचालित किये जाते हैं। जिसकी बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु मो० नं० 9568006839, 9536008158 तथा ई–मेल gmvnraftingcenter94@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

- **स्की स्कीइंग**– औली में विभिन्न स्की स्कीइंग कोर्स संचालित किये जाते हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है–

01 Day Non Certificate Course, 03 Days Non Certificate Course, 07 Days Non Certificate Course and 14 Days Non Certificate Course.

उपरोक्त कोर्स प्रतिवर्ष माह जनवरी से माह मार्च तक संचालित किये जाते हैं जिसकी बुकिंग एवं अन्य जानकारी निगम के यात्रा कार्यालय ऋषिकेश के मो०नं०– 9568006800, 9568006819, 9568006823 से प्राप्त की जा सकती है।

• **ट्रैकिंग एवं माउण्टेनियरिंग–** निगम द्वारा गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न ट्रैकिंग रूट जैसे डोडीताल, दयारा, रूपकुण्ड, कुआरीपास, काली गंगोत्री, बद्रीनाथ सतोपंथ, कालिन्दी पास, हर की दून, फूलों की घाटी आदि ट्रैकिंग स्थलों हेतु ट्रैकिंग टूर का संचालन किया जा रहा है। जिसकी बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु मो०न०– 9568006646 तथा ई–मेल gmvnmountdiv@gmail.com एवं GMVN वेबसाइट www.gmvnonline.com के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

• **पैकेज टूअर–** गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा 07 महानगरों में संचालित जनसम्पर्क कार्यालयों के माध्यम से उत्तराखण्ड यात्रा हेतु निगम के विभिन्न पर्यटक आवास गृहों एवं निगम द्वारा पैकेज टूअर एवं अन्य गतिविधियों की बुकिंग की जा सकती है। निगम द्वारा संचालित जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार है–

1. जन सम्पर्क अधिकारी मुम्बई मो०न०– 09653246499, फोन न०– 022–20877009 एवं 022–20877007
2. जन सम्पर्क अधिकारी बेंगलुरू मो०न०– 09968180515 एवं फोन न०– 080–22249378
3. जन सम्पर्क अधिकारी नई दिल्ली मो०न०– 09312653160 एवं फोन न०– 011–23327713
4. जन सम्पर्क अधिकारी चैन्नई मो०न०– 09444109396 एवं फोन न०–044–25333624
5. जन सम्पर्क अधिकारी कोलकाता मो०न०– 9831110999 एवं फोन न०– 033–24786665
6. जन सम्पर्क अधिकारी पुणे मो०न०– 09818864014 एवं फोन न०– 020–25536238
7. जन सम्पर्क अधिकारी हैदराबाद मो०न०– 09493982646 एवं फोन न०– 040–23409948, 23400259

• **विपणन–** गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में चार पैट्रोल पम्प, तथा एल०पी०जी० जिसमें 35 गैस एजेन्सियों का संचालन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उपरोक्त गैस एजेन्सी में गैस बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है तथा किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत के निराकरण हेतु को–ऑर्डिनेटर विपणन अनुभाग से मो०न०– 8057912538 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

• **अभियन्त्रण अनुभाग–** गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों, पैट्रोल पम्प एवं गैस गोदामों की मरम्मत/नवनिर्माण तथा विभिन्न राजकीय विभागों के निर्माण कार्यों हेतु निगम में अभियन्त्रण अनुभाग कार्यरत है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन को बढ़ाने हेतु सीमान्त गाँवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु शासन द्वारा निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। जिसके अन्तर्गत वर्तमान में निगम द्वारा जनपद चमोली में नीती घाटी तथा जनपद उत्तरकाशी में नेलांग, जादुंग घाटी में विभिन्न निर्माण/विकास कार्य कराये जा रहे है।

• **परियोजना अनुभाग–** निगम द्वारा जनपद चमोली स्थित औली में शीतकालीन क्रीड़ाओं का संचालन किया जाता है जिसके लिये निगम द्वारा परियोजना अनुभाग के माध्यम से चेयर लिफ्ट, स्की लिफ्ट तथा आर्टीफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम का संचालन किया जा रहा है।

• **कैन्टीन अनुभाग–** निगम द्वारा गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, ऋषिकेश एवं देहरादून में कैन्टीन गतिविधियां संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 20 कैन्टीन स्टोर संचालित है।

• **उद्योग अनुभाग–** निगम द्वारा मुनिकीरेती, ऋषिकेश में एक वुड फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर इस फैक्ट्री से फर्नीचर का निर्माण तथा विभिन्न प्रकार की प्लाण्ट की रिटेल बिक्री की जाती है।

PRO

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड सरकार का एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जिसकी स्थापना दिनांक 21 अगस्त 1976 को हुई थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी रू0 14.00 करोड़ तथा वार्षिक टर्नओवर रू0 1182.00 लाख है। कुमाऊँ मण्डल विकास निगम में 750 से अधिक कर्मचारियों का समर्पित कार्यबल है। निगम द्वारा कुमाऊँ क्षेत्र के अन्तर्गत 54 पर्यटक आवास गृह, 49 बुकिंग गैस एजेन्सी, 03 पैट्रोल पम्प का संचालन, विभिन्न सम्पदा एवं निर्माण कार्यों हेतु अभियन्त्रण अनुभाग, रोपवे एवं स्की लिफ्ट के संचालन हेतु परियोजना अनुभाग एवं खनन गतिविधियों के संचालन हेतु खनन अनुभाग कार्यरत है।
निगम द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में गतिविधियां की जा रही हैं।

पर्यटन– कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न पर्यटक आवास गृहों, आदि कैलाश यात्रा, पैकेज टूअर, साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत पिण्डारी टूअर, माउन्टेनियरिंग, रीवर राफ्टिंग, स्कीइंग आदि का संचालन किया जाता है। निगम द्वारा आदि कैलाश मार्ग एवं पिण्डारी टूअर मार्ग में संचालित पर्यटक आवास गृहों का विवरण निम्नानुसार है –
1– **आदि कैलाश यात्रा मार्ग** – पर्यटक आवास गृह भीमताल, अल्मोड़ा, जागेश्वर, पिथौरागढ़, धारचूला, बूंदी, गुंजी, ज्योलिंगकांग, नाभीढांग, डीडीहाट, चौकोड़ी, पाताल भुवनेश्वर।
2– **पिण्डारी टूअर मार्ग** – भीमताल, बागेश्वर, लोहारखेत, द्वाली, खाती, फुरकिया।
3– **कफनी ग्लेशियर मार्ग** – भीमताल, बागेश्वर, लोहारखेत, धाकुड़ी, खाती, कफनी।
4– **सुन्दरढुंगा ग्लेशियर मार्ग** – काठगोदाम, बागेश्वर, लोहारखेत, द्वाली, खाती, जातोली, सुन्दरढुंगा।

निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों का आरक्षण निगम की अधिकृत वेबसाइट www.kmvn.in एवं केन्द्रीय आरक्षण केन्द्र, नैनीताल 9660002520 के माध्यम से किया जा सकता है तथा शाखा कार्यालय नई दिल्ली 09811688212, धारचूला – 7579231660, 9639910114 एवं केन्द्रीय आरक्षण केन्द्र, नैनीताल 9660002520 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

1– रीवर राफ्टिंग – निगम द्वारा रीवर राफ्टिंग हेतु निम्नलिखित कोर्स चलाये जा रहे है –
03 Days Non Certificate, 05 Days Certificate Course
उपरोक्त कोर्स प्रतिवर्ष मई से जून तथा माह अक्टूबर से नवम्बर तक संचालित किये जाते है। जिसकी बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु मोबाईल नम्बर – 9660002538 एवं 9412908330 तथा ई–मेल kmvn@yahoo.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

पैकेज टूअर – कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा 07 महानगरों में संचालित जनसम्पर्क कार्यालयों के माध्यम से आदि कैलाश एवं पिण्डारी टूअर हेतु निगम के विभिन्न पर्यटक आवास गृहों एवं निगम द्वारा पैकेज टूअर एवं अन्य गतिविधियों की बुकिंग की जा सकती है। निगम द्वारा संचालित जनसम्पर्क अधिकारी कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है –

1– जनसम्पर्क अधिकारी, मुंबई	मो0न0– 09930893304	फोन न0 – 022–23536832
2– जनसम्पर्क अधिकारी, कोलकाता	मो0 न0– 9339878996	फोन न0 – 033–24888238
3– जनसम्पर्क अधिकारी, देहरादून	मो0 न0–9412040767, 7500482691	फोन0 न0– 0135–2719720

4– जनसम्पर्क अधिकारी, पुणे मो0 नं0– 09869151829 फोन नं0 – 020–25535209
5– जनसम्पर्क अधिकारी, अहमदाबाद मो0 नं0– 9426181624 फोन नं0– 079–26421214
6– जनसम्पर्क अधिकारी, दिल्ली मो0नं0– 09811556212, 9891138481 फोन नं0– 011–23327713

विपणन –कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा कुमाऊँ क्षेत्र में 05 पेट्रोल पम्प तथा एल0पी0जी0 वितरण 49 गैस एजेन्सियों का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । उपरोक्त गैस एजेन्सी में गैस बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है तथा किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत के निराकरण हेतु को–आर्डिनेटर विपणन अनुभाग से मोबाइल नं0 8650002586 पर सम्पर्क कर सकते हैं । निगम के अन्तर्गत शापिंग काम्पलेक्स, हल्द्वानी में 74 दुकानें हैं जिसमें से 72 दुकानों का संचालन किया जा रहा है, 02 दुकानें खाली हैं । इन दुकानों में स्टेट बैंक इण्डिया, युनियन बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी शाखा खोली गयी है ।

अभियन्त्रण अनुभाग –कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों, पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदामों की मरम्मत/नवनिर्माण तथा विभिन्न राजकीय विभागों के निर्माण कार्यों हेतु निगम में अभियन्त्रण अनुभाग कार्यरत है । वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के पलायन को रोकने हेतु सीमान्त गावों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु शासन द्वारा निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है । जिसके अन्तर्गत जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, ऊधमसिंहनगर व अल्मोड़ा में राज्य सैक्टर, मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य कराये जा रहे हैं ।

खनन अनुभाग–निगम द्वारा कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, चम्पावत में खनन गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं । जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 07 खनन लॉट संचालित हैं ।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01	चार वर्षीय डिग्री कोर्स (AICTE के मानकों के अनुसार)	चार वर्षीय डिग्री कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को देश विदेश में रोजगार / स्वरोजगार का अवसर प्राप्त होता है।	इन्टरमीडिएट 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण जिसमें अंग्रेजी विषय आवश्यक है।	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा वेबसाईट www.uktech.ac.in पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन के उपरान्त मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज– हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र, एवं आय प्रमाण पत्र।

जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान, अल्मोड़ा

क्र0सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में स्नातक (चार वर्षीय डिग्री) (AICTE के मानकों के अनुसार)	होटल और सहयोगी विभागों में रोजगार, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों हेतु कुल सीट का 5 प्रतिशत रखा जाता है अनारक्षित वर्गों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कुल सीट का 10 प्रतिशत आरक्षण रखा जाता है। मात्र 13 हजार से 14 हजार के वार्षिक खर्च पर यह डिग्री कोर्स कराया जाता है।	इंटरमीडिएट (किसी भी विषय से उत्तीर्ण)	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा वेबसाइट www.uktech.ac.in पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन मांगे जाते हैं। आवेदन को प्रवेश परीक्षा मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा। आवेदन हेतु निम्न दस्तावेज– हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र, एवं आय प्रमाण पत्र।

ऊर्जा विभाग (उरेडा), उत्तराखण्ड

		की जाती है। जिसका सीधा प्रभाव विद्युत उपभोक्ताओं के साथ-साथ राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। सोलर वाटर हीटर की स्थापना से न केवल विद्युत उपभोक्ताओं की सिर्फ विद्युत पर निर्भरता कम होगी, इसके साथ ही राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना भारत सरकार के वैश्विक स्तर पर एस.डी.जी.-7 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु की गयी प्रतिबद्धता में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होगा। 2. प्रदेश में हरित ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। 3. सोलर वाटर हीटर स्थापना में वृद्धि होने से अधिकतम मांग के समय विद्युत की बचत होगी एवं प्रति वर्ष कार्बन-डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। 100ली0 प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयत्र स्थापना पर 1.5 टन कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी तथा कार्बन उत्सर्जन कम होने पर पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे। 4. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः गर्म पानी की आवश्यकता होती है एवं इस हेतु लकड़ियों को जलाकर पानी गर्म किया जाता है जिससे प्रकृति को नुकसान होता है। सोलर वाटर हीटर संयत्रों के उपयोग से घरों में पारम्परिक साधन (लकड़ी, विद्युत आदि) से प्रकृति को हो रहे नुकसान में कमी आयेगी।	विद्युत उपभोक्ता होगा तथा सम्बन्धित भवन का स्वामित्व होगा। वही आवेदन हेतु पात्र होंगे।	स्थापना स्थल की सूचना, आधार कार्ड की प्रति, विद्युत बिल की प्रति, आवेदित भवन के बिल की प्रति, निर्धारित स्व-घोषणा पत्र, अनुदान प्राप्त करने हेतु खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति तथा निदेशक उरेडा के पक्ष में निर्धारित आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट की प्रति/ऑनलाइन आवेदन शुल्क स्थानान्तरित किये जाने की रसीद पोर्टल पर अपलोड कर पंजीकरण करायेंगे। आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदनकर्ता की श्रेणी सामान्य/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का भी चयन करें। पंजीकरण के समय आवेदित संयत्र की क्षमता का अंकन किया जाना होगा। 3. पोर्टल पर विद्युत बिल के आधार पर घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ता का विकल्प भी चुनना होगा। प्रति 100 ली0 प्रतिदिन क्षमता हेतु रू0 100/- आधार पर क्षमता अनुसार आवेदन शुल्क ऑनलाइन पोर्टल में किया जाना होगा। निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। 4. पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर इम्पैनल्ड उपलब्धता सीमा के अन्तर्गत उरेडा द्वारा आवंटन करने के उपरान्त स्थापना सत्यापित किये जाने पर अनुदान अवमुक्त किया जायेगा। संयत्र स्थापना होने पर पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन करने के उपरान्त उरेडा द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा। 5. आवेदन शुल्क उरेडा के खाते में प्राप्त होने पर तथा निर्धारित प्रपत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी द्वारा निरीक्षण करते हुए संयत्र की स्थापना संतोषजनक होने पर अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु उरेडा मुख्यालय को संस्तुति (संयुक्त निरीक्षण आख्या upload करते हुए) की जायेगी। स्थल पर कमी पाये जाने पर आवेदक से अपेक्षित कार्यवाही का उत्तर अपलोड कराते हुए आवेदन

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया
1	पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना	घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में 01 किलोवाट से 03 किलोवाट तक की क्षमता वाले संयंत्रों हेतु रू0 17000.00 प्रति किलोवाट की दर से एवं 03 किलोवाट से अधिक क्षमता के संयंत्रों हेतु रू0 51000.00 नियत राज्य अनुदान के रूप में अनुमन्य किया गया है। स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से उत्पादित विद्युत को यू०पी०सी०एल० द्वारा नेट मीटरिंग के आधार पर उपभोक्ता के विद्युत बिल में समायोजित किया जायेगा तथा शेष विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित कर उसका भुगतान प्राप्त कर उपभोक्ता अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। योजनान्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को भारत सरकार द्वारा अधिकतम धनराशि रू0 78,000.00 का अनुदान प्रदान किया जा रहा है तथा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/रेजिडेन्शियल वेलफेयर एसोसिएशन हेतु 500/KW क्षमता तक रू0 18,000/KW का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।	उक्त योजना हेतु सम्पूर्ण राज्य के विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं जिनके द्वारा एम०एन०आर०ई० भारत सरकार द्वारा संचालित "पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना" के अन्तर्गत एम०एन०आर०ई० भारत सरकार के नेशनल पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन किया गया हो एवं जिनके द्वारा संयंत्र स्थापना दिनांक 13 फरवरी 2024 के उपरान्त की गयी हो तथा संयंत्र की स्थापना उपरान्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता निर्गत की जा चुकी हो, पात्र होंगे।	एम०एन०आर०ई० भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट योजना के अन्तर्गत यू०पी०सी०एल० के घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा योजना के अन्तर्गत संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं। इस योजना हेतु एम०एन०आर०ई० भारत सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल पर https://pmsuryaghar.gov.in पर online आवेदन किये जा सकते हैं। एम०एन०आर०ई० भारत सरकार द्वारा जिन उपभोक्ताओं को अनुदान का भुगतान प्राप्त कर लिया गया हो, उनके द्वारा जिला उरेडा कार्यालय में उक्त स्वीकृति सम्बंधी दस्तावेजों सहित आधार कार्ड/बैंक खाते के प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा किये जायेंगे। जनपदीय अधिकारी उरेडा उत्तराखण्ड द्वारा सत्यापन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान प्रदान किया जायेगा।
2	सोलर वाटर हीटर योजना	1.सोलर वाटर हीटर योजना के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु पीक आवर्स में डिस्कॉम द्वारा महंगी दरों पर विद्युत क्रय कर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति	इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के निवासी जिनके पास यू०पी०सी०एल० का	1.योजनान्तर्गत आवेदन एवं चयन हेतु Online portal www.uredaonline.uk.gov.in विकसित किया गया है। 2.आवेदनकर्ता Online portal पर अपने मोबाइल नम्बर

				को स्थल निरीक्षण अनुरोध वापस करना होगा। स्वीकृत आवेदक द्वारा कमियां पूर्ण करवाते हुए पोर्टल पर पुनः निरीक्षण का अनुरोध करना होगा। उरेडा द्वारा निरीक्षण के समय उचित पाये जाने पर ही सम्बन्धित स्थापनाकर्ता फर्म को अन्तिम भुगतान किया जाना आवेदक/लाभार्थी के हित में होगा। 6.संयत्र के सापेक्ष अनुदान अवमुक्त किये जाने की संस्तुति सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी उरेडा से प्राप्त होने पर उरेडा मुख्यालय द्वारा अनुदान सम्बन्धित के खाते में online transfer किया जायेगा. संयत्र स्थापनाकर्ता फर्म को लाभार्थी/स्वीकृत आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा, जिसमें उरेडा की कोई भूमिका नहीं होगी तथा दोनो के मध्य भुगतान सम्बन्धित विवाद में उरेडा कोई पक्षकार नहीं होगा। 7.योजनान्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्ध न होने/उपलब्ध बजट से अधिक आवेदन होने पर अतिरिक्त आवेदन के सापेक्ष अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्राप्त न होने पर अथवा अन्य किसी कारण से आवेदक को राज्य अनुदान निर्गत किया जाना सम्भव न होने पर ऐसी दशा में आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क आवेदक को वापस कर दिया जायेगा।

PROGRAMME IN

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ०वि०नि०आ०) के कार्य एवं दायित्व

कार्यवृत्त	कार्य एवं दायित्वों का विवरण
शुल्क अवधारण	निम्नलिखित हेतु शुल्क (टैरिफ) का अवधारण– a) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उत्पादन कम्पनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति। b) विद्युत का पारेषण। c) विद्युत का वहन। d) विद्युत का खुदरा विक्रय।
	वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्युत क्रय और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसमें वह मूल्य भी सम्मिलित है जिस पर राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति हेतु करारों के द्वारा या किसी करार द्वारा उत्पादन कम्पनियों या अनुज्ञप्तिधारियों या अन्य स्रोतों से विद्युत की अधिप्राप्ति की जायेगी।
अनुज्ञापन (लाईसेंस प्रदान करना)	अनुज्ञप्तियाँ जारी करना :– a) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत के पारेषण हेतु। b) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत के वितरण हेतु। c) विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत के व्यापार हेतु।
न्याय निर्णयन	अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कम्पनियों के मध्य विवाद का न्याय निर्णय।
विनियमों की संरचना एवं प्रवर्तन	a) विद्युत का राज्य के भीतर पारेषण और वहन सुगम बनाना। b) विद्युत के नवीकरणीय स्रोतों से सह–उत्पादन और उत्पादन को प्रोत्साहित करना। c) विद्युत के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के क्रय को विनिर्दिष्ट करना। d) इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु शुल्क का एवं का उद्ग्रहण करना। e) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के सम्बन्ध में मानक और मानक विनिर्दिष्ट करना।
सलाहकारी कार्य	निम्नलिखित मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना– a) विद्युत उद्योग के क्रियाकलापों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता को बढ़ावा देना। b) विद्युत उद्योग में विनिधान को बढ़ावा देना। c) राज्य में विद्युत उद्योग का पुनर्विन्यास एवं पुनर्गठन। d) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार से सम्बन्धित मामले या सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य मामले।

उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु आयोग ने विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित सुविधाओं में सुधार लाने पर बल देने का निर्णय लिया है :–

- गुणवत्ता (उचित वोल्टेज) और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति।
- 100% उपभोक्ता की इलेक्ट्रोनिक मीटर द्वारा मीटरिंग।
- सही मीटरों के माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति।
- नियमित मीटर रीडिंग और बिल वितरण।
- स्पॉट बिलिंग।
- अस्थायी बिलिंग वाले मामलों जैसे मीटर तक पहुँच नहीं (NA)/मीटर पढ़ा नहीं गया (NR)/त्रुटि पूर्ण मीटर (IDF) इत्यादि को क्रमवार समाप्त/न्यूनतम करना।
- पर्याप्त प्रचार अभियानों के माध्यम से उपभोक्ताओं में विद्युत से सम्बन्धित नियमों/विनियमों की जागरूकता फैलाना एवं सशक्तिकरण।
- उपभोक्ताओं को बिल प्राप्ति की तिथि से 10 दिवस के भीतर डिजिटल माध्यम से भुगतान किये जाने पर बिल धनराशि में 1.25 प्रतिशत छूट की सुविधा तथा नकद/चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किये जाने पर 0.75 प्रतिशत छूट प्रदानित।
- पूरे राज्य में प्रभावी बिल संग्रहण प्रणाली हेतु शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित सुविधाएँ सुदृढ़/विकसित करना।

शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
UPCL के बिल संग्रहण केन्द्रों से	सब–स्टेशन पर संग्रहण केन्द्र
चैक ड्रॉप बॉक्स (चैक संग्रहण बॉक्स) से	सामान्य सेवा केन्द्र योजना (CSC) के माध्यम से
बैंकों के माध्यम से	बिल संग्रहण शिविरों के माध्यम से
ऑनलाईन/इन्टरनेट के माध्यम से	ऑनलाईन/इन्टरनेट के माध्यम से

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

(2)	नए एचटी/ईएचटी संयोजन जारी करना	नए एचटी/ईएचटी संयोजन के लिए 1) जहां आवेदन किये गये परिक्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु नए सबस्टेशन/बे की आवश्यकता न हो। • **60 दिन के भीतर** – 11 केवी कार्य लाईन सहित जिसमें स्वतंत्र फीडर से संलग्न न होने वाली लाईनें सम्मिलित हैं। • **90 दिन के भीतर** – 11 केवी कार्य लाईन सहित जिसमें स्वतंत्र फीडर हो। • **180 दिन के भीतर** – 33 केवी कार्य लाईन सहित। • **300 दिन के भीतर** – 132 केवी एवं इससे अधिक वोल्टेज के कार्य लाईन सहित। 2) जहां आवेदन किये गये परिक्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु नए सबस्टेशन/बे की आवश्यकता हो वहां नए एचटी/ईएचटी संयोजनों के लिए अतिरिक्त समय सीमा होगी: • **180 दिन के भीतर** – नया 33/11 केवी सबस्टेशन। • **120 दिन के भीतर** – विद्यमान 33/11 केवी सबस्टेशन का विस्तार। • **45 दिन के भीतर** – 33/11 केवी सबस्टेशन पर बे का विस्तार। • **540 दिन के भीतर** – 132 केवी और उससे अधिक के सबस्टेशन। • **90 दिन के भीतर** – 132 केवी और उससे अधिक के सबस्टेशन पर बे का विस्तार।	व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम रू० 500/– (क्षतिपूर्ति की कुल राशि आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि तक सीमित होगी)	लागू नहीं
(3)	भार में वृद्धि/कमी	जहां लाईन्स/सबस्टेशन कार्य में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है **15 दिन के भीतर** – एलटी संयोजनों के लिए। **30 दिन के भीतर** – एचटी/ईएचटी संयोजनों के लिए।	अधिकतम रू० 5000/– की सीमा के अधीन व्यतिक्रम (डिफाल्ट) के प्रत्येक दिवस हेतु रू० 50/–	लागू नहीं

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उप–स्टेशन के लिए तालिका 3.6 के अनुसार प्रति 10 मीटर या उसके भाग के लिए एल.टी. मेन के विस्तार तथा सर्विस लाइन एवं प्रारंभिक प्रतिभूति चार्जेज के साथ रु. 20,000/– का भुगतान करेंगे।

5 बी.एच.पी. तथा 20 बी.एच.पी. तक के भार वाले निजी नलकूपों (PTW) के लिए सर्विस लाईन चार्जेज, ओवरहेड लाईन चार्जेज तथा प्रारम्भिक प्रतिभूति

क्र. सं.	संविदाकृत भार	सर्विस लाईन चार्जेज (रू.)	विद्यमान एल.टी. वितरण मेन तथा /एल.टी.मेन के विस्तार के साथ वितरण ट्रांसफॉर्मर की संस्थापना का प्रभार (रू.)	प्रारम्भिक प्रतिभूति (रू./बी.एच.पी.)
1	5 बी.एच.पी. से 20 बी.एच.पी.	1000	रू. 750 प्रति 10 मीटर या उसके भाग के लिये	200

(ख) उर्वीनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2022 के अनुसार विद्युत उपभोक्ताओं के लिये अधिसूचित सेवा मानक

क्रम सं0	सेवा क्षेत्र	उर्वीनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2022 में मानक	मानक के उल्लंघन होने पर भुगतान की जाने वाली प्रतिपूर्ति के मामले में देय प्रतिपूर्ति (बिलिंग, उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के समय से माना जाएगा)	
			यदि घटना से एकल उपभोक्ता प्रभावित होता है तो व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली प्रतिपूर्ति	यदि घटना से एक से अधिक उपभोक्ता प्रभावित होते हैं तो व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली प्रतिपूर्ति
1. नए संयोजन जारी करना और भार में वृद्धि/कमी				
(i)	नए एलटी संयोजनों को जारी करना	एलटी संयोजनों के लिए • 15 दिन के भीतर – जहां वितरण मेन्स के विस्तार या नए वितरण सेन्स जोड़ने या नये सबस्टेशन के चालू करने की आवश्यकता नहीं है। जहां वितरण मेन्स के विस्तार या नए वितरण मेन्स को बिछाने या नये सबस्टेशन के चालू करने की आवश्यकता है– • 60 दिन के भीतर – वितरण मेन्स का विस्तार अपेक्षित है • 90 दिन के भीतर – नये 11/0.4 केवी सबस्टेशन को चालू करना अपेक्षित है • 180 दिन के भीतर – नये 33/11 केवी सबस्टेशन को चालू करना अपेक्षित है	प्रतिदिन (विलम्ब) के प्रत्येक दिन के लिए उपभोक्ता को जमा धनराशि प्रति रू0 1000/– पर रू0 5/– प्रत्येक दिन के लिए (जोकि अधिकतम रू0 300/– तक होगी) देय होगी। प्रतिपूर्ति की कुल राशि आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि तक सीमित रहेगी।	लागू नहीं

(A) नये एल.टी. संयोजन जारी करने, भार में वृद्धि और कमी करने के लिये लागू अधिसूचित प्रभार

क्र. सं.	अनुबंधित भार	सर्विस लाईन चार्जेज एवं ओवर हैड/भूमिगत लाईन चार्जेज			प्रारम्भिक प्रतिभूति (रू./कि.वा.)		
		सर्विस लाईन चार्जेज (रू.)		ओवर हैड लाईन तथा भूमिगत लाईन चार्जेज यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक है (रू.)	घरेलू	गैर-घरेलू	एल.टी. उद्योग/सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
		ओवर हैड	भूमिगत				
1.	बीपीएल उपभोक्ता (1 कि.वा.तक)*	100	100	ओवर हैड - रू. 300 भूमिगत - रू. 300	100	-	-
2.	4 कि.वा. तक	1000	2000	ओवर हैड - रू. 1500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत - रू. 4500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	600	1500	1500
	4 कि.वा. तक (प्रीपेड मीटर के माध्यम से)	1000	2000		-	-	-

*यदि कोई बीपीएल उपभोक्ता 1 किलोवाट से अधिक भार के लिए आवेदन करता है, तो वह तालिका 3.4 तथा तालिका 3.5 की क्रम संख्या–2 के अनुसार जो भी लागू हो, मानक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

4 kW से अधिक तथा 25 kW तक भार हेतु सेवा लाईन प्रभार, ओवर हैड लाईन प्रभार और प्रारम्भिक प्रतिभूति

क्र. सं.	अनुबंधित भार	सर्विस लाईन चार्जेज एवं ओवर हैड/भूमिगत लाईन चार्जेज			प्रारम्भिक प्रतिभूति (रू./कि.वा.)		
		सर्विस लाईन प्रभार (रू.)		ओवर हैड लाईन तथा भूमिगत लाईन चार्जेज यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक है (रू.)	घरेलू	गैर–घरेलू	एल.टी. उद्योग/सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
		ओवर हैड	भूमिगत				
1.	4 कि.वा. से अधिक तथा 10 कि.वा. तक#	2000	5000	ओवर हैड - रू. 4500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत - रू. 13500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	600	1500	1500
	4 कि.वा. से अधिक तथा 10 कि.वा. तक#(प्रीपेड मीटर के माध्यम से)	2000	5000		-	-	-
2.	10 कि.वा. से अधिक तथा 25 कि.वा. तक#	4000	10000	ओवर हैड - रू. 4500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत - रू. 13500 प्रति 10 मीटर	600	1500	1500
	10 कि.वा. से अधिक तथा 25 कि.वा. तक# (प्रीपेड मीटर के	4000	10000		-	-	-

	संयोजन शुल्क#			या उसका भाग			

#उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020 के उप–विनियम 3.3.1 के क्लॉज (i) के अन्तर्गत एल.टी.डी.एस. संयोजन लेने वाले आवेदक को 25 के.वी.ए. के सब–स्टेशन (20 किलोवाट तक भार के लिए) हेतु रू0 1,50,000/– तथा 63 के.वी.ए. (21 किलोवाट से 25 किलोवाट तक भार के लिए) हेतु रू0 2,00,000/– साथ ही 11 के.वी. लाईन विस्तार हेतु उपरोक्त निम्नलिखित तालिका 3.6 के अनुसार तथा सर्विस लाईन एवं प्रारंभिक प्रतिभूति चार्जेज तालिका 3.5 के अनुसार, भुगतान करना होगा।

25 kW से अधिक तथा 75 kW तक के भार हेतु सर्विस चार्जेज 11 kV ओवरहेड/भूमिगत लाईन, सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जेज तथा प्रारंभिक प्रतिभूति

क्र. सं.	अनुबंधित भार	सर्विस लाईन चार्जेज एवं 11 के.वी. ओवर हैड/भूमिगत लाईन तथा सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जेज			प्रारंभिक प्रतिभूति (रू./कि.वा.) या (रू./के.वी.ए.)		
		सर्विस लाईन चार्जेज (रू.)		11 के.वी. ओवर हैड/भूमिगत लाईन तथा सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जेज (रू.)	घरेलू	गैर–घरेलू	एल.टी. उद्योग/सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
		ओवर हैड	भूमिगत				
1	**11 के.वी. लाईन चार्जेज**						
	25 कि.वा. से अधिक तथा 50 कि.वा. तक **	6000	15000	ओवर हैड– रू. 8000 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत– रू. 20000 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	600	1500	1500
	50 कि.वा. से अधिक तथा 75 कि.वा. तक **	8000	20000				
2	**11 के.वी. सबस्टेशन चार्जेज**						
	25 कि.वा. से अधिक तथा 50 कि.वा. तक	63 के.वी.ए. सबस्टेशन का निर्माण		2,00,000	-		
	50 कि.वा. से अधिक तथा 75 कि.वा. तक	100 के.वी.ए. सबस्टेशन का निर्माण		2,50,000			
3	**ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि**						
	63 के.वी.ए. से 100 के.वी.ए. तक	-		50,000	-		

** **केवल भूमिगत नेटवर्क वाले क्षेत्रों के लिए–** उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020 के उप–विनियम 3.3.1 के क्लॉज (i) के प्रथम नियम के अन्तर्गत संयोजन चाहने वाले आवेदक 63 के.वी.ए./100 के.वी.ए. के

		जहां लाईन/सबस्टेशन कार्यों में परिवर्तन की आवश्यकता है वहां समय-सीमा ऊपर दी गयी कटेगरी की क्रम सं0 1) व 2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी।		
2. ऊर्जा आपूर्ति की बहाली				
(1)	फ्यूज उड़ना या एमसीबी/ एमसीसीबी ट्रिप (यदि फ्यूज या एमसीबी/एमसीसीबी अनुज्ञप्तिधारी के हैं)	• 4 घंटे के भीतर – शहरी क्षेत्रों के लिए। • 6 घंटे के भीतर – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। • 12 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों।	प्रतिदिन (विलम्ब) के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को प्रतिदिन के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(2)	सर्विस लाईन का टूटना/सर्विस लाईन का खंभे से निकलना	• 6 घंटे के भीतर – शहरी क्षेत्रों के लिए। • 12 घंटे के भीतर – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। • 24 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से जुड़े न हों।	प्रतिदिन (विलम्ब) के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को प्रतिदिन के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(3)	एलटी वितरण लाईन/प्रणाली में दोष	दोष का सुधार और तत्पश्चात सामान्य ऊर्जा आपूर्ति की बहाली • 12 घंटे के भीतर – शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। • 24 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों।	प्रतिदिन (विलम्ब) के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को प्रतिदिन के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(4)	वितरण ट्रांसफार्मर विफल होना/जलना	विफल ट्रांसफार्मर को बदलने हेतु • 24 घंटे के भीतर – शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। • 48 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोटर मार्ग से जुड़े हों। • 72 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों।	प्रतिदिन के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को प्रतिदिन के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(5)	फ्यूज उड़ने, लाईन टूटने या किसी अन्य दोष के कारण एचटी 11 केवी व 33 केवी लेवल विफल	दोष का निवारण– • 12 घंटे के भीतर – मैदानी क्षेत्रों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र	प्रतिदिन के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को प्रतिदिन के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	होना	• 36 घंटे के भीतर – (खम्भा उखड़ने के मामलों को छोड़कर, जहां समय सीमा 24 घंटे होगी) ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों।		
(6)	33/11 केवी सबस्टेशन में समस्या	मरम्मत और ऊर्जा की बहाली • 24 घंटे के भीतर – मैदानी क्षेत्रों में। • 48 घंटे के भीतर – पर्वतीय क्षेत्रों में।	प्रतिकर के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को प्रतिकर के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
(7)	ऊर्जा परिवर्तक का विफल होना	10 दिन के भीतर – [illegible]	प्रतिकर के प्रत्येक दिन के लिए रू0 1000/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को प्रतिकर के प्रत्येक दिन के लिए रू0 300/-
(8)	भूमिगत प्रणाली (केबलवायरिंग) में दोष	• 12 घंटे के भीतर – एचटी प्रणाली के लिए। • 48 घंटे के भीतर – एलटी प्रणाली के लिए।	प्रतिकर के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 20/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को प्रतिकर के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 10/-
3. ऊर्जा आपूर्ति हेतु गुणवत्ता वोल्टेज का विचलन				
(1)	स्थानीय समस्या (वोल्टेज विचलन, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, फ्लिकरिंग या कोई अन्य समस्या)	4 घंटे के भीतर	प्रतिकर के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 5/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को प्रतिकर के प्रत्येक घंटे के लिए रू0 2/-
(2)	परिवर्तक का टैप परिवर्तन	3 दिन के भीतर	प्रतिकर के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को प्रतिकर के प्रत्येक दिन के लिए रू0 50/-
(3)	वितरण लाईन/परिवर्तक/कैपेसिटर की स्थापना	• 15 दिन के भीतर – एलटी वितरण लाईन। • 90 दिन के भीतर – एचटी वितरण लाईन। • 30 दिन के भीतर – वितरण परिवर्तक। • 120 दिन के भीतर – ऊर्जा परिवर्तक। • 30 दिन के भीतर – कैपेसिटर।	प्रतिकर के प्रत्येक दिन के लिए रू0 200/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को प्रतिकर के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/-
(4)	एचटी/एलटी प्रणाली का संस्थापन और उच्चीकरण	• 90 दिन के भीतर – एलटी प्रणाली के लिए। • 180 दिन के भीतर – एचटी प्रणाली के लिए।	प्रतिकर के प्रत्येक दिन के लिए रू0 200/-	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को प्रतिकर के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/-

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

(5)	वोल्टेज में उतार–चढ़ाव के कारण उपभोक्ता के उपकरण को क्षति (यदि	दोषपूर्ण भाग को तुरन्त पृथक करना	प्रति उपकरण अधिकतम रु0 1000/– की सीमा के अधीन मरम्मत प्रभार पंखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मिक्सी, ग्राइंडर, टोस्टर, अन्य पोर्टेबल विद्युतीय उपकरणों के लिए।
			प्रति उपकरण अधिकतम रु0 3000/– की सीमा के अधीन मरम्मत प्रभार 43 इंच तक का कलर टीवी, सेमी–ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, 200 लीटर तक का फ्रिज, माइक्रोवेव, चिमनी के लिए।
	निकट पड़ोस में एक से अधिक उपभोक्ता के उपकरण प्रभावित हुए हैं और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 72 घंटे के भीतर क्षतिपूर्ण उपकरण का भौतिक सत्यापन कर लिया जाता है तथा इसके पश्चात् मरम्मत* पर हुए व्यय के संबंध में प्रभावित उपभोक्ता द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य जमा कर दिया जाता है और इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापित कर दिया जाता है।) * किसी क्षतिग्रस्त उपकरण के बदले नये उपकरण का प्रतिस्थापन/ विनिमय किये जाने के मामले में क्षतिपूर्ति, मूल बिल प्रस्तुत करने और उसका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा		प्रति उपकरण अधिकतम रु0 5000/– की सीमा के अधीन मरम्मत प्रभार 43 इंच से अधिक का कलर टीवी, पूरी तरह ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, कम्प्यूटर, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, 200 लीटर से अधिक का फ्रिज।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	सत्यापन कराये जाने की शर्त उल्लेखित है, जोकि उक्त उपकरण हेतु अनुमोदित अधिकतम मरम्मत व्यय तक सीमित रहेगी।			
4. मीटर से संबंधित शिकायतें				
(1)	मीटर की परिशुद्धता परीक्षण के लिए दर्ज शिकायत	• 30 दिन के भीतर – मीटर के परीक्षण के लिए और यदि आवश्यक हो तो उसके पश्चात् 15 दिन के भीतर मीटर बदला जाएगा।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 50/–	लागू नहीं।
(2)	त्रुटिपूर्ण/अटके हुए मीटर के लिए दर्ज शिकायत	• 30 दिन के भीतर – मीटर के परीक्षण के लिए और यदि आवश्यक हो तो उसके पश्चात् 15 दिन के भीतर मीटर बदला जाएगा।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/–	लागू नहीं।
(3)	जले हुए मीटर हेतु दर्ज शिकायत	• 06 घंटे के भीतर – जले हुए मीटर को बाईपास करते हुए आपूर्ति की बहाली। • 03 दिन के भीतर – नया मीटर स्थापित किया जाएगा।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/–	लागू नहीं।
5. उपभोक्ता के संयोजन का अंतरण और सेवाओं का परिवर्तन				
(1)	संपत्ति पर स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम का परिवर्तन	आवेदन स्वीकार किये जाने की तिथि के पश्चात् 02 माह के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/–	लागू नहीं।
(2)	उपभोक्ता के नाम का कानूनी वारिस को अन्तरण	आवेदन स्वीकार किये जाने की तिथि के पश्चात् 02 माह के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/–	लागू नहीं।
(3)	श्रेणी का परिवर्तन	06 दिन के भीतर – परिसर का निरीक्षण। 02 माह के भीतर – श्रेणी का परिवर्तन	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रू0 100/–	लागू नहीं।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

5- उपभोक्ता के बिल के संबंध में शिकायत				
(1)	**पहला बिल**	संयोजन जारी होने के **02 माह के भीतर**	प्रति माह अधिकतम रू0 300/– की सीमा के साथ, बिल की गयी राशि का 10 प्रतिशत।	लागू नहीं।
(2)	**बिलिंग की शिकायतें**	(शिकायत की पावती • **तुरन्त** – व्यक्तिगत प्राप्त शिकायतों के लिए • **3 दिन के भीतर** – डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों के लिए) शिकायतों का समाधान और उपभोक्ता को सूचना • **15 दिन के भीतर** – यदि कोई अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित न हो • **30 दिन के भीतर** – यदि अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित हो।	बिल की गयी राशि के अधिकतम 10 प्रतिशत या रू0 600/– दोनों में से जो कम हो की सीमा के साथ व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रू0 20/–	लागू नहीं।
(3)	**परिसर खाली करने/ कब्जे के परिवर्तन हेतु अंतिम बिल**	(परिसर खाली करने या कब्जे के परिवर्तन से **न्यूनतम 07 दिन** पहले उपभोक्ता द्वारा विशेष रीडिंग हेतु निवेदन किया जाएगा) अंतिम बिल की डिलीवरी, पिछला बकाया सहित यदि कोई हो– विशेष रीडिंग की व्यवस्था करने के पश्चात् परिसर खाली करने या कब्जे के परिवर्तन से **न्यूनतम 03 दिन पहले**	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु रू0 20/–	लागू नहीं।
(4)	**उपभोक्ता के निवेदन पर स्थायी विच्छेदन के पश्चात् बिलिंग**	(स्थायी विच्छेदन के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कोई बिल जारी नहीं करेगा) यदि अनुज्ञप्तिधारी स्थायी विच्छेदन के पश्चात् बिल जारी करता है तो यह प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा।	प्रत्येक मामले के लिए रू0 500/–	लागू नहीं।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

(5)	बिल में दर्शाए जा रहे पिछले बकाया/त्रुटिपूर्ण रूप से जारी किये गये बिल	अनुज्ञप्तिधारी ऐसी राशि हेतु बकाया जारी नहीं करेगा जिसका उपभोक्ता द्वारा देय तिथि के भीतर भुगतान कर दिया गया है या जो अनुज्ञप्तिधारी को देय नहीं है।	**पहली बार के लिए** – अधिकतम रू0 500/– की सीमा के अधीन बकाया राशि का 10 प्रतिशत (पहली बार के लिए क्षतिपूर्ति की गणना अनुज्ञप्तिधारी के बिलिंग पोर्टल में ब्लैकलिस्ट किये गये बिलों पर आधारित होगा) **दूसरी बार के लिए** – अधिकतम रू0 1000/– की सीमा के अधीन बकाया राशि का 15 प्रतिशत **तीसरे और इससे आगे के समयों के लिए** – अधिकतम रू0 2000/– की सीमा के अधीन बकाया राशि का 20 प्रतिशत	लागू नहीं।
7. आपूर्ति के विच्छेदन/पुनः संयोजन से संबंधित मामले				
(1)	पुनः संयोजन हेतु निवेदन	पिछले देयों और पुनःसंयोजन प्रभारों के भुगतान के 6 दिन के भीतर – (यदि उपभोक्ता संयोजन के विच्छेदन के पश्चात् छः माह की अवधि के भीतर या स्थायी विच्छेदन दोनों में से जो बाद में हो, से पूर्व पुनः संयोजन हेतु आवेदन करता है; तथापि यदि उपभोक्ता विच्छेदन के छः माह की अवधि के पश्चात् या स्थायी विच्छेदन के पश्चात् पुनः संयोजन, दोनों में से जो बाद में हो, हेतु आवेदन करता है तो संयोजनों का पुनः संयोजन तभी किया जाएगा जब उपभोक्ता नए संयोजन जारी किये जाने के मामले में अपेक्षित सभी औपचारिकताएं तथा उस श्रेणी हेतु लागू देय, बकायादि के भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कर लेगा।	अतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रू0 100/–	लागू नहीं।
(2)	विच्छेदन उपभोक्ता की इच्छा पर	स्थायी विच्छेदन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने के 7 दिन के भीतर	अतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रू0 100/–	लागू नहीं।

(b)	संयोजन के पश्चात् जमा की गयी सिक्योरिटी को लौटाना (उपभोक्ता के निवेदन पर स्थायी विच्छेदन हेतु)	स्थायी विच्छेदन के 30 दिन के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रु0 100/–	लागू नहीं।
6. उपभोक्ता/आवेदक को प्रभावित अन्य सेवाएं				
(i)	लाईन्स/पोल्स/प्लांट्स का स्थान परिवर्तन	90 दिन के भीतर – एलटी प्रणाली हेतु 180 दिन के भीतर – एचटी प्रणाली हेतु नोट– विनिर्दिष्ट समय सीमा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आकलित आवश्यक राशि जमा करने या भुगतान प्राधिकारी से एन0ओ0सी0 यदि कोई है प्राप्त करने की तिथि दोनों में से जो बाद में हो, से लागू होगी। यदि कार्य निष्पादन के दौरान आर0ओ0डब्लू0 के मुद्दे उत्पन्न होते हैं तो आर0ओ0डब्लू0 के कारण हुए विलम्ब पर छूट प्रदान की जाएगी।	एलटी प्रणाली हेतु – उपभोक्ता/आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा के अधीन व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु रु0 100/– एचटी प्रणाली हेतु – उपभोक्ता/आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा के अधीन व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु रु0 200/–	लागू नहीं।

विद्युत मामलों में उपभोक्ता शिकायतों के लिये निवारण मंच :

'शिकायत' की अधिसूचित परिभाषा के अनुसार यह विद्युत की आपूर्ति, नये संयोजन या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं जिनमें भार/मांग में परिवर्तन, मीटर सम्बन्धी मामलों, बिल सम्बन्धी मुद्दे सम्मिलित हैं और ऐसे मामले जहाँ अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग द्वारा तय की गई कीमतों से अधिक कीमत प्रभारित की है या विद्युत लाईन या विद्युत संयंत्र प्रदान करने में आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों से अधिक व्यय प्रभार वसूल किये हैं, से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु मंच के समक्ष दाखिल किया गया पत्र या आवेदन है। निम्न वर्णित विषय में जो जो कि अधिनियम की धाराओं में है, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की परिधि में नहीं है :–

(i) अधिनियम की धारा 126 के अधीन उपबन्धित किये गये अनुसार विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग
(ii) अधिनियम की धारा 135 से 139 के अधीन उपबन्धित किये गये अनुसार अपराध और दण्ड
(iii) अधिनियम की धारा 161 के अधीन उपबन्धित किये गये अनुसार विद्युत के वितरण, आपूर्ति या उपयोग में दुर्घटना और
(iv) जहाँ बिल की राशि में कोई विवाद नहीं है वहां बकायों की वसूली

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

आयोग द्वारा राज्य में गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों (CGRFs) के कार्यालयों का पता निम्नलिखित है–

जोन	पता	दूरभाष सं0	आच्छादित विद्युत वितरण सर्किल
गढ़वाल जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह भवन, कांवली रोड, देहरादून	दूरभाष – 0135–2763672 व 2763676 (एक्सटेंशन–287) +91–9411113708, 8433188879	देहरादून (ग्रामीण) देहरादून (शहरी)
	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, द्वितीय तल, विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर, गढ़वाल, पिन–246174	दूरभाष – 01346–252137, +91–9012783389 Email: Cgrfsrinagar@gmail.com	श्रीनगर
	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, विद्युत वितरण खण्ड, (उत्तरकाशी / टिहरी) उत्तरकाशी, पिन–249193	दूरभाष –+91–8534938988, 8171333308 Email: Cgrfuki@gmail.com	उत्तरकाशी
	कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (कर्णप्रयाग) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, विद्युत वितरण मण्डल, कर्णप्रयाग, निकट–बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58, गौचर (भट्ट नगर) जिला चमोली–246429	दूरभाष +91–7060214681, 9758838527	कर्णप्रयाग
कुमाऊँ जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, 132 के0 वी0 उपसंस्थान परिसर पोस्ट ऑफिस – काठगोदाम, हल्द्वानी जिला–नैनीताल	दूरभाष – 05946–268223 +91–9897797885, 9410975368 Email: cgrf.kumaoun@gmail.com	हल्द्वानी, काशीपुर
	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, निकट विकास भवन पांडेखोला, अल्मोड़ा।	दूरभाष +91–9412178301, 6397031738	रानीखेत
हरिद्वार जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, शिव बाईपास रोड, हरिद्वार, पिन–249401	दूरभाष –01334–288368 Email: cgrf.haridwar@gmail.com	हरिद्वार, रुड़की
ऊधमसिंह नगर जोन	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, एमआईजी–151, वार्ड नम्बर–19, आवास विकास कालोनी, रुद्रपुर पिन–263153	दूरभाष – 05944–240503 +91–9412078230, 9927398818 Email: cgrf.rudrapur@gmail.com	रुद्रपुर

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	फिल्मों को अनुदान **(संशोधित)**	उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2024 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है– 1. क्षेत्रीय भाषाओं एवं बोली में बनने वाली फिल्मों को राज्य में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत या रु. 2 करोड़ तक, जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान। 2. हिन्दी तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा में बनने वाली फिल्मों को राज्य में व्यय की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या रु. 3 करोड़ तक, जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान। 3. विदेशी भाषा में बनने वाली फिल्मों को जिन्होंने राज्य में न्यूनतम 3 करोड़ से अधिक व्यय किया हो, राज्य में की गयी शूटिंग लोकेशन्स को फिल्म में यथोचित प्रकार से दिखाया गया हो। राज्य में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत या 3 करोड़ तक जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान। 4. हिन्दी तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा एवं उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोलियों में बनने वाले टीवी सीरियल / वेबसीरीज की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड में व्यय की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या 3 करोड़ तक, जो भी कम हो की धनराशि का अनुदान।	फिल्म निर्माता	फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म सेंसर प्रमाण पत्र तथा फिल्म रिलीज / प्रदर्शन के उपरान्त अनुदान हेतु आवेदन किया जाता है, तथा इसके लिए फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म निर्माण से संबंधित समस्त व्यय / खर्चे, अनुबन्ध बीजक तथा अन्य अभिलेख इत्यादि विभाग में जमा कराने होते हैं। फिल्मों को अनुदान हेतु गठित तकनीकी एवं वित्तीय समितियों द्वारा फिल्मों के प्रस्तावों तथा फिल्मों का परीक्षण करते हुए अनुदान दिये जाने पर विचार किया जाता है। फिल्म अनुदान हेतु गठित वित्तीय समिति की संस्तुति के उपरांत मा0 मुख्यमंत्री / अध्यक्ष, फिल्म विकास परिषद से अनुमोदनार्थ / स्वीकृति के उपरांत अनुदान धनराशि प्रदान की जाती है। (अनुदान हेतु आवेदन ऑफलाइन फिल्म विकास परिषद, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून में सम्पर्क करना होगा)

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, 132 के0 वी0 उपसंस्थान परिसर, मड़लखाड़ा, पिथौरागढ़, पिन–262501	दूरभाष – 05964–297745, +91-7906829422, 9412947287 Email: cgrfpithoragarh@gmail.com	पिथौरागढ़

यदि उपभोक्ता मंच के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो, वह ओम्बड्समैन के समक्ष याचिका दर्ज कर सकता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

कार्यालय	पता	दूरभाष संख्या
ओम्बड्समैन (विद्युत)	80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून	0135-2762120

(C) **यू0पी0सी0एल0 के विभिन्न मीटरिंग / बिलिंग मानदण्डों की प्रास्थिति**

- यू0पी0सी0एल0 के उपभोक्ताओं की कुल संख्या – 27,50,872 (मार्च 2022 तक)

क्र0सं0	श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या
1	घरेलू	23,94,641
2	अघरेलू	2,89,867
3	गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज	7,083
4	निजी नलकूप / पम्पिंग स्टेशन	42,718
5	उद्योग	16,473
6	अन्य	90

- **वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवधि में प्रवाहित विद्युत, निर्धारण और संग्रहण**

क्र0सं0	विवरण	वित्तीय वर्ष 2021–22
1	इनपुट ऊर्जा	14,381.68 MUs
2	विक्रय की गयी ऊर्जा	12,318.80 MUs
3	निर्धारण	₹ 7,83,8.63 करोड़
4	संग्रहण	₹ 7,69,2.59 करोड़
5	वितरण हानियां	14.15 %
6	संग्रहण दक्षता	98.14 %
7	AT&C हानियां	15.75 %

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड

ग्राम्य विकास विभाग

क्र.स.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत (प्रशिक्षित) (Percentage of youth trained and certified in short term and long term training schemes out of total number of youth in the block (of age group 15-35 year)	ग्रामीण गरीब युवाओं को अंग्रेजी, सॉफ्ट स्किल्स और कम्प्यूटर के अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों जैसे tourism & hospitality, retail, logistics, banking, electronics इत्यादि में निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दौरान आवासीय एवं भोजन व्यवस्था, पुस्तिकायें एवं ड्रेस उपलब्ध कराई जाती है।	• ग्रामीण युवा जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष तक हो। • महिलाओं, कमजोर जनजातीय समूह, पी०डब्ल्यू०डी० और अन्य विशेष समूहों के लिये 45 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित है। • बी०पी०एल० कार्डधारक अथवा आर०एस०बी०वाई० के माध्यम से चिन्हित परिवार। • मनरेगा मजदूर परिवारों के ऐसे युवा जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन काम किया हो। • अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारक पी०डी०एस० कार्ड धारक परिवार। • एन०आर०एल०एम० स्वयं सहायता समूह के परिवार। • एस०ई०सी०सी०-2011 के तहत चिन्हित Auto included परिवार। लाभार्थियों के चयन हेतु मानक निर्धारित किया गया है।	आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी www.kaushalpanjee.nic.in में जाकर candidate registration अथवा पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आयु/जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, बी०पी०एल० प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि हो तो) की आवश्यकता होती है। विभाग के पास ऑनलाइन सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा विभाग अपने स्तर से चयनित आवेदक को प्रशिक्षण संस्था पर काउंसलिंग कराया जा रहा है जो सूचना उपलब्ध कराती है। आवेदकों को निःशुल्क प्रशिक्षण राज्य में अथवा राज्य के बाहर भी दिया जा सकता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 माह से 09 माह तक हो सकती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत जिस संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है वही संस्था अभ्यर्थी को रोजगार मुहैया कराती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

2	लखपति दीदी योजना	देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विगत वर्ष में लखपति दीदी योजना का शुभारम्भ भी किया गया है। योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हुए उन्हें लखपति बनाया जाना है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2025 तक 1.50 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाए जाने का संकल्प लिया गया है। योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2022–23 में 40,270 तथा वर्ष 2023–24 में वर्तमान तक 52,729 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। समूह द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग कर उत्पादों को विक्रय किए जाने हेतु उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 17 सरस सेंटर, 2 राज्य स्तरीय उत्तरा आउटलेट, 24 ग्रोथ सेंटर, 7 मिलेट बेकरी की स्थापना की गई है तथा विभिन्न सरस मेलों में भी समूहों के उत्पादों का विक्रय किया जाता है जिससे की उनकी आय में वृद्धि करते हुए आजीविका को बढ़ाया जाता है।	लखपति दीदी योजना की पात्रता के लिए महिलाओं का किसी भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना अनिवार्य है, पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो वो लखपति दीदी योजना का लाभ ले सकती हैं।	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं जिनके द्वारा विभिन्न आयोपार्जक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा हो। विकासखंड स्तर पर ऐसी महिला समूह सदस्यों का चयन किया जाता है जिनकी प्रति वर्ष आय रू0 1.00 लाख से कम हो। लखपति दीदी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु जनपद स्तर पर जिला मिशन प्रबंधक, जिला थीमेटिक एक्सपर्ट तथा विकासखंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक मिशन मैनेजर से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

PROGRAM IMPLEMENTATION DEPARTMENT

3.	वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम	वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तरी सीमा (इन्डो चाइना बोर्डर) पर राज्य के चिन्हित गांवों का व्यापक विकास करना है, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके जिससे उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके और सीमा सुरक्षा में सुधार हेतु इन गांवों से पलायन को रोका जा सके। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में जनपद उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ के 05 विकासखण्डों के कुल 51 गांवों का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है– • आर्थिक विकास–आजीविका सृजन • सड़क सम्पर्क • आवासन एवं ग्रामीण अवसंरचना • पवन ऊर्जा के माध्यम से अक्षय ऊर्जा की उपलब्धता • सूचना तंत्र आधारित कॉमन सर्विस सेंटर सहित गांवों में दूरदर्शन और दूरसंचार कनेक्टिविटी की स्थापना • पारिस्थितिकी तंत्र का पुर्नउत्थान • पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना	—	—

PROGRAM IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		• वित्तीय समावेशन • कौशल विकास और उद्यमिता कृषि / बागवानी / औषधीय पौधों / जड़ी बूटियों आदि सहित, आजीविका के अवसरों के प्रबंधन के लिये स्थानीय स्तर पर सहकारी समितियों का विकास।		
4	हाउस ऑफ हिमालयाज	1. "**स्थानीय उत्पादों को नई पहचान**": हाउस ऑफ हिमालयाज के बैनर तले उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। इससे स्थानीय ब्रांडों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। 2. "**महिला सशक्तिकरण**": राज्य के सभी जनपदों में स्थित महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। यह पहल उन्हें रोजगार के अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान कर रही है। 3. "**बाजार पहुंच और प्रसार**": हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, गुणवत्ता सुधार और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों में पहुंचने का अवसर मिल रहा है। "**गुणवत्ता नियंत्रण**": समाहित गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एसएचजी / एससी / सीएलएफ के माध्यम से योजनाएं बनाई गई हैं।	उत्तराखण्ड के स्थानीय निवासी तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किसी भी योजना के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, सी0बी0ओ0, महिला उद्यमी, एफ0पी0ओ0 एवं सी0एल0एफ0।	विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किसी भी योजना के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, सी0बी0ओ0, महिला उद्यमी, एफ0पी0ओ0 एवं सी0एल0एफ0 द्वारा उत्पादित उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज के अंतर्गत जोड़ा जायेगा।

5.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत (Percentage of banking correspondent (BC) sakhis/digiPay sakhis are deployed)	जिन स्थानों पर बैंक नहीं है उन ग्रामीण क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को बैंकिंग एवं डिजिटल सेवायें पहुँचाना।	1. स्वयं सहायता समूहों का सदस्य होना चाहिये। 2. 10वीं या 12वीं पास होना चाहिये। 3.दस्तावेजीकरण का कौशल होना चाहिये। कम्प्यूटर एवं मोबाईल फोन चलाने में दक्षता ।	यू.एस.आर.एल.एम. द्वारा पोलसी के अनुसार ब्लॉक स्तर पर संगठनों के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जाता है। चयनित सदस्यों का आर.सेटी. के माध्यम से प्रशिक्षण किया जाता है, जो इस प्रशिक्षण को पूर्ण कर लेता है, उन्हें आई.आई.बी.एफ प्रमाणिकरण किया जाता है।
6.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत	उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण समुदाय की समस्त बसावटों को पी.एम.जी. एस.वाई. के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न चरणों के मानकानुसार संयोजित कर ग्रामीण जनमानस के आजीविका वृद्धि एवं आर्थिकी विकास हेतु मोटर मार्ग के सफल संचालन कर लाभान्वित करना है, जिससे कि राज्य का अन्तिम व्यक्ति भी तक उक्त योजना से लाभान्वित हो सकें। उक्त परियोजनान्तर्गत वर्तमान में 0.96 प्रतिशत बसावटें असंयोजित अवशेष हैं।	• उक्त परियोजनान्तर्गत कोर नेटवर्क के अनुसार 250 से अधिक आबादी की असंयोजित बसावटें।	—

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग

उत्तराखण्ड सरकार ने पलायन की समस्या के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया है जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करेगा, जमीनी स्तर पर बहु–क्षेत्रीय विकास पर सरकार को सलाह देगा, जिला और राज्य स्तरों पर सरकार को विभिन्न अन्य संबंधित मामलों को भी प्रस्तुत करेगा।

उत्तराखण्ड में ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहा पलायन एक गंभीर समस्या है। 2001 तथा 2011 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना में राज्य के पर्वतीय जिलों में जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी गति से देखी जा रही है। 2001 और 2011 के बीच अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल जनपदों की आबादी में गिरावट राज्य के कई पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन की ओर इशारा करती है। पलायन की गति ऐसी है कि कई गांवों की आबादी दो अंकों में रह गयी है। आँकड़े दर्शाते हैं की देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जैसे जनपदों में जनसंख्या वृद्धि हो रही है जबकि पौड़ी तथा अल्मोड़ा जनपदों में यह दर नकारात्मक है। टिहरी, बागेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग तथा पिथौरागढ़ जनपदों में असामान्य रूप से जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम है।

आयोग के कार्य–

1– राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की सीमा और प्रकृति का आकलन करने के लिए।

2– राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, जो कि पलायन को कम करने में मदद करेगा और ग्रामीण आबादी के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देगा।

3– सरकार को जमीनी स्तर पर बहु–क्षेत्रीय विकास पर सलाह देने के लिए जो जिला और राज्य स्तरों पर एकीकृत होगा।

4– राज्य की आबादी के उन वर्गों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं होने के जोखिम में हैं।

5– उन क्षेत्रों में केंद्रित पहलों की सिफारिश करना और उन पर निगरानी रखना जो ग्रामीण क्षेत्रों के बहु–क्षेत्रीय विकास में मदद करेंगे और इस तरह से पलायन की समस्या को कम करने में मदद करेंगे।

6– राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए किसी अन्य मामले पर सिफारिशें प्रस्तुत करना।

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	स्टेट मिलेट मिशन	मिशन अन्तर्गत प्रथम चरण में सहकारिता विभाग द्वारा समूह के माध्यम से 38.20 [illegible] मण्डुवा एवं झंगोरा का क्रय कृषकों की खेती से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार के चार जनपदों—ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं देहरादून में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन कार्ड) में मण्डुवा को प्रत्येक माह 01 किलोग्राम की दर से वितरण किया जायेगा। कृषक समूह/एफ०पी०ओ०/एफ०पी०सी० स्तर पर अथवा PACS स्तर पर	पर्वतीय जनपद के समस्त कृषक	आवेदन की कोई प्रक्रिया नहीं है। कृषकों की उत्पादित फसल को कृषक समूह/एफ०पी०ओ०/एफ०पी०सी० स्तर पर अथवा PACS

		स्थापित क्रय केन्द्र पर मडुवा विक्रय हेतु देने के लिए स्वतन्त्र है। समूह को मडुवा क्रय कार्य के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रू0 150.00 प्रति कु0 की दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रस्ताव है। समूह द्वारा फैडस पर निर्देष्ट फसलों का अन्तःग्रहण कराने के उपरान्त फैडस के माध्यम से भुगतान RTGS/NEFT के द्वारा अधिकतम 72 घण्टो में कर दिया जायेगा।		स्तर पर स्थापित क्रय केन्द्र पर मडुवा विक्रय हेतु उपलब्ध कराना है।
2	स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम	**योजनान्तर्गत स्थानीय फसलों के सत्यापित बीजों को शत प्रतिशत अनुदान पर वितरण कर निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जायेगी–** **क–** क्षेत्र विशेष के अनुसार क्षेत्रफल में वृद्धि किये जाने हेतु सत्यापित बीज (truthful level seed) अनुदान पर वितरण करना **ख–** बीज प्रतिस्थापन दर की पूर्ति करना। ग– गुणवत्तायुक्त बीज के उपयोग मात्र से ही उत्पादन में वृद्धि की जाना सम्भव है। इससे जनपदों में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। घ– स्थानीय दलहन फसलों को प्रोत्साहन करना। ङ– कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करानी। बीज उत्पादन का कार्य कृषि विभाग द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत गठित कलस्टरों में UGVS-REAP के अन्तर्गत गठित CLF/LC तथा कृषि विभाग के माध्यम से किया जायेगा। जिन कलस्टरों में परम्परागत योजनान्तर्गत कलस्टर संचालित नहीं है उनमें सत्यापित बीज उत्पादन हेतु CLF/LC के माध्यम से कलस्टर का चयन किया जायेगा। संस्था द्वारा इन्हीं क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम सम्पादित किया जायेगा तथा उत्पादित बीज को क्षेत्रवार विभाजन कर उन्हीं क्षेत्रों में वितरित किये जाने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। **कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित परम्परागत फसलें–** 1 राजमा 2 गहत 3 रामदाना 4 जल धान 5. मक्का–नैनीताल एवं चकराता क्षेत्र 6. भट्ट 7. उगल/फाफर 8. कौणी 9. तोर (अरहर)	नवीनीय जनपद के समस्त कृषक	चयनित कलस्टर के समस्त कृषक।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01.	नमामि गंगे योजना	योजनान्तर्गत कृषकों को क्लस्टर के रूप में जैविक खेती किये जाने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।	प्रदेश में गंगा तथा गंगा की सहायक नदियों के किनारे के ग्रामों में आने वाले कृषक।	आवेदन संलग्न प्रारूप पर जैविक उत्पाद परिषद कार्यालय किसान भवन देहरादून में जमा किये जा सकते हैं।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड

क्र.सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	व्यवसायिक दुकानों का आवंटन	व्यापारियों को व्यापार करने में सुविधा	मण्डी समिति का लाइसेंस धारी व्यापारी होना आवश्यक है।	**आवेदन प्रक्रिया** 1– दुकान आवंटन की सूचना प्राप्त (समाचार पत्र एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा सूचना) होने पर समिति कार्यालय से निर्धारित धनराशि का भुगतान कर फार्म प्राप्त करना। 2– फार्म में उल्लिखित सूचना भरकर समिति कार्यालय में जमा कराना। **चयन प्रक्रिया–** 1– व्यवसायिक दुकानों का आवंटन दुकान आवंटन कमेटी के माध्यम से किया जाता है। 2– प्राप्त आवेदन फार्म से उपलब्ध दुकानों के आधार पर उन व्यापारियों का घटते क्रम में चयन किया जाता है। जिनके द्वारा गत तीन वर्षों में सर्वाधिक मण्डी शुल्क जमा किया गया है।
2.	किसान बाजार की दुकानों का आवंटन	कृषि उत्पादों को छोड़कर अन्य उत्पादों का व्यापार।	जन सामान्य।	**आवेदन प्रक्रिया** 1– किसान बाजार की दुकान आवंटन की सूचना (समाचार पत्र एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा सूचना) प्राप्त होने पर समिति कार्यालय से निर्धारित धनराशि का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त करना। 2– निविदा फार्म हेतु निर्धारित तिथि को टेण्डर बॉक्स में निविदा डालना। **चयन प्रक्रिया–** 1– किसान बाजार की दुकानों का आवंटन दुकान आवंटन कमेटी के माध्यम से किया जाता है। 2– दुकान आवंटन कमेटी द्वारा निविदा दाताओं के सम्मुख निविदा खोली जाती है। 3– सर्वाधिक निविदा धनराशि पर कमेटी द्वारा आवेदकों / निविदादाताओं से बोली लगाई जाती है। 4– सर्वाधिक बोली बोलने वाले बोलीदाता को दुकान आवंटन की जाती है।
3.	कैण्टीनों का आवंटन	चाय व अन्य खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार।	जन सामान्य।	**आवेदन प्रक्रिया** 1– कैण्टीनों के आवंटन की सूचना (समाचार पत्र एवं सार्वजनिक

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर ने कृषि सम्बन्धी व्यवसाय औद्योगिक संस्थान में अध्ययनरत छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के चयन में लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों एवं मण्डी मजदूरों के पुत्र एवं पुत्रियों तथा उन पर आश्रितों को छात्रवृत्ति दी जाती है।	छात्र) से अधिक न हो।	
६	व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना	उत्तराखण्ड राज्य के मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित मण्डी क्षेत्रों के किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी मजदूरों जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलिप्त है। जैसे कृषि सम्बन्धी बिजली उपकरणों तथा खेत की सिंचाई हेतु कुआं तथा तालाबों की खुदाई या गहराई बढ़ाने में कार्यरत है या ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उत्पाद की ढोनिंग/ढुलाई करते समय या खेत में कृषि कार्य करते समय दुर्घटना के फलस्वरूप शारीरिक क्षति/मृत्यु होने पर उनकी क्षतिपूर्ति हेतु मण्डी परिषद बोर्ड द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से योजना को संचालित किया जाता है।	1– व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत क्षति पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए। 2– दावा स्वीकार करने के लिए आयु सीमा की न्यूनतम आयु 18 है।	1– उपरोक्त औजार की गयी दुर्घटना के लिए प्रभावित कृषक/मजदूर द्वारा स्वयं तुरन्त अथवा 45 दिनों के अन्दर दुर्घटना की सूचना क्षेत्र के मण्डी समिति अथवा जनपदाधिकारी को देनी होगी। दुर्घटना की सूचना मिलने पर अधिकतम 15 दिनों के अन्दर स्वयं अथवा मण्डी समिति कर्मचारी से जांच करायी जायेगी। 2– दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके वैध प्रतिनिधि अथवा उत्तराधिकारी के अतिरिक्त दावा प्रपत्र पर उसके निकट के दो रिश्तेदारों के पहचान के रूप में अथवा सत्यापन हेतु हस्ताक्षर होने चाहिए। दावे का आवेदन पत्र ग्राम प्रधान अथवा पंचायत के दो सदस्यों द्वारा सत्यापित होने की स्थिति में आवेदन पत्र सभी प्रविष्टियां/हस्ताक्षर/अंगूठे/कटे शब्दों के निशान सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव/अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा प्रमाणित/सत्यापित होने चाहिए। 3– दुर्घटना द्वारा मृत्यु की दशा में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र/जिला अस्पताल के चिकित्सक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र/शव विच्छेदन रिपोर्ट/विशेष परिस्थिति में शवदाह हेतु जलाया गया पंचनामा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। 4– दुर्घटना ग्रस्त स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र कटे या अलग हुए तथा क्षतिग्रस्त अंगों के रंगीन दो फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड साइज) एवं निकटस्थ दो रिश्तेदारों द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

				स्थलों पर चस्पा सूचना) प्राप्त होने पर समिति कार्यालय से निर्धारित धनराशि का भुगतान कर निविदा फार्म प्राप्त करना। 2– निविदा फार्म हेतु निर्धारित तिथि को टेण्डर बॉक्स में निविदा डालना। **चयन प्रक्रिया–** 1– कैण्टीनों का आवंटन समिति स्तर से गठित कमेटी के माध्यम से किया जाता है। 2– कमेटी द्वारा निविदा दाताओं के सम्मुख निविदा खोली जाती है। 3–सर्वोच्च निविदा धनराशि पर कमेटी द्वारा आवेदकों/निविदा दाताओं को कैण्टीन एक वर्ष के लिए आवंटित कर दी जाती है।
4	व्यापारिक गोदाम	व्यापारियों को व्यापार करने में सुविधा	मण्डी समिति का लाईसेंस धारी व्यापारी होना आवश्यक है।	**आवेदन प्रक्रिया** 1– गोदाम आवंटन की सूचना प्राप्त (समाचार पत्र एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा सूचना) होने पर समिति कार्यालय से निर्धारित धनराशि का भुगतान कर फार्म प्राप्त करना। 2– फार्म में उल्लिखित सूचना भरकर समिति कार्यालय में जमा कराना। **चयन प्रक्रिया–** 1 व्यापारिक गोदाम का आवंटन दुकान आवंटन कमेटी के माध्यम से किया जाता है। 2– प्राप्त आवेदन फार्म से उपलब्ध गोदामों के आधार पर उन व्यापारियों का घटते क्रम में चयन किया जाता है। जिनके द्वारा गत तीन वर्षों में सर्वाधिक मण्डी शुल्क जमा किया गया है।
5	छात्रवृत्ति योजना	उत्तराखण्ड राज्य के गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर (सी0जी0) ग्रामीण गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार औद्यानिक महाविद्यालय वी० च० सिं० ग० उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल एवं वानिकी महाविद्यालय वी० च० सिं० ग०	1– उत्तराखण्ड राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों एवं मण्डी मजदूरों के पुत्र/पुत्रियों के लिए है। 2– जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय रू0 3,00,000/–(रू0 तीन	1– आवेदक द्वारा संबंधित मण्डी समिति द्वारा प्राप्त संबंधित मण्डी क्षेत्र का होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा। 2– पात्र विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में आवेदन किया जायेगा। 3– विश्वविद्यालय /महाविद्यालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा।

				5— दावा प्रपत्र सम्पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। मण्डी समिति द्वारा दुर्घटना की पुष्टि एवं प्रमाण पत्र हेतु जांच की पूर्ण आख्या (रिपोर्ट) संलग्न होना आवश्यक है। 6— दावा प्रपत्र पर आवेदक की ओर से हस्ताक्षर/बायें/दायें अंगूठे के निशान सहित प्रपत्र भरा होना चाहिए। यदि बांया अंगूठा कटा हो तो दायें अंगूठे का निशान, यदि दोनों अंगूठे कटे हों, तो क्रियाशील हाथ की अंगुलियों के निशान लगाये जा सकते हैं। यदि दोनों हाथ कट गये हों तो कटे हुए हाथ के अंत के भाग का निशान लगाना होगा, यह महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए होगा। 7— सचिव, मण्डी समिति द्वारा जांचोपरान्त सम्पूर्ण दावा प्रपत्र अपनी संस्तुति सहित भुगतान हेतु अध्यक्ष/प्रशासक को अनुमोदन/स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। जैसा कि दावा प्रपत्र के अन्त में दिया गया है, दावा स्वीकृत करने के पूर्व इसकी जांच अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा सम्बन्ध विभाग के अधिकारियों से करायी जायेगी। दावा यथा सम्भव एक माह में स्वीकृत किया जायेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा उक्त समयावधि बढ़ायी जा सकती है। दावा स्वीकृत करने के उपरान्त अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा दावा प्रपत्र भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को भेज दिया जायेगा तथा मण्डी बोर्ड द्वारा दावे की धनराशि का ड्राफ्ट उत्तराधिकारियों के नाम बनाकर सम्बन्धित मण्डी समिति को भुगतान हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।
7	कृषक उत्पादक अग्नि सहायता योजना	उत्तराखण्ड राज्य की अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों में प्रदेश में तैयार फसल/खेत में खड़ी हुई फसल/खलिहानों में मड़ाई हेतु रखी फसल/उपज अथवा आग द्वारा अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति, कृषक के मकान में आग लगने से आवासीय गृह पशुधन की क्षति तथा बाढ़ अथवा वर्षा से कृषि योग्य	1— कृषक उत्पादक अग्नि सहायता योजना के अन्तर्गत क्षति पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए। 2— दावा स्वीकार करने	1— अग्नि दुर्घटना एवं बाढ़ से हुई दुर्घटना की सूचना के लिए प्रभावित कृषक/उत्पादक को निर्धारित प्रारूप/निःशुल्क प्रार्थना पत्र, जो मण्डी समिति कार्यालय में उपलब्ध है, पर घटना के अधिकतम 7 दिनों के अन्दर सचिव/अध्यक्ष/प्रशासक अथवा सम्बन्धित मण्डी समिति के क्षेत्रान्तर्गत तहसीलदार को प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2— प्राप्त दावा की जांच मण्डी समिति के सचिव द्वारा कराई

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPT

		भूमि के बटवारा से हुई क्षति पूर्ति का लाभ कृषकों को।	के लिए याचक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।	जायेगी तथा अपनी जांच एक सप्ताह में पूर्ण करके अपनी अन्तिम आख्या अध्यक्ष/प्रशासक मण्डी समिति को अनिवार्यतः निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत की जायेगी, जैसा कि उक्त प्रपत्र में अन्त में दिया गया है। जहां मण्डी समिति के कार्यालय नहीं है वहां ऐसी जांच सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा अपनी जांच आख्या से सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रेषित की जायेगी। 3– मण्डी समिति कार्यालय द्वारा उक्त प्रपत्र का विधिवत परीक्षणोपरान्त उसके भुगतान को सम्बन्धित कार्यवाही अध्यक्ष/प्रशासक मण्डी समिति का अनुमोदन लेकर की जायेगी। 4– उपरोक्त समस्त कार्यवाही अधिकतम दो माह में पूर्ण कर ली जायेगी एवं आवश्यकतानुसार समयावधि अध्यक्ष/प्रशासक मण्डी समिति द्वारा विशेष परिस्थितियों में बढ़ाई जा सकती है। 5– सहायता राशि के भुगतान हेतु मण्डी बोर्ड द्वारा अग्रिम धनराशि का चैक ड्राफ्ट दावेदारों के नाम बनाकर सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव को भुगतान करने हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।
8	ठेकेदारी के पंजीकरण	समस्त आवेदक/जनसामान्य	फर्म/ठेकेदार द्वारा सभी श्रेणियों हेतु निर्धारित शर्तों को पूर्ण करना।	निर्माण खंड में चार श्रेणियों में पंजीकरण किया जाता है (अ,ब,स एवं द) सर्वप्रथम पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित कर पंजीयन फार्म क्रय किया जाता है। उसके उपरान्त फर्म/ठेकेदार द्वारा निर्धारित शर्तों का पूर्ण करना अनिवार्य होता है। जिसका विवरण श्रेणीवार निम्नवत है– **श्रेणी–अ** 1. नवीनतम चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रति 2. हैसियत प्रमाण–पत्र रू0 30.00 लाख की प्रति 3. हैसियत में कोई घटाई–बढ़ाई न करने का शपथ–पत्र 4. डिग्री होल्डर की डिग्री की प्रति 5. डिग्री होल्डर की ओर से सहमति–पत्र 6. डिग्री होल्डर को रखने का शपथ–पत्र 7. जी0एस0टी0 में पंजीकरण की प्रति 8. ई0पी0एफ0 में पंजीकरण की प्रति 9. ई0एस0आई0 में पंजीकरण की प्रति 10. पैनकार्ड की प्रति 11. मशीन एवं टूल्स का शपथ पत्र 12. जिला पंचायत में पंजीकरण की रसीद 13. फर्म का फर्म निबन्धन में पंजीकरण की प्रति (पार्टनरशिप फर्म) 14. पार्टनर शिप डीड की

PROGRAMME IMPLEMENTATION

				प्रति 15. अनुभव प्रमाण–पत्र विगत तीन वर्षों में रू0 300.00 लाख का, जिसमें रू0 50–50 लाख के तीन पूर्ण किये अनुबन्ध सम्मिलित हों 16. नवीनतम फोटोग्राफ–02 नग 17. पंजीकरण शुल्क रू0 10000+18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) डी0डी0 के रूप में, 18. पंजीकरण जमानत राशि रू0 2.00 लाख एफ0डी0आर0 के रूप में एवं 19. कार्य क्षमता रू0 50.00 लाख से अधिक। **श्रेणी–ब** 1. नवीनतम चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रति 2. हैसियत प्रमाण–पत्र रू0 15.00 लाख की प्रति 3. हैसियत में कोई खुर्द–बुर्द न करने का शपथ–पत्र 4. डिप्लोमा होल्डर की डिप्लोमा की प्रति 5. डिप्लोमा होल्डर की ओर से शपथ–पत्र 6. डिप्लोमा होल्डर को रखने का शपथ–पत्र 7. जी0एस0टी0 में पंजीकरण की प्रति 8. ई0पी0एफ0 में पंजीकरण की प्रति 9. ई0एस0आई0 में पंजीकरण की प्रति 10. पैनकार्ड की प्रति 11. मशीन एवं टूल्स का शपथ पत्र 12. जिला पंचायत में पंजीकरण की रसीद 13. फर्म का फर्म निबन्धन में पंजीकरण की प्रति (पार्टनरशिप फर्म) 14. पार्टनर शिप डीड की प्रति 15. अनुभव प्रमाण–पत्र विगत तीन वर्षों में रू0 150.00 लाख का जिसमें रू0 25–25 लाख के तीन पूर्ण किये अनुबन्ध सम्मिलित हों 16. नवीनतम फोटोग्राफ–02 नग 17. पंजीकरण शुल्क रू0 5000+18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) डी0डी0 के रूप में 18. पंजीकरण जमानत राशि रू0 1.00 लाख एफ0डी0आर0 के रूप में एवं 19. कार्य क्षमता रू0 50.00 लाख तक। **श्रेणी–स** 1. नवीनतम चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रति 2. हैसियत प्रमाण–पत्र रू0 10.00 लाख की प्रति 3. हैसियत में कोई खुर्द–बुर्द न करने का शपथ–पत्र 4. डिप्लोमा होल्डर की डिप्लोमा की प्रति 5. डिप्लोमा होल्डर की ओर से शपथ–पत्र 6. डिप्लोमा होल्डर को रखने का शपथ–पत्र 7. जी0एस0टी0 में पंजीकरण की प्रति 8. पैनकार्ड की प्रति 9. मशीन एवं टूल्स का शपथ पत्र 10. जिला पंचायत में पंजीकरण की रसीद 11. फर्म का फर्म निबन्धन में पंजीकरण की प्रति (पार्टनरशिप फर्म) 12. पार्टनर शिप डीड की प्रति 13. अनुभव प्रमाण–पत्र विगत तीन वर्षों में रू0 45.00 लाख

PROGRAMME IMPLEMENTATI

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
पैंतीसवाँ दीक्षान्त समारोह, नवम्बर 07, 2023
XXXV CONVOCATION, G.B. PANT UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, PANTNAGAR
मुख्य अतिथि

				हो, जिसमें रू0 15–15 लाख की हो पूर्ण किये अनुभव सम्मिलित हों 14. नवीनतम फोटोग्राफ–02 तथा 15. पंजीकरण शुल्क रू0 3000+18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) डी0डी0 के रूप में 16. पंजीकरण जमानत राशि रू0 30.00 हजार एफ0डी0आर0 के रूप में एवं 17. कार्य क्षमता रू0 20.00 लाख तक। **श्रेणी–द** 1. नवीनतम चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रति 2. हैसियत प्रमाण–पत्र रू0 5.00 लाख की प्रति 3. हैसियत से कोई छूट–फूट न करने का शपथ–पत्र 4. जी0एस0टी0 में पंजीकरण की प्रति 5. पैनकार्ड की प्रति 6. महोत्र एवं दूकान का शपथ पत्र 7. जिला पंचायत में पंजीकरण की प्रति 8. फर्म का फर्म निबन्धन में पंजीकरण की प्रति (पार्टनरशिप फर्म) 9. पार्टनर शिप डीड की प्रति 10. अनुभव प्रमाण–पत्र विगत तीन वर्षों में रू0 5.00 लाख का 11. नवीनतम फोटोग्राफ–02 तथा 12. पंजीकरण शुल्क रू0 2000+18 प्रतिशत (जी0एस0टी0) डी0डी0 के रूप में 13. पंजीकरण जमानत राशि रू0 20.00 हजार एफ0डी0आर0 के रूप में एवं 14. कार्य क्षमता रू0 10.00 लाख तक। **नोट– प्रत्येक श्रेणी में दिये गये प्रमाण–पत्रों की जांच/सत्यापन कराने के उपरान्त पंजीकरण किया जाता है।**
9	सम्पर्क मार्ग	ग्रामीणों/कृषकों	ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां कृषकों को मुख्य मार्ग तक आने की आवश्यकता हो।	किसानों/ग्रामीणों एवं ग्राम प्रधानों/जनप्रतिनिधियों की मांग पर मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर मण्डी विकास निधि से एवं विपणन बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर केन्द्रीय मण्डी निधि से निर्माण शाखा द्वारा सम्पर्क मार्ग की परियोजना/आगणन गठित कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को प्रेषित किया जाता है।
10	हैण्डपम्प	ग्रामीणों/कृषकों	ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पेयजल सुविधा की आवश्यकता हो	किसानों/ग्रामीणों एवं ग्राम प्रधानों/जनप्रतिनिधियों की मांग पर मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर मण्डी विकास निधि से एवं विपणन बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर केन्द्रीय मण्डी निधि से सि0/यां0 शाखा द्वारा हैण्डपम्प की परियोजना/आगणन गठित कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को प्रेषित किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर अमेरिका के लैण्ड ग्रांट पैटर्न पर आधारित भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 17 नवम्बर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।

देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा दिए गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ० नारमन ई० बोरलॉग द्वारा इसे **"हरित क्रांति की जन्मस्थली"** के नाम से सम्बोधित किया गया है। विगत 6 दशकों में यह विश्वविद्यालय खाद्यान्न उत्पादन के अलावा मशरूम, दुग्ध, तिलहनी फसलों तथा मत्स्य उत्पादन में भी अपना अहम योगदान दे रहा है। कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रसार में अपने अहम योगदान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (आईसीएआर) द्वारा इसे तीन बार सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग इन्स्टीट्यूशन सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के अलावा विश्वविद्यालय आईसीएआर रैंकिंग में देश के कृषि विश्वविद्यालयों के बीच लगातार शीर्ष स्थान पर रहा है। पंत विश्वविद्यालय क्यूएस वर्ड रैंकिंग बाई सब्जेक्ट में 301–350वें स्थान के साथ देश के सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में अपना स्थान बनाने वाला अकेला विश्वविद्यालय रहा है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक्रीडिटेशन में 'ए' ग्रेड प्राप्त है। राष्ट्रीय स्तर की एनआईआरएफ रैंकिंग–एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड 2024 में विश्वविद्यालय को 6ठा स्थान एवं कृषि विश्वविद्यालयों में तीसरा स्थान मिला है।

शैक्षणिक कार्यक्रम

विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय में सात महाविद्यालय क्रमशः कृषि महाविद्यालय, मात्स्यिकी विज्ञान महाविद्यालय, पशुचिकित्सा एवं पशु पालन विज्ञान महाविद्यालय, विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सामुदायिक विज्ञान एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय हैं जिनमें लगभग 4300 विद्यार्थी विभिन्न उपाधियों के लिए अध्ययनरत हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय निम्न पाठ्यक्रमों के स्नातक, परास्नातक एवं पीएचडी की उपाधि प्रदान कर रहा है।

1.	स्नातक पाठ्यक्रम	बी.एस.सी. (ऑनर्स) कृषि, बी.एस.सी. (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान, बी.वी.एस.सी. एवं ए.एच., बी.एफ.एस.सी., बी.टेक. (खाद्य प्रौद्योगिकी), बी.टेक. (बायोटेक्नोलॉजी), बी.टेक.– (जैव प्रौद्योगिकी), बी.टेक. सिविल इंजीनियरिंग, बी.टेक. कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, बी.टेक. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बी.टेक. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, बी.टेक. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बी.टेक. औद्योगिक और उत्पादन इंजीनियरिंग
2.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	**कृषि अर्थशास्त्र, कृषि मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि विस्तार शिक्षा, कीट विज्ञान, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन, फल विज्ञान, फूलों की खेती और भूनिर्माण, पादप रोग विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान** **(मत्स्य विज्ञान संयुक्त)** **जलीय कृषि** मत्स्य विज्ञान / जलकृषि में स्नातक की डिग्री **मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी** मत्स्य विज्ञान स्नातक

(सामुदायिक विज्ञान प्रमुख)

परिधान और वस्त्र विज्ञान,

बीएससी गृह विज्ञान/बीएससी (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान/गृह अर्थशास्त्र/परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान के साथ–साथ इंटरमीडिएट विज्ञान

संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता विज्ञान,

बीएससी गृह विज्ञान/गृह अर्थशास्त्र/परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान/बीएससी (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ।

खाद्य और पोषण,

बीएससी होम साइंस विद इंटरमीडिएट साइंस/बीएससी फूड टेक/बीएससी (ऑनर्स) कम्युनिटी साइंस/बीएससी होम इकोनॉमिक्स/बीएससी (ऑनर्स) फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स/बीटेक फूड टेक्नोलॉजी।

मानव विकास और परिवार अध्ययन

बीएससी गृह विज्ञान/बीएससी (ऑनर्स) सामुदायिक विज्ञान/बीएससी गृह अर्थशास्त्र/बीएससी परिवार एवं सामुदायिक विज्ञान/बीएससी सामुदायिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान के साथ–साथ इंटरमीडिएट विज्ञान।

(विज्ञान प्रमुख)

कृषि रसायन,

बीएससी रसायन विज्ञान एक प्रमुख विषय के रूप मे/ बीएससी कृषि/बागवानी/वानिकी/बीएससी (ऑनर्स) कृषि।

जैव रसायन,

जैव रसायन विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म जीव विज्ञान/कृषि/गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान/मत्स्य पालन/पशु चिकित्सा विज्ञान/वानिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी में बीएससी/रसायन विज्ञान एक प्रमुख विषय के रूप में लेकर बीएससी/बागवानी में बीएससी।

वनस्पति विज्ञान,

वनस्पति विज्ञान को प्रमुख विषय के रूप में लेकर बी.एस.सी.

रसायन विज्ञान,

रसायन विज्ञान को प्रमुख विषय के रूप में लेकर बी.एस.सी.

पर्यावरण विज्ञान,

पर्यावरण विज्ञान/पर्यावरण जीव विज्ञान के साथ बीएससी एक प्रमुख विषय के रूप में/जैवकोसी/कृषि/मत्स्य पालन/गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान/वानिकी/बागवानी में बीएससी।

एम.टेक. खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी

खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी/डेयरी प्रौद्योगिकी में चार वर्षीय स्नातक की डिग्री

गणित,

बी.एस.सी. गणित विषय के साथ एक प्रमुख विषय के रूप में

डिज़ाइन और उत्पादन इंजीनियरिंग,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल एवं ऑटोमेशन/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/औद्योगिक एवं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री।
विद्युत ऊर्जा प्रणाली,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/संचार इंजीनियरिंग/दूरसंचार इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।
हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।
सूचना प्रौद्योगिकी
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना संचार प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टेक. डिग्री।
विनिर्माण इंजीनियरिंग और प्रबंधन
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग/मैकेनिकल/प्रोडक्शन और टूल इंजीनियरिंग/प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग/मेकाट्रॉनिक्स/मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एवं ऑटोमेशन/प्रोडक्शन एवं इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग/इण्डस्ट्रियल एवं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी/मैकेनिकल एवं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग/ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में बी.टेक./बी.ई./बी.एससी. (इंजीनियरिंग) की डिग्री।
मृदा यांत्रिकी और फाउंडेशन इंजीनियरिंग
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री
संरचनात्मक इंजीनियरिंग
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री
थर्मल इंजीनियरिंग
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री
परिवहन इंजीनियरिंग
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।

(प्रवेश कार्यक्रम)
एमबीए (कृषि व्यवसाय),
कृषि, कृषि रसायन, कृषि इंजीनियरिंग, डेयरी विज्ञान/प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, खाद्य विज्ञान/प्रौद्योगिकी, बागवानी, वानिकी,

सूक्ष्म जीव विज्ञान,
माइक्रोबायोलॉजी/बायोकेमिस्ट्री/कृषि/मत्स्य/वानिकी/गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी/बायोलॉजी (जूलॉजी और बॉटनी के साथ कोई अन्य विषय)/बीएससी बागवानी/बीटेक (बायोटेक्नोलॉजी)।
आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी,
किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से कृषि/बागवानी/वानिकी/मत्स्य विज्ञान/कृषि जैव प्रौद्योगिकी/बी.टेक. जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री
प्लांट फिजियोलॉजी,
कृषि/बागवानी/वानिकी में बीएससी या प्लांट विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान में बीएससी/रसायन विज्ञान/जैव रसायन विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/पादप आनुवंशिकी में बीएससी)।
भौतिकी
भौतिकी विषय के साथ बी.एस.सी.

(पशु चिकित्सा विज्ञान समूह)
पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान, पशु चिकित्सा परजीवी विज्ञान, पशु चिकित्सा विकृति विज्ञान, पशु चिकित्सा औषध विज्ञान और विष विज्ञान, पशु चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान, पशु चिकित्सा विस्तार शिक्षा, पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी, पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, पोल्ट्री विज्ञान, पशु पोषण, पशु आनुवंशिकी और प्रजनन
बी.वी.एससी. एवं ए.एच./बी.वी.एससी.

(इंजीनियरिंग समूह)

कृषि मशीनरी और विद्युत इंजीनियरिंग,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।
सिंचाई और जल निकासी इंजीनियरिंग,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।
प्रसंस्करण और खाद्य इंजीनियरिंग,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग/रासायनिक इंजीनियरिंग/बी.टेक. खाद्य विज्ञान/बी.टेक. खाद्य प्रौद्योगिकी/बी.टेक. डेयरी प्रौद्योगिकी/बी.टेक. खाद्य इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री
मृदा और जल संरक्षण इंजीनियरिंग,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।
कम्प्यूटर इंजीनियरिंग,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना संचार प्रौद्योगिकी में बी.टेक./बी.ई. डिग्री।

		पशु चिकित्सा विज्ञान, गृह विज्ञान/सामुदायिक विज्ञान या बी.टेक. (जैव प्रौद्योगिकी) में स्नातक और/या मास्टर डिग्री। **एवं/और** एआईसीटीई/यूजीसी या एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (एससी/एसटी वर्ग **के संबंधित उम्मीदवारों के मामले में 45 प्रतिशत) के साथ स्नातक की डिग्री।** **एवं/और** **एम.सी.ए. कार्यक्रम** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ बीसीए/बीएससी/बीएससी (सूचना प्रौद्योगिकी)/बीएससी कम्प्यूटर विज्ञान
3	पी0एच0डी0 [illegible]	**कृषि** कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान, कृषि विस्तार शिक्षा, कीट विज्ञान, आनुवंशिकी और पौध प्रजनन, फल विज्ञान, फूलों की खेती और भूनिर्माण, पादप रोग विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान **इंजीनियरिंग** इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी और पावर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिंचाई एवं जल निकासी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उत्पादन इंजीनियरिंग, मृदा एवं जल संरक्षण इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग **सामुदायिक विज्ञान** खाद्य एवं पोषण, परिधान एवं वस्त्र विज्ञान, संसाधन प्रबंधन और उपभोक्ता विज्ञान **मत्स्य विज्ञान**–[illegible] **विज्ञान** एम.एससी. एजी./एम.एससी. कृषि रसायन में जैव रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, गणित, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, भौतिकी, प्लांट फिजियोलॉजी **पशु चिकित्सा विज्ञान** पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, पशु प्रजनन स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान, पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान, पशु चिकित्सा विकृति विज्ञान, पशु चिकित्सा औषध विज्ञान और विष विज्ञान, पशु चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान, पोल्ट्री विज्ञान, पशु चिकित्सा शल्य चिकित्सा और रेडियोलॉजी, पशु चिकित्सा जैव रसायन, पशु आनुवंशिकी और प्रजनन, पशु पोषण, पशु चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान, पशु चिकित्सा परजीवी विज्ञान, पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी **प्रबंधन**–[illegible]

विश्वविद्यालय में विभिन्न विषय की पुस्तकों के तथा डिजिटल लाइब्रेरी से सुसज्जित विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों के अध्ययन अध्यापन के लिए उपलब्ध है। विभिन्न महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम तथा गोष्ठी आदि के लिए कॉन्फ्रेंस हाल तथा विश्वविद्यालय कैम्पस में एक हजार क्षमता वाला सभागार (गांधी हाल) उपलब्ध है। विद्यार्थियों को सुगमता से शिक्षा प्राप्त हो सके इसलिए छात्र कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियाँ छात्रों को समय समय पर नियमानुसार दी जा रही है।

क्र0सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	डीन छात्रवृत्ति (पुत्री)	रू0 800/- प्रति माह	01 वर्ष (पुत्री) 06 विद्यार्थी	सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसके उपरान्त कुलपति जी द्वारा गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करती है। गठित समिति की संस्तुति पर चयनित विद्यार्थियों को कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् विद्यार्थियों को भुगतान किया जाता है।
2	विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति (पीएचडी)	रू0 6,000/- प्रति माह	पीएच0डी0 में अध्ययनरत विद्यार्थी 36 महीने या पर थीसिस जमा करने की तारीख जो भी पहले हो	नये एवं पूर्व से अध्ययनरत छात्रों को उनके पंजीकरण की तिथि से अध्येतावृत्ति दिये जाने हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा वर्ष 1994–95 में निर्धारित एवं कुलपति द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अन्तर्गत उनसे निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। शैक्षिक प्रगति के आधार पर इनका प्रत्येक माह में नवीनीकरण किया जायेगा। रू0 6000/-प्रतिमाह की दर अध्येतावृत्ति पीएच0डी0 के प्रवेश उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हो छात्रों को उनकी शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मैरिट के अनुसार स्वीकृति की जायेगी। मैरिट लिस्ट तैयार कर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उसे अपनी संस्तुतियों के साथ अपने विभाग के समस्त छात्रों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को संलग्न करते हुए इस कार्यालय को भेजेंगे, तदोपरान्त विभागाध्यक्षों की यह संस्तुतियां अध्येतावृत्ति स्वीकृत किये जाने हेतु पूर्व में गठित समिति के सम्मुख अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा रखी जाती है। गठित समिति की संस्तुति पर कुलसचिव एवं कुलपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती है एवं चयनित विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्यालय आदेश द्वारा निर्गत की जाती है। जिसका भुगतान नियंत्रक वित्त कार्यालय द्वारा की जाती है।
3	मेरिट छात्रवृत्ति (केवल 03 पुत्री छात्रा)	/800 प्रति माह	पुत्री छात्र 3 वर्ष और पशु चिकित्सा छात्र 4 वर्ष	सर्वप्रथम कुलसचिव कार्यालय द्वारा प्राप्त विभिन्न स्नातक कोर्स में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम 03 विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा तैयार की जाती है। विद्यार्थियों की सूची कुलसचिव एवं कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् विद्यार्थियों को भुगतान किया जाता है।
4	कौशल स्नातक कार्ड	ट्यूशन का 50	पुत्री छात्र 4 वर्ष	सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त

PROGRAMME IMPLEMENTATION

		प्रतिवर्ष फीस	पीजी छात्र 03 वर्ष पीएचडी छात्र 3 वर्ष	आवेदन पत्रों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा तैयार की जाती है। विद्यार्थियों की सूची कुलसचिव एवं कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है चयनित विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्यालय आदेश द्वारा नोटिस की जाती है। तत्पश्चात् विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।
5.	रू0 1,00,000 से कम आय (केवल यूजी छात्र)	कॉलेज ट्यूशन फीस	यूजी छात्र 3 वर्ष और बीटेक छात्र 4 वर्ष	सर्वोत्तम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा तैयार की जाती है। विद्यार्थियों की सूची कुलसचिव एवं कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है चयनित विद्यार्थियों की सूची अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्यालय आदेश द्वारा नोटिस की जाती है। तत्पश्चात् विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।
6.	मेधा समिति	1500 रू0 प्रतिमाह	04 वर्ष	सर्वोत्तम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसके उपरान्त कुलपति जी द्वारा गठित समिति द्वारा आवेदन पत्रों का चयन पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करती है। गठित समिति की संस्तुति पर चयनित विद्यार्थियों को कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् विद्यार्थियों को भुगतान किया जाता है।
7.	छात्रवृत्ति योजना प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (एआईसीटीई)	सरकार द्वारा छात्र के खाते में सीधे केवल ट्यूशन फीस प्राप्त होती है	यूजी छात्र – 4 वर्ष	विद्यार्थियों द्वारा (J&K PMSSS) पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है आवेदन के साथ दस्तावेज अपलोड करेंगे आवेदक सरकार की अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो का प्रमाणपत्र पत्र आवेदन छात्र स्वयं की आईडी से अपने शिक्षण संस्थान को प्रेषित करता है, सम्बन्धित शिक्षण संस्थान प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्र की DBT Status को admitted and verified किया जाता है, AICTE, द्वारा का DBT Status approve किया जाता है। अपूर्ण आवेदन पत्रों, जिसे सही किया जा सकता है, को अस्थायी रूप से रिजेक्ट किया जाता है पात्र आवेदकों हेतु AICTE द्वारा धनराशि प्राप्त होती है। जिसका भुगतान विद्यार्थियों को किया जाता है।
8.	गेट छात्रवृत्ति	12,400/– प्रति माह	02 वर्ष या तक थीसिस जमा करने की तिथि जो भी पहले हो	छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया प्रौद्योगिक महाविद्यालय द्वारा किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

16	आईसीएआर-जेआरएफ एमएससी	12,640 /- प्रति माह	02 वर्ष या रूफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	क्रमांक- 25 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
17	आरजीएनएफ-नेट-जेआरएफ (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 /- प्रति माह अगले 03 वर्ष के लिए 42,000 /- प्रति माह	05 वर्ष या रूफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को यू0जी0सी0 द्वारा प्राप्त अवॉर्ड लेटर प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों का आवेदन पत्र ऑन लाईन (ugc.ac.in) पर verified किया जाता है पात्र आवेदकों को बजट की उपलब्धता के अनुसार यू0जी0सी0 द्वारा धनराशि सीधे विद्यार्थियों के खाते में भेजी जाती है।
18	आरजीएनएफ-एससी (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 /- प्रति माह अगले 03 वर्ष के लिए 42,000 /- प्रति माह	05 वर्ष या रूफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	क्रमांक- 29 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
19	आरजीएनएफ-एसटी (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 /- प्रति माह अगले 03 वर्ष के लिए 42,000 /- प्रति माह	05 वर्ष या रूफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	-तदैव-
20	आरजीएनएफ-ओबीसी (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 /- प्रति माह अगले 03 वर्ष के लिए 42,000 /- प्रति माह	05 वर्ष या रूफ थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	-तदैव-

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

9.	डीएसटी–इन्स्पायर (पीएचडी)	(एस.टेक.)?	05 वर्ष या एक थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को डीएसटी द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के पश्चात् पीएमएस में डीएसटी द्वारा लिमिट प्रदान की जाती है। जिसके पश्चात् विद्यार्थियों को पीएफएमएस के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
10.	आईसीएमआर (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 31,000/- प्रति माह	05 वर्ष या एक थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को आईसीएमआर द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
11.	आईसीएसएसआर (पीएचडी)	तत्पश्चात 03 वर्ष के लिए 35,000/- प्रति माह	05 वर्ष या एक थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को आईसीएसएसआर द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
12.	सीएसआईआर (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 31,000/- प्रति माह	05 वर्ष या एक थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को सीएसआईआर द्वारा अवार्ड लेटर प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों का ज्वाइनिंग पत्र ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात् विद्यार्थियों के पर्यवेक्षक द्वारा ऑनलाइन verified किया जाता है तत्पश्चात् अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय द्वारा अग्रसारित किया जाता है। मास आवेदनों की प्रक्रिया की उपलब्धता के अनुसार सीएसआईआर द्वारा धनराशि सीधे विद्यार्थियों के खाते में भेजी जाती है।
13.	आईसीएआर–एनटीएस यूजी (बी एससी)	3,000/- प्रति माह	04 वर्ष 05 वर्ष 6 माह केवल बी.आर्क के लिए।	सर्वप्रथम ICAR द्वारा प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की मांग ICAR के पोर्टल पर अपलोड की जाती है जिसके उपरान्त ICAR द्वारा विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
14.	आईसीएआर–एनटीएस पीजी (एम एससी)	8,000/- प्रति माह	02 वर्ष	क्रमांक– 23 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
15.	आईसीएआर–एसआरएफ (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 31,000/- प्रति माह तत्पश्चात 01 वर्ष के लिए 35,000/- प्रति माह	03 वर्ष या एक थीसिस जमा करने की तिथि, जो भी पहले हो	क्रमांक– 23 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

21	पीडीएफ–एमएससी	46,400 /– प्रति माह	03 वर्ष या एक थीसिस जमा करने की तिथि जो भी पहले हो	–तदैव–
22	पीडीएफ–महिला	43,200 प्रति माह	03 वर्ष या एक थीसिस जमा करने की तिथि जो भी पहले हो	–तदैव–
23	अल्पसंख्यकों के लिए MANF (पीएचडी)	02 वर्ष के लिए 37,000 /– प्रति माह	अल्पसंख्यकों के लिए MANF (पीएचडी)	–तदैव–
24	आईसीएआर–अफगानिस्तान	15,000 /– प्रति माह (एम.एससी.) 16,000 /– प्रति माह (पीएचडी)	02 वर्ष या एक थीसिस जमा करने की तिथि जो भी पहले हो 03 वर्ष या एक थीसिस जमा करने की तिथि जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को आई0सी0ए0आर0 द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
25	आईसीएआर–अफ्रीकी	16,000 /– प्रति माह (एम.एससी.)	02 वर्ष या एक थीसिस जमा करने की तिथि जो भी पहले हो	विद्यार्थियों को आई0सी0ए0आर0 द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र प्राप्त होने एवं विश्वविद्यालय को धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
26	अमित गौतम मेमोरियल स्कॉलरशिप (बी.टेक (इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग) चतुर्थ)	रू0 7000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसके उपरान्त कुलपति द्वारा गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करती है। गठित समिति की संस्तुति पर कुलपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है तत्पश्चात् विद्यार्थियों को भुगतान किया जाता है।
27	मेरिट एसएस का पुरस्कार। एजी के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग (बी.टेक	रू0 2000 प्रति माह	एक वर्ष	क्रमांक– 38 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	तृतीय / चतुर्थ वर्ष)			
28	चांसलर स्वर्ण पदक	स्वर्ण पदक	एक वर्ष	–तदैव–
29	डॉ. ध्यानपाल सिंह मैमोरियल अवार्ड (सभी महाविद्यालयों के यूजी अंतिम वर्ष के छात्र)	रू0 30000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	–तदैव–
30	डॉ. एस.के. मुखर्जी छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी. द्वितीय और तृतीय वर्ष)	रू0 1100 प्रति माह	एक वर्ष	–तदैव–
31	एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन रिसर्च फेलोशिप (एमएससी एजी सभी अनुशासन)	रू0 1200 अमराहृन	एक वर्ष	–तदैव–
32	प्रियांक पाठक छात्रवृत्ति (बी.एससी. एजी (चतुर्थ वर्ष) छात्र)	रू0 300 प्रति माह	एक वर्ष	–तदैव–
33	मोनसेंटो छात्रवृत्ति (एम.एससी. कृषि विज्ञान और कृषि। जैव प्रौद्योगिकी)	रू0 1000 प्रति माह	तीन सेमेस्टर	–तदैव–
34	के.सी. शर्मा फेलोशिप (एम एससी. एजी. एग्रोनॉमी (द्वितीय वर्ष) छात्र)	रू0 1000 प्रति माह	एक वर्ष	–तदैव–
35	डॉ. एस.के. शर्मा और (पीएचडी	रू0 25000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	–तदैव–

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	द्वितीय वर्ष (1), तृतीय वर्ष (01) और चतुर्थ वर्ष (01) छात्र			

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की अब तक कुल 354 प्रजातियों का विकास किया जा चुका है जिनसे पूरे देश के किसान लाभान्वित होते हैं। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों का लगभग 7000 क्विंटल प्रजनक बीज देश के प्रयोग करने में सहयोग है। जिससे कि खाद्यान्न उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके अलावा विभिन्न औद्यानिक फसलों की नर्सरी भी कृषकों को उपलब्ध करायी जाती है। विश्वविद्यालय का देश एवं विदेश के प्रतिष्ठित संस्थाओं से करार है जिससे विद्यार्थियों एवं वैज्ञानिकों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है, जो कि शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। फसलों के अलावा गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न, शहद आदि का भी उत्पादन किया जाता है।

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
1	बीज अनुदान	किसानों को किसान मेले के दौरान 15 प्रतिशत छूट अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाता है।	कृषक	सभी कृषकों को बीज उपलब्धता के आधार पर किसान मेले के दौरान प्रदान किये जाते हैं।
2	रिसर्च असिस्टेंटशीप	स्नातक एवं स्नातकोत्तर शोधार्थियों को रिसर्च असिस्टेंटशीप दी जाती है।	स्नातक एवं स्नातकोत्तर शोधार्थी	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा एवं ग्रेड (OGPA) के आधार पर चयन किया जाता है।

1. वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा शोध हेतु 404 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनमें से कृषकों को सीधे लाभ हेतु 14 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं द्वारा कृषकों को नवीनतम तकनीकी प्रदान की जाती है। साथ ही उपलब्धतानुसार चयनित कृषकों को कृषि इनपुट भी प्रदान किये जाते हैं। इनमें अनुसूचित जाति कृषक, एस.टी. कृषक, सामान्य कृषक एवं महिला कृषक सम्मिलित हैं।
2. अब तक विश्वविद्यालय द्वारा कृषकों हेतु विभिन्न फसलों की 354 प्रजातियाँ विकसित की गयी हैं। इन प्रजातियों के गुणवत्ता युक्त बीज से उत्पादन एवं उत्पादकता में लगभग 5–10 प्रतिशत की वृद्धि होती है। यह बीज उपलब्धता के आधार पर विधि से विक्रय किये जाते हैं। कृषि मेलों के समय (वर्ष में दो बार) सभी फसलों के बीज 15 प्रतिशत छूट पर प्रदान किये जाते हैं।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

	गणित)			
36	डॉ. बी.एन. नस्पुर पुरस्कार (एम.एससी. गणित)	रू0 20000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	—तदैव—
37	डॉ. ए.एन. मुक्कोपाध्याय स्वर्ण पदक (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र)	रू0 25,000 प्रति वर्ष प्रति छात्र	एक वर्ष	—तदैव—
38	डॉ. ए.एन. मुक्कोपाध्याय जरूरतमंद छात्र निधि (बी.एससी. एजी. अंतिम छात्र)	रू0 25,000 प्रति वर्ष प्रति छात्र	एक वर्ष	—तदैव—
39	श्रीमती उमा गुप्ता फेलोशिप (एम. एससी. एजी. (जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग)	रू0 1000 प्रति माह	तीन सेमेस्टर	—तदैव—
40	श्रीमती बिमला रानी मेमोरियल अवार्ड (बी.एससी. एजी., बी.वी.एससी. और ए एच., बी.एचएससी. और बी.एफ.एससी.)	रू0 12,000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	—तदैव—
41	डॉ. वाई.पी. सब्जी विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ थीसिस के लिए सिंह पुरस्कार	रू0 20,000 प्रति वर्ष	एक वर्ष	—तदैव—
42	वरूण पंवार मेमोरियल अवार्ड (बी.एससी. एजी.	रू0 10000 प्रति वर्ष प्रति छात्र	एक वर्ष	—तदैव—

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड

प्रसार शिक्षा कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	प्रशिक्षण एवं भ्रमण इकाई	विश्वविद्यालय द्वारा कृषकों, युवाओं, प्रसार कार्यकर्ताओं को कृषि एवं सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण एवं जानकारी उपलब्ध कराया जाना।	कृषक, ग्रामीण युवा, प्रसार कार्यकर्ता	विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रशिक्षण कार्ययोजना जारी की जाती है तथा लाभार्थी आवश्यकतानुसार पंजीकरण कराकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं व रेखीय विभागों के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार भी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।
2.	समेटी-उत्तराखण्ड	समेटी-उत्तराखण्ड द्वारा कृषकों, युवाओं, प्रसार कार्यकर्ताओं को कृषि एवं सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराया जाना।	आत्मा एवं कृषि आधारित रेखीय विभाग के अधिकारी/प्रसार कार्यकर्ता एवं प्रगतिशील किसान	समेटी-उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रशिक्षण कार्ययोजना जारी की जाती है तथा लाभार्थी मुख्य कृषि अधिकारी/परियोजना निदेशक आत्मा के माध्यम से नामांकन कराकर कार्यक्रम में भाग लेते हैं।
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र	वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के 09 जनपदों (अल्मोड़ा, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून) में कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं जिनके द्वारा जनपद के स्थानीय स्तर पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, अनुकूलनीय प्रक्षेत्र तथा अन्य प्रसार गतिविधियों का संचालन किया जाता है।	कृषक, ग्रामीण युवा, रेखीय विभाग के अधिकारी/प्रसार कार्यकर्ता	कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्ययोजना जारी की जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं का सर्वे उपरान्त योजना तैयार की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य किये जाते हैं।
4.	कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र, पंतनगर	एकल खिड़की प्रणाली अन्तर्गत विश्वविद्यालय के समस्त उत्पादों, साहित्य, तकनीकी सूचना इत्यादि की उपलब्धता।	कृषक, ग्रामीण युवा, प्रसार कार्यकर्ता, छात्र एवं विश्वविद्यालय में आने वाले आगन्तुक	कृषक, ग्रामीण युवा, प्रसार कार्यकर्ता, छात्र एवं विश्वविद्यालय में आने वाले आगन्तुक।
5.	अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी	वर्ष में दो बार अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किया जाता है।	कृषक, युवक, उद्यमी, कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विषयों के फर्मों द्वारा नवीनतम तकनीकियां उपलब्ध कराने हेतु प्रतिभाग करना।	कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित फर्मों द्वारा प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रदर्शनी लगायी जाती है तथा कृषकों द्वारा पंजीकरण कराकर प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया जाता है।

उद्यान विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र	**प्रशिक्षण:** सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में 10 दिवसीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिवसीय फल सब्जी प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।	प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सामुदायिक प्रसंस्करण केन्द्र से कोई भी व्यक्ति / कास्तकार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता / सकती है। जिसके प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षार्थी रू0 15 (पन्द्रह रूपये) शुल्क प्राप्त किया जाता है।	लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है।
		खाद्य प्रसंस्करण: सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा सामुदायिक प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है।	सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों पर कच्चा माल उपलब्ध कराकर खाद्य उत्पाद तैयार कराया जा सकता है। खाद्य उत्पाद तैयार करवाने हेतु शुल्क रू0 15 (पन्द्रह रूपये) प्रति किलोग्राम लिया जाता है।	
2	राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र	राज्य में 02 खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र हैं। जहां पर कैनिंग एवं खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी एवं कन्फैक्सनरी एवं कूकरी (पाककला) में एक वर्ष छः माह का डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।	डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी उत्तराखण्ड के होंगे, तद्नुसार छात्र / छात्राओं को कैनिंग एवं खाद्य प्रसंस्करण कोर्स में प्रवेश हेतु **(इण्टरमीडिएट विज्ञान कृषि)** तथा अन्य कोर्स में प्रवेश हेतु **(इण्टरमीडिएट)** उत्तराखण्ड स्थित संस्था से उत्तीर्ण की हो, वे ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।	अभ्यर्थियों का चयन इण्टरमीडिएट में प्राप्त प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल

विश्वविद्यालय का गठन एवं उद्देश्य: औद्यानिकी, पर्वतीय कृषि एवं वानिकी के क्षेत्र में प्रदेश के समग्र विकास के उद्देश्य से उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं॰ 732/XIII-II/2011-12(02)/2011 देहरादून दिनांक 28 सितम्बर, 2011 द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का गठन किया गया। विश्वविद्यालय के तीन प्रमुख कार्य हैं–

1. शिक्षण – विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में बी॰एस॰सी॰, एम॰एस॰सी॰ एवं पी॰एच॰डी॰ के विभिन्न अनुशासनों में पठन–पाठन।
2. शोध – विश्वविद्यालय में पर्वतीय कृषि, औद्यानिकी, वानिकी तथा अन्य सम्बन्धित विषयों में शोध कार्य करना।
3. अपने शोध एवं प्रशिक्षित वैज्ञानिकों तथा प्रसार कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों/पशुपालकों को कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी का प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसके साथ ही किसानों को आवश्यकतानुसार उत्तम बीज तथा उत्कृष्ट प्रजाति की बागवानी पौध उपलब्ध कराना।

विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा कराई जाती है जिसके माध्यम से बी॰एस॰सी॰, एम॰एस॰सी॰ एवं पी॰एच॰डी॰ के विभिन्न विषयों में प्रवेश दिया जाता है।

पी॰एच॰डी॰ कार्यक्रम			
1	एग्रोफोरेस्ट्री	2. सिल्वीकल्चर	3. ट्री इम्प्रूवमेन्ट
4	फॉरेस्ट प्रोडक्ट एण्ड यूटिलाइजेशन	5. मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लान्ट्स	6. फ्रूट साइंस
7	एनवायरमेन्टल साइंस		

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

	एम0एस0सी0 कार्यक्रम		
1	फूड साइंस	2. वैटेरिनरी साइंस	3.[illegible] एवं [illegible]
4	एग्रीकल्चरल [illegible] मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लान्ट्स	5.एन्टोमोलॉजी	6. प्लांट पैथोलॉजी
7	पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेन्ट	सीड साइंस एवं टैक्नोलॉजी	9. सिल्वीकल्चर एवं एग्रोफॉरेस्ट्री
10	फॉरेस्ट बायोलॉजी एवं ट्री इम्प्रूवमेन्ट	11. फॉरेस्ट प्रोडक्ट एवं यूटिलाइजेशन	12. फ्लोरीकल्चर
13	एग्रोकेमिस्ट्री	14.एन्वायरमेन्टल साइंस	15.एक्सटेंशन एजुकेशन
16	एग्रोनामी	17. प्लांट फिजियोलॉजी	
	बी0एस0सी0 (आनर्स) कार्यक्रम		
1	फॉरेस्ट्री	2.हॉर्टीकल्चर	3.एग्रीकल्चर

अन्य विवरण :-

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	बी0एस0सी0, एम0एस0सी0 एवं पी0एच0डी0	कृषि वानिकी एवं औद्यानिकी में विभिन्न पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त करना	बी0एस0सी0 हेतु विज्ञान से इण्टरमीडिएट, एम0एस0सी0 हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक तथा पी0एच0डी0 हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर	राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है।
2	किसान विज्ञान केन्द्र की विभिन्न प्रशिक्षण तथा अन्य स्वरोजगार योजनायें	कृषि वानिकी एवं औद्यानिकी की आधुनिकतम तकनीकी प्रशिक्षण तथा उन्नत बीज एवं पौध प्रदान किए जाते हैं।	प्रदेश के कृषक	समय–समय पर किसान मेलों में कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा तथा सम्पर्क का विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा एजेन्सियों के द्वारा उन्नत बीज एवं उन्नत पौध प्रदान करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा किसानों को जानकारी प्रदान की जाती है।
3	ग्रामीण कृषि मौसम सेवा	किसानों को साप्ताहिक मौसम की जानकारी दी जाती है	समस्त किसान	–
4	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	वानिकी प्रजातियों पर शोध, संरक्षण [illegible] द्वारा संरक्षक प्रजातियों में सुधार की सम्भावनाओं का अध्ययन तथा गुणवत्ता युक्त पौध वितरण एवं प्रशिक्षण	प्रदेश के कृषक	समय–समय पर किसान मेलों में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान विभिन्न परियोजना द्वारा तथा सम्पर्क का विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा एजेन्सियों के द्वारा उन्नत बीज एवं उन्नत पौध प्रदान करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा किसानों को जानकारी प्रदान की जाती है।

पशुपालन विभाग

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	पशुधन मिशन योजना ऋण पर ब्याज भुगतान	**ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु** – डेरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत (05 गाय इकाई), (10 गाय इकाई) (02 भैंस इकाई), (05 भैंस इकाई) **खरगोश उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत** – एक खरगोश इकाई व दो खरगोश 250 इकाई **भेड़ बकरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत** –पशुधन मिशन योजनान्तर्गत (5 मादा+1 नर) व (10 मादा+1 नर) **शूकर उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत** (3मादा+1नर) व (10मादा+1नर) **कुक्कुट उद्यमिता विकास विकास योजनान्तर्गत** (Commercial Broile) फार्म 1000 पक्षियों व Small Commercial Layer फार्म 250 पक्षियों की स्थापना हेतु उक्त इकाइयों की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा लिए गए बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज को 90 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।	इच्छुक पशुपालक जो बैंक ऋण की पात्रता रखते है।	योजना का संचालन ऑनलाइन मोड में किया जायेगा। विभागीय पोर्टल के सुचारू रूप से संचालित होने के उपरान्त लाभार्थियों को पोर्टल के माध्यम से आवेदन/पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा बैंक से ऋण स्वीकृति के सहमति पत्र के साथ जिला स्तर पर स्थापित जिलास्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी०एल०आई०यू०) को आवेदन किया जायेगा। जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी०एल०आई०यू०) द्वारा प्राप्त आवेदन की जांच उपरान्त पात्र आवेदकों की सूची तैयार कर समस्त प्राप्त आवेदनों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त अन्तिम अनुमोदन प्रदान किया जायेगा तथा पंजीकरणोपरान्त लाभार्थी के आवेदन-पत्र सहित सम्बन्धित बैंक के माध्यम से लाभ एवं ऋण संस्तुति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। बैंक द्वारा प्रत्येक त्रैमास में लाभार्थी के स्वीकृत ऋण के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज अनुदान की धनराशि की सूचना जिलास्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी०एल०आई०यू०) को उपलब्ध कराई जायेगी। जिला स्तरीय क्रियान्वयन इकाई (डी०एल०आई०यू०) द्वारा उक्त धनराशि का बिल तैयार कर कोषागार का भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य अनुश्रवण समिति का कार्यालय पशुपालन निदेशालय, देहरादून में स्थापित होगा तथा **निदेशक, पशुपालन** की निरीक्षणाधीन समिति योजना की प्रगति का अनुश्रवण का कार्य करेगी तथा जिलास्तरीय अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर योजना संचालित करायेगी।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

			4.किसान सहकारिता (एफ.सी.ओ.) 5.संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) 6.धारा 8 की कंपनियाँ।	3.राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति (एस.एल.ई.सी.) द्वारा अनुशंसा। 4.पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा सब्सिडी की स्वीकृति। 5.सब्सिडी को जारी करना और उसका वितरण। विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in को देखें या राज्य पशुपालन विभाग से सम्पर्क करें।
5	ए–हेल्प कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	सामुदायिक–सेवा आधारित ए–हेल्प कार्यकत्रियों द्वारा पशुपालन विभाग तथा पशुपालकों के मध्य रिक्त स्थान के भरने के कार्य या रोजगार का सृजन	उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास हो। 07 दिवसीय पशु सखी का प्रशिक्षण लिया गया हो।	उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चयनित पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती है।

* अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें– uldb.org or www.dahd.nic.in

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेंट बोर्ड

उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड (यू०एल०डी०बी०)

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.पर्वतीय जनपदों में न्यू 100 / न्यूनतम कृत्रिम गर्भाधान 25 से 30 2.मैदानी जनपदों में 30 100 न्यूनतम कृत्रिम गर्भाधान 50 से 60	पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की इच्छा [illegible] एवं पर जनता अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी न्यूनतम आयु 18 वर्ष शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संस्तुति	उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड की वेबसाइट— uldb. org पर Service section के Training sub head से निर्धारित प्रारूप डाउनलोड कर सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की संस्तुति पर मुख्य अधिशासी अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जायेगा।
2.	ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म	एक करोड़ की परियोजना लागत में अधिकतम 50 लाख की राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग, केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी	पशुपालक, फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी, सेक्शन 8 में पंजीकृत कम्पनी, स्वयं सहायता समूह	Eoi-nddb-coop लिंक पर ऑनलाइन आवेदन आवेदक द्वारा किया जाता है।
3.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन अन्तर्गत पशुधन बीमा योजना	पशुधन बीमा	उत्तराखण्ड के समस्त पशुपालक	राजकीय पशुचिकित्सालयों पर पशुपालकों द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
4.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन–उद्यमिता विकास योजना	छोटे जुगाली करने वाले पशु, कुक्कुट और सूकर पालन क्षेत्र और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार का सृजन।	1.निजी व्यक्ति 2.स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) 3.किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.)	www.nlm.udyamimitra.in पर ऑनलाइन आवेदन एवं चयन– 1.राज्य कार्यान्वयन संस्था द्वारा आवेदन की संस्तुति। 2.ऋणदाता द्वारा ऋण की स्वीकृति।

उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग

उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग

राज्य में गाय और गाय के वंश के परिरक्षण, विकास और कल्याण हेतु वर्ष 2010 में उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग की स्थापना की गयी है। आयोग द्वारा निम्न कार्य किये जाते हैं–

1. आयोग द्वारा दूरभाष, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से गौवंश के प्रति क्रूरता, [illegible] से सम्बंधित प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेकर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी / पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाती है।
2. आयोग द्वारा सड़क मार्गों पर गौवंश के घायल / बीमार पड़े होने की सूचना / शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को दूरभाष / ई-मेल के माध्यम से सूचित कर उस क्षेत्र के सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से घायल / बीमार गौवंश का घटनास्थल पर निःशुल्क उपचार कराया जाता है।
3. आयोग द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पशुक्रूरता निवारण समिति की बैठकों का आयोजन कराकर गौवंश के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने के साथ-साथ गौवंश से सम्बन्धित शिकायतों एवं समस्याओं का सम्बन्धित विभागों के स्तर पर निस्तारण कराया जाता है।
4. राज्य सरकार द्वारा कुल निराश्रित पशु एवं गौवंश को शरण दिए जाने हेतु नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में गौसदनों का निर्माण कराने के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर एन०जी०ओ० के माध्यम से छोटे-छोटे निजी गौसदनों के निर्माण हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए जून-2023 में जारी गाइड लाइन में निम्न प्रावधान किए गये हैं–

- गौसदनों की स्थापना हेतु एन०जी०ओ० को भूमि दिए जाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। चिन्हित भूमि पर स्थापित राज्य सरकार का होगा, परन्तु प्रबंधकीय कार्यों हेतु एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उपयुक्त एन०जी०ओ० से एमओयू / अनुबंध किया जायेगा।
- यदि किसी एन०जी०ओ० के पास भूमि पहले से उपलब्ध होगी तो उसे गौसदन के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग किया जायेगा।

इन गौसदनों में शरणागत गौवंश के भरण पोषण हेतु रू0 30/- प्रतिदिन प्रतिगौवंश राजकीय सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है।

आयोग द्वारा सड़कों पर छोड़े जाने वाले निराश्रित गौवंश हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सम्बन्धित विभागों के स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाता है। साथ ही सर्दी, गर्मी एवं बरसात बाढ़ जैसी आपदा के समय सम्बंधित विभागों के माध्यम से भी एवं गौवंश को उचित स्थान दिलाने एवं उनके चिकित्सा / उपचार व चारे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है।

डेयरी विभाग, उत्तराखण्ड

डेयरी विकास विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	महिला डेरी विकास परियोजना उत्तराखण्ड	प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्राम स्तर पर ही महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से समुचित संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की जा सकी। योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु महिला सदस्यों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं। जिसमें सचिव प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रबंध कमेटी सदस्यों का प्रशिक्षण, महिला प्रोत्साहन / प्रेरक कार्यक्रम, स्वच्छ दुग्ध उपार्जन हेतु गोष्ठी एवं अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सेमिनार कराया जाता है। दुग्ध उपार्जन बढ़ाने हेतु महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद में सर्वाधिक दूध देने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाता है।	प्रदेश स्तर पर प्रत्येक जनपद की वो सभी महिलाएं जिनकी दिलचस्पी दुग्ध उपार्जन व्यवसाय क्षेत्र में है।	खुली बैठक में महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति गठन से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी देने के उपरान्त महिला दुग्ध समिति गठन की सहमति होने पर महिला दुग्ध समिति सदस्यों से 9 महिलाओं को प्रबंध कमेटी सदस्य के रूप में चयनित किया जाता है तथा चयनित सदस्यों के बीच से ही एक सभापति का चुनाव किया जाता है। तत्पश्चात् दुग्ध समिति के संचालन हेतु कर्मचारी के रूप में सचिव की नियुक्ति प्रबंध कमेटी द्वारा की जाती है। सभी दुग्ध उत्पादक सदस्यों को जो दुग्ध समिति में दूध देती है उन्हें समिति की सदस्यता भी दी जाती है।

मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड

मत्स्य विभाग

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	मात्स्यिकी क्षेत्र में छोटे से लेकर बड़े किसानों / महिलाओं को विभिन्न गतिविधि / मदों में सहायता तालिकानुसार। (तालिका 01) मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण / भ्रमण / सेमिनार निःशुल्क उपलब्ध कराना।	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जाति वर्ग जिनके पास भूमि एवं जलस्रोतों की उपलब्धता हो अथवा पूर्व से मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हों।	संबंधित योजना का लाभ लेने हेतु पात्र लाभार्थी को आवेदन पत्र जनपद स्तर पर सहायक निदेशक मत्स्य / जनपद मत्स्य प्रभारी कार्यालय में देना अथवा अपुणि सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी जमा कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि की खतौनी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर संलग्न करेगा। योजनान्तर्गत लाभार्थी का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत (First Come First Serve) के आधार पर योजना के दिशा–निर्देशानुसार वरीयता के आधार पर किया जायेगा। आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त मत्स्य निरीक्षक / क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाता है तथा लाभार्थी के साथ विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाता है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद संबंधित जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तत्पश्चात् क्षेत्रीय कार्मिकों की देख–रेख एवं तकनीकी सहायता लेते हुए संबंधित कार्य को पूर्ण कराया जाता है। इसके उपरान्त सब्सिडी का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधा भुगतान किया जाता है।
2.	प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (नवीन योजना) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत सह	राष्ट्रीय मत्स्य क्षेत्र डिजिटल प्लेटफार्म के अंतर्गत मछुआरों, मछली किसानों और सहायक श्रमिकों के स्व–पंजीकरण के माध्यम से असंगठित मत्स्य क्षेत्र के कार्यों का औपचारीकरण, मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को संस्थागत वित्तपोषण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना। जलकृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान करना।	मछुआरे, मत्स्य पालक, किसान, मछली विक्रेता, या ऐसे अन्य व्यक्ति जो सीधे मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में लगे हुए हैं। राज्य में पंजीकृत स्वामित्व फर्में, साझेदारी फर्में और कंपनियां, सोसाइटियां, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), सहकारी समितियां, महासंघ, ग्राम स्तरीय संगठनों और मत्स्य	1 राष्ट्रीय मत्स्य क्षेत्र डिजिटल प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रर करने हेतु स्वयं अथवा सी.एस.सी. के माध्यम से। 2 राष्ट्रीय मत्स्य क्षेत्र डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से (क) संस्थागत वित्त पोषण आवेदन। (ख) जलकृषि बीमा खरीदने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन हेतु आवेदन। (ग) incentive based / प्रदर्शन अनुदान हेतु आवेदन।

	योजना		माध्यम और जरिये कृषि मुक्त पूंजीगत लागतों में घरेलू स्तर के रूप में मुक्त और लघु उद्यम।	
5	राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना मत्स्य सैक्टर	मात्स्यिकी क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यरत/इच्छुक समिति के लिये पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में ऋण आधारित बड़ी परियोजना लागत के विकास। पर्वतीय जनपदों में रेसवेज/तालाब या ट्राउट फार्मिंग, एंग्लिंग, फिश आउटलेट तथा मैदानी जनपदों में परम्परागत फार्मिंग, केज कल्चर आदि उन्नतिशील मत्स्य पालन हेतु सुविधा उपलब्ध। परियोजना के अन्तर्गत 70 प्रतिशत ऋण, 20 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत अंशदान स्वयं समिति द्वारा वहन किया जायेगा। समितियों को डी०पी०आर०/व्यावसायिक विकास योजना (बी०डी०पी०) तैयार करने में परियोजना से सहयोग तथा समय-समय पर सिंचाई प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन। समितियों द्वारा उत्पादित मछलियों की बिक्री हेतु सहयोग।	मत्स्य सहकारी समितियाँ	जो समिति अपने कार्यों को विस्तार देने तथा बड़ी योजना तैयार करने हेतु इच्छुक हो तथा उक्त समिति द्वारा निम्न औपचारिकताएं पूर्ण करती हों: • उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम-2003 तथा संशोधित के अन्तर्गत पंजीकृत हो। • समिति महासंघ/फैडरेशन से सम्बद्ध हेतु सहमत हो, इस आशय का समिति द्वारा विधिवत प्रस्ताव पारित हो। • समिति राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अनुरूप कार्य करने/ऋण/ब्याज/अन्य देयताएं आदि का भुगतान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन०सी०डी०सी०) द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तानुसार वापसी करने हेतु सहमत हो। • पूर्व में ऋण की राशि पर 10.85 प्रतिशत वार्षिक दर एवं वर्तमान में 9.61 की दर से ब्याज देय है, ब्याज दर समय-समय पर परिवर्तित होती है तथा ऋण धनराशि का आठ वर्षों के अन्तर्गत वापस की जाती है जिसे एन०सी०डी०सी० द्वारा समय-समय पर परिवर्तित किया जाता है। • समिति प्रस्तावित कार्यों का आंकलन डी०पी०आर०/व्यावसायिक विकास योजना (बी०डी०पी०) जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य/जनपद मत्स्य प्रभारी को उपलब्ध कराते हुए अपना आवेदन पत्र उपलब्ध करा सकती है। समितियों को डी०पी०आर०/व्यावसायिक विकास योजना (बी०डी०पी०) तैयार करने में निरन्तर सहयोग दिया जाता है। • जनपद/राज्य स्तर पर डी०पी०आर०/व्यावसायिक विकास योजना (बी०डी०पी०) का मूल्यांकन करते हुये तथा उपयुक्त पाये जाने पर समिति का परियोजना अन्तर्गत चयन किया जाता है। • समितियों को धनराशि किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है। • परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मिलित गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाता है। परियोजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी हेतु वेबसाइट https://www.ukcdp.com/sector/fisheries पर सम्पर्क कर सकते हैं।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्राक्षप तालिका –1

गतिविधि/मद	यूनिट लागत	अनुदान (सामान्य वर्ग)	अनुदान (महिला/अनु जाति/जनजाति)	अधिकतम लिमिट/अनुदान सीमा
कार्प मत्स्य पालन	4 हजार (प्रति 1000 फिंगरलिंग)	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	60 प्रतिशत लागत मूल्य का	मिश्रित पालन की वैज्ञानिक विधि द्वारा निर्धारित विभागीय मानकानुसार अधिकतम 2 वर्ष हेतु
ट्राउट रियरिंग यूनिट	90 हजार प्रति यूनिट	45 हजार	54 हजार	अधिकतम 2 यूनिट व्यक्तिगत एवं 4 अथवा 6 यूनिट समिति/समूह आदि
लघु आर०ए०एस० यूनिट की स्थापना (50 वर्ग मीटर का 1 टैंक/बायोफ्लाक कल्चर सिस्टम (4 मीटर डायामीटर एवं 1.5 मीटर ऊँचाई के 3 टैंक)	4 लाख 50 हजार प्रति यूनिट	2 लाख 25 हजार	2 लाख 70 हजार	अधिकतम 2 यूनिट व्यक्तिगत एवं 4 यूनिट समिति/समूह आदि
एंगलिंग हट विकास	2 लाख 10 हजार प्रति हट	1 लाख 5 हजार	1 लाख 26 हजार	01 हट के विकास हेतु एक ही बार सुविधा अनुमन्य होगी
केन्द्र सरकार की एफ०आई०डी०एफ० योजना हेतु ब्याज सबवेंशन	स्वीकृत प्रोजेक्ट की वास्तविक लागत	2 प्रतिशत तक ब्याज सबवेंशन	2 प्रतिशत तक ब्याज सबवेंशन	केन्द्र सरकार की एफ०आई०डी०एफ० योजना हेतु स्वीकृत सहायता वास्तविक लागत पर 2 प्रतिशत तक ब्याज सबवेंशन
अवस्थापनाओं एवं फार्मस्टॉक का बीमा	प्रीमियम धनराशि के अनुसार	प्रीमियम धनराशि के अनुसार 90 प्रतिशत	प्रीमियम धनराशि के अनुसार 90 प्रतिशत	प्रीमियम धनराशि के अनुसार 90 प्रतिशत
एक्वाकल्चर हेतु सोलर पावर सपोर्ट सिस्टम	15.00 लाख प्रति यूनिट	7 लाख 50 हजार	9 लाख	अधिकतम 1 यूनिट व्यक्तिगत एवं समिति/समूह आदि हेतु
मत्स्य सहेली (महिला स्वयं सहायता समूह/ समिति/ समूह हेतु)	10 लाख (डी०पी०आर आधारित)	---	6 लाख	अधिकतम 1 यूनिट प्रति ग्रामसभा प्रति वर्ष

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

पर्वतीय क्षेत्रों में जलाशय आधारित मत्स्य पालन (तालाब निर्माण)	1 हजार प्रति घन मीटर	रु0 500 प्रति घन मीटर	रु0 600 प्रति घन मीटर	अधिकतम 500 घन मीटर व्यक्तिगत एवं 1000 घन मीटर समिति/समूह आदि
मैदानी क्षेत्र में तालाब निर्माण	11 लाख प्रति हैक्टेयर	5 लाख 50 हजार	6 लाख 60 हजार	अधिकतम 2 हैक्टेयर व्यक्तिगत एवं 10 हैक्टेयर समिति/समूह आदि
पर्वतीय क्षेत्र में तालाब सुधार	रु0 575 प्रति घन मीटर	रु0 287.50 प्रति घन मीटर	रु0 345 प्रति घन मीटर	अधिकतम 3 यूनिट व्यक्तिगत एवं 6 यूनिट समिति/समूह आदि
मैदानी क्षेत्र में निजी/ग्राम समाज के तालाबों का सुधार	7 लाख 50 हजार प्रति हैक्टेयर	3 लाख 75 हजार प्रति हैक्टेयर	4 लाख 50 हजार प्रति हैक्टेयर	अधिकतम 2 हैक्टेयर व्यक्तिगत एवं 6 हैक्टेयर समिति/समूह/पट्टे तालाब आदि
समन्वित मत्स्य पालन (पर्वतीय क्षेत्र)	2 लाख प्रति यूनिट	1 लाख प्रति यूनिट	1 लाख 20 हजार प्रति यूनिट	अधिकतम 1 यूनिट व्यक्तिगत, 02 यूनिट पट्टे तालाब एवं 4 यूनिट समिति/समूह आदि
समन्वित मत्स्य पालन (मैदानी क्षेत्र)	7 लाख प्रति यूनिट	3 लाख 50 हजार प्रति यूनिट	4 लाख 20 हजार प्रति यूनिट	अधिकतम 1 यूनिट व्यक्तिगत, 02 यूनिट पट्टे तालाब एवं 4 यूनिट समिति/समूह आदि
मत्स्य आहार वितरण	मार्केट दर के अनुरूप (विभागीय कमेटी द्वारा निर्धारित)	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	मत्स्य पालन की वैज्ञानिक विधि द्वारा निर्धारित विभागीय मानकानुसार
अन्य उपयुक्त सामग्रियों (जाल, हैण्डनैट, हापा, मिनीकीट)	मार्केट दर के अनुरूप (विभागीय कमेटी द्वारा निर्धारित)	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	50 प्रतिशत लागत मूल्य का	अधिकतम 1 यूनिट व्यक्तिगत एवं 2 यूनिट समिति/समूह आदि

PROGRAMME IMPLEMENTATION

"मेरी योजना" प्रथम संस्करण में वन विभाग के क्रम संख्या-4 की योजना-1 में उल्लिखित मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि के अन्तर्गत मुआवजे के वितरण में राज्य सरकार द्वारा मुआवजा धनराशि में संशोधन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

1. वन्यजीवों के आक्रमण से किसी व्यक्ति के घायल/मृत्यु होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है (संशोधित)–

मानव क्षति का प्रकार	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2024 के अनुसार अनुमन्य राशि हेतु देय दरें (रू० में)	राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानक	भुगतान का स्रोत (रू० में)	
			राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से देय राशि	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 से देय राशि
साधारण रूप से घायल	15,000/– 16,000/–	ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। (1) रू० 5,400/– प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से कम अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में। 2) रू० 16,000 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में।	5,400/– प्रति व्यक्ति 16,000/– प्रति व्यक्ति	9,600/– प्रति व्यक्ति
गम्भीर रूप से घायल	1,00,000/– आवश्यकता है।	ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। (1) रू० 5,400 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह कम से अवधि तक चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में। 2) रू० 16,000 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में।	5,400/– प्रति व्यक्ति 16,000/– प्रति व्यक्ति	94,600/– प्रति व्यक्ति 84,000/– प्रति व्यक्ति
आंशिक रूप से अपंग	1,00,000/–	शरीर के किसी अंग (लिंग) अथवा आंख/आंखों की हानि होने पर। रू० 74,000 प्रति व्यक्ति अपंगता के 40 से 60 प्रतिशत के मध्य होने की स्थिति में।	74,000/– प्रति व्यक्ति	26,000/– प्रति व्यक्ति
पूर्ण रूप से अपंग	3,00,000/–	रू० 3.00 लाख प्रति व्यक्ति अपंगता के 60 प्रतिशत अधिक होने की स्थिति में। अपंगता की सीमा और उसके कारण के संबंध में सरकारी अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी के डाक्टर द्वारा दिये प्रमाणपत्र अधीन।	2,50,000/– प्रति व्यक्ति	50,000/– प्रति व्यक्ति
वयस्क व अवयस्क की मृत्यु पर	6,00,000/–	4.00 लाख प्रति व्यक्ति। इसमें वे भी शामिल हैं जो राहत अभियानों में शामिल अथवा तैयारियों संबंधी कार्य कलापों से जुड़े हैं। यह उपर्युक्त अधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण के अध्यधीन है।	4,00,000/– प्रति व्यक्ति	2,00,000/– प्रति व्यक्ति

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्र0सं0	योजना/ सेवा का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं एवं चयन प्रक्रिया
1	स्थापनार्थ सहमति (CTE)	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974	उत्तराखण्ड में स्थापन करने वाली इकाई/ उद्योग	जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service में ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल न0 के द्वारा पंजीकरण किया जाता है। URL - https://investuttarakhand.uk.gov.in/ पंजीकरण के पश्चात CAF approval के लिए जिला उद्योग में आवेदन किया जाता है। CAF approval के पश्चात् स्थापनार्थ सहमति (CTE) प्राप्त करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ऑनलाईन पोर्टल ukocmms पर आवेदन किया जाता है। URL - https://ukocmms.nic.in/ उक्त पोर्टल में आवेदन किये जाने हेतु उद्योग द्वारा निम्न दस्तावेज अपलोड किया जाना अनिवार्य है– 1. भूमि आवंटन पत्र 2. प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान 3. उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रोसेस का फ्लोचार्ट 4. डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) 5. प्रपोजल ऑफ एयर पॉल्यूशन कन्ट्रोल मेजर्स 6. जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण सुविधा एवं उसकी स्थापित क्षमता का प्रपोजल 7. पर्यावरणीय स्वीकृति, यदि आवश्यक है। उक्त समस्त प्रपत्र अपलोड करने व फार्म पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा उक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ही शुल्क को जमा किया जाना होता है। वैधता–05 वर्ष
2	संचालनार्थ सहमति (CTO)	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1981, जल (प्रदूषण	उत्तराखण्ड में संचालन करने वाली इकाई/उद्योग	जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service URL - https://investuttarakhand.uk.gov.in/ संचालनार्थ सहमति (CTO) हेतु पूर्व में प्राप्त CAF ID के माध्यम से उक्त ukocmms पोर्टल पर आवेदन किया जाता है व आगे की प्रक्रिया स्थापनार्थ सहमति की प्रक्रिया के समान है व अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्न

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

आवास विभाग, उत्तराखण्ड

क्र. सं	योजना नाम का	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं एवं चयन प्रक्रिया
1	उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली 2024 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चार प्रकार से आवास बनाने हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है– 1. इन सीटू स्लम पुनर्विकास 2. ऋण से जुड़ी सब्सिडी ।	लाभार्थी की वार्षिक आय रू0 तीन लाख से कम हो तथा भारत का नागरिक हो एवं उत्तराखण्ड में **दिनांक 17.06.2015 से पूर्व निवास**	सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/ आवास विकास परिषद अथवा निजी विकासकों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से पंजीकृत लाभार्थियों से आवेदन निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत आमंत्रित किये जाते हैं। लाभार्थियों से आवेदन फार्म पर वांछित सूचना एवं क

		निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 एवं परिसंकटमय अपशिष्ट एवं अन्य अपशिष्ट नियम 2016		है– 1. स्थापनार्थ / संचालनार्थ सहमति की फोटोप्रति 2. नवीनतम [illegible] 3. पर्यावरण प्रपत्र (फार्म– V) 4. स्थापनार्थ / संचालनार्थ सहमति में उल्लेखित निर्देशों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या 5. पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति, यदि आवश्यक है।
3	जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम–2016	उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी / निजी बैड्स युक्त एवं बैडेड चिकित्सालय, पैथोलॉजी जैव वैटनरी चिकित्सालय, होम्योपैथिक / आयुर्वेदिक / यूनानी चिकित्सालय निजी क्लीनिक	जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service URL:- https://investuttarakhand.uk.gov.in जैव चिकित्सा अपशिष्ट की सहमति / प्राधिकार हेतु पूर्व में प्राप्त CAF ID के माध्यम से उक्त ukocmms पोर्टल पर आवेदन किया जाता है व आगे की प्रक्रिया स्थापनार्थ सहमति की प्रक्रिया के समान है व अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्न है– 1. वार्षिक आख्या (फॉर्म–2) 2. [illegible] बुक की प्रति 3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट के इन हाउस ट्रीटमेन्ट एवं निस्तारण का विवरण 4. क्लीनिकल स्टैबलिशमेन्ट की प्रति 5. अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सी०बी०डब्लू०टी०एफ० के संचालक के साथ इकाई का करारनामा
4	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम– 2016	उत्तराखण्ड राज्य में निर्माण एवं विध्वंस का कार्य करने वाली इकाई / उद्योग	जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service URL:- https://investuttarakhand.uk.gov.in निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की सहमति / प्राधिकार हेतु पूर्व में प्राप्त CAF ID के माध्यम से उक्त ukocmms पोर्टल पर आवेदन किया जाता है व आगे की प्रक्रिया स्थापनार्थ सहमति की प्रक्रिया के समान है व अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्न है– 1. फॉर्म–1 2. संचालनार्थ सहमति की प्रति 3. जनित अपशिष्ट की मात्रा विवरण (Waste generation greater than 20 ton but less than 300 ton 4. फार्म–3, वार्षिक आख्या
5	ठोस अपशिष्ट	ठोस अपशिष्ट	समस्त नगर निकायों	जिला उद्योग के द्वारा प्रदान की गयी Single Window Service

	प्रबंधन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	प्रबंधन नियम–2016	जो ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन व निस्तारण हेतु उक्त प्राधिकार लिया जाता है।	URL:- https://investuttarakhand.uk.gov.in ठोस अपशिष्ट की सहमति/प्राधिकार हेतु पूर्व में प्राप्त CAF ID के माध्यम से उक्त ukocmms पोर्टल पर आवेदन किया जाता है व आगे की प्रक्रिया स्थापनार्थ सहमति की प्रक्रिया के समान है व अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज निम्न हैं– 1. प्रोजेक्ट फीसिबिलिटी की पर्यावरणीय स्वीकृति 2. फार्म–2 3. फार्म–1 4. स्थापनार्थ सहमति की प्रति 5. अपशिष्ट की उत्पत्ति, एकत्रण, परिवहन एवं निस्तारण की मात्रा की वार्षिक आख्या
6	ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम के अन्तर्गत प्राधिकार	ई–वेस्ट प्रबन्धन नियम–2024	Recyclers, Producer, Manufacturer of E-Waste in Uttarakhand	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित तथा संचालित ई–वेस्ट ई.पी.आर पोर्टल की सेवा। URL:- https://eprewaste.cpcb.in/ उक्त पोर्टल में पंजीकरण हेतु ई–वेस्ट की श्रेणी– 1.रिसाईक्लर्स 2. प्रोड्यूसर 3. मैन्युफैक्चरर्स में अपनी श्रेणी चिन्हित करते हुये मोबाईल न0 एवं ईमेलआई0डी0 व पोर्टल में ई–वेस्ट हेतु निर्धारित अन्य दस्तावेजों जैसे वार्षिक रिपोर्ट, कुल अपशिष्ट की आयात की मात्रा, पुनःचक्रण की मात्रा इत्यादि को अपलोड करते हुए पंजीकरण किया जाता है।
7	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2022	Recyclers, Producer, Manufacturer of Plastic Waste in Uttarakhand	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित तथा संचालित प्लास्टिक ई.पी.आर पोर्टल की सेवा। URL:- https://eprplastic.cpcb.gov.in/ उक्त पोर्टल में पंजीकरण हेतु प्लास्टिक वेस्ट की श्रेणी– 1.रिसाईक्लर्स 2. प्रोड्यूसर 3. मैन्युफैक्चरर्स में अपनी श्रेणी चिन्हित करते हुये मोबाईल न0 एवं ईमेलआई0डी0 व पोर्टल में प्लास्टिक वेस्ट हेतु निर्धारित अन्य दस्तावेजों को अपलोड करते हुए पंजीकरण किया जाता है।
8	बैटरी अपशिष्ट प्रबन्धन नियम के अन्तर्गत सहमति एवं प्राधिकार	बैटरी अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2022	Recyclers, Producer, Manufacturer of Battery Waste in Uttarakhand	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित तथा संचालित बैटरी ई.पी.आर पोर्टल की सेवा। URL:- https://www.eprbattery.cpcb.in/ उक्त पोर्टल में पंजीकरण हेतु बैटरी–वेस्ट की श्रेणी– 1.रिसाईक्लर्स 2. प्रोड्यूसर 3. मैन्युफैक्चरर्स में अपनी श्रेणी चिन्हित करते हुये मोबाईल न0 एवं ईमेलआई0डी0 व पोर्टल में बैटरी–वेस्ट हेतु निर्धारित अन्य दस्तावेजों को अपलोड करते हुए पंजीकरण किया जाता है।

उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण

	योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास घटक। (संशोधित)	3.भागीदारी में किफायती आवास। 4.लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार। **उक्त बिंदु 03 "भागीदारी में किफायती आवास घटक" का लाभ, पात्रता एवं प्रक्रिया का उल्लेख निम्न है–** उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य में निवास कर रहे निम्न आय वर्ग के लाभार्थियों को 30 वर्ग मी0 तक कारपेट एरिया के पक्का आवास एवं मूलभूत सुविधाएं जैसे विद्युत, पेयजल, आदि सुविधा दी जाती है। वर्तमान में राज्य अन्तर्गत विभिन्न शहरों में आवास विभाग द्वारा कुल 20 परियोजनाओं में 15000 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। निर्माणाधीन योजनान्तर्गत प्रति इकाई आवास का विक्रय मूल्य रु 6.00 **लाख** निर्धारित किया गया है, जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा रु 1.50 **लाख, राज्य सरकार द्वारा रू0 1.50 लाख प्रति इकाई एवं लाभार्थी द्वारा शेष रु** 3.00 लाख प्रति इकाई दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं को ससमय पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा रु 60 **हजार प्रति इकाई** इन्सेन्टिव का भी प्राविधान है।	**कर रहा हो** (निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा) एवं भारत में आवास न हो। पंजीकरण भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पोर्टल https://pmaymis.gov.in/ पर किया जाता है। उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कराये जाने हेतु सम्बन्धित नगर निकाय कार्यालय, शहरी विकास कार्यालय, अथवा परियोजना क्रियान्वयी –प्राधिकारी/परिषद् के माध्यम से कराया जा सकता है। उत्तराखण्ड आवास नीति के अनुसार उक्त योजना अन्तर्गत वही लोग आवास आवंटन हेतु पात्र होंगे जिनका पंजीकरण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पोर्टल पर हो तथा इस हेतु उनकी Unique identification नम्बर निर्गत हो गया हो।	5000.00की सुरक्षा धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त आवेदन प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद्/निजी विकासकर्ता के कार्यालय पर प्राप्त किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों, नगर निकायों, कलक्ट्रेट, तहसील कार्यालयों पर भी आवेदन लिये जाते हैं। आवेदन हेतु फोरम निःशुल्क प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद्/निजी विकासकर्ता के द्वारा पंजीकरण के उपरान्त उपलब्ध कराये जाते हैं। फॉर्म/आवेदन ऑनलाइन एवं कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। फार्म सम्बन्धित जिला के जिलाधिकारी कार्यालय, नगर निगम/परिषद् कार्यालय, सम्बन्धित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय, एवं बैंक तथा अन्य कार्यालयों में जमा कराये जाते हैं। आवेदन के साथ प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर, उत्तराखण्ड में निवास की स्थिति से सम्बन्धित दस्तावेज तथा देश में कहीं भी आवास न होने संबंधी शपथ पत्र की आवश्यकता होती है। निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों की सम्बन्धित प्राधिकरण/आवास सम्बन्धित एवं विकास प्राधिकरण/आवास परिषद्/प्राधिकरण एवं विकास परिषद् स्तर पर जाँच की जाती है। जाँचोपरान्त सम्बन्धित प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय द्वारा आवश्यक अर्हता सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन के उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों को लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन की व्यवस्था है। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को प्राथमिकता पर भू–तल पर आवास आवंटित किए जाने का प्राविधान है। उक्त सूची पर लॉटरी किए जाने के उपरान्त लाभार्थियों द्वारा धनराशि जमा की जाती है तथा उनको आवास आवंटित किया जाता है।

उत्तराखण्ड भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

भू-सम्पदा सेक्टर के विनियमन और संवर्धन के लिए भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने तथा यथास्थिति, भू-खण्ड, अपार्टमेंट या भवन का विक्रय या भू-सम्पदा परियोजना का विक्रय दक्षतापूर्ण और पारदर्शी रीति से सुनिश्चित करने तथा भू-सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हित को संरक्षित करने और विवाद के शीघ्र समाधान के लिए एक न्यायनिर्णायक तंत्र की स्थापना और भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण तथा न्यायनिर्णायक अधिकारी के विनिश्चयों, निदेशों अथवा आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए भी एक अपील अधिकरण की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों हेतु उपबन्ध करने के लिए भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 दिनांक 25 मार्च, 2016 को प्रख्यापित किया गया। अधिनियम के समस्त प्राविधान दिनांक 01.05.2017 से लागू हुए।

उद्देश्य—अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एक पारदर्शी, दक्षतापूर्ण एवं गुणवत्तापरक भूसम्पदा सेक्टर का विनियमन एवं विकास तथा आवंटियों के हितों की रक्षा करना तथा इस हेतु भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) की स्थापना करना है।

कार्य– भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का मुख्य कार्य रियल इस्टेट परियोजनाओं एवं रियल इस्टेट एजेंटों का पंजीकरण एवं विनियमन, आवंटियों (allottees) एवं सम्प्रवर्तकों (promoters) के मध्य उपजे विवादों के कारण दर्ज शिकायतों का निस्तारण करना, अपनी वेबसाइट विकसित कर उसमें डाटाबेस संधारित करना, जिसमें जनसाधारण के अवलोकन के लिए पंजीकृत रियल इस्टेट परियोजनाओं एवं रियल इस्टेट एजेन्टों का विवरण हो, सम्प्रवर्तकों, रियल इस्टेट एजेंटों तथा आवंटियों हेतु अधिनियम में विहित बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना, एवं एडवोकेसी के माध्यम तथा जागरूकता सृजन के लिए समुचित उपाय करना है। भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अधिसूचित होने के उपरान्त दिनांक 28.04.2017 को उत्तराखण्ड भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) (सामान्य) नियमावली 2017, अधिसूचित की गई एवं 01 मई, 2017 से अधिनियम उत्तराखण्ड राज्य में लागू हो गया।

प्राधिकरण के गठन के पश्चात् से वर्तमान तक प्राधिकरण द्वारा 308 रियल इस्टेट परियोजनाओं एवं 411 रियल इस्टेट एजेन्ट्स का पंजीकरण किया गया है। प्राधिकरण के गठन से वर्तमान तक प्राधिकरण को 1188 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 881 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है।
प्रमोटर/बिल्डर्स तथा आवंटी के मध्य किसी भवन, प्लॉट, अपार्टमेंट, प्लॉट इत्यादि क्रय किए जाने हेतु निष्पादित होने वाले विक्रय अनुबन्ध में एकरूपता लाये जाने के दृष्टिगत अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार द्वारा भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) (विक्रय के लिए करार) नियम, 2022 अधिसूचित किया गया है।

प्राधिकरण, न्याय निर्णायक अधिकारी तथा अपीलीय अधिकरण के आदेशों/निर्देशों के प्रभावी रूप से अनुपालन कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) (सामान्य) नियमावली 2017 के नियम 23 में संशोधन कर उत्तराखण्ड भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) (सामान्य) संशोधन नियमावली, 2023 प्रख्यापित की गयी है, जिससे आवंटियों के हितार्थ आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुगमता से कराया जा सकेगा।
प्राधिकरण द्वारा आम जनमानस एवं प्रमोटर्स/एजेन्ट्स हेतु शिकायत तथा पंजीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल (http://ukrera.org.in:8080/rerauk/) विकसित किया गया है, जिसमें कोई भी शिकायतकर्ता/आवंटी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही प्रोजेक्ट्स एवं एजेन्ट्स के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	मानचित्र सरलीकरण प्रक्रिया	आवासीय मानचित्र की स्वीकृति 15 दिन एवं व्यावसायिक मानचित्र की स्वीकृति 30 दिन प्रदान की जा रही है।	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत समस्त भू–स्वामी	जनपद हरिद्वार के भू–स्वामियों के लिए अपने निजी आवास एवं व्यावसायिक आवास की स्वीकृति हेतु ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की गयी है, जिसके लिए भू–स्वामी अपने घर से ही आवेदन ऑनलाइन कर निर्धारित अवधि में मानचित्र स्वीकृत करा सकता है।
2.	उत्तर ऐप के द्वारा मानचित्र स्वीकृति	समस्त जनपद के भूखण्ड स्वामियों को मानचित्र स्वीकृति का लाभ मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है।	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत समस्त भू–स्वामी	जनपद हरिद्वार के भू–स्वामियों को मानचित्र बनाने एवं स्वीकृति प्रक्रिया को सरल करते हुए उत्तर ऐप की व्यवस्था की गयी है जिसमें बिना शुल्क के आवासीय मानचित्र प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण आर्किटेक्ट से तैयार कराकर मानचित्र स्वीकृति में सहयोग किया जा रहा है।
3.	आवासीय निर्माण हेतु मॉडल मानचित्र उपलब्ध कराना	समस्त जनपद के भूखण्ड स्वामी को लाभ प्रदान किया जा रहा है।	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत समस्त भू–स्वामी	जनपद हरिद्वार के भू–स्वामियों के सुविधा हेतु मॉडल मानचित्र प्राधिकरण वेबसाइट पर अपलोड कराये गये हैं, भू–खण्ड स्वामी अपने भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुसार मॉडल मानचित्र का चयन कर सुविधा प्राप्त कर सकता है।
4.	हेल्प डेस्क	प्राधिकरण में आने वाले व्यक्तियों को प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति के साथ–साथ प्राधिकरण की अन्य प्रचलित योजनाओं की जानकारी हेतु सहायता प्रदान किया जाता है।	समस्त आगुन्तकों के लिए	प्राधिकरण में आने वाले आगुन्तकों की सुविधार्थ कोई भी व्यक्ति/हित धारक हेल्प डेस्क से सुविधा प्राप्त कर सकता है।
5.	आवासीय सुविधा 1–इन्द्रलोक आवासीय योजना (ग्रुप आवास)	सभी वर्ग परिवारों के लिए आवासीय सुविधा का लाभ	राज्य के सभी निवासियों हेतु।	प्राधिकरण आवासीय इकाईयों का चयन पंजीकरण के माध्यम से तथा आवंटन लाटरी द्वारा किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड
(राज्य सफाई कर्मचारी आयोग)

उत्तराखण्ड राज्य में सफाई कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए, कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुशंसा करने, उनकी अधिकारों और सुविधाओं के वंचित किये जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों के निवारण, शिकायत/ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के ध्यान में लाने, किसी विषय में उत्पन्न समस्याओं के अध्ययन/उनके निराकरण के उपायों की सिफारिश करने आदि के लिए उत्तराखण्ड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है।

आयोग की संरचना–

(1) अध्यक्ष (गैरसरकारी)–01 (एक) (2) उपाध्यक्ष (गैरसरकारी)–01 (एक)

(3) सदस्य (गैरसरकारी)–05 (पांच) जिनमें कम से कम एक सदस्य महिला होगी।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति– राज्य सरकार द्वारा ऐसे गैर सरकारी व्यक्तियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों के रूप में की जाएगी, जिनका सफाई कर्मचारियों/समुदायों के कल्याण, उनके पुनर्वास एवं उनकी समस्याओं के निराकरण में उल्लेखनीय योगदान हो।

आयोग के कार्य– (क) सफाई कर्मचारियों के लिए हैसियत, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना के अधीन कार्यवाही के विनिर्दिष्ट आवंटन के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ख) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन और मूल्यांकन करना तथा राज्य सरकार को ऐसे कार्यक्रमों तथा स्कीमों के बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।

(ग) विनिर्दिष्ट शिकायतों का अन्वेषण करना और निम्नलिखित के न किये जाने से संबंधित मामलों का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना–

1. सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के बाबत कार्यक्रम और स्कीमें
2. सफाई कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए विनिश्चय, मार्गदर्शन या अनुदेश
3. सफाई कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए अनुपालन
4. सफाई कर्मचारियों पर लागू किसी विधि के उपबन्ध और ऐसे मामलों के संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से पत्राचार करना।

(घ) सफाई कर्मचारियों द्वारा जिन कठिनाइयों या निर्योग्यताओं का सामना किया जा रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी विषय पर राज्य सरकार को नियतकालिक रिपोर्ट देना।

(ङ) कोई अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए।

आयोग की कार्य प्रणाली– आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं गैरसरकारी सदस्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों को चिन्हित दौरा करेंगे तथा सफाई कर्मचारियों उनके आश्रितों, गैरसरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ विचारों का आदान–प्रदान करेंगे। उनके सामाजिक स्थिति तथा टिप्पणियों के आधार पर आयोग, निष्कर्षों/अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजेगा।

आयोग की शक्तियां–(1) सक्षम [illegible] अधिकार, जो शासन द्वारा आवश्यक समझा जाये, आयोग को होंगे।
(2) आयोग को अपने कार्य सम्पादन के प्रयोजन हेतु किसी विषय में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से किसी विषय के बारे में जानकारी मांगने की शक्ति होगी किन्तु किसी मुकदमे की न्यायिक जांच करने का दीवानी न्यायालय का अधिकार आयोग के पास न होगा।

शिकायतों के निवारण संबंधी विवरण: आयोग में सफाई कर्मचारियों और [illegible] उनके अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों का एक निवारण तंत्र है। शिकायत करने के इच्छुक व्यक्ति मा० अध्यक्ष/मा० उपाध्यक्ष/मा० सदस्यगण, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, उत्तराखण्ड सरकार एवं सचिव, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जायेगा।

शहरी विकास विभाग , उत्तराखण्ड
(नगर निगम, देहरादून)

नगर निगम, देहरादून

क्र0सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन
		केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी		
1.	व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (बी०एल०सी०)	1—योजनान्तर्गत स्वीकृत लाभार्थी को रूपये 2 लाख का अनुदान आवास निर्माण कार्य प्रगति के सापेक्ष किश्तवार दिये जाने का प्राविधान है। इस धनराशि में रू0 1 लाख 50 हजार भारत सरकार तथा रू0 50 हजार राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। 2—मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या— 498/2022 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को आवास पूर्ण करने पर [illegible] साज–सज्जा हेतु रू0 5 हजार प्रोत्साहन राशि दिये जाते हैं।	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्न पात्रता मानक है— 1. 17 जून, 2015 से पूर्व उस शहर में निवासरत होना चाहिए जिसमें लाभ प्राप्त करना चाहता है। 2. आवेदक का स्वयं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भाग में पक्का घर नहीं होना चाहिए। (पक्का घर अर्थात् सभी मौसम में रहने योग्य इकाई से है) 3. परिवार की वार्षिक आय रू0 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4. किसी भी अन्य केन्द्र/राज्य/शहरी सहायतित योजना अन्तर्गत आवासीय भवन हेतु लाभ प्राप्त नहीं किया हो। 5. विधिक भू–स्वामित्व का भू–खंड अथवा कच्चा आवास/कमजोर आवासीय स्थिति होना आवश्यक है जिस पर पक्का आवास निर्माण करना चाहते हैं।	योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/परिवार अपनी आवास मांग एवं संबंधित दस्तावेज के अनुसार नगर निकाय कार्यालय में आवास निम्न दस्तावेज / विधिक भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख के साथ निःशुल्क आवास मांग दर्ज करा सकते हैं: 1. पहचान पत्र हेतु पूरे परिवार आधार कार्ड की उपलब्धता होनी चाहिए। 2. दिनांक 17 जून, 2015 से पूर्व शहर में रहने का प्रमाण (जैसे बिजली का बिल/पानी/टेलीफोन बिल, वोटर आई०डी०, आधार कार्ड,राशन कार्ड पासपोर्ट अथवा अन्य प्रमाणिक अभिलेख) 3. बैंक खाता लाभार्थी परिवार की प्रमुख महिला सदस्य के नाम से होना चाहिए, प्रमुख महिला सदस्य न होने पर पुरूष सदस्य के नाम से होना चाहिए। 4. विधिक भू–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख (रजिस्ट्री/खसरा खतौनी/पट्टा इत्यादि) की प्रमाणित प्रति निकाय नोटरी एवं अभिलेखीय सत्यापन किया जाना। 5. वैध आय प्रमाण–पत्र अथवा रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर सत्यापित आय। 6. जाति प्रमाण पत्र/बी०पी०एल० कार्ड की छायाप्रति/दिव्यांग प्रमाण पत्र।

				7. पात्रता मानक के आधार पर रू0 10 के स्टाम्प पेपर का नोटराईज्ड शपथ पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करना– ➤ नगर निकाय क्षेत्र में 17 जून 2015 अथवा उससे पूर्व से निवासरत है। ➤ उसके स्वंय अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भाग में पक्का आवास नहीं है। (लाभार्थी परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी और उनके अविवाहित पुत्र अथवा पुत्रियों से है) ➤ परिवार की वार्षिक आय रू0 3 लाख से अधिक नहीं है। ➤ उसके द्वारा किसी भी अन्य केन्द्र / राज्य / वाह्य सहायतित योजना अन्तर्गत आवासीय भवन हेतु लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। 8. उक्त अभिलेखों / दस्तावेजों का परीक्षण / सत्यापन कर लाभार्थी चयन किया जाता है। जिसका विवरण प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी की अधिकारिक वेबसाईट www.pmaymis.gov.in पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाता है। पोर्टल पर आवास माँग दर्ज कर सर्वे कोड जारी किया जाता है। जिसको पात्र लाभार्थियों की सूची के साथ संकलित कर राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत लाभार्थी को लाभान्वित किया जाता है। **योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निःशुल्क आवेदन प्रकिया है।**

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

दीन दयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)				
2	स्वतः रोजगार कार्यक्रम	**स्वतः रोजगार कार्यक्रम** के तहत भारतीय क्षेत्र में लाभार्थी अपनी और परिवार की आर्थिकी को मजबूत करते हुए अपनी आजीविका का संवर्द्धन करता है। **स्वतः रोजगार कार्यक्रम** के तहत लाभार्थी को रु0 2.00(लाख) तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाता है। **स्वतः रोजगार कार्यक्रम** के लाभार्थी को ब्याज पर सब्सिडी देने का प्राविधान है। जिसमें 7 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा तथा अवशेष भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। **स्वतः रोजगार कार्यक्रम** से लाभार्थी अपना स्वतः रोजगार एवं रोजगार में अभिवृद्धि भी कर सकता है।	नगर निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत लाभार्थी इस योजना हेतु पात्र रहता है। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय भारत सरकार के मानकों के अनुसार रु0–3.00 (लाख) से कम होनी चाहिए।	**स्वतः रोजगार कार्यक्रम** निकाय स्तर से आवेदन पत्र लेकर उक्त आवेदन पत्र पर लाभार्थी द्वारा फोटो, आधार कार्ड, आय–प्रमाण पत्र, न्यूनतम 10 रु0 के स्टाम्प पर पूर्व में किसी भी बैंक से ऋण न लिया हो, लाभार्थी द्वारों की जाने वाली गतिविधियों की परियोजना रिपोर्ट अनुमानित 2.00(लाख) तक, 01 पासपोर्ट साईज की फोटो, पते हेतु राशनकार्ड या बिजली का बिल, बैंक पास बुक, उपरोक्त सभी दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर नगर निकाय में जमा करना होगा। निकाय स्तर पर **आवेदन प्रक्रिया निःशुल्क की जाती है।** **स्वतः रोजगार कार्यक्रम** में आवेदन पत्रों का परीक्षण निकाय स्तर पर किया जाता है। **स्वतः रोजगार कार्यक्रम** के ऋण आवेदन पत्र को नगर निकाय द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति के सामने प्रस्तुत कर टास्क फोर्स द्वारा आवेदन पत्रों को लाभार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजों एवं लाभार्थी से वार्ता कर परीक्षण किया जाता है। तदुपरान्त लाभार्थी का ऋण आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंक को निकाय द्वारा भेजा जाता है।
3	स्वयं सहायता समूह	नगर निकाय क्षेत्र में शहरी गरीब महिलाओं को योजना के तहत लाभ दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक समूह को एक बार में रु0–10000/– की धनराशि दी जाती है। समूहों द्वारा बैंकों से ऋण के माध्यम से महिलाओं की	स्वयं सहायता समूह बनाने हेतु लाभार्थी शहरी निकाय का होना चाहिए। आधार कार्ड, 01 पासपोर्ट साईज की फोटो एवं परिवार की वार्षिक आय रु0 3.00(लाख) से कम होनी चाहिए।	**स्वयं सहायता समूह बनाने** हेतु नगर निकाय में योजना से सम्बन्धित कर्मचारी वार्डों में जाकर महिलाओं के साथ नियमित सामूहिक बैठक करते हैं। बैठक के उपरान्त महिलाओं को समूह गठन हेतु प्रेरित करते हैं। इसके उपरान्त स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। गठन के पश्चात् समूह का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोला जाता है। जिसमें समूह की महिलाएं मासिक बचत

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		दौरान, छात्रवृत्ति के हेतु परिवार रजिस्टर में नाम अंकित करने हेतु एवं अन्य राजकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।		करना होगा/कर सकता है। **बच्चे के जन्म होने पर, जन्म होने की 21 दिन के भीतर आवेदन करने हेतु** जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के नाम पर जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र तथा साथ में अस्पताल द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज कार्ड, ए एन एम/आशा द्वारा जारी प्रमाण पत्र (मुहर के साथ), माता पिता का आधार कार्ड आवेदन के दौरान प्रस्तुत करने होंगे आवेदन के उपरांत सम्बन्धित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी द्वारा जाँच के उपरान्त एवं सही पाए जाने पर निर्धारित 03 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसका नगर निकाय द्वारा जन्म पंजीकरण निःशुल्क किया जायेगा एवं निर्धारित प्रमाण पत्र शुल्क रू0 5/– प्रति कापी देय होगा। **बच्चे के जन्म होने के 01 वर्ष के अन्दर जन्म की सूचना हेतु अभिभावक को जन्म की सूचना के पंजीयन हेतु क्रमशः–** जच्चा बच्चा कार्ड/अस्पताल/नर्सिंग होम का प्रमाण पत्र, बच्चे के माता–पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति, कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (जन्म फार्म न0 1) पर सूचना एवं पंजीकरण शुल्क रू0 5/–, विलम्ब शुल्क रू0 5/– प्रति प्रमाण पत्र शुल्क रू0 5/–, कुल रू0 15/– प्रति प्रमाण पत्र देय होगा। **01 वर्ष के उपरांत जन्म की सूचना हेतु अभिभावक को जन्म की सूचना के पंजीयन हेतु क्रमशः– प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी सदर, देहरादून के नाम, रूपेय 10 के स्टाम पेपर पर उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के नाम शपथ पत्र,** जच्चा बच्चा

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

				निकाय द्वारा मृत्यु पंजीकरण निःशुल्क किया जायेगा एवं निर्धारित प्रमाण पत्र शुल्क रू0 5/– प्रति कॉपी देय होगा । **मृतक के मृत्यु होने के 01 वर्ष के अन्दर मृत्यु की सूचना हेतु अभिभावक को मृत्यु की सूचना के पंजीयन हेतु क्रमशः–** कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (मृत्यु फार्म सं0 2) पर सूचना, शमशान/कब्रिस्तान द्वारा जारी रसीद की मूल प्रति, यदि मृत्यु अस्पताल/नर्सिंग होम में हुई है तो वहा से निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड की छायाप्रति, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, मृतक का आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति एवं पंजीकरण शुल्क रू0 5/–, विलम्ब शुल्क रू0 5/–, प्रति प्रमाण पत्र शुल्क रू0 5/–, कुल रू0 15/– प्रति प्रमाण पत्र देय होगा। **01 वर्ष के उपरांत मृत्यु की सूचना हेतु अभिभावक को मृत्यु की सूचना के पंजीयन हेतु क्रमशः– प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून के नाम, रूपये 10 के स्टाम पेपर पर उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के नाम शपथ पत्र,** कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (मृत्यु फार्म सं0 2), शमशान/कब्रिस्तान द्वारा जारी रसीद कि मूल प्रति, यदि मृत्यु अस्पताल/नर्सिंग होम में हुई है तो वहा से निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड की छायाप्रति, आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो, मृतक का आधार कार्ड/फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति। मृत्यु के समय निवास प्रमाण पत्र जैसे– बिजली, पानी, टैक्स की रसीद, अन्य प्रपत्र जो

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		आजीविका सुरक्षा हेतु विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। समूहों को स्वरोजगार उपलब्ध हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।		जमा करनी है। समूह की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। बैंकों के माध्यम से सी0सी0एल0 लिमिट की सहायता स्वरोजगार हेतु कार्यवाही नगर निकाय स्तर से की जाती है।
4.	शहरी निराश्रितों हेतु सहयोग।	उन शहरों में खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को लाभ दिया जाता है।	नगर निकाय क्षेत्र में जो भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रहता हो वो व्यक्ति रैन-बसेरे में रह सकता है।	नगर निकाय के अन्तर्गत बने रैन बसेरों में रहने/ठहरने हेतु व्यक्ति कभी भी किसी भी समय आ सकता है।
5.	प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएमस्वनिधि)	**पीएमस्वनिधि योजना** के तहत **उत्तराखण्ड पथविक्रेता (आजीविका सुरक्षा तथा पथ विक्रय विनियमन) नियमावली-2014** के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र में शहरी गरीब परिवार जो ठेली, फड़ एवं पटरी, सब्जी, फल, ठेला गाड़ी, सिर पर टोकरी या सामान रखकर या सड़क पर सामान बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें योजना का लाभ दिया जाता है। कोविड-19 के समय भारत सरकार द्वारा योजना को संचालित किया गया था।	**पीएमस्वनिधि योजना** के अन्तर्गत नगर निकाय द्वारा जो भी सामग्री जैसे फल-सब्जी, फड़, फिराक, सब्जी की ठेली, पटरी, चाय-बीड़ी, ठेला गाड़ी एवं साईकिल टोकरी या सामान या कपड़े बेच में सामान बेच कर जीविकोपार्जन करने वाले आदि लोग इसके पात्र हैं।	**पीएमस्वनिधि योजना** को भारत सरकार के एम0आई0एस0 पोर्टल पर ऑन लाईन pmsvanidhi.mohua.gov.in पर भी लाभार्थी स्वयं भी आवेदन कर सकता है। पथ विक्रेता व्यवसायी द्वारा आवेदन नगर निकाय स्तर पर भी किया जा सकता है। आवेदन पत्र हेतु उसकी एम0आई0एस0 आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज की फोटो, बैंक पास बुक की छाया प्रति एवं आधार लिंक मोबाईल न0 की आवश्यकता होती है। नगर निकाय द्वारा लाभार्थी के आवेदन पत्र का सत्यापन कर पोर्टल के माध्यम से बैंक को प्रेषित किया जाता है। बैंक द्वारा लाभार्थी को कार्य करने हेतु कार्यशील पूंजी के रूप में प्रथम बार 10000/- द्वितीय बार 20000/- एवं तृतीय बार 50000/- दिये जाते हैं।
	जन्म-मृत्यु पंजीकरण			
6.	जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र	**जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण-पत्र** जन्म तिथि को प्रमाणित करने का मूल प्रमाण पत्र है। जो शिशु का सर्वप्रथम जन्म और मूल प्रमाण है इसका डिजिलॉकर आधार कार्ड बनाने में शिशु की उम्र को प्रमाणित करने तथा स्कूल में दाखिला की	उत्तराखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर निकाय क्षेत्र अन्तर्गत) में जन्मे समस्त व्यक्ति जिनका पंजीकरण प्रमाण पत्र न बना हो उनके लिए भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु पात्र होंगे।	**जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण-पत्र** हेतु ऑनलाईन पंजीकरण राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत) जन्म पंजीकरण एवं जन्म-प्रमाण पत्र बनाने हेतु पिता/अभिभावक/आवेदक को अपनी भारत पोर्टल https://DC.CRSORGI.GOV.IN के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन

				कार्ड / अस्पताल / नर्सिंग होम का प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म के समय निवास प्रमाण पत्र जैसे– बिजली, पानी, टैक्स की रसीद, बच्चे के माता–पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति, कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (जन्म फार्म सं0 1) पर सूचना एवं पंजीकरण शुल्क रू0 7 / –, विलम्ब शुल्क रू0 10 / –, प्रति प्रमाण पत्र शुल्क रू0 5 / –, कुल रू0 22 / – प्रति प्रमाण पत्र देय होगा।
7.	मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र	**किसी भी व्यक्ति की मृत्यु तिथि को प्रमाणित करने का मूल प्रमाण पत्र है, इसका उपयोग आश्रितों द्वारा पेंशन योजनाओं, जमीनी दस्तावेजों में नाम हटाने एवं अन्य पैतृक लाभ प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज है।**	उत्तराखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्र अर्न्तगत) में मृत्यु हुये व्यक्ति जिनका पंजीकरण प्रमाण पत्र न बना हो इसके लिए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी पुस्तिका में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु पात्र होंगे।	**मृत्यु पंजीकरण एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र** हेतु ऑनलाईन पंजीकरण राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत) मृत्यु पंजीकरण एवं मृत्यु–प्रमाण पत्र बनाने हेतु अभिभावक / आवेदक को अपने सरकार पोर्टल https://DC.CRSORGI.GOV.IN के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा / कर सकता है। **मृतक के मृत्यु होने पर, मृत्यु होने की 21 दिन के भीतर आवेदन करने हेतु** जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के नाम पर जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र तथा साथ में अस्पताल द्वारा जारी किया गया डिस्चार्ज कार्ड, मृतक का आधार कार्ड, आवेदनकर्ता का आधार कार्ड एवं फोटो, शमशान / कब्रिस्तान द्वारा जारी रसीद, कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रारूप (मृत्यु फार्म सं0 2) पर सूचना उपलब्ध कराने के उपरांत सम्बन्धित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिकारी द्वारा जाँच के उपरांत एवं सही पाए जाने पर निर्धारित 03 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसका नगर

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

				जाँचकर्ता द्वारा पाठनीय हो उसकी छायाप्रति एवं पंजीकरण शुल्क रू0 7/– विलम्ब शुल्क रू0 10/– प्रति प्रमाण पत्र शुल्क रू0 5/– कुल रू0 22/– प्रति प्रमाण पत्र देय होगा।
8.	अनुपलब्धता जन्म प्रमाण पत्र हेतु			प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु नगर निगम देहरादून के नाम रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु नगर निगम देहरादून के नाम पर शपथ पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, आधार की छायाप्रति एवं राशन कार्ड की छायाप्रति अथवा पासपोर्ट की छायाप्रति एवं रू0 2/– प्रति प्रमाण पत्र देय होगा।
9.	अनुपलब्धता मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु			प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु नगर निगम देहरादून के नाम रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु नगर निगम देहरादून के नाम पर शपथ पत्र श्मशान/कब्रिस्तान द्वारा जारी रसीद कि मूल प्रति अथवा छायाप्रति आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं रू0 2/– प्रति प्रमाण पत्र देय होगा।
10.	सम्पत्ति कर संग्रह	नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के स्वामी/अध्यासी जिनके भवन या भूमि नगर निगम सीमा में स्थित है।	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति (भवन/भूमि) होनी चाहिए।	सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऑनलाईन nndonline.in पर आच्छादित। सर्वप्रथम प्रथम बार भवनकर जमा कराने वाले स्वामियों/अध्यासियों द्वारा नगर निगम देहरादून द्वारा निर्धारित स्वकर निर्धारण प्रपत्र भरकर उसमें संलग्नक के तौर पर खतौनी, विक्रय पत्र, दानपत्र, पट्टाभिलेख, वारिसान आदि। एम0डी0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति आदि संलग्न कर स्वयं भवनकर का आंकलन कर कार्यालय में जमा कराया जाता है। कार्यालय स्तर पर आनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से स्वकर निर्धारण प्रपत्र को स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति उपरान्त भवनकर स्वामी/अध्यासी अपनी सम्पत्ति का

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

				सवाधिकार ऑनलाईन nndonline.in site पर जाकर जमा करा सकते है। इसके अतिरिक्त ऐसे सम्पत्ति स्वामी जिनके पूर्व से ही स्वकर निर्धारण प्रपत्र ऑनलाईन अपलोड हैं उपरोक्त ऑनलाईन साईट पर जाकर जमा करा सकते है।
11.	सम्पत्ति हस्तान्तरण–पत्र अभिप्रमाणित/विधिवत (आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप पर एवं समस्त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर)	नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के स्वामी/अध्यासी	1. विक्रय पत्र/दानपत्र/लीज डीड (35 वर्ष से अधिक) के आधार पर उक्त प्रपत्र की छायाप्रति नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करते हुए 2. उत्तराधिकारी के आधार पर अ. वारिसान/उत्तरजीवी प्रमाण–पत्र ब. मृत्यु प्रमाण–पत्र स. आवेदन कर्ता शपथ पत्र समस्त वारिसानों के पता सहित मय फोटो नोटराईज 3.वसीयत के आधार अ. वसीयत की छायाप्रति नोटरी से प्रमाणित ब. मृत्यु प्रमाण–पत्र स. आवेदन कर्ता का शपथ पत्र ड. शेष वारिसों का अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्तमान पते सहित मय फोटो नोटराईज 4. पारिवारिक बटवारे के आधार पर अ. नोटरी से प्रमाणित, पारिवारिक बटवारा सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत/अनुबंध के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ब. आवेदन कर्ता का शपथ पत्र स. शेष वारिसों का वर्तमान पता स्टाम्प पेपर पर। 5. न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर अ. मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति नोटरी से प्रमाणित ब. आवेदन कर्ता का शपथ पत्र	सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऑनलाईन nndonline.in पर आवेदित।

			6. नीलामी सर्टीफिकेट की सत्यापित प्रति ब. आवंटन कर्ता का शपथ पत्र 7. सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने पर अ. अधिग्रहण से सम्बन्धी प्रपत्र ब. आवंटन पत्र	
12	कर निर्धारण सूची की छायाप्रति उपलब्ध कराये।	नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के स्वामी/अध्यासी	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति होनी चाहिए जिसका भवनकर बकाया न हो।	सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यालय में आवेदन के उपरान्त। पात्रता की शर्तों के अनुसार आवेदन करने वाले पात्र आवेदकों को सर्वप्रथम 10रू0 के स्टाम्प पेपर के साथ आवेदन करना होता है। आवेदन के उपरान्त नगर निगम देहरादून के द्वारा सेवा हेतु निर्धारित शुल्क रू0 100/- की रसीद जारी की जाती है। रसीद जारी होने के 02 दिवस के भीतर आवेदक को कर निर्धारण सूची की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायी जाती है।
13.	उत्तराखण्ड राज्य की लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रमाण पत्र (जाति आख्या)	उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु	उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना-29/XXXVI(3)2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी 2019 के अनुपालन में उक्त अध्यादेश की धारा-3 के अन्तर्गत 10 प्रतिशत आरक्षण हेतु शासनादेशानुसार निम्न शर्तों को पूर्ण करना होगा- 1 ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति जिनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय रू 08.00 लाख से कम हो आरक्षण के प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में चिन्हित है। परिवार की आय में सभी स्रोतों में अर्थात वेतन कृषि व्यवसाय पेशा आदि से प्राप्त आय सम्मिलित है। 2 परन्तु यह कि जिनकी आय या जिनके परिवार के पास निम्नलिखित सम्पत्ति में से कोई भी सम्पत्ति है आर्थिक रूप से कमजोर	पात्रता की शर्तों के अनुसार आवेदन करने वाले पात्र आवेदकों को प्रमाण पत्र।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

			वर्गों के लिए आरक्षण के पात्र नहीं होंगे :– (1) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक। (2) आवासीय भवन 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक निर्मित क्षेत्रफल । (3) अधिसूचना नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड। (4) अधिसूचना नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के अलावा अन्य क्षेत्रों में 250 वर्ग गज या उससे अधिक आवासीय भूखण्ड। (5)सम्पूर्ण भारत में किसी भी अन्य राज्य से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु प्रमाण पत्र नहीं बनवाने का शपथ पत्र।	
14	एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र	**एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र से** सम्बन्धित केन्द्र सरकार के कर्मचारी जिनको शहरी क्षेत्र में X,Y,Z श्रेणी के अनुसार मकान किराया भत्ता का लाभ मिलता है।	**एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र हेतु** भूमि/सम्पत्ति सम्बन्धित दस्तावेज (फर्द,रजिस्ट्री) या नगर निगम की सम्पत्ति कर की रसीद /वार्षिक मूल्यांकन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र/आधार कार्ड (जिसके पास जमीन है), किरायानामा, बिजली,पानी का बिल, (सम्पत्ति,स्वामी/आवेदक) एवं विभागीय परिचय पत्र शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप पर)	**एच0आर0ए0 प्रमाण पत्र हेतु** पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने वाले आवेदकों की जाँच उपरान्त **15 दिन** में प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

पेयजल विभाग— उत्तराखण्ड जल संस्थान/पेयजल निगम

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल जीवन मिशन (हर घर जल योजना) **(संशोधित)**	घरेलू संयोजन से आच्छादित कर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।	इसलिए ग्रामीण पेयजल उपभोक्ता को पेयजल संयोजन/पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पात्रता का मानदण्ड नहीं है।	ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण के दौरान अथवा निर्माण उपरान्त प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जल संयोजन हेतु संयोजन शुल्क रु0 1.00 प्रतिकात्मक एवं आवेदन शुल्क रु0 25.00 विभाग के केन्द्रीय कार्यालय में जमा कराकर घरेलू जल संयोजन हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ रु0 100 का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर, पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ एवं विशिष्ट पहचान पत्र (आधार कार्ड), वोटर आई0डी0 कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड फोटो सहित, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पासबुक फोटो सहित, पासपोर्ट एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी पहचान अभिलेख में से किसी एक की

				स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत मानचित्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति की आवश्यकता होती है। आवेदन करने के पश्चात् विभाग द्वारा अभिलेखों की जांचोपरान्त 15 दिवस के भीतर आवेदक को पेयजल संयोजन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। पेयजल एक जीवनदायिनी मूलभूत सुविधा/अति आवश्यक सेवा है जिससे किसी भी व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध कराने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए उपभोक्ता को पेयजल संयोजन/पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पात्रता का मापदण्ड नहीं है और न ही उपभोक्ता के चयन हेतु कोई चयन प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है।
2.	विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित अर्द्धनगरीय पेयजल उपभोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था।	संयोजन शुल्क रु. 1.00 प्रतिकनेक्शन एवं आवेदन शुल्क रु. 25.00 तथा कनेक्शन हेतु जल संयोजन दिये जाने की सुविधा प्रदान की जाती है।	विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में चयनित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। यह राज्य के शहरी क्षेत्रों पर लागू नहीं है।	उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा राज्य के ऐसे 15 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों जिनकी जलापूर्ति योजना का निर्माण उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा कराया गया है, में निवासरत परिवार सीधे निकटवर्ती विभागीय कस्टमर सर्विस सेंटर से आवेदन पत्र प्राप्त कर पेयजल संयोजन के लिये आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ, वोटर आई०डी० कार्ड, बैंक कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड फोटो सहित, ड्राइविंग लाईसेन्स, बैंक पासबुक फोटो सहित, पासपोर्ट एवं सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी आई०डी० कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति की आवश्यकता होगी। सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत मानचित्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति (व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु आवेदन संयोजन हेतु ही आवश्यक है। अन्य श्रेणियों के लिये आवश्यक नहीं है।) रु. 100 का नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर, जहाँ पर संयोजन दिया जाना है उस स्थान के स्वामित्व/अधिकार हेतु विक्रय पत्र, लीज डीड, म्यूटेशन प्रमाण पत्र (खतौनी), जमीन का पट्टा, वोटर आई०डी० कार्ड, नगर निगम/नगर पालिका द्वारा निर्गत भवन का मूल्यांकन प्रमाण पत्र, किरायेदार अनुबन्ध, राशन कार्ड, बिजली का बिल, राष्ट्रीयकृत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। विभागीय पंजीकृत प्लम्बर जिसके माध्यम से आवेदक द्वारा कार्य कराया जायेगा, का स्वीकृति पत्र की आवश्यकता होगी। यदि आवेदक अनु० जाति/अनु० जनजाति/निराश्रित/भूमिहीन श्रमिक/सैनिक विधवा/विकलांग का कार्डधारक है तो उनको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदन करने के बाद विभाग द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जाती है तथा 15 दिवस के भीतर आवेदक को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे 07 अर्द्धनगरीय क्षेत्र जिनकी जलापूर्ति योजना का निर्माण उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया गया है, उनमें उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा भी जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार कुल 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत पेयजल संयोजन दिये जाने का प्राविधान है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

क.सं.	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रकिया एवं चयन प्रकिया
1	अरायज नवीस लाईसेंस	कलेक्ट्रेट व तहसील कार्यालयों में फरियादियों के अनुरोध पर उनके प्रार्थना पत्र लिखकर उनसे आंशिक शुल्क लेकर जीविकोपार्जन करना।	राज्य का स्थाई निवासी व हिन्दी को लिखना पढ़ना जानता हो।	वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नम्बर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। उसके उपरान्त सम्बंधित व्यक्ति का नाम,पता, सहित विवरण मांगा जाता है, जिससे लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा "अरायज नवीस लाईसेंस चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय अनिवार्य एवं वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है:–**अनिवार्य**–निवास का प्रमाण, पहचान का प्रमाण,चरित्र प्रमाण पत्र (सामान्य), शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं। वैकल्पिक—आधार कार्ड। जांचोपरान्त उपयुक्तता के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी / प्रभारी अधिकारी द्वारा

				आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 कार्य दिवस के अंदर अस्थायी भंडारण लाईसेंस जारी किया जाता है।
2	स्टाम्प विक्रेता लाईसेंस	स्टाम्प विक्रेता लाईसेंस पर स्टाम्पों की बिक्री कर जीविकोपार्जन करना।	राज्य का स्थाई निवासी व शैक्षिक हो।	उत्तराखण्ड के अपोलो सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है, स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नम्बर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। इसके उपरान्त संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, अन्य विवरण मांगा जाता है, जिससे लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग-चयन करना होता है तथा "स्टाम्प विक्रेता लाईसेंस" चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय अनिवार्य एवं वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है-अनिवार्य-निवास का प्रमाण, व्यवसाय का प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र (सामान्य), शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं। वैकल्पिक-आधार कार्ड। जांचोपरान्त उपयुक्तता के आधार पर सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 20 कार्य दिवस के अंदर लाईसेंस जारी किया जाता है।
3	साहूकारी व्यवसाय लाईसेंस	साहूकारी व्यवसाय लाईसेंस लेकर व्यवसाय कर जीविकोपार्जन/धनोपार्जन करना।	राज्य का स्थाई निवासी व शैक्षिक हो व साहूकारी व्यवसाय की बैंकिंग पहचान हो।	उत्तराखण्ड के अपोलो सरकार पोर्टल ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। इसके उपरान्त संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, अन्य विवरण मांगा जाता है। जिससे लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा "साहूकारी लाईसेंस" चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते समय अनिवार्य एवं वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है-अनिवार्य-निवास का प्रमाण, व्यवसाय का प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र (सामान्य), शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक हैं। वैकल्पिक-आधार कार्ड। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से जांचोपरान्त उपयुक्तता के आधार पर सम्बन्धित साहूकारी पंजीयक/अपर जिलाधिकारी द्वारा 10 कार्य दिवस के अंदर साहूकारी व्यवसाय लाईसेंस निर्गत किया जाता है।
4	उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र	अल्पसंख्यकों हेतु राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभ हेतु।	राज्य का मूल निवासी अल्पसंख्यक(मुस्लिम/सिक्ख/ईसाई/बौद्ध व जैन समुदाय में से किसी एक समुदाय का हो।	उत्तराखण्ड के अपोलो सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in पर ऑनलाईन या कॉमन सर्विस सेंटर/ई-डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जाता है स्वयं आवेदन करने हेतु तत्समय मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड संख्या होना अनिवार्य है। इसके उपरान्त संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, अन्य विवरण मांगा जाता है। जिससे लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट होता है। तब विभिन्न विभागों की सूची दिखायी देती है उसमें राजस्व विभाग चयन करना होता है तथा "उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र" चयन करके आवेदन करते हैं। आवेदन करते

				समय अनिवार्य एवं वैकल्पिक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है :— **अनिवार्य**—उत्तराखण्ड के मूल / स्थाई निवास का प्रमाण, उद्धरण खतौनी की प्रति 1985 से पूर्व की, परिवार रजिस्टर की प्रति अथवा उत्तराखण्ड में जन्म का प्रमाण पत्र। जांचोपरान्त नियमानुसार पाये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा 15 दिवस के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
5	तहसीलों के कार्मिकों द्वारा विभिन्न प्रमाण पत्रों में हुई टंकण त्रुटि दुरूस्त किया जाना	पूर्व जारी प्रमाण पत्र में हुई टंकण त्रुटि दुरूस्त कर सही प्रमाण पत्र प्राप्त करना।	आवेदक के नाम पूर्व जारी प्रमाण पत्र जिसमें टंकण त्रुटि दुरूस्त की जानी है, के सम्बन्ध में पूर्व में किये गये आवेदन व उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेज के आधार पर ही टंकण त्रुटि दुरूस्त की जा सकती।	जिस पदाभिहित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन / डिजिटल प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, उसी के स्तर से प्रमाण पत्र में हुई टंकण त्रुटि को दुरूस्त किया जाता है। टंकण त्रुटि संज्ञान में आने पर या आवेदक द्वारा टंकण त्रुटि संज्ञान में लाने पर 03 कार्य दिवस के अंदर संशोधित प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
6	राजस्व अभिलेखागार / न्यायिक अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण	किसी जानकारी अथवा अभिलेखों की नकल प्राप्त करने में सुविधा।	आवेदक के आवेदन पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों का निरीक्षण कराया जाता है।	अभिलेखागार में सुरक्षित अभिलेखों के निरीक्षण की सुविधा आवेदक के आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की तिथि पर अथवा अपरिहार्य स्थिति में दूसरे कार्य दिवस पर उपलब्ध करायी जाती है। यह सुविधा ऑनलाइन नहीं है। इस हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार के समक्ष आवेदन करना होता है।
7	लीज नवीनीकरण	किसी एक समयावधि के लिए सतुल्य स्वीकृत लीज को आगामी वर्षों के लिए नवीनीकृत करना।	राजस्व विभाग के अन्तर्गत जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृत भूमि से सम्बन्धित लीज की अवधि समाप्त होने पर स्वीकृत लीज में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत लीज का नवीनीकरण किया जाता है।	निर्गत लीज की शर्तों के अन्तर्गत लीज नवीनीकरण हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन के साथ स्वीकृत लीज संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन की जिलाधिकारी के स्तर पर जांचोपरान्त स्वीकृत लीज को आगामी वर्षों के लिए नवीनीकरण की दशा में लीज भूमि का वर्तमान दरों / लीज शर्तों के अनुसार निर्धारित नजराना जमा कराते हुए जिलाधिकारी के स्तर पर नवीनीकरण स्वीकृति प्रदान कर सम्बन्धित अधिकारी / पदाभिहित अधिकारी के द्वारा लीज नवीनीकरण किया जाता है। यह सेवा ऑनलाइन नहीं है। आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 कार्य दिवस के अंदर सम्बन्धित जिलाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा लीज नवीनीकरण किया जाता है।

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड– उत्तराखण्ड परिवहन निगम

विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों हेतु निगम बसों में छूट का विवरण –

क्र.सं.	विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों जिनको निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है।	यात्रा का आधार	अनुमन्य छूट
1	उत्तराखण्ड से निर्वाचित राज्यसभा लोकसभा के सदस्य	शासन से निर्गत अधिकृत पत्र	पूर्णतः निःशुल्क
2	उक्त के एक सहवर्ती	–	किराया निःशुल्क (यात्रीकर व बीमा अधिभार व अन्य कर देय होगा)
3	उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्तमान माननीय सदस्य	सचिव विधान सभा से निर्गत परिचय पत्र	पूर्णतः निःशुल्क ।
4	उक्त के एक सहवर्ती	–	किराया निःशुल्क (यात्रीकर व बीमा अधिभार व अन्य कर देय होगा)

5	उत्तराखण्ड विधान सभा के भूतपूर्व माननीय सदस्य	सचिव विधान सभा से निर्गत परिचय पत्र	पूर्णतः निःशुल्क
6	उनके के एक सहयात्री	–	किराया निःशुल्क (टोलटैक्स व बीमा अधिभार व अन्य कर देय होंगे)
7	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र।	पूर्णतः निःशुल्क
8	उनके के एक सहयात्री	–	पूर्णतः निःशुल्क
9	दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाएं।	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र।	पूर्णतः निःशुल्क
10	उनके के एक सहयात्री	–	पूर्णतः निःशुल्क
11	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रथम पीढ़ी के समस्त उत्तराधिकारी (विवाहित/अविवाहित पुत्र/पुत्री)	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र।	पूर्णतः निःशुल्क
12	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवा पुत्रवधू	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र।	पूर्णतः निःशुल्क
13	मान्यता प्राप्त पत्रकार	सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत परिचय पत्र (प्रेस मान्यता कार्ड)	पूर्णतः निःशुल्क
14	40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति	प्रदेश के जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण–पत्र अथवा समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत परिचय पत्र अथवा भारत सरकार के स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र अथवा भारत सरकार द्वारा निर्गत विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण –पत्र (UDID Card)	निगम किराया निःशुल्क (टोलटैक्स/बीमा अधिभार तथा यात्री सुविधा उपकर देय होंगे)
15	निम्नांकित श्रेणी के दिव्यांगजनों को एक सहयात्री अनुमन्य होगा– (क) जो पूर्ण रूप से अंधे हों, या अल्पदृष्टि हों (लो विज़न) से ग्रस्त हों। (ख) जो पूर्ण रूप से मूक बधिर हों (ग) जिनके एक हाथ या एक पैर अथवा दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से कटे हों। (घ) जिनका एक हाथ या पैर अथवा	प्रदेश के जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण–पत्र अथवा समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत परिचय पत्र अथवा भारत सरकार के स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण– पत्र।	निगम किराया निःशुल्क (टोलटैक्स/बीमा अधिभार तथा यात्री सुविधा उपकर देय होंगे)

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड)

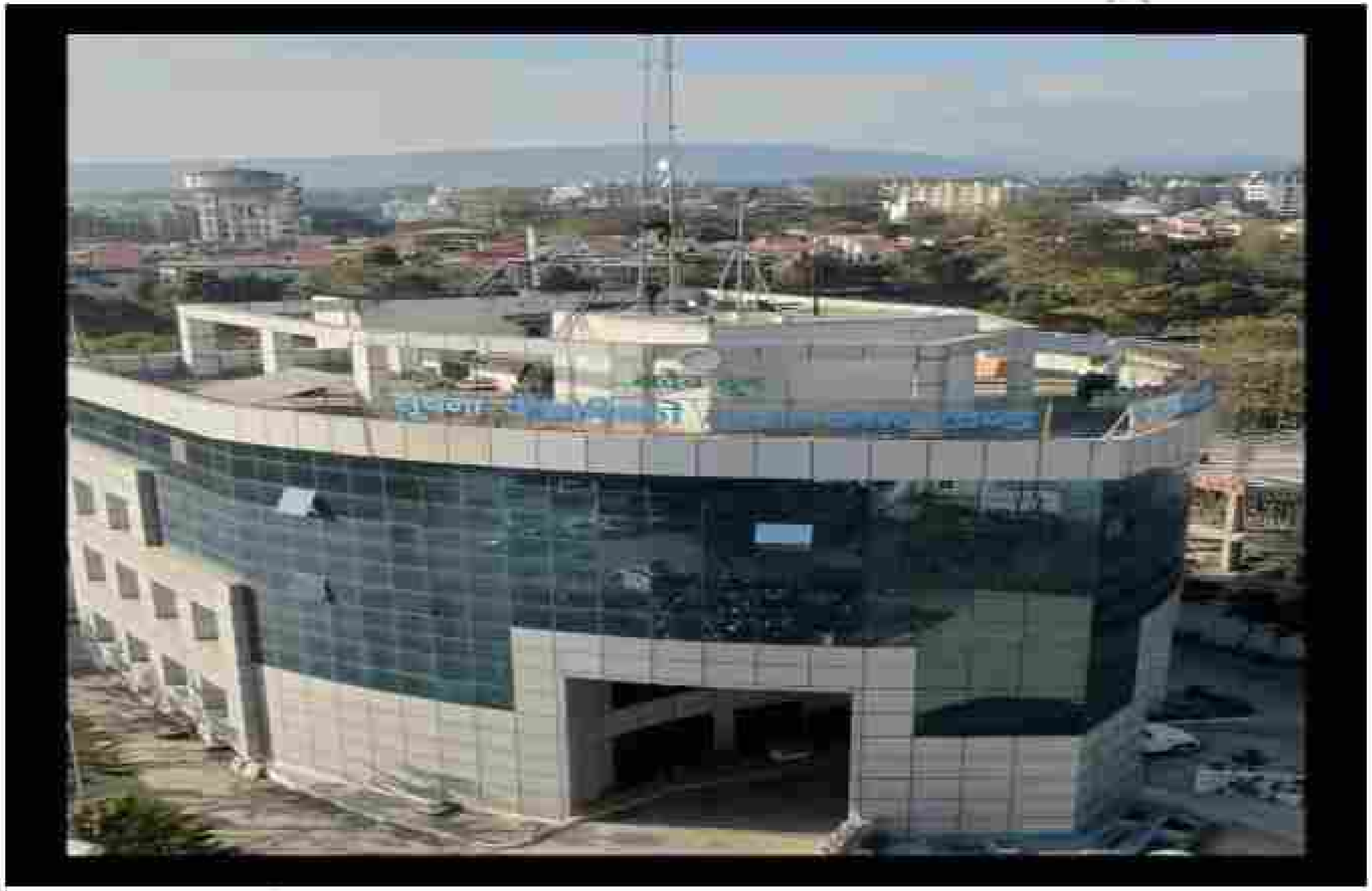

	दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से अपंग (पैराप्लेजिक) है। (ङ) जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि हो। (च) जो मानसिक रूप से रोगी हो।		
16	छात्राओं के लिए	प्रदेश के सभी छात्राओं को विद्यालय/महाविद्यालय/चिकित्सा/तकनीकी शिक्षण संस्थान के परिचय पत्र के आधार पर जिसे सम्बन्धित जिले के सक्षम द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया हो।	केवल शैक्षणिक दिवसों में शिक्षण संस्थान तक आने–जाने के लिए। (एक ही रूट में निरन्तर यात्रा मार्ग में यदि उत्तर प्रदेश का भू–भाग भी पड़ता है तो उस पर भी निःशुल्क यात्रा देय होगी।)
17	वरिष्ठ नागरिक	प्रदेश के 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों (महिला व पुरुष) को फोटोयुक्त पहचान पत्र/ आयु प्रमाण –पत्र /आधारकार्ड /पैन कार्ड/वृद्धावस्था पेंशन कार्ड/वोटर पहचान पत्र अथवा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र जिसमें आयु का उल्लेख हो।	उत्तराखण्ड की सीमा में एवं यदि यात्रा का प्रारम्भिक स्थान एवं गन्तव्य स्थान के मध्य अन्य राज्य का क्षेत्र पड़ता है तब भी निःशुल्क यात्रा अनुमन्य होगी।
18	राज्य आन्दोलनकारी।	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चिन्हित आन्दोलनकारी परिचय पत्र	निःशुल्क प्रदेश के अन्दर (उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड जाने में यदि अन्य राज्य का भू–भाग पड़ता है तो उस पर भी)
19	मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षा परीक्षार्थी निःशुल्क परिवहन योजना 2023।	प्रवेश पत्र (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड) जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र तथा उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होने विषयक प्रमाण पत्र	किराये पर 50 प्रतिशत की छूट (उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड जाने व अन्य राज्य से भी (उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।)
20	दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना।		दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के अन्तर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु पूर्णागिरी धाम, कैंचीधाम, नानकमत्ता एवं रीठा–साहिब, कलियर शरीफ (हरिद्वार) ताड़केश्वर (पौड़ी) कालीमठ (रुद्रप्रयाग) जागेश्वर (अल्मोड़ा) गैराड़ गोलू (बागेश्वर) बैजनाथ (बागेश्वर) पाताल भुवनेश्वर (पिथौरागढ़) महासू देवता हनोल (देहरादून) कालिंका (पौड़ी गढ़वाल) ज्वाल्पा (पौड़ी गढ़वाल) आदि धार्मिक स्थलों की यात्रायें भी निःशुल्क करायी जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITDA)

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in (संशोधित)	उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित सभी विभागों की नागरिक सेवाओं को एक ही स्थान पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अपणि सरकार पोर्टल की शुरुआत की गयी है। इस पोर्टल में सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों, लाइसेंसों, अनुमतियों एवं पेंशन/छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन किया जाता है। इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त न्यूनतम शुल्क भुगतान करना पड़ता है। आवेदक अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच कर सकता है तथा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक को प्रमाण पत्र जारी हो जाते हैं। यदि प्रमाण पत्रों को जारी करने में कोई लापरवाही होती है, तो विभागीय अधिकारी, निरीक्षक अथवा कार्मिक के तहत प्रश्न कर देता है परन्तु उचित नहीं रह सकता है। शिकायत पाये पर संबंधित प्रयोग सेवा का अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है जहां से संबंधित विभागीय अधिकारी पर निर्धारित शुल्क या जुर्माना हो सकता है। वर्तमान समय में नागरिकों को Whatsapp के माध्यम से आवेदन में पंजीकृत मोबाईल नम्बर से ही आवेदन की स्थिति व प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की व्यवस्था उपलब्ध की गई है तथा Whatsapp के माध्यम से अपणि सरकार पोर्टल पर दी जाने वाली समस्त विभागों की सेवाओं से संबंधित जानकारी दी जाती है। Whatsapp के माध्यम से ग्राहक सहायता केन्द्र का विवरण नागरिक प्राप्त कर सकते हैं।	राज्य का कोई भी नागरिक जो सेवायें पोर्टल में अधिसूचित हों उनका लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकता है। 1. वर्तमान समय में 73 विभाग की 880 सेवाएं नागरिकों को अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। 2. जो लाभार्थी DBT Scheme के अन्तर्गत आते हैं वे अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से आवेदन का लाभ उठा सकते हैं। 3. वर्तमान समय में CSC के द्वारा नागरिक Doorstep Helpline No 18009110007 की	आवेदन करने हेतु आवेदक को सर्वप्रथम अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ पर पंजीकरण करना पड़ता है। आवेदक स्वयं भी पंजीकरण कर सकता है तथा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। पंजीकरण करने हेतु आवेदक का विवरण, मोबाईल नंबर एवं ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के बाद आवेदक का आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। जिसका उपयोग कर आवेदक पोर्टल पर लॉगइन कर सकता है। किसी भी विभाग से संबंधित सेवा लेने हेतु संबंधित विभाग एवं सेवा का चयन कर उस सेवा हेतु जिन अभिलेखों/दस्तावेजों/फोटो/हस्ताक्षर/प्रार्थना पत्र की आवश्यकता होगी, उनकी पीडीएफ/जेपीजी फाइल में अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने एवं अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त एक आवेदन संख्या जारी हो जाता है जो आवेदक के मोबाइल में मैसेज से प्राप्त होता है। आवेदक आवेदन संख्या का उपयोग कर अपने आवेदन की स्थिति देख सकता है। आवेदन करने के उपरान्त विभागीय कार्मिक/अधिकारी जांच एवं विभागीय प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त सही पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। जिसको आवेदक लॉगइन करके अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड कर सकता है।

		नागरिकों द्वारा सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए e- mail e-helpdesk@uk.gov.in के माध्यम से अपनी समस्याएँ दर्ज कर सकते हैं। अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से दी जा रही समस्त सेवाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों में संशोधन की व्यवस्था दी गई है। जिसके माध्यम से आवेदनकर्ता स्वयं के नाम में, पिता, माता, मोबाईल नंबर में संशोधन कर सकता है।	माध्यम से अब घर बैठे सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं जिसके लिए नागरिकों को Doorstep हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल कर घर पर ही सभी आवश्यक संबंधित दस्तावेज जमा कर आवेदन करके प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।	
८	ड्रोन नीति 2023	1.राज्य के कठिन इलाकों में ड्रोन के माध्यम से सेवा वितरण और शासन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना। 2.ड्रोन तकनीक में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना। 3.ड्रोन सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (DSDM) और ड्रोन आधारित सेवाओं (Des) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। 4.उद्योग, प्रशासन और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर ड्रोन तकनीक से राज्य को अधिकतम लाभ पहुंचाना। 5.ड्रोन सेवा प्रदाताओं, ड्रोन निर्माताओं, ड्रोन निवेशकों, ड्रोन से संबंधित स्टार्टअप, उत्तराखंड के युवाओं, विश्वविद्यालयों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को नीति के तहत लाभ मिलेगा। 6.ड्रोन के उपयोग के लिए पीपीपी (सार्वजनिक–निजी भागीदारी) ढांचे का विकास किया जाना। 7.ड्रोन निर्माण और ड्रोन से संबंधित सेवाओं में उत्कृष्टता	ड्रोन- सेवा प्रदाता,ड्रोन निर्माता, ड्रोन उद्योग के निवेशक, ड्रोन से संबंधित स्टार्टअप उत्तराखण्ड के युवा, विश्वविद्यालय, आई.टी.आई. ,सरकारी, पॉलिटेक्निक कॉलेज	आवेदन राज्य के आईटी विभाग के अंतर्गत संस्था आई.टी.डी.ए. के माध्यम से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, आवेदन प्रक्रिया और चयन मानदंडों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आईटीडीए कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

		प्राप्त करने वाले स्टार्टअप / कंपनियों / व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाना। 5.ड्रोन सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना। 6.विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ।		
3.	आई०टी० इन्क्यूबेशन सेन्टर	इन्क्यूबेशन सेंटर नये स्टार्टअप इकाइयों को उनके व्यवसाय को विकसित करने और उनसे जुड़ी समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करता है। स्टार्टअप और आई.टी. मेडिकल / इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रों को उनके नवीन प्रयास व विचारों व बेहतर के विकास में यह केन्द्र सहायता करता है। इन्क्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप को कार्यस्थल उपलब्ध कराया जाता है साथ ही केन्द्र का मिशन स्टार्टअप को इंटरनेट, सुविधा चिकित्सा उपकरण, सुविधाएँ प्रदान किया जाता है। इस केन्द्र का मिशन नए स्टार्टअप और उनकी जरूरतों के अनुसार सहयोग करना है। स्टार्टअप को आगे बढ़ने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करना है। आई.टी. इन्क्यूबेशन सेंटर विशेष रूप से शुरुआती चरणों में व्यवसाय और तकनीकी सेवाओं को प्रारंभिक स्तर से स्टार्टअप कंपनी को प्रयोगशाला सुविधाएँ, सलाहकार, नेटवर्क और अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है। इन्क्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप को जोखिम से मुक्त करने और उनकी सफलता की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है।	उत्तराखण्ड क्षेत्रीय स्टार्टअप जाई डी स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट (डिप्लोमा) कौशल विकास आईटी और एंड अर्थ, ग्राम और पर्यटन, खाद्य तंत्रज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स	स्टार्टअप टीम सेन्टर-मैनेजर से सम्पर्क करेगी। स्टार्टअप टीम में 1 से 3 सदस्य शामिल हो सकते हैं। स्थान 1 से 2 वर्ष के लिए आवंटित किया जाएगा (आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है) स्टार्टअप उनकी आवश्यकताओं के लिए ई–मेल (dirttda-uk@nic.in) पर भेजेगा। प्रशासक स्टार्ट–अप की जरूरतों को आवंटित करेगा। स्टार्ट–अप टीम कार्य की उचित प्रगति रिपोर्ट प्रदान करेगी। स्टार्ट–अप को अपनी कंपनी का पंजीकृत नम्बर कोई कोड या सब्सिडियरी में तथा अन्य प्रमाण पत्र जैसे आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण जमा करना होगा। कमिटमेंट पूर्ण होने पर जांच के उपरान्त उपलब्धता के आधार पर स्थान आवंटित किया जाएगा।
4.	मुख्यमंत्री सन्दर्भ पोर्टल https://cmreferences.uk.gov.in/	माननीय सांसदों, माननीय मंत्रीगणों एवं माननीय विधायकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्रों / सन्दर्भों को डिजिटली ऑनलाइन प्रेषण से उनके सन्दर्भों को त्वरित निस्तारण किये जा सकेगा जिससे आम–जन से जुड़े सन्दर्भों में कार्यवाही से जनता को राहत प्रदान होगी।	राज्य के समस्त माननीय सांसद, मा0मंत्रीगण, मा0 विधायक एवं समस्त	वर्तमान में माननीय सांसदों, माननीय मंत्रीगणों एवं माननीय विधायकों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित पत्रों को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेषण की व्यवस्था संचालित है, जिसमें अधिक समय लगने के साथ–साथ महानुभावों द्वारा बार–बार

			जनमानस।	कार्यवाही के सम्बन्ध में पूछा जाता है, जिसको डिजिटली सुविधा का स्वरूप प्रदान कर एडवांस पोर्टल cmrefrences.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों तथा सम्बन्धित सचिवों, आयुक्तों, अपर सचिव एवं जिलाधिकारियों को ऑनलाइन प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिससे उक्त पत्रों पर की जाने वाली कार्यवाही / प्रगति को माननीय महानुभावों द्वारा स्वयं समय–समय पर प्रदत्त आई०डी० के माध्यम से ऑनलाईन देखा जा सकता है।
६	मुख्यमंत्री जनसमर्पण पोर्टल (तहसील दिवस) https://cmjs.uk.gov.in/	सुशासन सरलीकरण एवं समाधान के ध्येय पर आधारित होते हुये तहसील दिवसों में प्राप्त होने वाली समस्त जनशिकायतों के अनुश्रवण हेतु डिजीटल व्यवस्था का निर्माण किया गया है। जिससे जन शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता आयेगी एवं त्वरित गति से समाधान किया जा सकेगा।	राज्य के समस्त नागरिक।	तहसील दिवसों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को डिजीटली प्रेषित किया जायेगा एवं शिकायतों पर हुयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति को जनता द्वारा ऑनलाईन देखा जा सकता है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त जनपदों में होने वाले तहसील दिवसों एवं उक्त शिकायतों पर अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का ऑनलाइन अनुश्रवण किया जा सकता है, साथ ही तहसीलों में इन्टरनेट बाधित होने की दशा में शिकायतों का पंजीकरण offline भी किया जा सकता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION

लघु सिंचाई विभाग

लघु सिंचाई विभाग

क्र०सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
		केन्द्रपोषित योजना		
1.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी (सतही योजना) (90% केन्द्रांश: 10% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत सिंचाई सुविधा हेतु किये जाने वाले कार्य– 1. चाईकलाईन / गूल 2. हौज / सिंगो लाईन टैंक 3. सोलर पम्पसेट 4. छोटे चैक डैम	भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाईन के अनुसार– (i) सामूहिक सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्यों के 05 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत कलस्टर निर्मित होगा, जिसका कमाण्ड एरिया 20.00 हैक्टे० या उससे अधिक हो। (ii) एकल योजना की दशा में कमाण्ड एरिया 10.00 हैक्टे० या उससे अधिक हो। (iii) योजना की लागत रू० 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। (iv) योजना का लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक होना चाहिए।	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से जनपद, उत्तराखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी०पी०आर० तैयार की जायेगी। डी०पी०आर० विभागीय टी०ए०सी० से परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है, तदोपरान्त राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदन के उपरान्त मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से स्वीकृति के उपरान्त वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
2.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी (भूजल योजना) (90% केन्द्रांश: 10% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत सामूहिक सिंचाई योजनाओं अथवा व्यक्तिगत भूजल सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्य– 1. सोलर चलित पम्पसेट	भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाईन के अनुसार– (i) सामूहिक योजनाओं के निर्माण हेतु कमाण्ड एरिया 5 हैक्टेयर उपलब्ध होना चाहिए। (ii) केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से जनपद, उत्तराखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी०पी०आर० तैयार की जायेगी। डी०पी०आर० विभागीय टी०ए०सी० से

		2. विद्युत चालित पम्पसेट	सामान्य एरिया [illegible] श्रेणी में वर्गीकृत हो।	परिकल्पित/डी०पी०आर० की उपलब्धता करायी जाती है। तदोपरान्त राज्य स्तरीय तकनीकी परामर्शदात्री समिति से अनुमोदन के उपरान्त मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित केन्द्र/राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तावित योजना हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
केन्द्रीय सेक्टर योजना				
3	प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना (पी०एम०–कुसुम) (30% केन्द्रांश, 30% राज्यांश, 20% कृषक अंश)	योजना में कृषकों को सोलर पम्पसेट की लागत का 80% अनुदान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है तथा सोलर पम्पसेट की लागत का 20% अंश कृषक द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत व्यक्तिगत कृषक द्वारा संचालित डीजल पम्पसेट को 7.5 एच०पी० तक क्षमता वाले सोलर पम्पसेट में परिवर्तित किया जा सकता है जिससे डीजल आदि पर आने वाले व्यय में कमी होती है तथा उत्पादन लागत कम होने से कृषकों की आय में वृद्धि होती है।	MNRE भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार– (i) कृषक सोलर पम्पसेट की लागत का 20 प्रतिशत कृषक अंश देने हेतु सक्षम हो। (ii) कृषक के पास अपनी बोरिंग उपलब्ध हो। (iii) सिंचाई हेतु डीजल पम्पसेट का उपयोग कर रहे हो। (iv) सोलर पम्पसेट के साथ USPC अपनाने के इच्छुक कृषक उक्त कार्य के अन्तर्निहित भुगतान हेतु सहमत हो।	इच्छुक कृषक द्वारा जनपद में विभाग के खण्ड/उपखण्ड कार्यालय में प्रार्थना पत्र एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराया जायेगा। सत्यापन उपरान्त उपयुक्तता की स्थिति में सोलर पम्पसेट का 20 प्रतिशत कृषक अंश की धनराशि सम्बन्धित कार्यालय में जमा की जायेगी। कृषक अंश प्राप्त होने के उपरान्त विभाग से सूचीबद्ध/चयनित फर्मों को सोलर पम्पसेट की स्थापना हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाता है। तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त सोलर पम्प की स्थापना की जाती है।
राज्य सेक्टर				
4	नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती। योजनान्तर्गत कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु किये जाने वाले कार्य– 1. सोलर पम्प सिंचाई योजना 2. हाईड्रम/गूल 3. हौज/[illegible] टैंक	(i) योजना के अन्तर्गत सामुदायिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। (ii) ऐसी योजनाएं जो कि लाभकारी एवं आवश्यक है तथा जिनकी लागत रू0 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर एवं लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक हो	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी०पी०आर० तैयार की जाती। डी०पी०आर० विभागीय टी०ए०सी० से

		4. चैकडैम निर्माण (पर्वतीय क्षेत्र) 5. छोटे पटल विअर (मैदानी क्षेत्र)	सम्मिलित की जाती है। (iii) चैकडैम निर्माण, प्राप्त प्रस्ताव एवं सर्वेक्षण के आधार पर उपयुक्त स्थानों पर किया जाता है।	परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है तदोपरान्त मुख्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है। भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
5.	सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण (पर्वतीय क्षेत्रों के लिए) (100% राज्यांश)	योजना में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर स्थित ऐसे कृषि भूमि पर जहाँ गूल/पाईप लाईन से सिंचाई उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, उन स्थानों पर सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।	(i) योजना के अन्तर्गत सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। (ii) योजना लागत रू0 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक न हो एवं लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक हो। (iii) योजना का निर्माण पर्वतीय क्षेत्र हेतु किया जाना है।	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी0पी0आर0 तैयार की जायेगी। डी0पी0आर0 विभागीय टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है तदोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
6.	अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण (100% राज्यांश)	योजना में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों की स्थापना की जाती है।	(i) सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। (ii) प्रस्तावित ग्राम का नाम समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों की सूची में सम्मिलित हो। (iii) योजना स्थल आर्टीजन कूप निर्माण हेतु उपयुक्त हो। (iv) योजना हेतु पर्याप्त सिंचित क्षेत्र उपलब्ध हो। (v) योजना लागत रू0 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक न हो एवं लाभ लागत अनुपात 1.0	सामान्यतः आर्टीजन निर्माण हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर के कुछ [illegible] क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल के कुछ क्षेत्र ही उपयुक्त हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से प्रस्ताव खण्ड, उपखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी0पी0आर0 तैयार की जाती है। डी0पी0आर0 विभागीय टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है तदोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजनाओं का

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPT

			से अधिक हो।	निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
7.	अनुसूचित जाति के सामुहिक लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामुहिक सिंचाई हेतु निम्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है– 1. हौज, 2. पाइप लाईन/गूल निर्माण	(i) सामुहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। (ii) प्रस्तावित ग्राम का नाम समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों की सूची में सम्मिलित हो। (iii) योजना हेतु पर्याप्त सिंचित क्षेत्र उपलब्ध हो। (iv) योजना लागत रू० 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक न हो एवं लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक हो।	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से जनपद, उत्तराखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी०पी०आर० तैयार की जायेगी। डी०पी०आर० विभागीय टी०ए०सी० से परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है, तदोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
8.	अनुसूचित जनजाति के सामुहिक लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (100% राज्यांश)	योजना में कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामुहिक सिंचाई हेतु निम्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है– 1. हौज, 2. पाइप लाईन/गूल निर्माण	(i) सामुहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। (ii) प्रस्तावित ग्राम का नाम समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों की सूची में सम्मिलित हो। (iii) योजना हेतु पर्याप्त सिंचित क्षेत्र उपलब्ध हो। (iv) योजना लागत रू० 4.00 लाख प्रति हैक्टेयर से अधिक न हो एवं लाभ लागत अनुपात 1.0 से अधिक हो।	योजना निर्माण हेतु योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से जनपद, उत्तराखण्ड या अन्य विभागीय कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर योजना के स्थलीय निरीक्षण एवं उपयुक्तता के आधार पर योजना की डी०पी०आर० तैयार की जायेगी। डी०पी०आर० विभागीय टी०ए०सी० से परीक्षणोपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाती है, तदोपरान्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग (जिला स्तर)

क्र० सं०	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
01	भूमि/भवन की रजिस्ट्री (अचल सम्पत्ति का पंजीकरण)	रजिस्ट्री किये जाने से क्रेता को विधिक स्वामित्व मिलती है। रजिस्ट्री के पश्चात् किसी अचल सम्पत्ति के स्वामित्व एवं अधिकारों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सार्वजनिक ज्ञान के साथ-साथ भविष्य के लिए भी सुरक्षित होती है जिससे धोखाधड़ी व वाद-विवाद से मुक्ति मिलती है।	समस्त नागरिक	भूमि/भवन के क्रय/विक्रय हेतु क्रेता/विक्रेता रजिस्ट्री को स्वयं अथवा दस्तावेज लेखक के माध्यम से तैयार करेगा। उसके बाद विभाग की वेबसाइट eregiitration.uk.gov.in पर उपलब्ध (PDE) के माध्यम से ऑनलाइन एन्ट्री करेगा। तथा रजिस्ट्री कराने हेतु अपनी सुविधानुसार तिथि व समय पर क्रेता/विक्रेता एवं गवाहों सहित पंजीकरण के लिए उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होगा। रजिस्ट्री तैयार करने हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:– • क्रेता/विक्रेता की पासपोर्ट फोटो। • क्रेता/विक्रेता एवं दो गवाहों के आधार कार्ड/पैन कार्ड व अन्य पहचान पत्र। • भूमि/भवन का पूर्ण विवरण भौगोलिक स्थिति के अनुसार। • भूमि/भवन के साथ क्रेता/विक्रेता की फोटोग्राफ।
02	विवाह प्रमाण-पत्र प्रदान करना	कानूनी दस्तावेज के रूप में वैधानिक मान्यता प्रदान करना।	ऐसे युवक (21 वर्ष) एवं महिला (18 वर्ष) जिनका विवाह सम्पन्न	विवाह प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु विभागीय वेबसाइट eregistration.uk.gov.in पर उपलब्ध e-marriage Module के अन्तर्गत ऑनलाइन विवरण की प्रविष्टि अंकित करेगा। तथा अपनी

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग,उत्तराखण्ड

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना **NFSM**	योजना के अन्तर्गत गन्ने के साथ सहफसली खेती करवाकर कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु गन्ना कृषकों को आधुनिक ढंग से गन्ने की एक आंख गन्ना बुवाई, ट्रेंच विधि, रिंग पिट विधि एवं गन्ने के साथ अन्य सहफसली (विकल्पों) खेती जैसे - गेहूँ, मटर, आलू, सरसों, राजमा, मेंथा एवं लोबिया आदि की खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें प्रदर्शन हेतु अनुदान रू0 8000 प्रति हेक्टेयर दिया जाता है।	योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले ऐसे कृषक जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के सदस्य हों तथा गन्ने की उन्नतशील एवं गन्ने के साथ सहफसली खेती करने वाले कृषक।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम सभाओं या ग्राम स्तर की बैठक में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सहयोग के उपरान्त विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) के अनुमोदन के उपरान्त चयन किया जाता है।
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना **RKVY**	योजनान्तर्गत, शुद्ध बीज से गन्ना बीज उत्पादन करने जिसमें आधार पौधशाला के बीज वितरण पर रू0 50/कु0 एवं प्रमाणित पौधशाला के बीज वितरण पर रू0 25/कु0, [illegible] पर रू0 [illegible]/हेक्टे0, [illegible] जैविक [illegible] के वितरण, [illegible] रोग एवं [illegible] नियंत्रण पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। [illegible] पर किसानों [illegible] कार्यक्रम [illegible] एवं किसानों की मृदा परीक्षण [illegible]	योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले ऐसे कृषक जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के सदस्य हों तथा गन्ने की उन्नतशील खेती करने वाले तथा जिनकी [illegible] में नाम दर्ज हो।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम सभाओं या ग्राम स्तर की बैठक में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सहयोग के उपरान्त विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) के अनुमोदन के उपरान्त चयन किया जाता है।

कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन

क्र0 सं0	योजना का नाम	लाभ	पात्रता/लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
			से हुआ हो अथवा राज्य के निवासी हों।	कार्यक्रमानुसार तय दिनांक व समय पर पति–पत्नी दो गवाहों के साथ विवाह के पंजीकरण हेतु सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होंगे। विवाह प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :–• पूर्ण रूप से भरे ऑनलाइन आवेदन पत्र की दो मुद्रित प्रतियां। • पति–पत्नी की दो पासपोर्ट फोटो। • पति–पत्नी व दो गवाहों के आधार कार्ड, शादी का कार्ड, जन्म तिथि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व अन्य सहायक दस्तावेज।
03	रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति/नकल प्राप्त करना	रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति/नकल का उपयोग भूमि/भवन की खरीद–फरोख्त, सरकारी कार्यालयों/बैंक लोन हेतु किया जा सकता है।	एक व्यक्ति जो किसी विलेख की प्रमाणित प्रति की इच्छा रखता है।	आवेदक अपने घर, कार्यालय या साईबर कैफे से eregistration.uk.gov.in पर उपलब्ध e-Nakal के माध्यम से विलेख से सम्बन्धित जानकारी अंकित करते हुए विलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
04	भूमि/भवन आदि की पूर्व में पंजीकरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना	किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्व में पंजीकृत समस्त विलेखों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।	एक व्यक्ति जो किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्व में पंजीकृत समस्त विलेखों की जानकारी चाहता है।	आवेदक अपने घर, कार्यालय या साईबर कैफे से eregistration.uk.gov.in पर उपलब्ध e-Search पोर्टल के माध्यम से विलेख से सम्बन्धित जानकारी अंकित करते हुए पूर्व में पंजीकृत अभिलेख की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
05	रजिस्ट्री में दी जा रही स्टाम्प छूट	1. समाज के वंचित वर्गों का विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। 2. आर्थिक उन्नयन करना। 3. कृषि सम्बन्धी क्रिया–कलापों को बेहतर प्रोत्साहन करना। 4. राज्य की सैन्य शक्ति को सम्मान प्रदान करना।	1. महिलायें 2. निःशक्त व्यक्तियों 3. राज्य के सैनिक/सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों/कार्मिकों 4. कृषि सम्बन्धी क्रिया–कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों।	1. महिला क्रेता को 25 लाख रूपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में उनके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार 25 प्रतिशत की छूट। 2. निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में रू0 25 लाख (रू0 पच्चीस लाख) तक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में उनके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार 25 प्रतिशत की छूट। 3. राज्य के सैनिक/सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों/कार्मिकों को 25 लाख रूपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत तक की छूट। 4. कृषि सम्बन्धी क्रिया–कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की छूट।

रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स (वित्त विभाग)

क्र0 सं0	सेवा का नाम	लाभ	पात्रता / लाभार्थी	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1.	सोसाइटी पंजीकरण	समाज सेवा जनकल्याण एवं अन्य चैरिटेबल कार्य।	जनसामान्य।	ऑन लाइन पोर्टल पर वेबसाइट–ifms.uk.gov.in पर लॉगिन कर ऑन लाइन फार्म भरने के उपरान्त निम्न प्रपत्रों को पोर्टल पर अपलोड करना है– 1–ऑनलाईन पंजीकरण फार्म 2–नोटिरी के सत्यापित शपथ–पत्र 3–सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रमाण, जैसे–बिजली / पानी का बिल / सेलडीड / खतौनी की अद्यतन प्रमाणित प्रति । 4–प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारियों सदस्यों के स्वप्रमाणित आधार कार्ड । 5–सोसाइटी के कार्यालय के पते के भवन स्वामी की NOC / किरायानामा / लीज। 6–सोसाइटी के ऑनलाईन अनुमोदन के उपरांत ऑनलाईन लिंक के माध्यम से रू 5550 पंजीकरण फीस को जमा कराया जाना होगा।
2.	फर्म पंजीकरण	व्यावसायिक गतिविधियां	भागीदार	ऑन लाइन पोर्टल पर वेबसाइट–ifms.uk.gov.in पर लॉगिन कर कर ऑन लाइन फार्म भरने के उपरान्त निम्न प्रपत्रों को पोर्टल पर अपलोड करना है– 1–ऑनलाईन फार्म न0 1(मूल में) 2–फार्म न0 1 के सत्यापन हेतु शपथ पत्र (मूल में) 3–फार्म के प्रधान स्थान अन्य स्थान के पते के प्रमाण बिजली / पानी / सेलडीड / खतौनी की अद्यतन सत्यापित प्रति । 4–भागीदारों के स्वप्रमाणित आधार कार्ड । 5– रू 1000 / –के स्टाम्प पेपर पर बनायी गयी नोटरी सत्यापित भागीदारी डीड की प्रति, जो भागीदारों के मूल हस्ताक्षरों से सत्यापित हो। 6–फर्म के प्रधान स्थान / अन्य के स्थान के भवन स्वामी की फर्म पंजीकरण हेतु NOC किरायानामा / लीज डीड की सत्यापित प्रति। 7–फर्म के ऑनलाईन अनुमोदन के उपरांत, पंजीकरण फीस रू 5000 / का ऑनलाईन भुगतान, पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन लिंक के माध्यम से करना होगा।

		तथा जिला स्तर के प्रतिभाग व अधिक उत्पादन वाले किसानों को पुरस्कार [illegible] किया जाता है।		
3	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना SMAM	योजना में कृषि यन्त्र हेतु गन्ना कृषकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला, लघु एवं सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य हेतु 40 प्रतिशत अनुदान राशि का प्राविधान किया जाता है।	योजना के अन्तर्गत गन्ना कृषक जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के सक्रिय सदस्य हो तथा गन्ने की उत्पादित पूर्ति करते हो तथा चीनी इकाइयों के पास दर्ज हो।	किसान को SMAM के पोर्टल http://agrimachinery.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन [illegible] के माध्यम से करना होता है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन में "पहले आओ पहले पाओ" की व्यवस्था लागू की गयी है।
4	मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना	1. उन्नत बीज गन्ना उत्पादन कार्यक्रम – नये प्रजनक गन्ना कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर द्वारा उनके [illegible] केन्द्रों के क्षेत्रों पर [illegible] प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत गन्ने की नवीनतम प्रजातियों का उन्नत बीज उत्पादन कराया जायेगा। गन्ना शोध केन्द्रों पर 25 प्रतिशत प्रजनक गन्ना बीज पौधशालायें [illegible] में एवं 75 प्रतिशत पौधशालायें [illegible] में स्थापित की जायेगी। इन पौधशालाओं से गन्ना विभाग द्वारा आधार/अनुवांशिक बीज वितरण पर रू0 100 प्रति कु0 की दर से [illegible] का अनुदान दिया जाता है [illegible] की औसत उपज के आधार पर देय अनुदान [illegible] प्रतिशत पौधशाला की बुवाई के समय कृषि निवेश [illegible] हेतु दिया जायेगा तथा शेष [illegible] का देय होगा। 2. आधार पौधशाला [illegible] – [illegible] पौधशालाओं का [illegible] किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें रू0 50/– प्रति कु0 गन्ना बीज वितरण पर अनुदान देय प्रस्तावित है। जिसकी अधिकतम सीमा रू0 15000 होगी। 3. प्रमाणित पौधशाला [illegible] – प्रमाणित पौधशालाओं का [illegible] किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें रू0 25/– प्रति कु0 गन्ना बीज वितरण पर अनुदान देय प्रस्तावित है जिसकी अधिकतम सीमा रू0 10000 होगी। 4. [illegible] – गन्ना कृषक की नवीनतम तकनीक से [illegible] [illegible] की जायेगी। जिसमें गन्ना कृषकों को 0.500 हेक्टेयर की बुवाई पर रू0 1500 का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।	योजना के अन्तर्गत गन्ने की पूर्ति करने वाले ऐसे कृषक, जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के सक्रिय सदस्य हो, तथा गन्ने की उत्पादित पूर्ति करते हो तथा चीनी इकाइयों के पास दर्ज हो।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में गन्ना [illegible] के [illegible] द्वारा [illegible] प्रतिनिधि (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं [illegible] गन्ना अधिकारी) के अनुमोदन के उपरान्त चयन किया जाता है।

		5. गन्ना बीज उत्पादन एवं प्रदर्शन प्लाट — शोध संस्थानों के फार्म पर उत्पादित आधारीय बीज के उत्पादन हेतु [illegible] पौधशाला [illegible] गन्ना विकास परिषद की [illegible] का शतप्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। 6. कृषि यंत्रों पर अनुदान — [illegible] मेकेनाइजेशन योजना के अनुसार गन्ने की खेती में प्रयुक्त होने वाले [illegible] को [illegible] किया जाना प्रस्तावित है। 7. गन्ना बीज [illegible] — [illegible] गन्ना बीज की [illegible] के आधार पर अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है, [illegible] राज्य के भीतर या राज्य के बाहर स्थित किसी भी गन्ना शोध संस्थान से गन्ना बीज लिया जा सकता है। 8. [illegible] एवं उत्पादकता [illegible] — [illegible] के लिए एक [illegible] अधिकतम रू0 3000 प्रति हेक्टेयर के [illegible]। [illegible] का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू0 3000 प्रति [illegible] अनुदान देय है। 9. [illegible] — योजना के अन्तर्गत कृषकों को गन्ने की [illegible] खेती एवं [illegible] हेतु [illegible] के क्रय पर मूल्य का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम रू0 1000/— प्रति हेक्टेयर अनुदान देय। 10. प्रचार प्रसार एवं [illegible] — [illegible] स्तर के [illegible] का आयोजन एवं किसानों को गन्ने की [illegible] खेती हेतु प्रोत्साहित करना।		
4.	गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम / उत्पादन में वृद्धि की योजना —	1. गन्ना बीज बदलाव एवं [illegible] — गन्ना कृषकों द्वारा [illegible] (जैसे कोशा0-767, को-1148, कोशा0-87284, कोशा0-84287 व कोशा0-8436 आदि) [illegible] नई प्रजातियों के माध्यम से [illegible] किया जाना [illegible] है। [illegible] प्रजाति के अन्तर्गत [illegible] 12221, कोशा0 8272, को0 [illegible], कोपीके0 3191, को0 14032, [illegible] 91, [illegible] 92, [illegible] 98, [illegible] 98, को0 13035, [illegible] 8436, कोशा0 13237, कोशा0 14201, कोशा0	योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले [illegible] कृषक को जानकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से, तथा गन्ने की [illegible] खेती करने वाले तथा [illegible] के पास [illegible] है।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का [illegible] हेतु [illegible] की बैठक में [illegible] की [illegible] गन्ना परिषद [illegible] विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) की संस्तुति के पश्चात चयन किया जाता है।

		13235 कोशा०शा० 13201 एवं कोशा०शा० 16202 आदि व लो–जेन्ड के लिए उक्त सर्वमान्य शीघ्र नवीनतम गन्ना प्रजाति को व्यापक रूप से पैदावार की जा सके, जिससे गन्ने की पैदावार में वृद्धि के फलस्वरूप चीनी परता में भी वृद्धि हो सके। शोध केन्द्रों के गन्ना बीज पर सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य पर 20 प्रतिशत प्रीमियम लिया जाता है। कृषकों को मिल गेट से अधिक गन्ना बीज का मूल्य प्रोत्साहन स्वरूप दिया जायेगा तथा कृषकों को शोध केन्द्रों से गन्ना बीज मंगाकर प्रति कुन्तल मिल गेट रेट पर एवं कटाई–छटाई व ढुलान पर विभाग द्वारा शतप्रतिशत अनुदान दिया जाना भी प्रस्तावित है। 2. आधार/प्राथमिक पौधशाला पर अनुदान –कृषकों को प्रोत्साहन करने हेतु आधार पौधशालाधारक को गन्ना बीज वितरण पर रू0 30.00 प्रति कु0 एवं प्राथमिक पौधशालाधारक को रू0 25.00 प्रति कु0 की दर से अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव है। 3. गन्ना बुवाई की नवीनतम विधियां –गन्ना बुवाई हेतु नवीनतम ट्रैंच विधि/री–स्पेसिंग विधि अपनायी जाये जिसके अन्तर्गत गन्ना बनाने के लिए कूड से कूड की दूरी 4 फीट गहराई 1 फीट तथा 2 आँख वाले टुकड़ों के बीच की दूरी 4 से 6 या 6 से 9 इन्च का अन्तर रखा जाये। कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों के खेतों पर शीघ्र प्रजाति एवं ... एवं मिश्रित खेती के 1,000 हैक्टेयर के प्रदर्शन पर 10000.00 रू0 का अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। 4. खरपतवार प्रबन्धन पद्धति –गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव है। 5. कीड़े एवं बीमारियों से फसल का बचाव –गन्ने की फसल को कीट एवं रोगों से बचाव हेतु उच्चकोटि के इन्सेक्टीसाइड व पेस्टीसाइड किसानों को उपलब्ध कराने हेतु कृषि रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव है। 6. किसानों को नवीनतम तकनीकी की जानकारी देना –समय–समय पर किसानों को अधिक पैदावार देने वाली उन्नतशील गन्ना प्रजातियों की बुवाई के सम्बन्ध में तकनीकी		

		जानकारी प्रदान किये जाने हेतु गन्ना विकास विभाग/ गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर द्वारा कृषकों/ कर्मचारियों/ अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिला स्तर पर कृषक गोष्ठी का आयोजन कराना। 7. किसानों को आधुनिक कृषि यन्त्रों की जानकारी देना व उपलब्ध कराना–किसानों को आधुनिक कृषि यन्त्रों के सम्बन्ध में समय–समय पर गन्ने की खेती में उपयुक्त उन्नत बैट्री चालित/ पेट्रोल मोटर चालित स्प्रे मशीन, पॉवर कल्टीवेटर कृषि यन्त्र भी उपलब्ध कराये जायेंगे। आगामी वर्षों में ड्रोन एवं ट्रैश ऑमिंग आदि विकसित करने का प्रस्ताव है।		
8.	जिला योजना अ. गन्ना विकास की योजना :–	1. उन्नतशील गन्ना बीज उत्पादन की योजना :– अधिसूचित सरकार पौधशालाओं पर अधिकतम 1000 रू0 (अनुसूचित जाति/ जनजाति हेतु 2000.00 रू0) प्रति हे0 एवं प्राथमिक पौधशालाओं पर 500 रू0 प्रति हे0 (अनुसूचित जाति/ जनजाति हेतु 1000.00 रू0 प्रति हे0) अनुदान दिया जा रहा है। 2. बीज/ भूमि उपचार :–बीज/ भूमि जनित कीटों एवं रोगों के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले कवकनाशक/ मृदा उपचारक रसायनों पर सभी चीनी मिल क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। जिसमें शासन का 25 प्रतिशत अंशदान एवं अवशेष 25 प्रतिशत अंशदान गन्ना विकास परिषद तथा चीनी मिल का होगा। 3. पेड़ी प्रबन्ध कार्यक्रम :–पेड़ी गन्ना फसलों को कीटों एवं रोगों से बचाने के लिये इनके नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशकों पर सभी चीनी मिल क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा जिसमें शासन का 25 प्रतिशत अंशदान एवं अवशेष 25 प्रतिशत अंशदान गन्ना विकास परिषद तथा चीनी मिल का होगा।	योजना के अन्तर्गत गन्ने की खेती करने वाले ऐसे कृषक जो सहकारी गन्ना विकास समितियों के स्थायी सदस्य हों तथा गन्ने की उन्नतशील खेती करते हों तथा जमीनी दस्तावेजों में दर्ज हों।	इस योजना का लाभ लेने हेतु गन्ना किसानों का चयन करने हेतु ग्राम स्तरों पर ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा एवं गन्ना पर्यवेक्षक के सर्वे के उपरान्त विभागीय अधिकारियों (गन्ना विकास निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त) के अनुमोदन के पश्चात चयन किया जाता है।

	[illegible] ग्रामीण सड़क निर्माण योजना	योजना के अन्तर्गत कृषकों को क्रय केन्द्र तक गन्ना ढुलान में सहूलियत एवं चीनी मिल को ताजा गन्ना उपलब्ध कराना। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों का 75 प्रतिशत व्यय शासकीय अनुदान द्वारा एवं शेष 25 प्रतिशत सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है।	समस्त कृषक, गन्ना समितियाँ/ चीनी मिल।	इस योजना का लाभ लेने हेतु सड़कों का चयन करने हेतु गन्ना समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों की चर्चा उपरान्त सड़कों का प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करते हैं। तदोपरान्त सहायक गन्ना आयुक्त के माध्यम से सड़क निर्माण का प्रस्ताव सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रेषित किया जाता है। जिलाधिकारियों के अनुमोदन उपरान्त ही गन्ना विकास परिषदों से मैचिंग ग्रान्ट में धनराशि उपलब्ध होने पर प्रस्तावित सड़कों का 75 प्रतिशत व्यय शासकीय अनुदान द्वारा एवं शेष 25 प्रतिशत गन्ना विकास परिषदों द्वारा वहन किया जाता है। इस मद की धनराशि सहायक गन्ना आयुक्त स्तर से सड़कों की सूची प्राप्त होने के पश्चात ही शासन स्तर से अवमुक्त होगी। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत सड़कों का चयन समाज कल्याण द्वारा जारी मानकों के अन्तर्गत किया जायेगा।
7.	गन्ना कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	निःशुल्क गन्ने की उन्नतशील व आधुनिक खेती की जानकारी/ प्रशिक्षण।	चीनी मिल एवं समितियों के परिक्षेत्रों के समस्त कृषक।	गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ग्राम स्तरीय एवं प्रदेश स्तरीय गोष्ठियां की जाती हैं, जिसमें किसानों को गन्ने की उन्नतशील व आधुनिक खेती के साथ-साथ गन्ने में लगने वाले कीट, रोग व उनके रोकथाम हेतु गन्ना अनुसंधान के वैज्ञानिकों व गन्ना विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा गन्ना किसान संस्थान द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय गन्ना शोध केन्द्रों एवं अनुसंधान केन्द्रों का भ्रमण कार्यक्रम किया जाता है।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

आबकारी विभाग

कार्य–

1. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 में दिये गये प्रावधान तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद–47 में निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप ही आबकारी अनुभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के औषधीयेतर उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। मद्यनिषेध की इस बात को प्रमुखता देते हुये आबकारी विभाग यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये। राजस्व अर्जन के साथ–साथ विभाग द्वारा शीरा एवं अल्कोहल पर आधारित उद्योगों के नीति निर्धारण एवं नियंत्रण से प्रदेश के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया जाता है।
2. वर्तमान आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024 का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद–47 के अन्तर्गत दिये गये नीति निदेशक तत्वों के दृष्टिगत मादक वस्तुओं के निर्माण, परिवहन, भण्डारण, आयात, निर्यात, बिक्री से सम्बन्धित गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुये प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करना है।

3. पर्वतीय राज्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत, पर्यावरणीय प्रावधानों का पालन करते हुये कृषि तथा बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड राज्य बनाने हेतु [illegible] द्वारा [illegible] को प्रोत्साहित करने, उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासियों को रोजगार के अवसर एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान आबकारी नीति में समावेश किया गया है।
4. उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों/उत्पादों में [illegible] रोकने व उद्योग स्थापित करने हेतु नई आबकारी नीति में विशेष प्राविधान किये गये हैं।
5. नई आबकारी नीति वर्ष 2024-25 में मदिरा व्यवसाय पर एकाधिकार को समाप्त करने के लिये पूर्व में चली आ रही नीति को [illegible] गया है। नई आबकारी नीति का उद्देश्य मदिरा सेवन को [illegible] जिम्मेदारी से [illegible] प्रदेश की [illegible] राज्य के [illegible] एवं नियंत्रित [illegible] के लिये [illegible] प्राविधान किये गये हैं।
6. नई आबकारी नीति का उद्देश्य सेवाओं के सरलीकरण, मदिरा अनुज्ञापनों के आवंटन में पारदर्शिता, उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण एवं अनियमितताओं के लिये कठोर प्राविधान किये गये हैं।
7. नई आबकारी नीति में एक व्यक्ति को अधिकतम 01 मदिरा दुकानें आवंटित की गयी है, जो कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवासी आवेदन हेतु पात्र है।
8. पर्वतीय क्षेत्र में [illegible] उत्पादों से निर्मित [illegible] वाइनरी [illegible] के प्राविधान किये गये हैं।
9. थोक मदिरा अनुज्ञापनों में निर्माता कम्पनियों के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवासियों के लिए एफ.एल.-2/सी.एल.-2 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने का प्राविधान किया गया है।
10. पर्वतीय जनपदों में प्रीमियम ब्राण्ड के डिपार्टमेन्टल स्टोर को प्रोत्साहित करने के लिये [illegible] एवं लाईसेन्स फीस में छूट देते हुए 400 वर्ग फीट [illegible] लाईसेन्स फीस को 05 लाख रूपये [illegible] किया गया है।
11. बार लाईसेन्स की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाते हुए [illegible] प्रशिक्षण [illegible] उद्योग को प्रोत्साहन [illegible] सुनिश्चित किया गया है।
12. वर्ष 2023-24 में रू0 4000 करोड़ राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 4038.69 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया है तथा वर्ष 2024-25 हेतु रू0 4438 करोड़ राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 31.08.2024 तक रू0 1824.04 करोड़ राजस्व प्राप्त हो चुकी है।
13. आबकारी विभाग के मुख्यालय, [illegible] आसवनियों, [illegible] थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों [illegible] में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये हैं ताकि कोई भी [illegible]। [illegible] हेतु विभाग में मदिरा की आयात, निर्यात एवं विक्रय के लिए ऑनलाइन [illegible] की व्यवस्था की गई है।
14. आबकारी विभाग के अन्तर्गत मदिरा की दुकानों से [illegible] आबकारी अधिनियम/ [illegible] नियमावली के अन्तर्गत [illegible] आबकारी नीति, [illegible] नियमावली, 2024 में प्राविधान [illegible] किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग के मुख्यालय पर आबकारी विभाग का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। [illegible] नम्बर-18001804253 एवं [illegible] नम्बर-[illegible] है जो 24 घण्टे खुला रहता है और इसमें कोई भी आबकारी विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
15. प्रवर्तन दल एवं [illegible] द्वारा समय-समय पर शिकायत एवं सूचनाओं के आधार पर प्रवर्तन की कार्यवाही कर अवैध मदिरा पर प्रभावी अंकुश लगाया जाता है।
16. सीमा चौकियों पर नियमित चैकिंग की कार्यवाही की जाती है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड

क्रम सं०	योजना/सेवा का नाम	लाभ	पात्रता	आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
1	ई–निविदा सह ई–नीलामी खनन पट्टा	राजस्व की प्राप्ति व स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था	1.जनपदों से प्राप्त निज राजस्व उपखनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण। 2.निविदा में प्रतिभाग किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेख/प्रपत्र/शुल्क– क– ई–निविदा प्रपत्र शुल्क रू0 20,000.00 ऑनलाईन विभागीय लेखा शीर्षक 0853–01–02–01–00 में जमा किया जायेगा तथा निविदा प्रपत्र शुल्क का 18 प्रतिशत जी०एस०टी० का डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में। ख जमानत शुल्क रू० 1,00,000.00 निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक 0853–00–102–0–00 में ऑनलाईन जमा किया जायेगा। ग आवेदक का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा कम्पनी के मामले में कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का डी०आई०एन० के प्रमाण पत्र की प्रति कोऑपरेटिव सोसाइटी/समिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति। घ– आवेदक का स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी/समिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सचिव का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति। ङ– आवेदक का व्यक्तिगत चरित्र प्रमाण पत्र, समिति के मामलों में समिति के अध्यक्ष/सचिव का चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में सभी भागीदारों का चरित्र प्रमाण पत्र एवं कम्पनी के मामले में इस आशय का शपथ पत्र कि कम्पनी को किसी आपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो। च– आवेदक के पैनकार्ड की प्रति। छ– आवेदक के जी०एस०टी० पत्र की प्रति। ज– आवेदक के बैंक खाते का विवरण, बैंक व शाखा नाम खाता संख्या, आई०एफ०एस०सी० कोड सहित एक निरस्त चैक की प्रति। झ–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा प्रकाशन के उपरान्त निर्धारित लॉट हेतु जारी किया गया बकाया खनन अदेयता प्रमाण पत्र। यदि आवेदक अपने गृह जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद में स्थित खनन लॉट हेतु प्रतिभाग करता है तो अपने गृह जनपद के साथ–साथ सम्बन्धित जनपद हेतु प्राधिकृत अधिकारी से खनन अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। ञ– कोऑपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में आर्टिकल ऑफ रेगुलेशन के समस्त पृष्ठों की सत्यापित

				प्रति। भागीदारी फर्म के सम्बन्ध में भागीदारी विलेख एवं फर्म के पंजीकरण की प्रति कम्पनी के मामले में आर्टिकल आफ एसोसिएशन की प्रति। ङ– किसी भी राज्य में खनन संक्रियाओं की काली सूची में न होने सम्बन्धी रू0 100/– के ई–स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति। च– परिवार (आवेदक के माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, भाई, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन) के सदस्यों के विरूद्ध खनन बकाया न होने के सम्बन्ध में आवेदक के द्वारा रू0 100/– के ई–स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ–पत्र की प्रति। छ– निविदादाता के द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु वचनबद्धता (Undertaking) का मानक रू0 100/– के ई–स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति। ज– निविदादाता (किसी व्यक्ति/फर्म/सोसाईटी/कम्पनी/कोआपरेटिव) के द्वारा विगत 03 वर्षों की आई०टी०आर० की स्वप्रमाणित प्रति। झ–नदी तल खनन निजी खनन पट्टों/खनन अनुज्ञा/स्टोन क्रशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन का 03 माह का अनुभव प्रमाण–पत्र, जो कि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत हो की प्रति। ञ–निविदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य के 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि धरोहर राशि (Earnest Money) के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ०डी०आर० के रूप में, जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम एवं वर्ष (01 वर्ष) की अवधि हेतु बन्धक–शुदा की प्रति। ट–जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गयी हैसियत प्रमाण पत्र या सम्पत्ति प्रमाण–पत्र या समवर्तीय हैसियत प्रमाण पत्र (Solvency Certificate) जो आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य से कम न हो, तथा फर्म/कम्पनी आदि की दशा में विगत तीन वर्षों की सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट (Balance Sheet) की प्रति जिसका टर्नओवर नेटवर्थ (Net worth) आधार मूल्य से कम न हो। या यदि हैसियत प्रमाण–पत्र उपलब्ध न हो तो, इस शर्त के साथ अनन्तिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण–पत्र की तिथि से आज तक) नीलामी प्रतिभागी के द्वारा संलग्न हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है। या हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में आवेदित खनन क्षेत्र के आधार मूल्य के बराबर की धनराशि का एफ०डी०आर० (राष्ट्रीयकृत बैंक से बने हो, न्यूनतम 03 माह की अवधि की वैधता हो) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के नाम बन्धक होगी, जमा करायी जा सकेगी।

PROGRAMME IMPLEMENTATION DEPARTMENT

				या आवंटित खनन लॉट के आधार मूल्य से यदि बैंकिंग प्रमाण पत्र की धनराशि कम है, तो उस धनराशि को डाफ्ट की धनराशि का एफ.डी.आर. (राष्ट्रीयकृत बैंक में) दो वर्ष की, न्यूनतम छः माह की अवधि की वैधता की, जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के नाम बंधक होगी, जमा कराई जा सकेगी। 2–तदुपरान्त उक्त क्षेत्रों की निविदा आमंत्रित। 3 निविदा प्रपत्र को विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। 4–निविदा डाउनलोड बिक्री आरम्भ। 5–ऑनलाईन ई–निविदा जमा करना प्रारम्भ। 6–तकनीकी निविदा खोली जायेगी। 7–तकनीकी निविदा में सफल बोलीदाताओं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी। 8–वित्तीय निविदा का परिणाम घोषित करते हुए सफल निविदादाता एल–1 घोषित किया जायेगा। 9–सफल निविदादाता एल–1 के पक्ष में सीमांकन, खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य आवश्यक वांछित अनुमतियों हेतु निदेशालय से आशय–पत्र निर्गत किया जायेगा। 10– आशय पत्र में उल्लिखित, समस्त शर्तों को पूर्ण किये जाने के उपरान्त आवेदक/धारक के अनुरोध पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा शासनादेश निर्गत किया जायेगा। 11–शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त पट्टाधारक द्वारा उपनिबन्धक से पट्टाविलेख हेतु स्टाम्प का आगणन कराने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र पर एक माह के अन्तर्गत पट्टाधारक विलेख का निष्पादित किया जायेगा। 12 पट्टाविलेख निष्पादित होने के उपरान्त सम्बन्धित उपनिबंधक कार्यालय में पट्टाविलेख का पंजीकरण कराये जाने के उपरान्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के उपरान्त ई–रवन्ना पोर्टल खोले जाने हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जायेगा। 13 पट्टाधारक के आवेदन पर जिला खान अधिकारी द्वारा ई–रवन्ना पोर्टल जारी किया जायेगा। तदोपरान्त पट्टाधारक खनन कार्य प्रारम्भ कर उपखनिज का विक्रय प्रारम्भ करेगा।
2	मिट्टी के पट्टे का आवंटन	राजस्व की प्राप्ति व स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करना	पट्टाधारक, चिन्हित में गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि., कुमाऊँ चिन्हित में	1. सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप एम.एम.–1 पर आवेदन शुल्क रू0 1,00,000.00 निर्धारित है जो विभागीय लेखाशीर्षक 0853–01–102–01–00 में जमा करते हुए आवेदन किया जायेगा। क–खसरा खतौनी की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित प्रति। ख–डी.जी.पी.एस. की प्रति। 2– जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा आवंटित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। 3–स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र निर्गत किए जाने हेतु आख्या निदेशालय को संस्तुति सहित प्रेषित की जायेगी।

			कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि० तथा वन क्षेत्र में वन विकास निगम लि०	4. जिलाधिकारी की आख्या के आधार पर सीमांकन, खनन योजना एवं पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य आवश्यक विधिक अनुमतियों हेतु महानिदेशक द्वारा आशय पत्र निर्गत किया जायेगा। 5– आशय पत्र में वांछित अनुमतियों को प्राप्त किये जाने के उपरान्त महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टे का शासनादेश निर्गत किया जायेगा। 6–शासनादेश निर्गत होने के उपरान्त निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम०ओ०यू० निष्पादित कराया जायेगा। 7–एम०ओ०यू० निष्पादित होने के उपरान्त सम्बन्धित राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सी०टी०ओ० प्राप्त किये जाने के उपरान्त ई-रवन्ना पोर्टल खोले जाने हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जायेगा।
3	स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट	स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट की स्थापना हेतु।	भारत का नागरिक होना।	1. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट की स्थापना एवं प्लाण्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन पत्र अभिलेखों व आवेदन शुल्क रु0 10,000/– सहित जिला स्तरीय भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 2. आवेदन प्राप्त होने पर 03 दिन के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा नामित/अधिकृत अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। 3. गठित समिति तथा उप जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से न्यून न हो, जिला खान अधिकारी व पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी आवेदित स्थल की संयुक्त जाँच कर संस्तुति सहित संयुक्त निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी। 4. जिलाधिकारी गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित करेगा। 5. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित करेगा। 6. जिलाधिकारी व महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लाण्ट की स्थापना एवं उपखनिज भण्डारण हेतु अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
4	मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लाण्ट	मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लाण्ट स्थापना हेतु।	1.भारत का नागरिक होना। 2.राष्ट्रीय/राज्य मार्ग की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी	1.मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लाण्ट की स्थापना एवं प्लाण्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन पत्र अभिलेखों व आवेदन शुल्क रु0 2.00 लाख सहित सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 2. आवेदक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। 3. गठित समिति तथा उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी आवेदित स्थल की संयुक्त जाँच कर संस्तुति सहित संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित करेगी। 4. गठित समिति की संस्तुति सहित प्रेषित संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लाण्ट (On Site) की स्थापना तथा प्लाण्ट परिसर में कच्चे/तैयार माल के

आभार

अधिकांश देखा गया है कि राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है तथा मुख्यतः योजनाओं का नाम उल्लेख किया जाता है, परन्तु जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी आम जनमानस तक नहीं पहुँच पाती है, जिससे अधिकांश पात्र लाभार्थी समुचित जानकारी के अभाव में योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिये गत वर्ष कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के ६५ विभागों की मुख्य योजनाओं/सेवाओं का संकलन करके एवं लाभ प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख सरल भाषा में करते हुए "मेरी योजना" पुस्तक का प्रथम संस्करण का विमोचन किया गया। पुस्तक को राज्य के समस्त जनप्रतिनिधियों/विभागाध्यक्षों एवं पुस्तकालयों को उपलब्ध कराया गया तथा पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी राज्य के समस्त विभागों की वेबसाइटों में उपलब्ध करायी गयी है।

"मेरी योजना" पुस्तक के प्रथम संस्करण की सफलता के उपरान्त तथा इस प्रकार के अभिनव प्रयासों को देखकर मा0 राज्यपाल महोदय एवं मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य सरकार के अन्य विभागों/बोर्डों/आयोगों इत्यादि द्वारा भी संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं/सेवाओं/कार्यों की जानकारी आम जनमानस तक पहुँचाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में "मेरी योजना" पुस्तक का द्वितीय संस्करण तैयार किया गया है। साथ ही प्रथम पुस्तक की अभूतपूर्व सफलता तथा सूचना का अधिकार आयोग, सेवा का अधिकार आयोग के मा0 आयुक्तों द्वारा पुस्तक को अति जनोपयोगी बताकर प्रशंसा की गयी, जोकि द्वितीय संस्करण के प्रकाशन हेतु उत्प्रेरक के रूप में साबित हुई।

इस पुस्तक को पूर्ण रूप देना मा0 राज्यपाल महोदय एवं मा0 मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों, मार्गदर्शन एवं मुख्य सचिव महोदया के अपार सहयोग के बिना असम्भव था। साथ ही पुस्तक तैयार करने में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पूरी टीम यथा —श्री एन0एस0 डुंगरियाल, संयुक्त सचिव, श्री [illegible], उप सचिव, श्री [illegible], अनु सचिव, श्री [illegible], अनुभाग अधिकारी, श्री प्रकाशानन्द [illegible], अनुभाग अधिकारी, श्री नारायण सिंह राणा, समीक्षा अधिकारी, श्रीमती [illegible], समीक्षा अधिकारी, श्री रमेश कुमार, समीक्षा अधिकारी, श्री [illegible] सिंह भण्डारी, कम्प्यूटर सहायक, श्री मुकेश चन्द्र [illegible], कनिष्ठ सहायक, श्री अमित [illegible], डिजाइनर तथा विभाग [illegible]—श्रीमती वंदना [illegible], श्री [illegible] चौहान, श्री [illegible] मोहन आर्य, श्री [illegible] कुमार [illegible], डॉ0 [illegible] कुमार पंत, श्री [illegible], साथ ही मेरे निजी स्टाफ में तैनात श्री [illegible], निजी सचिव, श्री उमेश कुमार, अपर निजी सचिव के अपार सहयोग एवं कठोर परिश्रम और सच्ची लगन के बिना पुस्तक पूर्ण होना असम्भव था।

इसके अतिरिक्त राज्य स्तर के एवं जिला प्रतिष्ठानों के प्रमुखों एवं उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों, जिनके द्वारा अपने विभागों से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं/योजनाओं/कार्यों का संकलन, संशोधित सूचनायें तथा विवरण उपलब्ध कराये जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, का भी आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव गणों के सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अन्त में विशेष मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणास्रोत रहे राज्य के यशस्वी मा0 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश की प्रशासनिक मुखिया के रूप में श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव महोदया का "मेरी योजना" पुस्तक के द्वितीय संस्करण को पूर्ण रूप दिये जाने में अभिप्रेरित/प्रोत्साहित किये जाने हेतु भरपूर योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

(दीपक कुमार)
सचिव

			संस्था अथवा उनके अनुमोदित नॉमिनी।	भण्डारण की स्वीकृति अधिकतम 02 वर्ष अथवा परियोजना निर्माण अवधि की सीमा, जो भी न्यून हो, के लिए महानिदेशक/निदेशक के द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
5.	हॉट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट	हॉट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट स्थापित हेतु।	भारत का नागरिक होना।	1.हॉट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना एवं प्लान्ट की परिधि में उपखनिज भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख सहित सम्बन्धित जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। 2.गठित समिति तथा उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी आवेदित स्थल की संयुक्त जाँच कर संस्तुति सहित संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे। 3. गठित समिति की संस्तुति सहित उचित संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर हॉट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण की स्वीकृति 02 वर्ष अथवा परियोजना निर्माण अवधि की सीमा, जो भी न्यून हो, के लिए महानिदेशक/निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी [illegible] संयुक्त निदेशक के द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
6.	रिटेल भण्डारण	–	भारत का नागरिक होना।	1.रिटेल भण्डारण हेतु आवेदक मय अभिलेखों व आवेदन शुल्क रू0 25,000/– जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 2. आवेदक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगा। 3. गठित समिति तथा जिला खान अधिकारी व तहसीलदार आवेदित स्थल की संयुक्त जाँच कर संस्तुति सहित संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित करेगा। 4. गठित समिति की संस्तुति सहित उचित संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा 05 वर्ष तक की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।
7.	सिल्ट ड्रेजिंग अनुज्ञा	–	–	1. ऐसे क्षेत्र जहां नदी/गदेरों/जलाशय/नहर के द्वारा मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट अत्यधिक मात्रा निक्षेपित /जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू-कटाव एवं जान-माल का नुकसान होने की सम्भावना है, का चिन्हीकरण, स्थल का सत्यापन व जमा सिल्ट/ आर0बी0एम0 की मात्रा का आंकलन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। 2. समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु जिलाधिकारी के द्वारा जनपद स्तर के इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु खुली नीलामी (Open Auction) की विज्ञप्ति जारी की जायेगी। 3. सफल बोलीदाता को आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त मलवा/आर0बी0एम0/ सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।

राजकीय विभाग, बोर्ड, आयोग, केन्द्र, संस्थान, संगठन व निगमों के नाम, पता, दूरभाष एवं ईमेल

	विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई-मेल		विभाग का नाम, पता, दूरभाष एवं ई-मेल
1.	समाज कल्याण विभाग [illegible] दूरभाष नं0-05946-[illegible], फैक्स नं0-05946-[illegible] ई-मेल- directorsocialwelfare@gmail.com अनुसूचित जाति आयोग [illegible] [illegible] ई-मेल- scstcommission2001@gmail.com, [illegible]@gmail.com	2.	जनजाति कल्याण विभाग [illegible] [illegible] देहरादून। दूरभाष नं0-0135-[illegible] ई-मेल- [illegible]@yahoo.co.uk.com, [illegible]@gmail.co अनुसूचित जनजाति आयोग [illegible] [illegible] देहरादून। दूरभाष नं0-0135-[illegible], ई-मेल- [illegible]@gmail.com
3.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम [illegible] [illegible] देहरादून दूरभाष - 0135-[illegible] ई-मेल- [illegible]nigam12@gmail.com	4.	सैनिक कल्याण विभाग [illegible] [illegible] देहरादून। दूरभाष नं-0135-[illegible] ई-मेल- [illegible] उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. [illegible] देहरादून दूरभाष-0135-[illegible] ई-मेल- [illegible]@[illegible].co.in, info@[illegible].co.in
5.	महिला कल्याण विभाग [illegible] देहरादून दूरभाष नं0-0135-[illegible], ई-मेल- [illegible]@gmail.com राज्य महिला आयोग आयोग कार्यालय का पता-[illegible] [illegible] देहरादून। [illegible] [illegible] ई-मेल - [illegible]@gmail.com वेबसाइट - https://[illegible].org.in	6.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग [illegible] [illegible] [illegible] देहरादून। दूरभाष नं0-[illegible] ई-मेल- [illegible]@gmail.com उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग [illegible] देहरादून दूरभाष-0135-[illegible] ई-मेल- info@[illegible].in उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद देहरादून [illegible]

			[illegible], देहरादून। दूरभाष–0135-2976498 ईमेल–ukmadarsaboard@gmail.com **उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड** कार्यालय–अल्पसंख्यक कल्याण भवन शहीद भगत सिंह कॉलोनी अधोईवाला देहरादून दूरभाष–ईमेल–ceouk@wakf.gov.in
7.	**भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखण्ड** कार्यालय–सी.एस.टी. 34/1, राजपुर रोड देहरादून दूरभाष– टी.एफ.सी.–0007217000 ईमेल– ukboow@gmail.com	8.	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग** कार्यालय–आयुक्त, खाद्य विभाग नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखण्ड सरकार,आपूर्ति भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून। दूरभाष नं0–0135-2780778 ईमेल– foodcommfcs@gmail.com **विधिक माप विज्ञान विभाग** कार्यालय– नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान उत्तराखण्ड 8-ए नेमी आईटी रि., लाडपुर देहरादून। दूरभाष–0135-2741928 ईमेल–iogalmatuk@gamil.com **उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग** कार्यालय– उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग, 25 ए, लक्ष्मी मार्केट, पंडितवाड़ी फेज–02 देहरादून। दूरभाष–0135-2669420 ईमेल– uafoodcommission@gmail.com **राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग** कार्यालय–राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखण्ड, 23/16 साकेत मार्ग, करनपुर देहरादून। दूरभाष–0135-2510041 ईमेल– scdrc-uk@nic.in oscfkbV&https://scdrc.uk.gov.in
9.	**गृह विभाग** **साइबर क्राइम**– पुलिस हेडक्वार्टर, 12 सुभाष रोड, देहरादून दूरभाष नं0–0135-2655900, 05944-297762 ईमेल–ccps.deh@uttarakhandpolice.uk.gov.in हेल्प लाइन नं0–1930 उत्तराखण्ड अग्नि शमन एवं आपात सेवा कार्यालय–पुलिस हेडक्वार्टर 12 सुभाष रोड, देहरादून दूरभाष–9412070164 ईमेल– ddfireukd@gmail.com, fshq.ukfs@gmail.com	10.	**भाषा विभाग** कार्यालय– उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, 461/1/1 [illegible] कालोनी निकट पी.एन.बी.एन. राजपुर रोड, देहरादून दूरभाष–07830005963 ईमेल– directorbhashauk@gmail.com

	डायल करें नं०-112 राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, कार्यालय-28 पार्क रोड, [illegible] देहरादून। दूरभाष-0135-2520317, [illegible] ईमेल-spcauttarakhand@gmail.com, slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण उत्तराखण्ड [illegible] देहरादून। दूरभाष-0135-[illegible] [illegible] देहरादून। ईमेल- igprisonsuk@gmail.com, ig-jail-uk@nic.in,		
11.	माध्यमिक शिक्षा विभाग (समग्र शिक्षा) — राज्य परियोजना [illegible] ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, ननूरखेड़ा, रायपुर, देहरादून। दूरभाष नं०-0135-2781941, 2781942 निःशुल्क नं. 1800-180-4132 ईमेल- spd-ssa-uk@nic.in	12.	संस्कृत शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी हरिद्वार—[illegible] हरिद्वार दूरभाष-[illegible] ईमेल- uksa2002@gmail.com उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार — [illegible] हरिद्वार। दूरभाष नं०-0135-[illegible] ईमेल- registrar@usvv.ac.in, ssnuk2011@gmail.com
13.	तकनीकी शिक्षा विभाग कार्यालय— तकनीकी शिक्षा निदेशालय [illegible] दूरभाष नं०- 01346-[illegible] ईमेल- ukdtecsa-dte-uk@nic.in js.ubte15@gmail.com उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद [illegible] ईमेल- js.ubte15@gmail.com वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय — [illegible] देहरादून। दूरभाष-0135-[illegible] ईमेल- helpdesk@uktech.ac.in	14.	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग कार्यालय— [illegible] देहरादून दूरभाष नं०-[illegible] ईमेल- info.ukadm@gmail.com
15.	खेल विभाग — खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर, रायपुर, देहरादून। दूरभाष नं०- 0135-2781414 [illegible] ईमेल- directorsports1@gmail.com	16.	उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्क) — [illegible] देहरादून उत्तराखण्ड। दूरभाष नं०-[illegible] ईमेल u.serc@rediffmail.com
		17.	विज्ञान धाम (यू-कॉस्ट) — महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान धाम, [illegible] देहरादून दूरभाष [illegible] ईमेल ucost@ucost.in amit.ucost@gmail.co

18.	उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, कृषि विभाग कार्यालय– [illegible] हल्दी, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखंड। दूरभाष नं0–05944-230507 ईमेल– sbtebiotech@rediffmail.com, directorucb@gmail.com	19.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कार्यालय– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड। [illegible] दूरभाष नं. 0135-2608763 ईमेल–sec-uttarakhand@uk.gov.in, mdnhmuk@gmail.com nhmukiec@gmail.com उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, कार्यालय–महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड [illegible] देहरादून। दूरभाष–0135-2608665, [illegible] ईमेल–uksacs1@gmail.com, apdusacs@gmail.com [illegible] देहरादून।
20.	उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय– [illegible] देहरादून दूरभाष– [illegible] ईमेल– ukmssbdun@gmail.com, ukmssbexam@gmail.com	21.	आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग – आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं, [illegible] देहरादून / दूरभाष नं 0135-2608742 ईमेल– ukdirayurved@gmail.com उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय – उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, [illegible] हर्रावाला देहरादून। दूरभाष–0135-[illegible] ईमेल– uttarakhandayurved@gmail.com
22.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग – उद्योग निदेशालय, औद्योगिक क्षेत्र पटेल नगर देहरादून, दूरभाष नं0–0135-272 8272 ईमेल– mor@doiuk.org स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (सिडकुल) – [illegible], आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून दूरभाष–0135-2607292, 2708100 ईमेल– pro.shivangisingh@gmail.com, gm@siidcul.com	23.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय– उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, [illegible] देहरादून उत्तराखण्ड ईमेल– hq.ukvib@gmail.com
24.	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग कार्यालय–निदेशालय संस्कृति एवं धर्मस्व उत्तराखण्ड एम.डी.डी.ए. कालोनी [illegible] देहरादून दूरभाष नं0– 01352712885 ईमेल– directorculture@gmail.com राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा। [illegible]	25.	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद कार्यालय–पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन निकट ओएनजीसी हैलीपैड गढ़ी कैंट देहरादून। दूरभाष–0135-[illegible] [illegible] ईमेल– traveltradeutdb@gmail.com, planningutdb@gmail.com

	अल्मोड़ा उत्तराखण्ड। दूरभाष-9412344722 ई-मेल- museum.almora@gmail.com राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़–[illegible] पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड। दूरभाष-9410344102 ई-मेल- govtmuseumpit@gmail.com श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति – [illegible] देहरादून दूरभाष-सी0ई0ओ0-7906242155 [illegible]-9458872743 [illegible]-9411550768 ई-मेल- ceo.bktcddn@gamil.com, support-ucdb@uk.gov.in		गढ़वाल मण्डल विकास निगम कार्यालय– गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 राजपुर रोड देहरादून दूरभाष–0135-2613000, 2746817, 2749308 2431793 ई-मेल- yatraofficegmvn@gmail.com, gmvnreservationhq@gmail.com कुमाऊँ मण्डल विकास निगम – कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, ओक पार्क हाउस नैनीताल, दूरभाष-05942-[illegible] ई-मेल- ceokmvn@gmail.com राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून कार्यालय–191 [illegible] देहरादून, दूरभाष-0135-2728xxx ई-मेल- doonihm@gmail.com जगत सिंह बिष्ट राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान अल्मोड़ा दूरभाष-05962-[illegible] ई-मेल- gihmalmora@gmail.com
26.	ऊर्जा विभाग (उरेडा) कार्यालय–ऊर्जा पार्क परिसर इन्दिरानगर [illegible] देहरादून। दूरभाष नं0–0135-2521387, 2521553 ई-मेल- admi.uredahq@gmail.com st.uredahq@gmail.com यू.पी.सी.एल. कार्यालय–ऊर्जा भवन कांवली रोड [illegible] देहरादून। ई-मेल- supdtpparts@upcl.org उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग कार्यालय–विद्युत नियामक भवन, निकट आई.एस.बी.टी., पी.ओ.–माजरा, देहरादून, दूरभाष-0135-2641115 फैक्स-2641314 ई-मेल- secy.uerc@gov.in [illegible] www.uerc.gov.in	27.	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग कार्यालय–महानिदेशालय सूचना भवन, रिंग रोड, लाडपुर देहरादून उत्तराखण्ड। दूरभाष नं0-0135-[illegible] ई-मेल- infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in, ufdc2015@gmail.com
28.	ग्राम्य विकास विभाग कार्यालय–आयुक्त, ग्राम्य विकास (ग्रामीण विकास विभाग), पौड़ी उत्तराखण्ड। दूरभाष नं0– संयुक्त विकास आयुक्त-[illegible] ई-मेल- dcprogramme303@gmail.com ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कार्यालय–कृषि भवन, [illegible] पौड़ी गढ़वाल। फोन नं0– 01368-[illegible] ई-मेल- palayanniwaranayog@gmail.com	29.	कृषि विभाग कार्यालय–कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, कृषि भवन, नन्दा–की–चौकी, प्रेमनगर, देहरादून, दूरभाष नं0–0135-[illegible] ई-मेल- dir.agri.uttarakhand@gmail.com, dir-agri-ua@nic.in उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद कार्यालय–[illegible] देहरादून दूरभाष-0135-[illegible] उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड कार्यालय–[illegible] रुद्रपुर ऊधमसिंहनगर, दूरभाष– 05944-[illegible]

			ई-मेल- [illegible]@rediffmail.com गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय [illegible] [illegible] [illegible] दूरभाष- [illegible] ई-मेल- registrar@gbpuat.ac.in [illegible] ई-मेल- gbpuat[illegible]@gmail.com
30.	उद्यान विभाग [illegible] [illegible] ई-मेल- missionhortiuk@gmail.com [illegible] औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, [illegible] [illegible] ई-मेल- registraruuhf@gmail.com	31.	[illegible] [illegible] ई-मेल- [illegible]@gmail.com [illegible] [illegible] ई-मेल- ceo.[illegible]2019@gmail.com [illegible] [illegible] [illegible] ई-मेल- uttarakhand[illegible]@gmail.com
32.	डेयरी विभाग [illegible] दूरभाष [illegible] ई-मेल- ukdd[illegible]@gmail.com	33.	[illegible] विभाग [illegible] दूरभाष- [illegible] ई-मेल- info.[illegible]uk@gmail.com
34.	[illegible] विभाग [illegible] [illegible] ई-मेल- [illegible]@gmail.com [illegible]@gmail.com niyojan[illegible]2017@gmail.com [illegible] [illegible] [illegible] ई-मेल- [illegible]@yahoo.com	35.	आवास विभाग – [illegible] [illegible] दूरभाष [illegible] ई-मेल- [illegible]@gmail.com [illegible] [illegible] ई-मेल- [illegible]2017@gmail.com [illegible] www.[illegible].org.in [illegible] दूरभाष- [illegible] ई-मेल- info@[illegible].com
36.	शहरी विकास विभाग – [illegible] [illegible] दूरभाष- [illegible] ई-मेल- [illegible]123@gmail.com [illegible] [illegible] ई-मेल- nagarnigam.[illegible]@gmail.com	37.	पेयजल विभाग [illegible] [illegible] दूरभाष [illegible] ई-मेल- pmu_uttranchal@rediffmail.com, [illegible]@gmail.com

38.	राजस्व विभाग कार्यालय- राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर देहरादून, दूरभाष नं. 0135-2669415, ईमेल-crc.ddn99@gmail.com	39.	परिवहन विभाग कार्यालय- परिवहन आयुक्त कार्यालय, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड दूरभाष नं. 0135-2608203, 2608107, ईमेल transportdeptuk@gmail.com
40.	सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी, कार्यालय- आई.टी. भवन, प्लाट नं.-आई.टी. 07 आई.टी. पार्क सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। दूरभाष नं. 0135-2608330 ईमेल diritda-uk@nic.in	41.	लघु सिंचाई विभाग कार्यालय – मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड लघु सिंचाई भवन, लेन नं.-3 इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, रिंग रोड, लाडपुर देहरादून दूरभाष- 0135-2672009, 9412911156, 9411197357, 9758121530 ई-मेल: cemiduk@gamil.com, staffo-mim-uk@gov.in
42.	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग उत्तराखण्ड – महानिरीक्षक निबंधन, मसूरी डायवर्जन रोड, [illegible] देहरादून, पुलिस [illegible] के समीप, दूरभाष-0135-2970384 सहायक महानिरीक्षक निबंधन-9759447777 उप निबंधक-9400086953, ईमेल- hod-sm-uk@uk.nic.in, aighq-sro-uk@nic.in, stampregndptuk@yahoo.co.in रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स – [illegible] भवन, [illegible] के सामने, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून, दूरभाष 05946-254301, 9410769439 ईमेल drfscddn@gmail.com	43.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग कार्यालय-आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड गन्ना भवन, काशीपुर रोड काशीपुर उधमसिंहनगर दूरभाष-आयुक्त-8218591740, अपर आयुक्त-9410903103, संयुक्त-8720414618 ईमेल commissionercanesugar@gmail.com,jccuk@rediffmail.com
44.	आबकारी विभाग कार्यालय- आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून दूरभाष 0135-2669030, 9412102808, ईमेल utkexcise@gmail.com	45.	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग कार्यालय– निदेशालय, उत्तराखण्ड ग्राम भोपालपानी (बड़ासी) थानो रोड–रायपुर देहरादून, दूरभाष 8192809140 ईमेल dir.ukdgm@gmail.com

PROGRA

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

1905	सी०एम० हेल्पलाईन
155368	आयुष्मान हेल्पलाईन
1364	पर्यटन हेल्पलाईन
1078	आपदा प्रबन्धन सेवायें
1064	एन्टी करप्शन हेल्पलाइन
1098	चाईल्ड हेल्पलाईन
181	महिला हेल्पलाईन (आपातकालीन/गैरआपातकालीन परिस्थितियों हेतु)
112	आपातकालीन सेवा
104	स्वास्थ्य हेल्पलाईन
1551	किसान कॉल सेंटर
1800117800	मन की बात (सुझाव व विचार प्रेषित करने हेतु)
18002709818	सेवा का अधिकार आयोग
100	पुलिस
101	अग्नि
1514	नेशनल करियर सर्विस
14599	कॉमन सर्विस सेंटर
1072	रेलवे दुर्घटना आपातकालीन सेवा
1073	रोड दुर्घटना आपातकालीन सेवा
18008909715	वन विभाग
108	चिकित्सा सेवा

Uttarakhand Fire and Emergency Services

Social Media Links https://ukfireservices.com/uttarakhand_fire/

Facebook https://facebook.com/uttarakhandfireservice
Instagram https://instagram.com/UttarakhandFireService
WhatsApp https:7/whatsapp.com/channel/0029Va4ek2DATRSvzxNWNt2b
Website https://ukfireservices.com

Auli, Chamoli

Bagwa Mela, Champawat

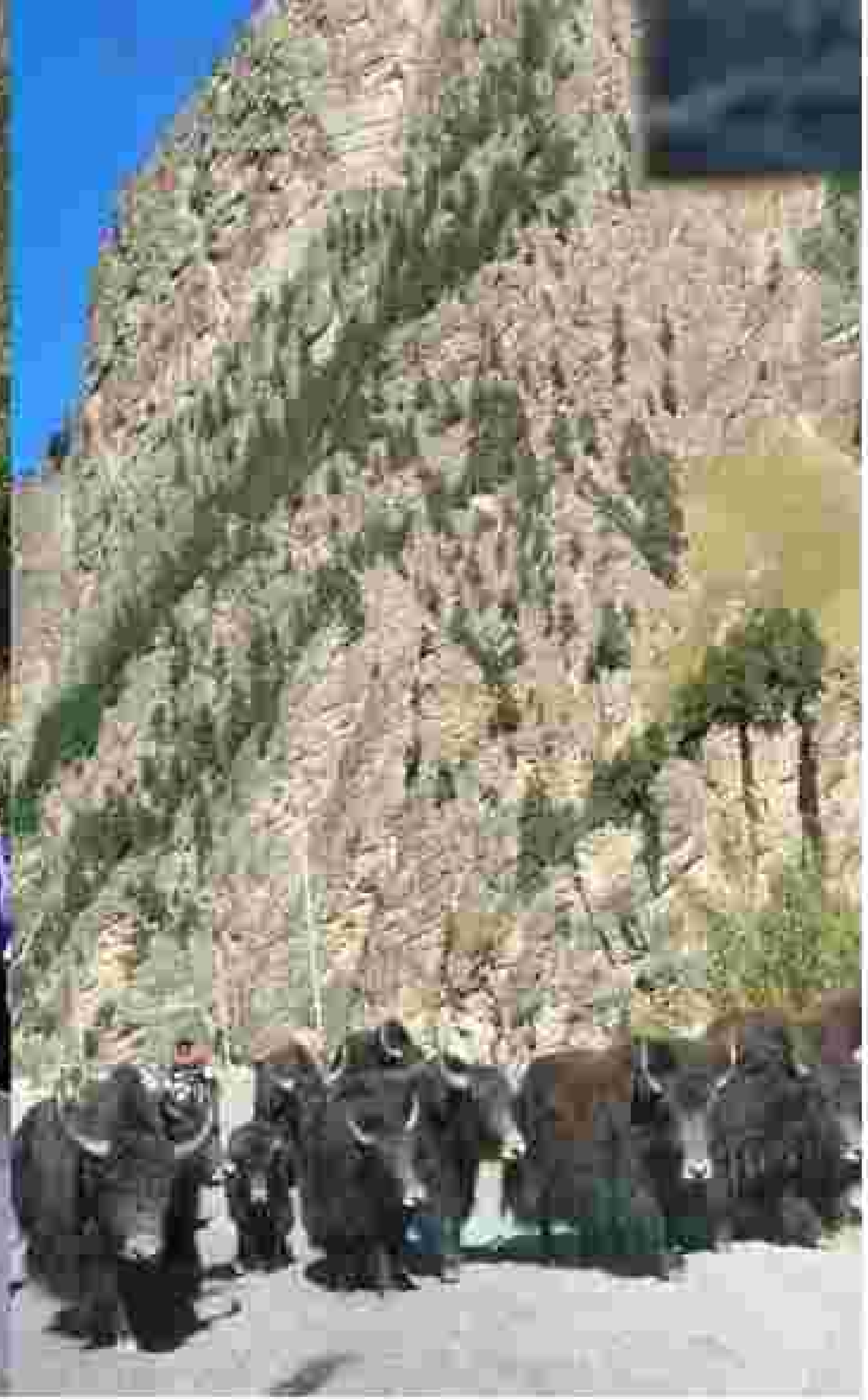

मेरी योजना

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग